


संस्कृत-काठ्यशास्त्र में निरूपित विरोधमूलक अलङ्कारों
का
आलोचनात्मक अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फ़िल० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

पर्यवेक्षक
डॉ० हरिदत्त शर्मा
रीडर
संस्कृत विभाग

अनुसन्धानी
कुमकुम यादव



संस्कृत विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
१९९३ ई०

विषयानुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	: प्राक्कथन	क्र-ग
प्रथम अध्याय	: अलङ्कार स्वरूप-विवेचन	।-50
	अलङ्कार शब्द का अर्थ	।
	अलङ्कार और अलङ्कार्य	१
	काव्य के सौन्दर्याधायक तत्त्व के रूप में अलङ्कार	१६
	अलङ्कार की काव्यात्मता	२।
	अलङ्कार का उद्भव एवं विकास	२८
	अलङ्कार का अन्य काव्यतत्त्वों से सम्बन्ध	३१
द्वितीय अध्याय	: अलङ्कार वर्गीकरण	५।-७४
तृतीय अध्याय	: विरोधमूलक अलङ्कार	७५-९३
	अलङ्कार-विवेचन	
	विरोध	७६
चतुर्थ अध्याय	: अलङ्कार-विवेचन	९४-१२४
	विभागना	९४
	विशेषज्ञानित	१०९

पंथम अध्याय	: अलङ्कृत-विवेचन	125-173
	असङ्गति	125
	विषम	135
	सम	157
षष्ठ अध्याय	: अलङ्कृत-विवेचन	174-199
	विरीचन	174
	अधिक	180
	अन्योन्य	186
सप्तम अध्याय	: अलङ्कृत-विवेचन	200-218
	विशेष	200
	व्याघात	209
	: उपसंहार	219 - 223
	: प्रमुख-सहायक-ग्रन्थ-सूची	

प्राक्कथन

संस्कृत-साहित्य अनन्त सौन्दर्य का सागर है और उस सौन्दर्य का अन्तेष्ठण करने वाला शास्त्र साहित्यशास्त्र है। काव्य-सौन्दर्य की अभिवृद्धि करने वाले धर्म अलङ्कारों का अध्ययन एवं विश्लेषण भारतीय काव्यशास्त्र में विशेष स्थि से हुआ है। काव्यशास्त्र में विभिन्न अलङ्कारक तत्वों के साथ-साथ अलङ्कारों को विशेष महत्व प्रदान करते हुए उसकी भी उपादेयता स्वीकार की गयी। अलङ्कार के अभाव में काव्यत्व की कल्पना ही असङ्गत मानी गयी। काव्य में इतना अधिक चमत्कार उत्पन्न करने वाले इन अलङ्कारों के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक ही है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षा में काव्यशास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात् काव्यशास्त्र का और अधिक अध्ययन एवं मन्थन करने की इच्छा से प्रेरित होकर मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय तथा गंगानाथ ज्ञा अनुसन्धान संस्थान, इलाहाबाद जाकर काव्यशास्त्र के विभिन्न ग्रन्थों का अध्ययन किया और तदनुस्प पैने शोध-कार्य करना प्रारम्भ किया। उसी के परिणामस्वरूप आज पूज्य गुरुवर्य डॉ० हरिदत्त शर्मा जी के द्वारा निर्देशन में "संस्कृत-काव्यशास्त्र में निरूपित विरोधमूलक अलङ्कारों का आलोचनात्मक अध्ययन" शीर्षक यह शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया जा रहा है।

परमादरबीय पूज्य गुरुवर्य डॉ० हरिदत्त शर्मा रीडर, संस्कृत विभाग, जो अपनी विद्वता के लिए तो प्रतिष्ठित हैं ही, साथ ही साथ सरत भाषी भी है, एवं दार्शनिक चिन्तनशुक्त कवित्व के लिए देश एवं विदेशों में भी जिनका नाम है, उनके प्रति शब्दों द्वारा तो आभार व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हृदय से आभारी हैं। मैं संस्कृतविभागाध्यक्ष मनीषीर्पण्य प्रोफेसर सुरेश चन्द्र पाण्डेय के प्रति भी झूला हूँ।

सभी पूज्य गुरुणार्दों के अतिरिक्त उन विद्वान् लेखकों की भी मैं आभारी हूँ जिनके ग्रन्थों के अनुशीलन से मुझे इस शोध-प्रबन्ध में सहायता मिली है।

मैं अपने परमपूज्य पिता श्री भौलानाथ यादव स्वं वात्सल्यमयी माँ श्रीमती कमला देवी यादव के प्रति भी हृदय से आभारी हूँ जिनके स्मैहिल स्वभाव की छत्रछाया में सर्वीविध यथोचित सहयोग पाकर मैं इसे पूरा कर सकी हूँ। अपने इस शोध प्रबन्ध के लेखनकाल मेरे मेरे सामने अनेक कठिनाइयाँ, विघ्न-बाधाएँ आयी, वैसे तो कुछ न कुछ बाधाएँ तो सभी के सामने आती हैं लेकिन मेरे सामने जितनी बाधाएँ आयी, उनकी शब्दों द्वारा व्यक्त कर पाना अत्यन्त कठिन है। कई बार तो मुझे रक्तम निराश भी होना पड़ा। यह तो मेरे माता-पिता स्वं पूज्य गुरु का आशीर्वाद था, जिन्होंने मेरे जीवन के इन कठिन क्षणों में भी मुझे अपने अपार स्नेहयुक्त सहयोग द्वारा इस कार्य को पूरा कर सकने की शक्ति प्रदान की। इनके प्रति आभार क्या, इनसे तो कभी उत्तेज होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे परमवंदनीय श्वसुर श्री शिव प्रसाद चौधरी जी जिनके शुभाशीर्वद्यनार्दों के परिणामस्वरूप मैं इस गुरुतर कार्य को कर सकी तथा परमवंदनीया सास श्रीमती विद्यावती चौधरी के प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने अपने शुभाशीर्वद्यनार्दों के द्वारा तथा समय-समय पर मुझे इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रेरित किया। परमादरणीय श्री मुकेश चौधरी जी के प्रति भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अत्यन्त निराशा के क्षणों में भी यथोचित सहयोग देकर अपने मृदु वयनार्दों द्वारा सदैव मुझे इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित ही किया। परमश्रद्धेय श्री केऽ श्ल० यादव जी अधिष्ठाता, कृष्ण कोविंग इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, के प्रति भी मैं हृदय से अत्यन्त आभारी हूँ जिनसे अध्ययन काल से ही

मुझे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती रही है। उन्होंने अपने पुभाषीर्वर्धनों से अभिषेष चत कर अपने प्रोत्साहन युक्त वचनों द्वारा यथोचित सहयोग प्रदान किया जिससे मैं इस कार्य को पूरा कर सकी। इन सभी लोगों के प्रति मैं आभार च्यक्त करते हुए इनकी चिर श्रृंगी रहूँगी। अपने अन्य पूज्यजनों, परिवार के अन्य सभी सदस्यों का जिनसे मुझे यथासमय किसी न किसी प्रकार का सहयोग खंड शोध प्रबन्ध को पूरा करने की प्रेरणा मिलती रही, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आभार च्यक्त करती हूँ, साथ ही कु० सरोज मेहरोत्रा, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की भी आभारी हूँ। टहू़े कक्ष श्री यज्ञ नारायण जी, जिन्होंने अत्यन्त सावधानी पूर्वक शुद्ध खंड स्पष्ट टहू़े ए कार्य किया, को भी मैं धन्यवाद देती हूँ।

अन्ततः मानवीय स्वभाववशात् यत्र-तत्र हुई भूलों के लिए विद्वज्जनों से उस पर ध्यान न देने की अपेक्षा करते हुए उनके भी सहयोग की आकांक्षा करती हूँ।

कुमकुम यादव

कुमकुम यादव

प्रथम अध्याय

अलङ्कृत स्वरूप-विवेचन

"अलङ्कृत" शब्द का अर्थ

संस्कृत काव्यशास्त्र की मूल प्रवृत्ति सौन्दर्यान्वेषण की प्रवृत्ति है। प्रायः सभी काव्यशास्त्री आचार्य शब्दार्थमय काव्य में सौन्दर्य का ही अन्वेषण करते आये हैं। संभवतः इसी कारण से दैदिक सौन्दर्यवर्धन के कारणभूत अलङ्कृतर्मान के समानान्तर काव्य में भी ये सौन्दर्याधायक तत्त्व अलङ्कृत नाम से व्यवहृत हुए। अलङ्कृत शब्द का प्रयोग प्रायः दो अर्थों में हुआ है- सौन्दर्य और सौन्दर्य-साधन। दोनों ही अर्थ अलङ्कृत शब्द की अलग-अलग व्युत्पत्तियों से उपलब्ध हैं। पहली भाव-व्युत्पत्ति है और दूसरी करण-व्युत्पत्ति। भाव-व्युत्पत्ति से अलङ्कृत शब्द का अर्थ है- "अलङ्कृतरणम् अलङ्कृतरः" अथवा "अलङ्कृतीतः अलङ्कृतरः" अर्थात् अलङ्कृतरण ही अलङ्कृत है। प्रथम रूप में अलं पूर्वक कृ धातु से भाव अर्थ में घण्ट प्रत्यय हुआ है और दूसरे रूप में भाव में कितन् प्रत्यय हुआ है। इस भाव-व्युत्पत्ति के अतिरिक्त करण-व्युत्पत्ति से अलङ्कृत शब्द का अर्थ "अलङ्कृतीते अनेन इति अलङ्कृतरः" अर्थात् जिसके द्वारा शब्द स्वं अर्थ का अलङ्कृतरण किया जाय, वही अलङ्कृत है। यहाँ "अकर्तौर च कारके संज्ञायाम्" सूत्र से करण अर्थ में घण्ट प्रत्यय हुआ है। इन दो व्युत्पत्तियों के आधार पर अलङ्कृत शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है- सौन्दर्य स्वं सौन्दर्याधायक तत्त्व।

आचार्य वामन ने अलङ्कृत को सौन्दर्य का अपरपर्याय छहा है तथा अलङ्कृतरयुक्त काव्य को ग्राहय स्वं अलङ्कृत हीन काव्य को अग्राहय माना है। उनके अनुसार काव्य के वे सभी तत्त्व जो काव्य में शोभा का आधान करते हैं; अलङ्कृत के व्यापक अर्थ में उसके अङ्ग हैं। वामन के अनुसार गुण काव्य सौन्दर्य

के हेतु हैं तो अलङ्कृत काव्य-सौन्दर्य की वृद्धि करने वाले धर्म।¹ उनके मतानुसार अलङ्कृत काव्य के शोभाधार्यक गुण नहीं अपेक्षित काव्य की स्वाभाविक शोभा की वृद्धि करने वाले धर्म है। इस मतानुसार करण व्युत्पत्ति से अलङ्कृत शब्द का अर्थ हआ वह तत्त्व जिससे काव्य अलङ्कृत हो अर्थात् जिससे काव्य के सौन्दर्य की अभिवृद्धि हो। आचार्य दण्डी के मतानुसार काव्य-शोभा के जितने भी निष्पादक धर्म हैं, सब अलङ्कृत हैं। उनके अनुसार गुण आदि काव्य-तत्त्व काव्य में सौन्दर्य का आधान करने के कारण अलङ्कृत हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सन्ध्यङ्क, सन्ध्यङ्कः, वृच्यङ्कः तथा लक्षण आदि समस्त काव्य-तत्त्वों को भी अलङ्कृत माना है।²

वक्रोक्तिजीवितकार आचार्य कृन्तक ने वक्रोक्ति को ही काव्य का अनिवार्य तत्त्व स्वीकार किया है। उन्होंने वक्रोक्ति शृकथन के तैदग्रथयपूर्ण ढंग³ को काव्य का अर्थात् शब्द और अर्थ का अलङ्कृत कहा है।³ जयदेव के मतानुसार अलङ्कृत हीन शब्दार्थ को काव्य मानना उष्णतारहित अग्नि की कल्पना करने के समान है। जिस प्रकार अग्नि का अग्नित्व उसकी उष्णता में ही है उसी प्रकार

1- काव्यशोभायाः कर्त्तारो धर्मा गुणाः । तदीतश्यहेतव स्त्वलङ्कृताः ।
-काव्यालङ्कृत सूत्र वृत्ति 3/1/। तथा 3/1/2

2- यच्च सन्ध्यङ्कःवृच्यङ्कःलक्षणाद्यागमान्तरे ।
व्यावर्षितमिदं येष्टमलङ्कृतारतयैव नः ॥
- काव्यादर्श 2/67

3- उभावेतावलङ्कृतार्यो तयोः पुनरलङ्कृतिः ।
वक्रोक्तिरेव वेदंग्रथयङ्कीभीषितस्यते ॥
-वक्रोक्ति जीवित ।/10

काव्य का काव्यत्त्व भी उसके इवाव्य के० अलङ्कृत होने में ही है। उन्होंने अलङ्कृत को काव्य ला नित्यर्थ स्वीकार किया।¹ औचित्य सम्प्रदाय के पुर्वतक आचार्य शेमेन्द्र ने औचित्य को ही काव्य का प्राण माना। उनके गतानुसार काव्य के अलङ्कृत अपने आप में काव्य सौन्दर्य के हेतु नहीं होते। उचित विन्यास होने पर ही अलङ्कृत सच्चे अर्थ में अलङ्कृत होते हैं और काव्य की श्रीतृद्वि करते हैं।² रुद्यक पृणीत अलङ्कृतसर्वस्त के टीकाकार समुद्रबन्ध ने गुण को काव्य का नित्यर्थ स्वीकार करते हुए अलङ्कृत को काव्य का जीनित्य धर्म स्वीकार किया है। आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार अलङ्कृत काव्य के घास्त्व का हेतुभूत होता है। उन्होंने "अपूर्धग्यतननिर्वर्त्य" अलङ्कृत को भावाभिव्यक्ति का सहजात धर्म होने के कारण काव्य का अन्तरङ्ग धर्म स्वीकार किया है तथा यह भी कहा है कि अलङ्कृत की अलङ्कृतता हनाये रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि उस अलङ्कृत की योजना सदा अंग रूप में रहे, उसकी योजना अंगी रूप में कभी न होने पावे। अवसर देखकर उसका ग्रहण हो और यदि अवसर न हो तो गृहीत का भी परित्याग हो जाना चाहिए। उनकी यह मान्यता है कि अलङ्कृत वाच्योपस्कारक होने के कारण काव्य के शरीर हैं शारीरभूत शब्दार्थ से अविभाज्य रूप से सम्बद्ध हैं।

1- अङ्गी करोति यः काव्यं शब्दार्थविनलङ्कृती ।

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती ॥ चन्द्रलोक 1/8

2- अलङ्कृतस्त्वलङ्कृता गुणा स्व गुणाः सदा ।

उचितस्थानविन्यासादलङ्कृतिरलङ्कृतिः ॥ औचित्यविचारचर्चा 6।

पर कभी वे शरीरी भी बन सकते हैं। अलङ्कृत हात्य हों तो शरीर किन्तु त्यहूँ रथ होने पर धृति का अङ्ग होते हुए भी शरीरी का पद प्राप्त कर लेते हैं।¹ भौजदेव ने "शृंगारप्रकाश" के दशम प्रकाश में स्पष्ट रूप से लिखा है- कात्य शरीर के चारुत्तर रूप उत्कर्ष की रीतिद्वय के लिए अलङ्कृत हात्य उपकारक है। आचार्य मम्मट ने शब्द और अर्थ की कल्पना कात्यपुरुष के शरीर के रूप में की है। उनके मतानुसार रस उसकी आत्मा है और माधृत्य आदि रस के धर्म-कात्य गुणमानव के शौर्य आदि गुण की तरह उसके गुण हैं। अलङ्कृत कात्य-पुरुष के शरीर को-शब्द और अर्थ को- विभूषित करते हैं; अतः वे मानव शरीर के हारादि आभूषण की तरह उसके अलङ्कृत हैं। लोक-जीवन में जैसे हार आदि आभूषण धारण करने वाले का शरीर अलङ्कृत होकर लोक-धारणा को प्रभावित करता है और इस प्रकार अलङ्कृत व्यक्ति की आत्मा का उपकार होता है ठीक उसी प्रकार कात्य का शब्दार्थ-रूप शरीर कात्य है के अलङ्कृतार्थ से अलङ्कृत होता है। कात्य के अलङ्कृतार्थ से कात्य का शब्दार्थ रूप शरीर तो अलङ्कृत होता ही है, साथ ही साथ ये अलङ्कृत उसकी आत्मा रस को भी उपकृत करते हैं।²

1- शरीरीकरणं येषां तात्यत्वेन त्यहस्थितम् ।

तेऽलङ्कृतराः परां छायां यान्ति धर्म्यङ्कृतां गेताः धर्म्यालोक ५।

2- उपकृतिन्तं तं सन्तं येऽलङ्कृतारेण जातुचित् ।

हरादिवदलङ्कृतरात्सोऽनुप्रातोपमाद्यः । - कात्यप्रकाश ८/६७

यहाँ अलङ्कृत शब्द के अर्थ के विषय में एक व्याख्या हो सकती है यदि करण-व्युत्पत्ति से अलङ्कृत शब्द का अर्थ काच्य-सौन्दर्य का साधक मान लिया जाय तो काच्य के अन्य जो शोभाधारक तत्त्व है जैसे गुण आदि उनसे काच्यालङ्कृत का भेद कैसे किया जायेगा। कुछ आचार्यों ने गुण स्वरं अलङ्कृत को काच्य -सौन्दर्य का तमान भाव से साधक मानकर दोनों के विषय विभाग को अवैग्निक मान लिया था। कुछ आचार्यों ने गुण तथा अलङ्कृतों में क्या भेद है यह स्पष्ट करने के लिए ही गुण को काच्य-सौन्दर्य का देतु माना और अलङ्कृत को काच्य सौन्दर्य की वृद्धि करने वाला धर्म। भट्टोद्भट ने भी गुणालङ्कृतों के भेद को मिथ्या कल्पना माना है। उनके मतानुसार गुण तथा अलङ्कृत में कोई भेद नहीं है। लौकिक गुण तथा अलङ्कृतों में तो यह भेद किया जा सकता है कि हारादि अलङ्कृतों का शरीरादि के साथ संयोग सम्बन्ध होता है, और शौर्यादि गुणों का आत्मा के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं, अपितु समवाय सम्बन्ध होता है, परन्तु काच्य में तो ओज आदि गुण तथा अनुप्रास, उपमा आदि अलङ्कृत दोनों की ही समवाय सम्बन्ध से स्थित होती है। इसलिए काच्य में उनका उपपादन नहीं किया जा सकता है। परन्तु वामन ने गुणालङ्कृतों में भेद स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि अलङ्कृत काच्य के शोभाधारक गुण नहीं, काच्य की स्वाभाविक शोभा की वृद्धि करने वाले धर्म हैं। जिस प्रकार लौकिक जीवन में भी यूवती के भीतर यदि सौन्दर्यादि गुण पहले से विद्यमान हो तो उन सौन्दर्यादि गुणों के होने पर ही अलङ्कृत उसकी शोभा की वृद्धि कर सकते हैं। यदि उसमें वास्तविक सौन्दर्य न हो तो वास्तविक सौन्दर्य के अभाव में हारादि अलङ्कृत उसकी शोभा की वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार काच्य जगत् में भी प्राधृष्टादि गुणों के रहने पर ही उपमा और यमक आदि

अलङ्कृत उसकी {काव्य की} शोभा की वृद्धि कर सकते हैं। मम्मट आदि परवर्ती आलङ्कृतिरिकों ने इस मत की आलोचना की और बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी काव्य-गुण वहाँ पढ़ते से तिघमान नहीं है और अलङ्कृत शोभावर्धक हो रहे हैं। अतः गुणाद्वित शोभावर्धक धर्म ही अलङ्कृत है- यह कहना साधार तर्वं सद्योक्तिक नहीं है।

काव्य के स्तरप के सम्बन्ध में द्वृष्टिभेद के कारण अलङ्कृत के स्तरप के सम्बन्ध में द्वृष्टिभेद होना स्वाभाविक था भामह और उद्भट ने काव्य के धब्दार्थ को अलङ्कृतर्थ मानकर उसमें सौन्दर्य का आधान करने वाले सभी तत्त्वों को अलङ्कृत कहा। भामह ने काव्य के अलङ्कृत को नारी के आभूषण की तरह मानकर कहा था कि ऐसे रमणी का सुन्दर मुख भी भूषण के अभाव में सुशोभित नहीं होता उसी प्रकार अलङ्कृतर्थीन काव्य सुशोभित नहीं होता।¹ भामह नारी के मुख को सुशोभितकरने के लिए आभूषण को जिस प्रकार अनिवार्य मानते थे, उसी प्रकार काव्य को सुशोभित करने के लिए काव्यालङ्कृत को आवश्यक मानते थे। कहने का अभिभाव यह है कि नारी के आभूषण उसके सौन्दर्य की सृष्टि नहीं करते उसके स्वाभाविक सौन्दर्य की वृद्धि ही कर सकते हैं। इसी तरह यदि काव्य के अलङ्कृत को नारी के आभूषण की तरह माना जाय तो उसे काव्य-सौन्दर्य की वृद्धि में सहायक मात्र मानना होगा। इसके विपरीत कालिदास जैसे रसज्ञ सहज सुन्दर स्प के लिए किसी विशेष आभूषण की आवश्यकता नहीं मानते। उनके मतानुसार तो कोई भी वस्तु

1- न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितामुखम् ।

-- काव्यालङ्कृत ।, 13

चाहे वह सुन्दर हो या असुन्दर, सुन्दर रूप का आभृषण बन जाती है। इसी बात को स्वीकार करते हुये आचार्य भामह ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि आश्रय के सौन्दर्य से असुन्दर वस्तु भी सुन्दर बन जाती है। सुन्दर आँखों में काला अंजन भी सुन्दर लगने लगता है।²

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि काच्य के तम्बन्ध में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले आचार्यों ने काच्यालङ्घार के स्वरूप के विषय में भी भिन्न मान्यताएँ व्यक्त की हैं। भामह तथा उत्तर ने काच्य-शोभा के साथक धर्म को अलङ्घार मानकर गुण, रस आदि सभी काच्य तत्त्वों को अलङ्घार की सीमा में समाप्तिष्ठ कर लिया। इष्टी ने भी काच्य के शोभात्थक धर्म को अलङ्घार कहा। वक्रोक्तिजीवितकार आचार्य कुन्तक ने वक्रोक्तिको कहने के तैदगद्यपूर्ण दंग को -काच्य का अर्थात् शब्द और अर्थ का अलङ्घार कहा। आचार्य ल्युयक ने भी अभिधान अर्थात् कथन के प्रकार-विशेष को अलङ्घार माना। उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि कठि प्रतिभा से समुद्भूत कथन का प्रकार-विशेष ही अलङ्घार है। आनन्दवर्धन के पूर्व अलङ्घार को काच्य का बाह्य तथा अन्तरङ्ग काच्य-धर्म मानने वाले दो मत प्रचलित थे-- कुछ तो अलङ्घार को काच्य का बाह्य धर्म तथा कुछ अन्तरङ्ग धर्म मानते थे, परन्तु आनन्दवर्धन ने इन दोनों मतों में समन्वय स्थापित किया। उनके मतानुसार

1- किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ।

-अभिधानशास्त्रानुसारम् ।/17

2- किंचिदाश्रयसौन्दर्यादिप्तते शोभामसाध्यमि ।

कान्ताविलोचनन्यस्तं मलीमसमिवांजनम् ॥

-- काच्यालङ्घार ।,55

वार्तिग्रन्थकल्प अर्थात् कथन के अनुठे ढंग अनन्त है और उनके प्रकार ही अलङ्कार कहलाते हैं। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रन्थ "काव्यप्रकाश" में काव्य-लक्षण प्रस्तुत करते हुए यह बात तो स्पष्ट रूप से कही कि काव्य में शब्दार्थ का निर्दोषितया तथा गुणरूपत छोना तो आवश्यक है: परन्तु अलङ्कार की काव्य में अनिवार्य स्थिति न मानते हुए यह कहा कि कहीं-कहीं अनलङ्कृत शब्दार्थ भी काव्य होते हैं।¹ तो अलङ्कार को काव्य-सौन्दर्य का नित्य और अनिवार्य धर्म नहीं मानते हैं। उनके कहने का अभिप्राय यह था कि अलङ्काररहित होने पर भी गुण के सद्भाव तथा दोष के अवाव में शब्दार्थ सुन्दर काव्य बन सकते हैं तथा अलङ्कार भी यदि इस के सङ्कायक बनकर आँठे तो काव्य का सौन्दर्य और बढ़ जाता है। अतः गुण इस के अपरिहार्य धर्म हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आनन्दवर्धन ने जो काव्य में अलङ्कारों की स्थिति कुन्डलादि के समान वाहय और अनित्य मानी है उसी का अनुसरण आचार्य मम्मट, राजभेदीर, हेमचन्द्र, विश्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ, विश्वेश्वर आदि आचार्यों द्वारा स्वीकृत अलङ्कार लक्षण में दृष्टिगोचर होता है। भरत के पश्चात् तथा आनन्दवर्धन से पूर्व लगभग समस्त काव्य शास्त्री आचार्यों ने अलङ्कारों को काव्य के अङ्ग-प्रस्प में ही प्रतिष्ठित किया है। जयदेव, अण्य दीक्षित आदि आचार्यों ने भी इसी मत का समर्थन किया।

1- तददोषी शब्दार्थो लगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि ।

अब निष्कर्ष स्पृह में यह कहा जा सकता है कि वास्तव में करण-त्युत्पत्ति से जो अलङ्कृत शब्द का अर्थ निकलता है कि अलङ्कृत काव्य को अलङ्कृत हनाने का साधन है ठीक ही है, परन्तु यदि अलङ्कृत को काव्य को अलङ्कृत लरने का साधन मान लिया जाय तो हमारे समझ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि वे अलङ्कृत जिन्हें हम काव्य को अलङ्कृत बनाने का साधन मानते हैं वे काव्य में अलङ्कृत किसे करते हैं?

अलङ्कृत और अलङ्कृत्य-

अलङ्कृत काव्य में किसे अलङ्कृत करते हैं यह जानने से पूर्व हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि वास्तव में अलङ्कृत क्या है? और अलङ्कृत्य क्या है? जो अन्य को सुशोभित करे उसे "अलङ्कृत" कहते हैं और जो अन्य के हारा सुशोभित हो उसे अलङ्कृत्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ- कटक, कुंडल आदि आभूषण अन्यों को विभूषित करते हैं इस कारण वे अलङ्कृत कहे जायेंगे और मनुष्य का शरीर जो कि इन आभूषणों के हारा अलङ्कृत होता है इसलिए मनुष्य के शरीर को अलङ्कृत्य कहा जासगा। अतः अलङ्कृत्य का अलङ्कृतण अलङ्कृत के हारा होता है। इसी प्रकार काव्य में जब उपमादि अलङ्कृत शब्दार्थ को विभूषित करे तो उन्हें अलङ्कृत की संज्ञा प्राप्त होगी, परन्तु जब त्यक्त-ग्राह्यार्थ में उसकी स्थिति प्रतीति होगी तो अलङ्कृत्य की सीमा में आ जायेगे। कहने का अभिप्राय यह है कि त्यक्त-य अर्थ में प्रधान स्पृह से अलङ्कृतर्णों की प्रतीति होने से वे अलङ्कृत अलङ्कृत्य हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि वास्तव में जो अलङ्कृत कैसे हो सकता है? अलङ्कृत का तो यह गुण है कि वह दूसरे को सुशोभित करे। ऐसी स्थिति में वे अलङ्कृत गौह होते हैं,

परन्तु व्यङ्ग्यार्थ में प्रधान होने के कारण उन अलङ्कृतर्माओं का यह धर्म नहीं रह सकेगा क्योंकि यदि व्यंग्यार्थ में उन्हें गौण माना जायेगा तो उनमें धर्मित्व का अभाव रहेगा और तब ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि एक ही प्रार्थ को किस प्रकार प्रधान और अप्रधान दोनों माना जाय। काव्य में धर्मिया व्यङ्ग्य अर्थ की सदा प्रधानता होती है और जो प्रधान होता है वही "अलङ्कृतर्य" होता है। वही "अलङ्कृतर्य" होता है। इसलिए जिन उदाहरणों में अलङ्कृत व्यङ्ग्य है वहाँ उनकी प्रधानता होने से वे "अलङ्कृतर" नहीं अपितु "अलङ्कृतर्य" होने चाहिए। फिर उनको "अलङ्कृतर" कैसे कहा जा सकता है? इसी शंका का समाधान काव्य-प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने ब्राह्मण-श्रमण न्याय के द्वारा किया है। उनका कहने का अभिभूत यह है कि यदीपि यह ठीक है कि व्यङ्ग्य अर्थ "अलङ्कृतर"-स्वरूप नहीं होता अपितु वह सदा "अलङ्कृतर्य" ही होता है फिर भी उसको "ब्राह्मण-श्रमण न्याय" से अथवा "भूतपूर्व-न्याय" से अलङ्कृत कहा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले ब्राह्मण रहा हो, पीछे वह "श्रमण" [बौद्ध सन्यासी] हो जाय तो उस स्वरूप में भी उसमें ब्राह्मणत्व का अभाव होने पर भी वह पहले कभी ब्राह्मण था इसलिए उस भूमुखे में भी अर्थात् घोटी यज्ञोपवीत के बिना भी उसे ब्राह्मण कहा जाता है। इसी प्रकार जब "अलङ्कृतर" व्यङ्ग्य हो जाने के कारण प्रधान या "अलङ्कृतर्य" हो जाता है तब भी "ब्राह्मण-श्रमण-न्याय" से या भूतपूर्व गति से उसको "अलङ्कृतर" कहा जा सकता है।¹ इस प्रकार "अलङ्कृतर्य" का अर्थ बर्ण्य वस्तु

1- अलङ्कृतरस्यापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेनालङ्कृतरता ।

या तर्ण्य विष्ण्य माना जायेगा और अलङ्कृत विष्ण्य उस्तु को विभूषित करने वाले तत्त्व को कहेंगे।

भामह, उद्भट आदि आचार्यों ने शब्द और अर्थ को अलङ्कृतर्य माना है। भामह ने काव्य के शब्दार्थ को अलङ्कृतर्य मानकर उनमें सौन्दर्य का आधान करने वाले सभी तत्त्वों को अलङ्कृत र कहा है। उद्भट ने अलङ्कृतर को व्याप्ति अलङ्कृतरः "ताक अर्थात् शब्द तथा अर्थ को अलङ्कृतर्य स्तीकार किया है। परन्तु रीतिवादी आचार्य तामन ने व्यापक अर्थ में अलङ्कृतर को सौन्दर्य का पर्याय माना परन्तु विशिष्ट अर्थ में उपमा आदि के लिए अलङ्कृतर शब्द का प्रयोग माना है। वास्तव में यदि यह वहा जाय कि वह काव्य सौन्दर्य अलङ्कृतर भी है और अलङ्कृतर्य भी तो यह कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि सौन्दर्य से पृथक् काव्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तामन के मतानुसार रीति या विशेष प्रकार की पद-संघटना काव्य-सर्वस्व है।¹ वही अलङ्कृतर्य है। उनके मतानुसार उसके सौन्दर्य के हेतु गृण होते हैं और रीति में गुण से जो सौन्दर्य उद्भूत होता है उस सौन्दर्य की वृद्धि अलङ्कृतर से होती है। वक्त्रोक्तिवादी आचार्य कृन्तक ने अलङ्कृतर और अलङ्कृतर्य में क्या भेद है इस प्रश्न पर बहुत ही तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हुये वक्त्रोक्ति या घमत्कारपूर्ण कथन शैली को अलङ्कृतर मानकर शब्दार्थ को अलङ्कृतर्य स्तीकार किया। यही कारण है कि उन्होंने स्वभावोक्ति को अलङ्कृतर न मानकर अलङ्कृतर्य माना।²

1- रीतिरात्मा काव्यस्य |काव्यालङ्कृत सूत्र वृत्ति 1,2,6

2- अलङ्कृतरकृता " येषां स्वभावोक्तिरलङ्कृतिः ।

अलङ्कृतर्यतया तेषां किमन्यद्वितिष्ठते ॥

- वक्त्रोक्ति जीवित- ।/।

उनके मतानुसार स्तभावीकृत अर्धात् प्रकृत शब्दार्थ अलङ्‌कृत होने पर ही काव्य की कोटि में आते हैं। अतः वक्रोक्ति से अलङ्‌कृत होने के कारण वे ही अलङ्‌कृत्य हैं और वक्रोक्ति उनका अलङ्‌कृत्य करती है इस कारण वह वक्रोक्ति। अलङ्‌कृत्य है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि वस्तुतः सालङ्‌कृत्य की काव्य है। उसमें अलङ्‌कृत्य और अलङ्‌कृत्य की परस्पर स्वतन्त्र सत्ता नहीं। उनके मतानुसार केवल काव्य की उत्पत्ति के लिए- उसके स्तर-टिक्केषण के लिए ही अलङ्‌कृत्य और अलङ्‌कृत्य की अलग अलग कल्पना करके उनका विवेचन किया जाता है। उनके मतानुसार अलङ्‌कृत वाक्य ही काव्य होता है न कि काव्य में अलङ्‌कृत्य का योग होता है। वस्तुतः वक्रोक्ति एक अलङ्‌कृति है और काव्य उसका अलङ्‌कृत्य अलङ्‌कृति और अलङ्‌कृत्य जो कि टास्तव में अपृथक है--केवल समझाने के लिए ही उन्हे पृथक करके उनका विवेचन किया जाता है। काव्य तो स्वयं ही सालङ्‌कृत्य होता है अलङ्‌कृत्य को उसमें ऊपर से या बाद में नहीं लाया जा सकता।¹

आनन्दतर्थन ने अलङ्‌कृत्य को गुण और रीति के साथ काव्य शब्दार्थ के चारूत्व का हेतु मात्र माना तथा उसकी स्थिति रस ध्वनि से आश्रित प्रानी। काव्यशास्त्र में रस और ध्वनि प्रस्थान की स्थापना हो जाने पर अलङ्‌कृत्य और अलङ्‌कृत्य के सम्बन्ध में मौलिक दृष्टिभेद आया। रस या ध्वनि को काव्य की

1- अलङ्‌कृतिरलङ्‌कृत्यान्यः पौदधृत्य विदेच्यते ।

तदुपायतया तत्वं सांख्यारस्य काव्यता ॥

-- वक्रोक्तिष्णीवित ।/6

आत्मा के रूप में स्वीकृति मिल जाने के कारण जो शरीरभूत शब्दार्थ का महत्त्व था वह गौण पड़ गया। रस-धर्मनि सम्प्रदाय में काच्य के आत्मभूत रस या धर्मनि को ही विशेष महत्त्व प्रदान करते हुए अलङ्कृत्य माना गया। उनके मतानुतार अलङ्कृत्य का सम्बन्ध प्रमुख रूप से शब्द और अर्थ से ही रहता है परन्तु केवल शब्दार्थ मात्र के उपस्कार में उसकी सार्थकता नहीं है उसकी सार्थकता तो शब्दार्थ का उपस्कार कर उनके माध्यम से काच्य के अङ्गीकृती रस या धर्मनि के उपकार में ही है। वे ऐसा मानते थे कि यदि अङ्गीकृती न हो तो अलङ्कृत्य से अङ्गीकृती का भी उपस्कार नहीं हो सकता। यदि मृत व्यक्ति के निष्प्राण शब्द को चाहे कितने भी मूल्यवान रत्नाभेरणों से लाद दिया जाय फिर भी उसमें सुन्दरता नहीं आ सकती।¹ ठीक उसी प्रकार यदि काच्य भावहीन है तो भावहीन काच्य अलङ्कृत्य के घमत्कार से सूक्ष्म होने पर भी निष्प्राण होता है, निस्तेज होता है। अतः अलङ्कृत्य रस वा धर्मनि ही है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृष्ण आचार्यों ने तो अलङ्कृत्य और अलङ्कृत्य में परस्पर भेद माना, परन्तु कृष्ण ने इसे स्पष्ट रूप से अस्त्वीकार किया। कृष्ण आचार्य अलङ्कृत्य को काच्य का शोभाधार्यक धर्म मानते हैं और कृष्ण स्वस्पाधार्यक धर्म मानते हैं। यदि अलङ्कृत्य को शोभाधार्यक धर्म माना जाय तब तो अलङ्कृत्य और अलङ्कृत्य में पार्थक्य मानना ही पड़ेगा, परन्तु यदि इसे काच्य का स्वस्पाधार्यक धर्म मानते हैं तो दोनों का अपूर्थक संबंध ही स्वीकार करना पड़ेगा। इस विषय में हमें कुन्तक

1- तथा हि अयेतनं शशशरीरं कुण्डलाद्युपेतमपि न भासि, अलङ्कृत्यस्याभावात् ।

का मत ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अलङ्कार और अलङ्कार्य में तात्त्विक रूप से तो भेद नहीं है; परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इनमें आपस में भेद मानना ही पड़ेगा क्योंकि व्यावहारिक रूप से बिना भेद किये इसे समझाया भी नहीं जा सकता। क्रौचे की भी यही मान्यता थी कि काव्य का अर्थ एक और अखण्ड होता है, उसमें अलङ्कार और अलङ्कार्य आदि अङ्गों का विभाजन नहीं हो सकता। उनकी यह मान्यता उचित ही है कि काव्य एक सम्पूर्ण अभिव्यञ्जना है और अलङ्कार उस अभिव्यक्ति का सम्पूर्ण से अविभाज्य साधन है। उन्होंने अलङ्कार और अलङ्कार्य के भेद को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया--

" One can ask oneself how an ornament can be joined to expression, Externally : In that case it must always remain separate. Internally , In that case either it does form part of it and is not an ornament but a constituent element of expression indistinguishable from the whole".

अर्थात् अलङ्कार उकित में ऊर ले जोड़ा जा सकता है या भीतर से यदि ऊर से जोड़ा गया, तो वह मूल उकित से पृथक् ही बना रहा और यदि भीतर से जोड़ा गया, तो दो स्थितियाँ होंगी-- एक अनुरूप न पड़ने ले बाधक की और दूसरी अनुरूप पड़ने से साधक की। यदि भीतरी योजना अनुरूप है, तब तो वह उकित का ही अभिन्न अंग है-- वह एक अखंड उकित ही है-- उसमें अलङ्कार सर्व अलङ्कार्य का भेद कैसा?

निष्कर्ष स्पृह में यह कहा जा सकता है कि तास्तव में सभी काव्य तत्त्व एक अखण्ड काव्य-सौन्दर्य के अन्तर्भूत सहायक होते हैं। अलङ्कार भी काव्यानन्द की अनुभूति में बाहर से सहायक नहीं होता हीलंक वह भी काव्य सौन्दर्य का अन्तर्भूत सहायक ही है। अलङ्कार और अलङ्कार्य की परस्पर स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, केवल काव्य-स्वरूप के विश्लेषण के लिए ही दोनों को अर्थात् अलङ्कार और अलङ्कार्य को अलग अलग कल्पित करके उनका विवेचन किया जाता है। अलङ्कार उकित के विभिन्न प्रकार ही है या यह कहा जाय कि उकित की विविध विच्छिन्नतयाँ ही अलङ्कार हैं तो अतिशयोकित न होगी। अलङ्कार और अलङ्कार्य का भेद भी तात्त्विक नहीं व्यावहारिक ही है। अतः इन दोनों में भेद मानकर दोनों के बीच कोई विभाजक रेखा खींचना उपयुक्त नहीं है।

काट्य के सौन्दर्याधिक तत्त्व के रूप में अलङ्कार

काट्य कवि की अनुभूति की व्यंजना है। कवि की जो अखण्ड आत्मानुभूति है वह ही काट्य में नाना रूपों में अभित्यक्त होती है। कवि अपनी इस अनुभूति को व्यक्त करने के क्रम में अपनी उकितयों को अलङ्कृत बना कर प्रस्तुत करता है। वह कभी स्व-साम्य, कभी धर्म-साम्य और कभी प्रभाव-साम्य के आधार पर द्विषय बिम्ब उभार कर सौन्दर्य व्यंजित करता है। इसीलिए काट्य को कवि कर्म भी कहा गया है। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कि वह अपनी उकित को अधिक से अधिक प्रभावोत्पादक बनाकर प्रस्तुत करना चाहता है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के अलङ्करणों से, साज-सज्जा से द्रुतरों की धारणा को प्रभावित करने की प्रवृत्ति जन-सामान्य में पायी जाती है, उसी प्रकार काट्य जगत् में भी कवि अपनी अनुभूतियों को अपनी उकितयों को अधिक से अधिक चमत्कारपूर्ण रूपं प्रभावोत्पादक बनाकर व्यक्त करना चाहता है, वह उसमें कुछ न कुछ नवीनता लाना चाहता है। कवि अपने प्रतिपाद्य अर्थ को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कहीं अलङ्कार की योजना करता है तथा कहीं-कहीं जब वह किसी प्रस्तुत वस्तु का वर्णन करना चाहता है तो जिस समय वह प्रस्तुत वस्तु का वर्णन करता है तो प्रस्तुत वस्तु के वर्णन-क्रम में उसके साथ अतिशय सादृश्य आदि के कारण अनायास ही कोई अप्रस्तुत वस्तु उसके सामने आ जाता है और वह जो अप्रस्तुत वस्तु है प्रस्तुत वस्तु से मिलकर अलङ्कार का विधान कर देती है।

प्राचीन आलंकारिकों भामह, दण्डी, ठामन आदि ने समस्त काट्य-सौन्दर्य को अलङ्कार के ही अन्तर्गत रखते हुए अलङ्कार को काट्य शोभा का कारण अधिका अपर पर्याय माना। उनके मतानुसार काट्य का जो वस्तुत पक्ष है वह

अरमणीय या चमत्कार-रहित होने पर काट्य न होकर केवल वार्ता मात्र रह जाता है तथा काट्य का यही प्रस्तुत पक्ष वदि रमणीय अर्था चमत्कारपूर्ण होता है तो वह अलङ्कृत से अभिन्न हो जाता है। भामह ने भी अलङ्कृत को काट्य-सौन्दर्य का आवश्यक तत्त्व माना है। उनके मतानुसार भी अनलङ्कृत या प्रकृत उकित वार्ता मात्र होती है।¹ उदाहरणार्थे सूर्य अस्त हो गया है, पौधगण अपने अपने नीड़ों को लौट रहे हैं, इत्यादि को काट्य की संज्ञा नहीं प्रदान की जा सकती, यह तो केवल वार्ता मात्र है। कहने का अभिभाय यह है कि अलङ्कृतादी प्रस्तुत अर्थ का सर्वथा निषेध नहीं करते, बील्कु उसमें वह यथावत् काट्यत्व की सम्भावना नहीं मानते। उनके मतानुसार तिसी भी प्रकार के सौन्दर्य से विशिष्ट होने पर वह अपने समग्र स्पृष्ठ में अलङ्कृत बन जाता है। उनके कहने का अभिभाय यह है कि शब्द और अर्थ के दो स्पृष्ठ हैं—

॥१॥ प्रकृत अर्था अनलङ्कृत स्पृष्ठ तथा ॥२॥ अलङ्कृत स्पृष्ठ इनमें से शब्द और अर्थ का जो प्रथम अर्थात् प्रकृत अर्था अनलङ्कृत स्पृष्ठ है अकाट्य है तथा हितीय जो अलङ्कृत स्पृष्ठ है वह अपने समग्र स्पृष्ठ में ही काट्य है तथा वही अलङ्कृत है।

“काट्यालङ्कृत” शब्द का अर्थ काट्य-सौन्दर्य होता है। अलङ्कृत शब्द काट्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र के पर्याय के स्पृष्ठ में भी आता है। अलङ्कृत के व्यापक अर्थ में कुछ आधारों ने उसे काट्य-सौन्दर्य का पर्याय माना और ऐस, गुण आदि सभी काट्य-तत्त्वों को उसमें समाविष्ट कर दिया, किन्तु विशिष्ट अर्थ

1- गतोऽस्तमको भातीन्दुर्यान्त वासाय पश्चिमः ।

इत्येवमादि कि काट्यं वातमिनां प्रपश्यते ॥

में अलङ्कृत को शब्द और अर्थ की सौन्दर्य-तृष्णि करने वाला तत्त्व माना गया। आधुनिक काल में भी अलङ्कृत को शब्द का व्यवहार शब्दार्थ को अलङ्कृत करने वाले तत्त्व के अर्थ में ही होता है। जिस प्रकार शरीर की सौन्दर्य-तृष्णि के लिए अलङ्कृतों का होना आवश्यक है उसी प्रकार काव्य के लिए भी अलङ्कृतों का होना आवश्यक है। "अलङ्कृत" शब्द सौन्दर्य अर्थ का ढोधन कराने वाले हैं।

आचार्य दण्डी ने अलङ्कृत के व्यापक अर्थ में उसे काव्य-सौन्दर्य का हुतु कहा है। आचार्य वामन ने अलङ्कृत को सौन्दर्य का अपर पर्याय कहकर अलङ्कृत-युक्त काव्य को ग्राह्य तथा अलङ्कृतहीन काव्य को अग्राह्य माना। उनके भतानुसार काव्य के वे सभी तत्त्व जो काव्य में शोभा का आधान करते हैं अलङ्कृत व्यापक अर्थ में उसके अङ्क हैं वे सौन्दर्य मात्र को अलङ्कृत मानते थे। यद्यपि वामन ने रीति को काव्य की आत्मा सानते हुए रीति के विधायक गुण को काव्य में विशेष महत्व प्रदान किया तथा समस्त काव्य-सौन्दर्य का हेतु गुण को ही माना है उन्होंने अलङ्कृत को काव्य-सौन्दर्य की तृष्णि करने वाला धर्ष माना। उनकी यह स्पष्ट मान्यता है कि अलङ्कृत सौन्दर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। यदि अलङ्कृत न हों तो अलङ्कृत के अभाव में भी गुण से काव्य में सौन्दर्य की सृष्टि हो सकती है। इतना अवश्य है कि अलङ्कृत के रहने से गुण द्वारा उद्भूत काव्य-सौन्दर्य जितना उत्कृष्ट होगा उतना अलङ्कृत के अभाव में नहीं। उनके अनुसार गुण काव्य-सौन्दर्य के लिए, काव्य को ग्राह्य बनाने के लिए अनिवार्य हैं; पर अलङ्कृत काव्य-सौन्दर्य के लिए अनिवार्य नहीं, वे काव्य-सौन्दर्य की तृष्णि के लिए अपेक्षित होते हैं। उन्होंने भी रस, ध्वनि आदि को अलङ्कृत में अन्तर्भूत माना। परन्तु आचार्य उद्भट ने अलङ्कृत को गुठा के समान ही महत्व प्रदान किया।

उनके मतानुसार गुण और अलङ्कृत दोनों ही काव्य में समवाय-वृत्ति से सम्बद्ध रहते हैं। अतः, गुण को समवाय-वृत्ति से सम्बद्ध काव्य का अन्तरङ्ग और अलङ्कृत को संयोग-वृत्ति से सम्बद्ध काव्य का बहिरङ्ग धर्म मानना सभीचीन नहीं है। भामह अलङ्कृत को काव्य का अन्तरङ्ग धर्म ही मानते थे, जबकि रीतिवादी आचार्य वामन ने गुण को काव्य का शोभाकारक धर्म कहकर अन्तरङ्ग और अलङ्कृत को काव्य का शोभातिशयकारी धर्म कहकर बाह्य धर्म स्वीकार किया। उद्भट की स्पष्ट मान्यता है कि अलङ्कृत की काव्य-सौन्दर्य के हेतु है अतः अलङ्कृत को काव्य का अन्तरङ्ग धर्म मानना ही अधिक उपयुक्त है। उनके मतानुसार गुण और अलङ्कृत में भेद केवल इतना है कि गुण संघटनाश्रित है अर्थात् उनका आश्रय रीति है जबकि अलङ्कृत शब्दार्थ पर आश्रित है। उनके कहने का अभिभ्राय यह है कि अलङ्कृत शब्द तथा अर्थ को सौन्दर्य प्रदान करने वाले नित्य और अन्तरङ्ग धर्म है। उसके अभाव में शब्द तथा अर्थ में सौन्दर्य नहीं आ सकता।

चन्द्रालोककार जयदेव भी काव्य का प्राणभूत जीवनाधायक तत्त्व अलङ्कृत को ही मानते हैं, उन्होंने काव्य-लक्षण में अलङ्कृत की अनिवार्य सत्ता मानी है। उनके मतानुसार अलङ्कृतरीविहीन काव्य की कल्पना वैसी ही है जैसे उष्ठताविहीन अग्नि की कल्पना। उन्होंने काव्यप्रकाशकार आचार्य ममट, जो कि अलङ्कृतों को धरादि के समान मानते हैं तथा कर्णी-कर्णी अलङ्कृतरहीन शब्दार्थ को भी काव्य मानते हैं-- "क्वापीत्यनेतदाह यद सर्वत्र सालङ्कृतरौ, क्वचित्पु सुखलङ्कृतरहेऽपि न काव्यत्वहानिः" इस मत का छण्डन किया है। उन्होंने उनके इस मत का छण्डन करते हुए स्पष्ट स्पष्ट से यह बात कही है कि यदि वे अलङ्कृतरहीन शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं तो उन्हें उष्ठताविहीन अग्नि की भी सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। अतः, जिस प्रकार उष्ठता में ही अग्नि का अग्नित्व है उसी प्रकार काव्य

का काव्यत्व भी उसके अलङ्कृत होने में ही है। उन्होंने अलङ्कृत का काव्य का नित्यर्थ ही स्वीकार किया, जबकि मम्मट ने अलङ्कृत का काव्य का अनित्यर्थ स्वीकार किया। इस प्रकार वामन की तरह आचार्य मम्मट ने भी अलङ्कृत को काव्य का शोभाधारक र्थम् नहीं मानकर उसे काव्य में सौन्दर्य की वृद्धि का ही साधन माना।

इस विषय में हमें औपित्य सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेन्द्र की ही मान्यता अधिक उपयुक्त जान पड़ती है जिन्होंने औपित्य को ही काव्य का प्राप्त माना। औपित्य का अर्थ है उपीत का भाव। उसके मतानुसार काव्य के अलङ्कृत अपने आप में काव्य-सौन्दर्य के हेतु नहीं। उपीत विन्यास होने पर ही अलङ्कृत सच्चै अर्थ में अलङ्कृत होते हैं और काव्य की श्री वृद्धि करते हैं। यदि अलङ्कृत का उपीत विन्यास न हो तो अलङ्कृत काव्य-शीर्षा के साधक न बनकर उसके बाधक ही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई सन्यासी आभूषण पहन लेतो उससे उसकी कानित तो बढ़ेगी नहीं, बल्कि अनौपित्य के कारण वै ही आभूषण सन्यासी को हास्य का आलम्बन बना देंगे। यदि कटि की मैखला गले में डाल दी जाय और हार क्षमर में पहन लिया जाय, तो इससे सौन्दर्य तो बढ़ेगा नहीं, बल्कि बिगड़ ही जायेगा। ठीक इसी प्रकार काव्य में भी सभी काव्य तत्त्वों की उपीत योजना होनी चाहिए। औपित्यपूर्व अलङ्कृत योजना ही काव्य को सुन्दर बनाती है। केवल अलङ्कृत की नहीं; अपितु सभी काव्य तत्त्वों की उपीत योजना होने पर ही काव्य ग्राह्य होता है।

आचार्य आनन्दवर्धन के मतानुसार अलङ्कृत प्रस्तुत के स्वरूप, क्रिया आदि के उत्कर्षसाधन के साथ काव्य के भावया रूप का प्रभाव बढ़ाने में सहायक

होते हैं। यही कारण है कि रस-सम्प्रदाय के आचार्यों ने तो रस-भाव आदि का उपकार करने में ही अलङ्कृत योजना की सार्थकता मानी है। यहाँ यह बात कही जा सकती है कि सभी अलङ्कृत नियत रूप से रस, भाव आदि का उपकार नहीं करते कहीं कहीं व रस-भाव आदि के साधक होते हैं तथा कहीं-कहीं वे उनके बाधक भी बन जाते हैं, परन्तु काव्य में वही अलङ्कृत ग्राह्य है जो रस, भाव आदि का उपकार करते हैं तथा वही सच्चे अर्थ में काव्य के अलङ्कृत हैं।

निष्ठलर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अलङ्कृतों के हारा काव्य-सौन्दर्य की शृंखि होती है अथवा अलङ्कृत शब्द और अर्थ के आभूषण है अलङ्कृतों के हारा शब्दार्थ की श्रीशृंखि होती है। अलङ्कृतों के हारा वर्णवत्तु के रूप गुण आदि का तो उत्कर्ष होता ही है साथ ही साथ रस, भाव आदि के सहज सौन्दर्य की शृंखि होती है। वे प्रत्यक्षतः काव्य के वाच्यार्थ का उपस्कार करते हैं। अलङ्कृत भी लाल्य-सौन्दर्य का अन्तरङ्ग सहायक ही है। अलङ्कृत को कभी काव्य-सौन्दर्य का पर्याय माना गया कभी काव्य में सौन्दर्य का आधान करने वाला धर्म तथा कभी उसे काव्य के सहज सौन्दर्य की शृंखि में सहायक मानते हुए किसी न किसी रूप में उसकी उपादेयता ही स्वीकार की गयी। अतः अलङ्कृत को काव्य के सौन्दर्याधायक तत्त्व के रूप में मान्यता प्रदान करना सर्वधा उचित ही है।

अलङ्कृत की काव्यात्मता

भारतीय वाङ्मय में आत्मा पद का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है, परन्तु मुख्य रूप से इसका प्रयोग शरीर अन्तःकरण सर्व जीव के लिए रहा है। वैसे तो आत्मा शब्द व्यक्ति से सम्बन्धित है। इससे कभी तो व्यक्ति के शारीरिक सम्बन्धों का

बोध होता है तथा कभी उसके मन, ह्यूमें सर्वं अहंकार रूप अंतःकरण का। दर्शन-शास्त्र में आत्मा शब्द देह, ह्यूमें मन सर्वं अहंकार से परे सूझग शरीर इजीवात्मा का बोध कराता है तथा सर्वं वैदान्त दर्शन में यह वैतन्य मात्र का बोध करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा शब्द का प्रयोग देह, देही और वैतन्य के अर्थों में हुआ। अब हमारे समझ यह प्रश्न उपर्युक्त होता है कि काच्य की आत्मा क्या है, क्योंकि काच्य का भी पुरुष के रूप में विवेचन हुआ है। जिस प्रकार शरीर में भी आत्मतत्त्व ही सबसे प्रमुख है क्योंकि इस आत्मतत्त्व के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है उसी प्रकार काच्य में भी कोई न कोई तत्त्व ऐसा हीना चाहिए जो आत्मस्थानीय हो। जिस प्रकार आत्मा से रहित व्यक्ति निर्णीव छह दिया जाता है उसी प्रकार जि तत्त्व को हम काच्यात्मा कहते हैं उसके अभाव में काच्य "काच्य" नहीं कहा जा सकता।

भारतीय साहित्यशास्त्र में काच्य के अङ्ग-भूत जो अनेक तत्त्व है जैसे-शब्द अर्थ, गुण, दोष, अलङ्घनार, रस, रीति, वक्षोक्ति, वृत्तित रूपं प्रवृत्तित आदि। इनको अलग-अलग आत्मा का स्थान दिया गया है। किसी आचार्य ने रस को, किसी ने अलङ्घनार को, किसी ने रीति को, किसी ने वक्षोक्ति को, किसी ने औचित्य को और किसी ने ध्वनि को काच्य की आत्मा सिद्ध किया था। जिस आचार्य ने जिस तत्त्व में सौन्दर्य की अनुभूति की उसने उसी को काच्य की आत्मा कहा।

प्राचीन अलङ्घनार शास्त्रियों में सबसे प्राचीन आचार्य भरत अर्थात् अर्ग्म-पूराणकार है जो कि रसवादी है उन्होंने "रस" को काच्य का सबसे प्रमुख तत्त्व माना। उनके मतानुसार काच्य का प्रमुख उद्देश्य रस का लंघार करना है जिसका आत्मादान करके सहृदयजन एवं विशेष प्रकार के आदलाद का अनुभव करते हैं। अतः

रस ही काच्य की आत्मा है। भरत के बाद सबसे पहले आचार्य भामह ही हैं जो कि अलङ्कृतवादी है और जिन्होंने अलङ्कृत को ही काच्य का सर्वधान तत्त्व माना। इसके अतिरिक्त उद्भट, स्फ्रट, जयदेव आदि ने भी अलङ्कृत को काच्य की आत्मा माना। उनके मतानुसार काच्य का प्रमुखतम आकर्षक स्वं सहृदयाद्वादक तत्त्व अलङ्कृत है, काच्य का शरीर शब्द और अर्थ है और इस शब्दार्थ स्वं शरीर को अलङ्कृत करने वाले "अलङ्कृत" ही काच्य की आत्मा है। भामह के मतानुसार जिस प्रकार सुन्दर होते हुए भी नारी का मुख बिना भूषणों के शोभायमान नहीं होता उसी प्रकार सरस काच्य की शोभा भी अलङ्कृतर्णा से ही होती है। उन्होंने रत, भाव आदि का समावेश भी अलङ्कृतर्णा में ही करके काच्य में अलङ्कृत का अङ्ग-तत्त्व और इसका अङ्ग-तत्त्व प्रतिपादित किया। अतः उस युग में अलङ्कृत काच्यात्मा पदपर आतीन हुआ।

इसके बाद आचार्य तामन ने "रीति" को काच्य की आत्मा माना। उनके मतानुसार काच्य का सौन्दर्य पदों की संघटना के कारण होता है। पदों की संघटना को रीति कहते हैं और रीति ही काच्य की आत्मा है--"रीतिरात्मा काच्यस्य"।

आचार्य आनन्दवर्धन ने रीतियों को केवल संघटना या अवयव संस्थान मानते हुए ध्वनि को ही काच्य की आत्मा माना- "काच्यस्यात्मा ध्वनिः" अर्थात् ध्वनि ही काच्य की आत्मा है।¹

1- काच्यस्यात्मा स स्वार्थस्तथाचादिक्षे पुरा ।

त्रौंच द्वन्द्व त्रियोगोत्थः शोकः पलोकत्तमागतः ॥

उन्होंने प्रतीयमान अर्थ के प्रधानतः तीन भेद किए- रसादि, वस्तु और अलङ्कार । यद्यपि उन्होंने इन तीनों में रस आदि की ही प्रधानता स्वीकार की, परन्तु वे रस के रहने पर ही काव्यत्व मानते हैं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने चमत्कारी वस्तुव्यङ्ग्य तथा अलङ्कार व्यङ्ग्य के रहने पर भी काव्य को मान्यता प्रदान की।

अतः सामान्यतः उन्होंने "धर्म" [त्रिविधव्यङ्ग्य] को ही काव्य की आत्मा माना । उनके मतानुसार प्रतीयमानता के संसर्व के बिना काव्य में काव्यता नहीं आती। यहाँ तक कि अलङ्कारों के भार से लदी हुयी रचना में भी काव्यत्व का आधान प्रतीयमान के संसर्व से ही उत्पन्न होता है।¹ ममट आदि प्रीसद्व आचार्य भी इसी मत के समर्थक हैं।

इसके पश्चात् आचार्य कृन्तक ने "वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्" कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया। उनके मतानुसार वक्रोक्ति का लक्षण है— वैदग्ध्यभङ्गीभिण्ठः - अर्थात् किसी वस्तु का साधारण लौकिक प्रकार से भिन्न, अलौकिक ढंग से कथन। उनकी यह मान्यता यही कि काव्य में आकर्षण तथा आद्वादक्त्व वैचित्र्य के कारण ही उत्पन्न होता है। इस वैचित्र्य की उत्पत्तिउक्ति की विशेषता से होती है और वैचित्र्य से सुष्टु उक्ति को ही वक्रोक्ति कहते हैं। उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का मूल तत्त्व स्वीकार किया तथा

1- मुख्या महाकविगिरामलंकृतभूतामीय ।

प्रतीयमानच्छायैव भूषा लज्जेव योषिताम् ॥

रस, धर्मि आदि तमस्त तत्त्वों का समादेश वक्रोक्ति में किया। वक्रोक्ति का अर्थ ही है- वक्र उक्ति- अर्थात् टेढ़ा कथन। आचार्य भास्म ने वक्रोक्ति को अतिव्योक्ति का नामान्तर मानते हुए इसे काव्य का मूल तत्व स्वीकार किया।

इसके अनन्तर साहित्यदर्शकार विश्वनाथ ने असंलक्ष्यक्रमत्यङ्गय कहे जाने ताले रस, भाव आदि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। उनके मतानुसार रसात्मक वाक्य ही काव्य है। अग्नपुराणकार के मतानुसार भी "वाग्वैद्यग्नध्यपृथा-नेत्रीप रस स्वात्र जीवितम्" अर्थात् वाणी के चारुर्य की पृथानता होने पर भी काव्य में जीवनभूत रस ही है। व्यक्तिविवेककार महिमभद्र ने भी "काव्यस्यात्मनि सङ्गङ्गनि रसादिल्पे न कस्योचिद्विमतिः" अर्थात् काव्य के आत्मभूत सङ्गनी स्थायी रसादिक है" ऐसा कहकर इसी मत का समर्थन किया।

आचार्य क्षेमेन्द्र ने औचित्य को काव्यात्मस्य में व्यवस्थित किया। उनके मतानुसार काव्य का सबसे प्रमुख तत्व औचित्य ही है। यद्यपि औचित्य का विधान सैद्वानितक स्पृष्टि में तो नहीं, परन्तु व्यवहारिक स्पृष्टि में नाद्यशास्त्र में भी मिलता है। उचित का भाव ही औचित्य कहलाता है और जो वस्तु जिसके सदृश हो, जिससे जिसका मैल मिले उसे "उचित" कहते हैं। यह औचित्य ही रस का प्राणतत्व है और काव्य में चमत्कारी है। काव्य में औचित्य का अर्थ है काव्याङ्गों की अनुस्पृष्टि घटना का होना। औचित्य ही सभी काव्यतत्त्वों का प्राण है। आचार्य क्षेमेन्द्र ने औचित्य को व्यापक काव्यतत्व के स्पृष्टि में प्रतिष्ठित किया। अतः आचार्य क्षेमेन्द्र की यह धारणा कि अलङ्कार ही नहीं, अपेक्षा अलङ्कार के अतिरिक्त अन्य जितने भी काव्य तत्व हैं सभी काव्य-तत्त्वों की उचित योजना होनी चाहिए।

ओचित्य के अभाव में सभी काव्याङ्ग असुन्दर और अग्राह्य हो जाते हैं उचित ही है। यही बात अलङ्कार के सम्बन्ध में कही जा सकती है कि तैसे तो अलङ्कार को काव्य सौन्दर्य का हेतु मानते हुए काव्यात्म रूप में मान्यता दी जा सकती है", लेकिन यह स्पष्ट है कि काव्य के जो अलङ्कार हैं वे अपने आप में काव्य सौन्दर्य के हेतु नहीं हैं, काँॅकि यदि काव्य में अलङ्कारों का भी उचित विन्यास न हो तो वो काव्य सौन्दर्य की वृद्धि नहीं कर सकते उचित विन्यास होने पर ही वे काव्य-सौन्दर्य की वृद्धि कर सकते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जितने भी काव्य तत्त्व है सभी का अपना विशेष महत्त्व है। आत्मभूत तत्त्व के अभाव में तो किसी भी सम्प्रदाय के आचार्यों को काव्यतत्त्व इष्ट नहीं था। इस इतना अवश्य है कि किसी ने अलङ्कार को, किसी ने गुण को, किसी ने रस को, किसी ने वक्त्रोक्ति और किसी ने रीति को तथा किसी ने ध्वनि को काव्यात्म रूप में मान्यता प्रदान की। काव्यात्मा के स्थापन में अलङ्कारों की जो स्थिति है विशेष महत्त्वपूर्ण है। तैसे तो जितने भी काव्य तत्त्व है अलङ्कार, गुण, ध्वनि, रीति, वक्त्रोक्ति आदि सभी आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, परन्तु अलङ्कारों का काव्य में अनुवेक्षणीय महत्त्व है। अलङ्कार भावोत्कर्ष में सहायक होते हैं। यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि चाहे लोक-भाषा हो या काव्य-भाषा अलङ्कारों का प्रयोग हमेशा जाने अनुजाने होता ही रहा है। भामह ने अलङ्कारों को काव्य का अभीष्ट तत्त्व मानते हुए यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की कि द्वार्ध स्पष्ट काव्य की स्थिति अलङ्कारों के बिना सम्भव नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने अलङ्कार को काव्य का नित्यधर्म मानते हुए उसे काव्य में मुख्य स्थान दिया। आचार्य उद्भट

ने भी गुणों को संघटनाश्रय और अलङ्कृतरों को शब्दार्थाश्रय मानते हुए भी स्वस्य की दृष्टि से दोनों को कात्य का अनित्य तत्व माना। अलङ्कृत सम्प्रदायवादी जयदेव ने भी अलङ्कृतरों को शब्दार्थ स्वयं मात्य का उसीप्रकार स्वस्याधायक तत्व माना जैसे उष्ठाता को अग्नि का । उनके मतानुसार जिस प्रकार अग्नि की उष्णता को उसका नित्यधर्म माना जाता है उसी प्रकार अलङ्कृत भी कात्य के नित्य धर्म है। भामह, उद्भट आदि ने कात्य शोभा के साधक धर्म को अलङ्कृत मानते हुए गुण रस आदि का समावेश अलङ्कृत में किया। उन्होंने द्रौपिता या अतिशयोक्ति को भी अलङ्कृत का प्राणभूत तत्व माना तो ल्युक्त ने कथन के तिषेष प्रकार आनन्दवर्धन ने वार्षीयकल्प अर्थात् कथन के अनूठे ढंग को अनन्त मानते हुए उसके प्रकार को अलङ्कृत कहा, इसके अतिरिक्त अभिनवगृह्णत तथा पण्डितराजजगन्नाथ आदि ने भी कथन के निराले ढंग के प्रकार तिषेष को अलङ्कृत माना। अतः कात्य में अलङ्कृतरों की उपादेयता को देखते हुए उसे सर्वप्रधान कात्याङ्ग एवं कात्याङ्गच्छापी तत्व मानते हुए कात्यात्मस्थानीय पद प्रदान करना अधिक उपयुक्त है। वस्तुतः कात्यात्मा केस्थापन में उसकी स्थैतिक अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अलङ्कृत का उद्भव सर्वं विकास

शूर्णवेद विश्व का प्राचीनतम वाहू-मय माना जाता है तथा अलङ्कृतरों का उद्भव तम्भवतः इस वाहू-मय के साथ ही हुआ है, क्योंकि संस्कृत वाहू-मय के प्रथम ग्रन्थ शूर्णवेद की शूचार्थों में अलङ्कृतरों का सम्बद्ध प्रयोग प्राप्त होता है। यद्यपि वैदिक साहित्य में किसी भी स्थान पर अलङ्कृतराशास्त्र का शास्त्रीय रूप में विवेचन नहीं प्राप्त होता है, फिरभी उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि कुछ मूलभूत अलङ्कृतरों का प्रयोग हमें वैदिक संहितार्थों सर्वं उपनिषदों में प्राप्त होता है, फिर भी उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि कुछ मूलभूत अलङ्कृतरों का प्रयोग हमें वैदिक संहितार्थों सर्वं उपनिषदों में प्राप्त होता है। "अरद्धकृति" शब्द जो कि निश्चय ही "अलङ्कृति" शब्द का पर्याय है उसका प्रयोग भी शूर्णवेद में प्राप्त होता है। उपमा अलङ्कृत जो कि अलङ्कृतरों में अत्यन्त प्राचीन है तथा जिसे "समस्त अर्थालङ्कृतरों की जननी" कहा गया है का प्रयोग तो मिलता ही है साथ ही साथ अन्य अलङ्कृतरों के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। एक साथ ही चार उपमार्थों का प्रयोग उषाविष्यक एक शूचा में मिलता है। शूर्णवेद के अनन्तर ब्राह्मण ग्रन्थों तथा उपनिषदों में अलङ्कृत पद का प्रयोग तो सौन्दर्यधायक तत्त्व के रूप में स्पष्ट शब्दों में किया गया है। इसी प्रकार "उपमा" शब्द का प्रयोग शूर्णवेद में अनेक सन्दर्भों में तो प्राप्त होता ही है परवर्ती युग में भी अनेक स्थानों पर उपमा अलङ्कृत का शास्त्रीय विवेचन प्राप्त होता है।

परवर्ती युग में आचार्य यात्क, महीर्षि पाणिनि, आचार्य भरत तथा महाभाष्यकार पतंजलि ने भी अलङ्कृत-विष्यक अनेक विवेचन प्रस्तुत किये हैं जिससे अलङ्कृतरों की प्राचीनता का इतिहास स्पष्ट होता है। द्वितीय शताब्दी ई० में

उद्दीक्षा-त शक-शत्रप लद्धामन के गिरिनार खिलालेख में भी--

"सृष्टलघु-मधुर्सचिजका न्तसमयोदारालंकृत गथपथ" की चर्चा मिलती है। परन्तु उपर्युक्त बातें तो अलङ्कार शास्त्र के प्रारम्भिक सूग की कही जा सकती है। अलङ्कारशास्त्र का विस्तृत इतिहास तो भरत के नाद्यशास्त्र से ही प्रारम्भ होता है।

अलङ्कारशास्त्रीय इतिहास का प्रारम्भ नाद्यशास्त्र से होता है अथवा अग्निपुराण से इस विषय में आचार्यों में परस्यर मतभेद है। कुछ विद्वान नाद्यशास्त्र को अग्निपुराण से भी प्राचीन मानते हैं तथा कुछ अर्वाचीन, परन्तु नवीनतम अन्वेषणों से यड़ बात तिद्व दौती है कि अग्निपुराण का जो अलङ्कार शास्त्रीय भाग है वह उतना प्राचीन नहीं है क्योंकि अग्निपुराण में स्पृक उत्प्रेक्षा, विशेषोक्त आदि अलङ्कारों के जो लक्षण दिये गये हैं वे दण्डी के काव्यादर्श में भी मिलते हैं तथा कुछ अलङ्कारों के लक्षण भामह के काव्यालङ्कार के लक्षणों से मिलते छुलते हैं। अतः अग्निपुराण को इसके बाद का ही मानना पड़ेगा।

नाद्यशास्त्र, नाद्यशास्त्र का ही आदिग्रन्थ नहीं है अपितु इसमें नाद्योत्पत्ति, नाद्यगृह, नृत्यकला, छन्द, रस अभिनय सङ्गीत आदि के साथ-साथ अलङ्कारों का भी विवेचन प्रस्तुत किया गया है। नाद्यशास्त्र में उपमा, स्पृक, दीपक और यमक इन चार अलङ्कारों का उल्लेख मिलता है। उपर्युक्त चार अलङ्कार ही मूलभूत अलङ्कार हैं जिनमें यमक शब्दालङ्कार है ज्ञेष तीन अर्थालङ्कार।

भरत के पश्चात् आचार्य भामह का आविर्भाव हुआ जो कि स्वतन्त्र अलङ्कारशास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। भामह प्रणीत "काव्यालङ्कार" ही अलङ्कारशास्त्र का प्रथम ग्रन्थ है। उन्होंने अलङ्कार को काव्य में मुख्यस्थान प्रदान

किया। आचार्य भामह का समय सातर्वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अथवा आठर्वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध माना जाता है। उनके मतानुसार अलङ्कृत-रीढ़ित काव्य आभूषणहीन कान्ता के मुख की तरह सुन्दर होते हुए भी सुशोभित नहीं होता। उन्होंने वक्रोक्ति को समस्त अर्थालङ्कृतर्वीं का मूल माना। भामह ने तर्पुथम शब्दालङ्कृत स्वं अर्थालङ्कृत इन दोनों को बराबर का महत्व प्रदान किया।

आचार्य भरत द्वारा स्त्रीकृत उपर्युक्त चार अलङ्कृतर्वीं का विवेचन तो भामह ने किया ही, साथ ही साथ उन्होंने इन अलङ्कृतर्वीं के अतिरिक्त ३४ नये अलङ्कृतर्वीं की भी परिकल्पना की। वे अलङ्कृतर्वीं हैं—

॥१॥ अतिशयोक्ति, ॥२॥ अनन्वय, ॥३॥ अनुप्रास, ॥४॥ अपनहति, ॥५॥ अस्त्रुस्तृत
प्रशंसा, ॥६॥ अर्थान्तरन्यास, ॥७॥ आसेम, ॥८॥ आङ्गीः, ॥९॥ उत्त्रेक्षा, ॥१०॥ उत्प्रे-
क्षावयव, ॥११॥ उदात्त, ॥१२॥ उपमा, ॥१३॥ उपमास्पक, ॥१४॥ उपमेयोपमा,
॥१५॥ उर्जस्त्री, ॥१६॥ तृत्ययोगिता, ॥१७॥ दीपक, ॥१८॥ निर्दर्शना, ॥१९॥ पर्या-
योक्ति, ॥२०॥ परिवृत्ति, ॥२१॥ प्रेय, ॥२२॥ भाविक, ॥२३॥ यथासंख्य, ॥२४॥ यमक,
॥२५॥ रक्षवत, ॥२६॥ स्पक, ॥२७॥ विभावना, ॥२८॥ विरोध, ॥२९॥ विशेषोक्ति,
॥३०॥ व्यतिरेक, ॥३१॥ व्याजस्तृति, ॥३२॥ इलेष, ॥३३॥ सन्देह, ॥३४॥ समासोक्ति,
॥३५॥ समाहित, ॥३६॥ संसृष्टि, ॥३७॥ सहोक्ति तथा ॥३८॥ स्वभावोक्ति ।

भामह के बाद कालङ्गमानुसार दण्डी का नाम आता है। दण्डी के मतानुसार काव्य की शोभा करने वाले जो धर्म है वे अलङ्कृतर्वीं हैं। उन्होंने भामह की वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में स्त्रीकार किया। दण्डी ने पैतीस अलङ्कृतर्वीं स्त्रीकार किये हैं। उन्होंने भामह द्वारा स्त्रीकृत कुछ अलङ्कृतर्वीं की स्वतन्त्र तत्त्वा न मानकर उन्हें अन्य अलङ्कृतर्वीं के अङ्ग रूप में स्त्रीकार किया—

उदाहरणार्थ- भामह ने प्रतिवस्तुपमा, अवन्वय, उपमेयोपमा, तसन्देह, उपमाल्पक तथा उत्प्रेक्षावयव को स्वतन्त्र अलङ्घ•र के रूप में मान्यता प्रदान की किन्तु दण्डी ने उन्हें उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा के अङ्ग• रूप में स्वीकार किया। दण्डी ने हेतु, सूक्ष्म तथा लेखा अलङ्घ•रर्मों का भी अस्तित्व स्वीकार किया जबकि आचार्य भामह ने इनके अलङ्घ•रत्त को स्वीकार नहीं किया। दण्डी ने आशीः को निर्दिष्ट करते हुए यह कहा था कि कुछ लोग इसे भी अलङ्घ•र मानते हैं।

भामह दण्डी के अतिरिक्त अलङ्घ•रर्मों के विकास में आचार्य वामन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आचार्य वामन् यद्यपि रीतिवादी आचार्य है परन्तु उन्होंने काव्यालङ्घ•रर्मों के स्वरूप का भी विवेचन किया है। उन्होंने अलङ्घ•र को सौंदर्य का अपर पर्याय मानते हुए इकत्तीस अलङ्घ•रर्मों का विवेचन किया है। वे समस्त अलङ्घ•रर्मों को उपमा-प्रयंच मानते थे तथा उन्होंने अर्थालङ्घ•रर्मों में उन्हीं [अलङ्घ•रर्मों की सत्ता स्वीकार की जिनका आधार साकृत्य हो आचार्य वामन द्वारा स्वीकृत तीस अलङ्घ•र है।

वामन द्वारा स्वीकृत तीस अलङ्घ•रर्मों में यमक तथा अनुप्रास शब्दालङ्घ•र है तथा शेष अर्थालङ्घ•र। इनमें वक्त्रोक्ति, व्याख्योक्ति तथा "क्रम" नवीन हैं।

"क्रम" अलङ्घ•र प्राचीन आलङ्घ•रिर्कों द्वारा स्वीकृत यथासंख्य अलङ्घ•र की धारणा पर ही आधारित है। वामन ने उपमाल्पक तथा उत्प्रेक्षावयव को स्वतन्त्र अलङ्घ•र के रूप में मान्यता न देकर उन्हें संसूचित के दो भेदों के रूप में मान्यता दी।

अलङ्घ•रर्मों के विकास में आचार्य उद्धार का भी उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने भामह तथा दण्डी द्वारा स्वीकृत कुछ अलङ्घ•रर्मों की सत्ता को अस्वीकार किया तथा क्रतिपय अलङ्घ•रर्मों के नवीन भेदों की कल्पना की और यदि कुछ

को नाम्ना स्वीकार भी किया तो उनके नवीन लक्षण प्रस्तृत किये। उन्होंने भामह द्वारा स्वीकृत कुछ अलङ्कार लक्षणों को उसी रूप में स्वीकार भी किया। उन्होंने अपने ग्रन्थ "काट्यालङ्कार सार संग्रह" में इकतालीस अलङ्कारों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। उद्भट द्वारा उदभावित सात अलङ्कार हैं—

॥१॥ पुनरुक्तवदाभास, ॥२॥ छेकानुप्राप्त, ॥३॥ लायनुप्राप्त, ॥४॥ प्रतिवस्त्रपमा, ॥५॥ संकर, ॥६॥ काट्यलङ्कार और ॥७॥ दृष्टान्त।

उपर्युक्त अलङ्कारों में पुनरुक्तवद्यभास, छेकानुप्राप्त, संकर, काट्यलङ्कार और दृष्ट्यन्त ये पाँच अलङ्कार नवीन हैं। लायनुप्राप्त को कुछ आशार्य उद्भट की नवीन कल्पना मानते हैं परन्तु इसका प्रासंगिक संकेत भामह के काट्यालङ्कार सारसंग्रह में अनुप्राप्त-विवेचन क्रम में मिलता है। अतः लायनुप्राप्त को उद्भट की नवीन उदभावना मानना सुविक्षितपञ्चात् नहीं है। छेकानुप्राप्त का उल्लेख सर्वप्रथम उद्भट ने किया। उन्होंने इसे एक स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में मान्यता प्रदान की। प्रतिवस्त्रपमा जिसे की उद्भट ने स्वतन्त्र अलङ्कार माना परन्तु भामह तथा दण्डी ने इसे उपमा अलङ्कार के ही एक भेद के रूप में परिगणित किया। सङ्कार को दण्डी ने सङ्कारीष अलङ्कार के एक भेद के रूप में परिकल्पित किया, लेकिन इसका नामोल्लेख सर्वप्रथम उद्भट ने ही किया। यमक अलङ्कार को भामह तथा दण्डी ने तो स्वीकार किया परन्तु उद्भट ने उसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया।

अतः स्पष्ट है कि पुनरुक्तवदाभास, काट्यलङ्कार तथा दृष्टान्त उद्भट द्वारा कील्पित सर्वधा नवीन अलङ्कार है तथा सङ्कार और छेकानुप्राप्त की कल्पना उद्भट ने पूर्ववर्ती आशार्यों के अन्य अलङ्कारों के आधार पर की है।

भामह, दण्डी तथा उद्भट के पश्चात् अलङ्कार सम्बद्धाय के विकास में आशार्य स्फूट का नाम आता है। स्फूट ने अलङ्कारों के विकास में महत्त्वपूर्ण

योगदान दिया तथा अलङ्कृतर्वाँ का विवेचन भी अधिक विस्तारपूर्वक किया। उद्भट ने इकतालीस अलङ्कृतर्वाँ को मान्यता प्रदान की जबकि आचार्य लद्वट ने अपने ग्रन्थ काट्यालङ्कृतर्वाँ में तिरसठ अलङ्कृतर्वाँ का विवेचन किया है। उनके हारा विवेचित पाँच शब्दालङ्कृतर्वाँ हैं— ॥१॥ वक्षोक्ति, ॥२॥ अनुप्रास, ॥३॥ यमक, ॥४॥ इलेष तथा ॥५॥ चित्र। उन्होंने अर्थालङ्कृतर्वाँ को वास्तव, औपम्य, अतिशय और इलेष इन चार वर्गों में रखा है। लद्वट के शब्दालङ्कृतर्वाँ में वक्षोक्ति तथा विचित्र ये दो नवीन अलङ्कृतर्वाँ हैं। वक्षोक्ति की कल्पना तो आचार्य वामन ने भी की है लेकिन उन्होंने वक्षोक्ति को अर्थालङ्कृतर्वाँ के स्वरूप में मान्यता प्रदान की। शब्दालङ्कृतर्वाँ के स्वरूप में वक्षोक्ति अलङ्कृतर्वाँ की कल्पना सर्वप्रथम आचार्य लद्वट ने ही की। इलेष को उन्होंने शब्दालङ्कृतर्वाँ भी माना और अर्थालङ्कृतर्वाँ भी। वास्तव वर्ग, औपम्य वर्ग, अतिशय वर्ग और इलेष वर्ग में ऐसे तो लद्वट ने नवीन अभिधान वाले अन्य अलङ्कृतर्वाँ की भी कल्पना की, लेकिन उन अलङ्कृतर्वाँ की कल्पना पूर्ववर्ती आचार्यों की मान्यता के आधार पर ही की है। उनके हारा कल्पित नवीन अलङ्कृतर्वाँ में वास्तव वर्ग में समुच्चय, विषम, कारणमाला, सार, अन्योन्य, मीलित तथा स्कावली औपम्यवर्ग में- प्रत्यनीक तथा अतिशय वर्ग में- विशेष, अधिक, विषम, असङ्गति और पिछित हैं।

लद्वट के पश्चात् आचार्य कृन्तक ने काट्य के अलङ्कृतर्वाँ का विवेचन किया है। यद्यपि कृन्तक अलङ्कृतर्वादी आचार्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने अलङ्कृतर्वाँ विवेचन में यष्टनीय योगदान दिया। उन्होंने किसी नवीन अलङ्कृतर्वाँ की कल्पना तो नहीं की लेकिन प्राचीन आचार्यों हारा स्वीकृत कुछ आचार्यों की अलङ्कृतर्वाँ विषयक मान्यताओं का छण्डन करके उनके नवीन स्वरूप की कल्पना की। उनके मतानुसार पूर्ववर्ती आचार्यों ने उनके हारा स्वीकृत अनुर्वास अलङ्कृतर्वाँ के अतिरिक्त

जिन अलङ्कृतर्मां की कल्पना की है उनमें से कुछ अलङ्कृतर तो उनके द्वारा स्थीकृत अलङ्कृतर्मां में अन्तर्मुक्त हो जाते हैं तथा कुछ को अलङ्कृतर के स्वरूप में मान्यता नहीं प्रदान की जा सकती।

भारतीय काव्यशास्त्र में भोजराज का भी स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है उन्होंने अपनी दोनों ही रचनाओं "सरस्वतीकृष्णाभरण" एवं "शङ्खारप्रकाश" में काव्यालङ्कृतर्मां का विवेचन किया है। उन्होंने भी शब्दालङ्कृतर, अर्थालङ्कृतर और उभ्यालङ्कृतर नाम से अलङ्कृतर्मां का त्रिधा वर्गीकरण करते हुए शब्दालङ्कृतर को बाह्यालङ्कृतर, अर्थालङ्कृतर को आम्यन्तर अलङ्कृतर और उभ्यालङ्कृतर को बाह्याभ्यन्तर अलङ्कृतर नाम से अभिहित किया है। उन्होंने कुल बहुत्तर अलङ्कृतर्मां का स्वरूप निरूपित किया है जिनमें घौबीस शब्दालङ्कृतर, घौबीस अर्थालङ्कृतर एवं घौबीस उभ्यालङ्कृतर है। काव्यशास्त्र में कभी भी इतनी अधिक संख्या में शब्दालङ्कृतर स्थीकृत नहीं हुए थे। उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित अनेक अलङ्कृतर से भिन्न काव्यतत्वों प्रैसे रीति, वृत्ति, गति आदि को भी अलङ्कृतर के मध्य परिगणित कर लिया। सामान्यतः काव्य में शब्दालङ्कृतर्मां की अपेक्षा अर्थालङ्कृतर्मां को अधिक महत्व दिया जाता है परन्तु भोज ने उभ्यालङ्कृतर्मां को अधिक महत्व प्रदान करते हुए अलङ्कृतर के विकास में योगदान तो दिया ही साथ ही साथ शब्दगत, अर्थगत एवं उभगत अलङ्कृतर्मां की संख्यागत स्फलता का विवरण तिदान्त प्रतिपादित किया।

"अग्निपुराण" में किसी नवीन अलङ्कृतर की उद्भावना नहीं हुयी। अग्निपुराण में भी शब्दालङ्कृतर, अर्थालङ्कृतर और उभ्यालङ्कृतर वर्ग की कल्पना की गयी है।

अलङ्कृतर्हाँ के विकास में आचार्य ममट का भी योगदान अनुपेक्षणीय है। यथोपि उन्होंने किसी नवीन अलङ्कृतर्हाँ की उद्भावना नहीं की फिर भी उनमें किसी पूर्व विवेचित वस्तु को विस्तृत स्पष्ट देने की अद्भुत क्षमता थी। भरत, भामह, दण्डी, रुद्रट, कुन्तक आदि ने नवीन तथ्याँ की उद्भावना को ही विशेष महत्व दिया परन्तु ममट ने पूर्व प्रथलित काव्य-विषयक धारणाओं में समन्वय स्थापित करके उनके सापेक्ष महत्व निर्धारित तथा विभिन्न काव्याङ्कों के स्वस्पष्ट निर्धारण में उल्लेखनीय योगदान दिया। ममट के द्वारा स्थीकृत अलङ्कृतर्हाँ की संख्या सरसठ है जिसमें छह शब्दालङ्कृतर्हाँ हैं, इक्सठ अर्थालङ्कृतर्हाँ हैं तथा एक उभयालङ्कृतर्हाँ है। शब्दालङ्कृतर्हाँ में विनोदित, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्तव्यभास है। उनके द्वारा उद्भावित अलङ्कृतर्हाँ विनोदित, सम, सामान्य और अतदगुण हैं।

भामह, दण्डी, रुद्रट, वामन के अतिरिक्त अलङ्कृतर्हाँ शास्त्र के प्रतिष्ठाताओं में स्वयंक का भी स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्वयंक का प्रसिद्ध ग्रन्थ "अलङ्कृतर्हाँ-सर्वस्त्र" है। उन्होंने कुल ब्यासी अलङ्कृतर्हाँ का विवेचन किया है। जिनमें परिणाम, उल्लेख, विचित्र, अधीपीत तथा विकल्प नवीन अलङ्कृतर्हाँ हैं। स्वयंक ने पूर्ववर्ती आचार्यों की भाँति श्लेष के शब्दगत तथा अर्थगत भेद की पुथक् पुथल् विवेचना नहीं की, बील्कु उन्होंने श्लेष का एक ही लक्षण देकर उसके शब्दगत, अर्थगत और उभयगत इन तीन भेदों की कल्पना की है। रसवत्, प्रेय उर्जस्ती, समाद्वित, भावोदय, भावसम्बन्ध तथा भावशब्दता अलङ्कृतर्हाँ की कल्पना स्वयंक की नवीन उद्भावना नहीं है इनके स्वस्पष्ट का विवेचन ममट ने ध्वनि-निस्पष्ट के त्रयमें भी किया है।

स्वयंक के बाद लगभग एक शतक तक अलङ्कृतर्हाँ के विकास में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुयी। स्वयंक के बाद छेमणन्द ने अपने ग्रन्थ "काव्यानुशासन" में छह

शब्दालङ्कृतर्हो तथा उनतीस अर्थालङ्कृतर्हो का विवेचन किया है। हेमधन्द्र के पश्चात् वारभट्ट पूर्णम् ने अपने "वारभटालङ्कृतर" में पार शब्दालङ्कृतर्हो तथा पैतीस अर्थालङ्कृतर्हो का विवेचन किया है। उनके द्वारा स्वीकृत अलङ्कृतर्हो के लक्षण पूर्ववर्ती आचार्यों से ही मिलते हैं उसमें कोई नवीनता नहीं है।

अलङ्कृतर के विकास में जयदेव का भी उल्लेखनीय योगदान है। मम्मट ने कहीं-कहीं बिना अलङ्कृतर के भी काव्य-सत्ता स्वीकार की परन्तु जयदेव ने उनके इस मत का छण्डन किया। जयदेव के मतानुसार जिस प्रकार उष्णता के बिना अग्नि की सत्ता सम्भव नहीं है उसी प्रकार अलङ्कृतर के बिना काव्य की स्थिति भी असम्भव है। उन्होंने पूर्व स्वीकृत अलङ्कृतर्हों में से कई अलङ्कृतर्हों की सत्ता को अस्वीकार किया तथा कुछ नवीन अलङ्कृतर्हों की परिकल्पना की। उनके ग्रन्थ "चन्द्रालोक" में जिन अलङ्कृतर्हों का विवेचन हुआ है उन अलङ्कृतर्हों की संख्या के विषय में विवारणों में परस्पर मतभेद है। "चन्द्रालोक" में निरूपित शब्दालङ्कृतर्हों की संख्या आठ तथा अर्थालङ्कृतर्हों की संख्या एक सौ मानी गयी है। वे आठ शब्दालङ्कृतर छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, लाटानुप्रास, सुटानुप्रास, अर्थानुप्रास, पुनर्लक्षणीकाश, यमक और यित्र, हैं। जयदेव द्वारा निरूपित शब्दालङ्कृतर्हों में सुटानुप्रास और अर्थानुप्रास नवीन हैं तथा अर्थालङ्कृतर्हों में उन्मीलित, परिकराद्धर, पौठीकित, सम्भावना, प्रदर्शन, विशादन, विकस्तर, असम्भव, उल्लास, पूर्वस्प, अनुशृण, अवज्ञा, भविक्लष्ठवि तथा अत्युक्त नवीन, अर्थालङ्कृतर हैं। उन्होंने नवीन अलङ्कृतर्हों की सत्ता प्रमाणित करते हुए यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि यिस प्रकार सूर्वण से अनेक आङ्गूष्ठियों के आभूषण अलग-अलग नाम से स्वतन्त्र माने जाते हैं उसी प्रकार काव्य के अलङ्कृतर भी शब्दार्थ के विश्यास-भेद के कारण अलग-अलग माने जाने चाहिए।

विश्वनाथ यद्यपि रसवादी आचार्य हैं फिर भी उन्होंने अलङ्कृतर्ता का विवेचन अत्यन्त व्यवस्थित ढंग से करते हुए सात शब्दालङ्कृतर्ता का निरूपण किया है। शब्दालङ्कृतर्ता में उन्होंने भाषासम नामक स्वतन्त्र शब्दालङ्कृतर्ता के अस्तित्व को स्वीकार किया है। उनके द्वारा स्वीकृत अर्थालङ्कृतर्ता की संख्या सत्तहतर है जिनमें अनुकूल अलङ्कृतर्ता के स्वरूप की कल्पना नवीन है।

विश्वनाथ के बाद अप्ययदीक्षित का नाम आता है। चन्द्रालोक के आधार पर ही कुवलयानन्द की रचना की गयी है। उनके द्वारा कठित नवीन अलङ्कृतर्ता में प्रस्तुताङ्कृत, व्याख्यनिन्दा, अल्प, कारकदीपक, मिद्याध्यवसिति, लीलित, अमृजा, मुद्रा, रत्नावली, विशेषक, गुढोकित, विवृतोकित, घृतोकित, लोकोकित, छेकोकित, निरुक्ति, प्रतिष्ठेय और विधि हैं।

विश्वनाथ के बाद पण्डित जगन्नाथ में काव्यालङ्कृतर्ता के स्वरूप का विवेचन मिलता है। उन्होंने काव्यालङ्कृतर्ता के स्वरूप का स्वतन्त्र स्पष्ट से विवेचन करते हुए पूर्ववर्ती आचार्यों की अलङ्कृतर्तविषयक अनेक मान्यताओं का छण्डन किया है तथा उनके विषय में अपनी मान्यता की पुष्टि में अनेकों तर्क प्रस्तुत करते हुए अलङ्कृतर्ता के स्वरूप विकास में सहायता की उनके द्वारा स्वीकृत अलङ्कृतर्ता की संख्या सत्तर है जिनमें "तिरस्कार" नामक अलङ्कृतर्ता की कल्पना नवीन है।

पण्डितराज जगन्नाथ के बाद अलङ्कृतर्ता के विकास में यद्यपि कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुयी। पण्डितराज के बाद संस्कृत काव्यशास्त्र की परम्परा का एकदम घतत्पूर्क दिखाई पड़ता है। उनके बाद के आचार्यों में विश्वेश्वर पण्डित ही ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने तीन ग्रन्थों में अलङ्कृतर्ता के स्वरूप का विवेचन किया है। लेकिन उनकी रचनाओं में कोई अलङ्कृतर्ता विषयक मौलिकता नहीं हूँडियोगर होती।

संस्कृत-अलङ्कृत शास्त्र में अलङ्कृतर्त्त्व के विकास में उपर्युक्त आचार्यों के अतिरिक्त विद्याधर चिदानाथ आदि ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया। जिसका विवेचन द्वितीय अध्याय में किया गया है। समस्त आलङ्कृतर्त्त्वों ने अलङ्कृतर्त्त्वों के नवीन-नवीन स्वरूप की कल्पना करके अलङ्कृतर्त्त्वों के विकास में तो योगदान किया ही, साथ ही साथ उन्होंने अलङ्कृतर्त्त्वों की संख्या प्रिष्ठाक प्रसार को भी परिमित करने का प्रयास किया।

अलङ्कृत और अन्य काव्यतत्त्वों से सम्बन्ध

अलङ्कृत काव्य की चास्ता का देत्रुभूत तत्त्व है। इस चास्ता के देत्रुभूत तत्त्वों की विविधताएँ मैं आचार्यों ने समीक्षा की है और इस कारण से जो विविध मत मतान्तर सामने आये उनकी काव्यात्म तत्त्वों के विवेचन में समीक्षा की जा सकी है। यहाँ अलङ्कृत का अन्य काव्य तत्त्वों से सम्बन्ध बताना इकलिए आवश्यक समझा गया है जिससे काव्यगत सौन्दर्य के देत्रुभूत अन्य तत्त्वों से इसका विविधत तुलनात्मक परीक्षण किया जा सके।

वास्तव में उकित का दैचिक्रूय ही अलङ्कृत है, यह उकित जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न करती है तब वह अलङ्कृत का स्पष्ट धारण कर लेती है। अलङ्कृत, गुण, धर्म, रस आदि विभिन्न काव्य तत्त्व है जिनका अपना महत्व तो है ही साथ ही वे आपस में एक दूसरे से संबंधित भी हैं। आगे इन सभी से अलङ्कृत के सम्बन्ध का विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है--

अलङ्कृत और गुण-

अलङ्कृत और गुण में आपस में क्या संबंध है, इस विषय में आचार्यों में परस्पर मतभेद है। कुछ आचार्यों ने गुण इवं अलङ्कृतर्हों में अभेद सम्बन्ध की कल्पना की है तथा कुछ ने इसके पार्थक्य को स्पष्ट किया है। काव्यगत गुणों का विवेचन प्रायः सभी आचार्यों ने लौकिक गुणों के समानान्तर ही किया है इसी तरह अलङ्कृतर्हों को भी लौकिक आभूषण का समानार्थक ही माना गया है। उनके मतानुसार लौकिक गुण तथा अलङ्कृतर्हों में तो यह भेद किया जा सकता है कि हारादि

अलङ्कृतरों का धारीरादि के साथ संयोग संबंध होता है और शौर्यादि गुणों का आत्मा के साथ संयोग सम्बन्ध कर्त्त्वी, अपितु समवाय संबंध होता है । इसलिए लौकिक गुण तथा अलङ्कृतर में भेद माना जा सकता है परन्तु काव्य में तो ओज आदि गुण तथा अनुप्रात, उपमा आदि अलङ्कृतर दोनों की ही समवाय संबंध से स्थिति होती है, इसलिए काव्य में उनके भेद का उपादान नहीं किया जा सकता । आचार्य वामन भी गुण तथा अलङ्कृतर दोनों में भेद मानते हैं । उनके मतानुसार गुण काव्य शोभा के उत्पादक धर्म हैं तथा अलङ्कृतर उस शोभा को अतिशायित करने ताले धर्म हैं, इसलिए गुण को काव्य का स्वरूपाधायक धर्म एवं अलङ्कृतर को उसका उत्कषणाधायक धर्म कहा जा सकता है । ऐसे गुण ओज-प्रसादादि हैं । गुणों के प्रभाव में अलङ्कृतर काव्य के शोभाधायक नहीं हो सकते हैं और न तो ऐसे काव्य की शोभा ही बढ़ा सकते हैं । जिस प्रकार किसी यूवती के भीतर सौन्दर्यादि गुण पहले से विद्यमान हो तब ही अलङ्कृतर उसकी शोभा की वृद्धि कर सकते हैं वास्तविक सौन्दर्य के न होने पर अलङ्कृतर उसकी शोभावृद्धि नहीं कर सकते उसी प्रकार यदि काव्य में भी ओजादि गुण विद्यमान नहीं हैं तो उनके अभाव में अलङ्कृतर उसके शोभावर्धक नहीं हो सकते । गुण काव्य के नित्य धर्म हैं तथा अलङ्कृतर अनित्य । आचार्य आनन्दवर्धन ने गुण को रस का धर्म एवं अलङ्कृतर को शब्दार्थ का धर्म स्वीकार किया है । इसी मत के आधार पर आचार्य मम्मट ने भी गुणों की रसधर्मतातथा अलङ्कृतरों की शब्दार्थर्मता एवं गुणों की अपरिहार्यता तथा अलङ्कृतरों की परिहार्यता के अभाव को स्वीकार किया है । उनके मतानुसार यदि काव्य में अलङ्कृतर भी हों अलङ्कृतरों के अभाव में भी काव्यतत्व की हानि नहीं होती है । अलङ्कृतर के अभाव में भी गुणों के सदभाव एवं दोष के अभाव से शब्दार्थ सुन्दर काव्य बन

— समवायवृत्त्या शौर्यादियः क्षयोग्वृत्त्या तु हारादय इट्यस्तु गुणालङ्कृतराम
भदः, ओजः प्रभुतीनामनुप्रातोपमादीनां चोभयेषामपि सम्पायवृत्त्या स्थितिरिति

सकते हैं और यदि अलङ्कृत भी रस के सहायक बनकर आये तो काव्य का सौन्दर्य और उत्कृष्ट हो जाता है। ही भी गुण तथा अलङ्कृत में भेद मानते हैं उन्होंने गुणों को शोभाजनक न मानकर उत्कर्ष हेतु ही माना है।¹ तो अलङ्कृत को अङ्गों के उपकारक आभूषण की भाँति मानते हैं।

इस प्रकार अलङ्कृत और गुण का आपस में क्या संबंध है इस विषय में विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गुण काव्य शोभा के उत्पादक धर्म हैं और काव्य में गुणों द्वारा जो शोभा उत्पन्न होती है अलङ्कृत गुणों द्वारा उत्पादित उस शोभा की वृद्धि करने वाले धर्म हैं।

अलङ्कृत और ध्वनि-

अलङ्कृत के सर्वतोत्तम्यवृत्त स्वरूप का परिचय ध्वनि संप्रदाय का उद्भव हो जाने के बाद ही मिलता है। यद्यपि अलङ्कृतवादी आचार्यों के समय तक ध्वनि-सिद्धान्त का प्रादृभाव नहीं हआ था लेकिन उनके ग्रन्थों में प्रतीयमानार्थ की स्थिति का पता चलता है। अलङ्कृतवादी आचार्यों के मतानुसार अनुप्रास, उपमा आदि अलङ्कृत तो ही साथ में रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशन्ति तथा, रसवत, प्रेयस, उर्जस्त्वी और समाद्वित आदि भी अलङ्कृत ही हैं। इसी प्रकार गुण और ध्वनि को भी अलङ्कृत में अन्तर्भूत किया गया है। आचार्य स्युयक के मतानुसार अलङ्कृतवादी आचार्यों ने व्यङ्गय अर्थ को अलङ्कृत में ही गतार्थ कर

1- ये रसस्याङ्गिनो धर्मः शौयदिय इवात्मनः ।
उत्कर्षहेतवस्ते स्पृरणतीस्थितयो गुणाः ॥

दिया है। उन्होंने व्यङ्ग्यर्थ को वाच्य अर्थ का सहायक सिद्ध कर इस प्रकार के नियम का निर्धारण किया। द्वूतरी धर्मनिवादी आचार्यों ने व्यंजना की त्यापक त्याख्या कर रस और वस्तुधर्मनि के साथ अलङ्कार को भी व्यङ्ग्य माना है और इस प्रकार धर्मनि की परिधि में अलङ्कार का प्रवेश कराया है।

आचार्य भामह ने प्रतीयमान अर्थ की कल्पना समासोक्ति स्वं पर्यायोक्ति के लक्षण में भी की है। उनके मतानुसार पर्यायोक्ति अलङ्कार में ताच्य, ताचक, दृग्भूत के अतिरिक्त व्यंजना की स्पष्टतः प्रतीति होती है। धर्मनिवादी आचार्यों ने अलङ्कारवादी आचार्यों के कई उदाहरणों को गुणीभूतव्यङ्ग्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे स्पष्ट रूप से इस बात की प्रतीति होती है कि अलङ्कारवादी आचार्य भी धर्मनि सिद्धान्त से परिचित थे परन्तु उन्होंने इसे अलङ्कार में ही गतार्थ कर दिया था। आचार्य आनन्दवर्धन ने अपने ग्रन्थ धर्मन्यालोक में अलङ्कारवादी आचार्यों की इस धारणा का खंडन किया है उनके मतानुसार धर्मनि का समाहार समासोक्ति, आक्षेप, दीपक, अपन्होति, अनुकृतिनिमित्त, विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति स्वं संकर अलङ्कार में नहीं किया जा सकता। वे इन अलङ्कारों का वाच्यगत चमत्कार मानते हैं जबकि धर्मनि में व्यंजना का महत्व है। कहने का भाव यह है कि अलङ्कारों में शब्दार्थगत चमत्कार होता है जबकि धर्मनि व्यङ्ग्य-त्यंजक भाव पर आधारित होती है, अतः अलङ्कारों में शब्दार्थगत चमत्कार होने के कारण धर्मनि को अलङ्कार में किसी प्रकार से अन्तर्भूत नहीं किया जा सकता। अलङ्कार धर्मनि के अङ्ग हो सकते हैं, अङ्गनी नहीं। आचार्य आनन्दवर्धन ने धर्मनि के तीन मुख्य भेदों का प्रतिपादन किया वस्तुधर्मनि, अलङ्कार धर्मनि स्वं रसधर्मनि। उन्होंने धर्मनि को कात्य के प्राणभूत तत्त्व के रूप में माना तथा अलङ्कार रीति, आदि का निष्पत्त उसके अङ्ग के रूप में किया। उनके मतानुसार रसादि धर्मनि की

भौति अलङ्कृत की भी धर्मन होती है और काव्य में धर्मन होने पर अलङ्कृत काव्य को उत्तम श्रेणी में लाता है। धर्मन के रूप में पुकट होने पर अलङ्कृत का गौरव और बढ़ जाता है, परन्तु राच्य होने पर इसकी स्थिति रसादि के उपकारक तत्त्व के रूप में ही मान्य होती है।

अलङ्कृत और रस-

अलङ्कृतवादी आचार्य भामह, दण्डी आदि ने अलङ्कृत को तो गौरव प्रदान किया ही साथ ही साथ उन्होंने रस के महत्त्व को भी स्वीकार किया। यद्यपि उन्होंने रस को स्वतन्त्र स्थान न देकर अलङ्कृत के अङ्ग-रूप में ही स्वीकार किया तथा कहीं-कहीं महाकाव्य के लिस्त रस को आवश्यक तत्त्व के रूप में स्वीकार किया।¹ तथा शुंगार आदि रसों की स्पष्टतः प्रतीति की दशा में रसात् अलङ्कृत की स्थिति को भी अस्वीकार किया। तो अलङ्कृत के अङ्ग-रूप में रसों की स्थिति स्वीकार करते हैं।

रस को भी अलङ्कृत कहने का अभियाय यही है कि अलङ्कृतवादी आचार्यों के मतानुसार अलङ्कृतता कठिता का पर्याय है वह उपमा, रूपक आदि कुछ स्वर्त्यां में बाँधकर सीमित नहीं रखी जा सकती। काव्य में जिस किसी भी प्रकार से घमत्कार ला आधान होता है वह सब अलङ्कृत ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कठिता के माध्यम से जैसे-जैसे नवीन मार्ग का उन्मेष होता जाता है

1- युक्तं लोकस्वभावेन रत्नेष्व तत्क्षेः पृथक् ।

वैसे वैसे अलङ्कृतर्त्त्वों की द्रुतन सूषिट होती है। काव्य में जिसके द्वारा चालता का आधान होता है वह रस भी काव्य का एक महत्वीय तत्त्व है अतः इसे अलङ्कृतर्त्त्व की संज्ञा से अभिहित करना उचित ही है। यही कारण है अप्ययहीक्षित आदि आचार्यों ने भी धर्मनि की सत्ता तो स्वीकार की तथा रसवद् आदि का भी निरूपण अलङ्कृतर्त्त्व के ही रूप में किया। भौज ने अलङ्कृतर्त्त्व के तीन वर्ग स्वीकार किये-वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति रुपं रसोक्ति। उनके मतानुसार यहाँ उपमा आदि अलङ्कृतर्त्त्वों की प्रधानता होती है तदाँ वक्रोक्ति तथा श्लेष आदि गुणों की प्रधानता होने पर स्वभावोक्ति होती है, परन्तु इसके अतिरिक्त यहाँ विभाव, अनुभाव रुपं संघारी भावों के अपनिबन्धन से रसीनस्थिति होती है वे स्थल रसोक्ति के हैं।

रसवादी आचार्यों का दृष्टिकोण अलङ्कृतर्त्त्वादियों से सर्वथा भिन्न है। अलङ्कृतर्त्त्वादी आचार्य अलङ्कृतर्त्त्व को काव्य का जीवनाधार्यक तत्त्व तथा रस, गुण, रीति आदि को वाह्य शोभाकारक धर्म मानते हैं। इसके विपरीत रसवादी आचार्य अलङ्कृतर्त्त्व को ही काव्य का वाह्य शोभाकारक धर्म मानते हैं उनके मतानुसार काव्य में अलङ्कृतर्त्त्वों की स्थिति अनित्य है वे काव्य के अस्थिर धर्म हैं तथा कटक कुण्डलादि की भौति अलग से धारण किये जाते हैं, जबकि रस काव्य का आत्मधर्म है और अलङ्कृतर्त्त्वों का मुख्य कार्य तो केवल रस का उपकार करना है। अलङ्कृतर्त्त्व को केवल सौंदर्योत्पादन का साधन मात्र कहा जा सकता है। रसवद् प्रेयस, उर्बीस्त आदि को लभी अलङ्कृतर्त्त्व कहा जा सकता है जब उनका वर्णन प्रधान स्पष्ट से न होकर गौष रूप से हो। इस प्रकार रसवादियों ने उद्भट की इस मान्यता

जिसमें रसवदादि अलङ्कृतार्थों के अन्तर्गत रसों को अन्तर्भूत किया जाता है उसका खंडन किया। वे रस को अलङ्कृतार्थ मानकर अलङ्कृतार को उसका सौन्दर्यवर्धक तत्त्व मानते हैं। उनके मतानुसार अलङ्कृतार स्वयं घमत्कार नहीं उत्पन्न कर सकता, सौन्दर्य उत्पन्न करने का कार्य तो केवल अलङ्कृतारों का ही है। रसों के द्वारा तो काव्य की आन्तरिक श्री वृद्धि होती है अलङ्कृतार तो शब्द और अर्थ के के उपकारक होकर उसकी वाह्य शोभा की वृद्धि करते हैं।

अलङ्कृतार और रीति

गुण, धर्म, रस आदि के साथ-साथ रीति को भी काव्य का सर्वातिशायी तत्त्व स्वीकार किया गया। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए रीति को समस्त काव्याङ्कों के बीच प्रधान अथवा अङ्गों तत्त्व स्वीकार किया तथा साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि काव्य की ग्राह्यता अलङ्कृतार से ही है। अब हमारे लक्ष्य प्रश्न यह उठता है कि जिस रीति को काव्य का आत्मस्थानीय तत्त्व माना जा रहा है वह किसी न किसी स्पष्ट से उस अलङ्कृतार से अभिन्न होना चाहिए जिसके बिना काव्य का ग्रहण नहीं किया जा सकता। वामन के मतानुसार विशिष्ट पद रखना ही रीति है। रखना में यह वैशिष्ट्य गुणों के कारण ही उत्पन्न होता है। उन्होंने रीति को गुणों के ऊपर डी अवलम्बित मानते हुए गुणों को रीति का आधार माना। उनकी यह स्पष्ट मान्यता थी कि रीति गुणों पर अवलम्बित काव्य-तत्त्व है।

रीति और अलङ्कृतार में अमेद इस स्पष्ट में है कि एक और तो रीति का लक्षण है विशिष्ट पद रखना और यदि रखना का यह वैशिष्ट्य जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है गुणात्मक होता है जो काव्य में सौन्दर्य का आधान करता है अर्थात्

काव्य की शोभा करने वाला है द्वितीयी और अलङ्कार की जो स्थिति है वह द्वोषाभाव और गुणभाव के अतिरिक्त उपमा आदि अलङ्कारों के स्प में की गयी है जो काव्य शोभा में अतिशय का सम्पादन करती है। अतः काव्य के आत्मस्थानीय तत्त्व रीति के गुणात्मक वैशिष्ट्य के कारण काव्य का स्वरूपतः ग्रहण होगा परन्तु काव्य का विशेषतः ग्रहण उन उपमा आदि अलङ्कारों से होगा जो गुणों से सृजोभित रीत्यात्मक काव्य में विशेष [अतिशय] सौदर्य का सम्पादन करते हैं। इस प्रकार काव्य में इलेशादि गुण काव्य के स्वरूपाधायक तत्त्व है अतः वे काव्य के नित्यधर्म हैं तथा उपमादि अलङ्कार काव्य में अतिशय पैदा करने के कारण अनित्य धर्म। एक ओर तो आचार्य वामन ने गुणात्मकरीति को सर्वाधिक महत्त्व दिया तथा द्वितीयी और उन्होंने रीति के गुणात्मक वैशिष्ट्य को अलङ्कार माना। ऐसे तो रसादि अलङ्कार्य कोटि में है और गुण, अलङ्कार, रीति आदि अलङ्कार कोटि में आते हैं। इतना अवश्य है कि अलङ्कार कोटि में आने वाले गुण, अलङ्कार और रीति में अलग अलग स्वरूपगत भेद तो है ही साथ-साथ स्थितिगत भेद भी है। अलङ्कार्य-वाही आचार्य के मतानुसार गुण रस के अनित्य धर्म है ये ठीक उसी प्रकार रस का उपकार करते हैं ऐसे शोधादि आत्मा का उत्कर्ष करते हैं। उन्होंने अलङ्कार को शब्दार्थ का अनित्य धर्म स्वीकार किया।

इस प्रकार रीति पद वाक्य योजना के स्प में शब्दार्थ का ही रथना धर्म है। अतः रीति भी अने अनित्य स्प में गुणों का अनुरोध करती हुयी रसों का ही उपकार करती है। गुणों के बिना तो पद रथना का वैशिष्ट्य सम्मत ही नहीं है क्योंकि गुण काव्य शोभा करने वाले नित्य धर्म हैं जबकि काव्य शोभा में अतिशय पैदा करने वाले अनित्य धर्म अलङ्कार हैं। कहने का अभिभाव यह है कि वब रीति का स्वरूप काव्य में सौन्दर्य का आधान करने वाले गुणों के हारा

विशिष्ट पद रथना के रूप में पूरा हो जाता है तो काव्य शोभा में अलग से अतिशय पैदा करने के लिए उपमादि अलङ्कारों की आलश्यकता पड़ती है।

अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि रीति और अलङ्कार का घोनिष्ठ सम्बन्ध है। रीति काव्य का स्वरूपाधायक तत्त्व है तो अलङ्कार उसका उत्कर्षाधायक तत्त्व। काव्य की ग्राह्यता अलङ्कारों के कारण है ऐसा आधार्य वामन ने भी स्वीकार किया। उनका यह कहना इलेषादि काव्य शोभा करने वाले सामान्य काव्यव्यापी धर्म हैं ये सामान्य और नित्य हैं। इसके विपरीत उपमादि अलङ्कार गुणों द्वारा उत्पादित काव्य शोभा में अतिशय का सम्पादन करते हैं अतः ये विशेष और नित्यधर्म हैं ठीक ही है। काव्य में रीति और अलङ्कार दोनों का विशेष महत्त्व है। काव्य में गुणात्मक रीति का तो विशेष महत्त्व है ही ल्याँकि उसके द्वारा काव्य की शोभा होती है तथा अलङ्कार की स्थिति जो उपमा आदि अलङ्कारों के रूप में स्वीकार की गयी है उसके द्वारा काव्य शोभा में अतिशय का सम्पादन होता है।

अलङ्कार और औपित्य

गुण, धृति, रस, रीति आदि के साथ अलङ्कारों का सम्बन्ध तो है ही साथ ही साथ औपित्य जो कि काव्य का कोई स्वतन्त्र तत्त्व न होकर सभी काव्य तत्त्वों का प्राप्त है उसके साथ भी अलङ्कारों का सम्बन्ध है। उपित का भाव ही औपित्य है। जिस घटना के जो अनुस्प हो उसके साथ उसकी संघटना उपित मानी जाती है। अलङ्कारों का यदि उपित विन्यास न हो तो अपने आप में ही अलङ्कार काव्य की श्रीरूढि में तहायक नहीं हो सकते हैं। उपित विन्यास होने पर ही अलङ्कार सभ्ये उर्ध्व में अलङ्कार होते हैं और काव्य की श्रीरूढि करते हैं। यदि

काव्य में अलङ्कारों का उपयित विन्यास न हो तो वो काव्य की शोभा तो बढ़ा नहीं सकते अपितु काव्य शोभा के बाधक ही बन जाते हैं। जिस प्रकार लोक जीवन में आधुष्ट अपने उपयित स्थान में रहकर ही शोभायमान होते हैं उसी प्रकार अलङ्कारों का अपना महत्व तो है ही परन्तु वे उपयित स्थान में रहकर ही शोभाकारी होते हैं। यदि कटि की मैखला गले में डाल ली तो उससे सौन्दर्य वृद्धि तो होती नहीं, उसी प्रकार यदि अलङ्कार की योजना उपयित स्थान पर न होत तो उससे काव्य-सौन्दर्य बढ़ने के बाय बिगड़ ही जायेगा। वास्तव में अलङ्कार औपित्य का ही दूसरा नाम है अलङ्कार और औपित्य का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि अलङ्कारों की अलङ्कारता उसके औपित्यपूर्ण प्रयोग पर ही निर्भर करती है।

अलङ्कार और वक्त्रोक्ति

वक्त्रोक्ति का तात्पर्य उक्ति-वैषिक्य या भङ्गीभणिति से है। काव्य का समस्त सौन्दर्य वक्त्रोक्ति के आश्रित है। आचार्य कृन्तक ने वक्त्रोक्ति को काव्य सर्वत्व स्वीकार किया। उनके मतानुसार वक्त्रोक्ति अलङ्कार है। आचार्य भामह ने भी वक्त्रोक्ति को अलङ्कार का प्राप्त कहा था। वक्त्रोक्ति के बिना तो कोई अलङ्कार ही नहीं है।¹ काव्य में आकर्षण तथा आहलादकत्व वैषिक्य के कारण ही उत्पन्न होता है। वैषिक्य से युक्त उक्ति ही वक्त्रोक्ति है। समग्र वक्त्रोक्ति सिद्धान्त की नींव अलङ्कार पर ही आश्रित है। वक्त्रोक्ति से हीन कथन को भामह में वार्ता का नाम दिया है।

।- सैषा सर्वत्र वक्त्रोक्तिरन्याऽर्थीविभाव्यते।

यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽन्याबिना॥

मूलतः वक्त्रोक्ति एक अलङ्कार ही है परन्तु काव्यशास्त्रीय समीक्षा में इसका स्वरूप और अधिक व्यापक होता चला गया वक्त्रोक्ति के सम्बन्ध में भामह और दण्डी का मत एक ही है। भामह तथा दण्डी दोनों ने लोक्वार्ता से भिन्न वाक्-भंगमा को वक्त्रोक्ति माना। उनके मतानुसार अन्य सभी अलङ्कार इसी के प्रकार हैं। अन्तर इतना है कि भामह ने स्वभावोक्ति को भी वक्त्रोक्ति की परिधि के भीतर माना परन्तु दण्डी के मतानुसार दोनों भिन्न हैं। वक्त्रोक्ति के व्यापक अर्थ की कल्पना कुन्तक के पूर्ववर्ती आचार्यों ने तो की ही अन्त में आचार्य कुन्तक ने उसके भेद प्रभेद पूर्वक इस अलङ्कार के स्वरूप को अत्यधिक व्यापक कर काव्य समीक्षा का पृथक् मानदंड ही बना डाला। इस प्रकार वक्त्रोक्ति अलङ्कार का ही एक परिवर्धित व्यापक स्वरूप है जिसका धर्म अलङ्कार के समान ही है। वस्तुतः देखा जाय तो अलङ्कार भी तो वक्त्र एवं विद्यमानपूर्व कथन ही हैं¹ और अपने इस वैशिष्ट्य के द्वारा ही वह काव्य में घमत्कार उत्पन्न करता है। अतः अलङ्कार तत्पर वक्त्रोक्ति से पृथक् नहीं है।

निष्कर्ष

अलङ्कार के इस सामान्य विवेचन द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्कृत-काव्यशास्त्री आचार्यों ने अलङ्कार की काव्य-सौन्दर्य के परिप्रेक्ष्य में ही व्याख्या की है। अलङ्कार शब्द का मीलिक अर्थ भी यही है कदाचित् इसी अर्थवत्ता के कारण एक लम्बे समय तक काव्यशास्त्र को अलङ्कारशास्त्र की भी संबंध दी जाती रही है। विशिष्ट तीमित अर्थों में भले ही उपमादि अलङ्कार

1- वक्त्राभिये-शब्दोक्तिरिष्टा वार्षात्वत्तद्वृत्तिः।

हो परन्तु व्यापक अर्थ में सौन्दर्य की अभिभृदि करने वाले शोभाधारक तत्त्वों को अलङ्कृत नाम से अभिहित किया गया है। सीमित अर्थ में अलङ्कृत तत्त्व भले ही काव्य का आत्मभूत तत्त्व न बन सका परन्तु व्यापक अर्थ में अलङ्कृत काव्यात्मा के स्वरूप में प्रतीष्ठित किये जाने वाले विविध सिद्धान्तों स्वं सम्प्रदायों से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध अवश्य रहा। काव्यशास्त्रीय समीक्षा के परवर्ती काल में विविध काव्यात्म-सम्प्रदायों के उद्भूत होते रहने पर भी यह अलङ्कृत तत्त्व निरन्तर निर्बाध स्वरूप से विषमान रहा और काव्य समालोचना का महत्वपूर्ण मानदंड रहा। दूसरी ओर कीवर्यों के काव्यों में भी अलङ्कृतर्वाँ का प्रयोग विविध स्वरूप से प्रवर्तमान रहा और कृतितत्त्व के आधार पर ही काव्य समीक्षा में भी अलङ्कृत तत्त्व को मान्यता मिलती रही। अतः अलङ्कृत इस काव्यगत समालोचना के मध्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं तो अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्त्व तो है ही। उसके विविध स्वरूप में प्रयोग, उसकी महत्ता और बढ़ा देते हैं। अपनी इसी महत्ता के कारण अलङ्कृत प्रस्तुत प्रबन्ध का शोधविषय बन सका।

तृतीय अध्याय

अलक्ष्मीर वर्गीकरण

द्वितीय अध्याय

अलङ्कृत-पर-वर्गीकरण

संस्कृत-काव्यशास्त्र में जैसे-जैसे अलङ्कृतर्त्त्व का विकास होता गया वैसे-वैसे उनके वर्गीकरण की भी आवश्यकता पड़ी। सर्वप्रथम उमा, स्वप्न, दीपक और यमक इन चार अलङ्कृतर्त्त्व का उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिलता है। इन्हीं चार अलङ्कृतर्त्त्व से तो से भी अधिक नवीन अलङ्कृतर्त्त्व की कल्पना की गयी। लक्षण गुण आदि विभिन्न काव्य तत्त्वों के संयोग से विभिन्न प्रकार के नवीन अलङ्कृतर्त्त्व का आविभाव हुआ। कुछ नवीन अलङ्कृतर्त्त्व तो लक्षणों के पारस्परिक संयोग से आविर्भूत हुए तथा उक्ततयों के धोड़े-धोड़े भेद से भी नवीन अलङ्कृतर्त्त्व की कल्पना की गयी। अलङ्कृतर्त्त्व का केवल एक संयोजक तत्त्व ही विभिन्न अलङ्कृतर्त्त्व की उत्पत्ति का कारण बना। साधर्म्य के साथ-साथ वैधर्म्य भी अलङ्कृतर्त्त्व का विधायक तत्त्व तो बना ही, इसके अतिरिक्त शूखेला आदि के आधार पर भी अनेक अलङ्कृतर्त्त्व की कल्पना की गयी।

अलङ्कृत-पारण के आरम्भक काल से ही शब्द और अर्थ के आधार पर अलङ्कृतर्त्त्व के दो विभाग तो पहले ही हो चुके थे। जो शब्द पर आकृति ये वो शब्दालङ्कृतर्त्त्व ये वो अर्थ पर आकृति ये वो अर्थालङ्कृतर्त्त्व कहलाये। कुछ आवार्यों ने शब्दालङ्कृतर्त्त्व और अर्थालङ्कृतर्त्त्व के अतिरिक्त जो शब्द यहं अर्थ दोनों पर आकृति हो रहे उभयालङ्कृतर्त्त्व की परिकल्पना की तथा वहाँ एक से अधिक अलङ्कृतर्त्त्व का एकत्र सद्भाव हो रहा मिश्रालङ्कृतर्त्त्व की विद्यति स्वीकार की। ५६॥१०

अग्रिमसुराक्षकार ने यह मान्यता प्रकट की है कि ऐसे अलङ्कृतर्त्त्व जो शब्द और अर्थ को एक साथ विभूषित करते हैं उभयालङ्कृतर्त्त्व कहे जाते हैं तथा उनकी

स्थित उस हार के समान मानी गयी है जो वक्ष और ग्रीवा दोनों को सक साथ ही अलङ्कृत करता है।

उभयालङ्कृत शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर सक साथ दोनों को अलङ्कृत करते हैं, परन्तु उभयालङ्कृत और मिश्रालङ्कृत में भेद यह है कि उभयालङ्कृत तो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर सक साथ शब्द और अर्थ दोनों को अलङ्कृत करते हैं, परन्तु मिश्रालङ्कृत में दो अलङ्कृतों के मिश्रण से नया अलङ्कृत स्पष्ट बन जाता है। यह मिश्रण या तो केवल शब्दालङ्कृतों के तत्त्व का होता है या केवल अर्थालङ्कृतों के तत्त्व का। आचार्य ममट के मतानुसार जो अलङ्कृत जिस पर आश्रित हो वह उसका अलङ्कृत छविलाता है- “यो यदाश्रितः स तदलङ्कृतः।” कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द पर आश्रित रहने वाले शब्दालङ्कृत अर्थ पर आश्रित रहने वाले अर्थालङ्कृत संबंध तथा अर्थ दोनों पर आश्रित रहने वाले अलङ्कृत उभयालङ्कृत कहे जाते हैं। कुछ आलङ्कृतिकों ने उभयालङ्कृत को शब्दार्थालङ्कृत भी कहा है।

अलङ्कृतों के वर्गीकरण के लिए यह आवश्यक है कि वर्गीकरण के लिए जो अलङ्कृत स्वीकार किये गये हैं या प्रत्युत किये गये हैं उनका निर्धारण हो तथा साथ ही साथ वर्गीकरण के ऐसे आधार का निर्णय होना चाहिए जिसमें जो भी अलङ्कृत स्वीकार किये गये हैं उन सभी अलङ्कृतों का वर्ग-विभाजन हो सके। अलङ्कृतों का वर्गीकरण बैतौ तो विभिन्न आधारों पर किया गया, लेकिन सबसे पहले अलङ्कृतों का वर्गीकरण आश्रय के आधार पर किया गया।

संस्कृत-आचार्यों ने अलङ्कृतों का जो भी वर्गीकरण किया है वह अपनी सीमा में मनोवैज्ञानिक बस्तौटी पर पूरा-पूरा लड़ी उतरता है। छाँ, यह बात उत्तम है कि असंख्य मनोवैज्ञानिक प्रतिष्ठात्तर्यों के कारण जो भी वर्गीकरण किया

गया है उनमें कोई भी वर्गीकरण सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। अलङ्कारों का जो स्थितिमूलक वर्गीकरण किया गया है वह निश्चय ही अपनी जगह पर पूर्ण हो सकता है। स्थितिमूलक का तात्पर्य-आश्रयमूलक और स्वरूपमूलक का तात्पर्य है- विन्यास-मूलक। इन दोनों प्रकार के वर्गीकरणों का विवेचन डा० शंकरदेव अवतेर ने अपने ग्रन्थ "काव्यांग-प्रक्रिया" में किया है।¹

कुछ प्रामाणिक आलङ्कारिकों ने काव्यालङ्कारों का विभाजन शब्द और अर्थ के आधार पर किया। आचार्य भरत ने शब्दालङ्कार तथा भामह, दण्डी आदि ने शब्दालङ्कारों और अर्थालङ्कारों का अलग-अलग विवेचन कर दो स्वतन्त्र वर्ग स्पष्ट कर दिस। आचार्य भरत ने यद्यपि अलङ्कारवर्गीकरण दिशा में कोई स्पष्ट मत नहीं दिया है परन्तु उन्होंने यमक अलङ्कार का जो लक्षण दिया "शब्दाम्यातस्तु यमकम्" इस लक्षण के द्वारा यमक अलङ्कार के शब्दालङ्कार होने की धारणा की पूरीष्ट होती है। आचार्य भामह ने भी शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कारों का नामतः निर्देश तो नहीं किया है किन्तु उद्भट ने अलङ्कारों का जो वर्गीकरण किया है उनके पड़ते वर्गीकरण में आठ अलङ्कार हैं उनमें चार शब्दपरक हैं और चार अर्थपरक, परन्तु उसका भी कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है। वे प्रत्येष को अर्थालङ्कार मानते हैं, परन्तु इसका विभाजन शब्दप्रत्येष और अर्थप्रत्येष में करते हैं। परन्तु मम्मट को यह मत मान्य नहीं है। वामन ही ऐसे प्रथम आचार्य है जिन्होंने "काव्यालङ्कार सूत्र" के चतुर्थ उधिकरण का पढ़ता अध्याय "शब्दालङ्कार-विधार" नाम से दिया है। सूत्र ने शब्दालङ्कारों की गणना की तथा उन्होंने

अर्थालङ्कृतर्वा का भी उल्लेख किया है। भोज ने शब्दालङ्कृत, अर्थालङ्कृत और उभ्यालङ्कृत इन तीन वर्गों में अलङ्कृतर्वा को विभाजित किया। अग्निपुराणकार ने भी इसी मत का अनुसरण किया परन्तु विद्यानाथ ने शब्दालङ्कृतर्वा और अर्थालङ्कृतर्वा के अतिरिक्त मिश्रालङ्कृत वर्ग को भी मान्यता दी।

भारतीय अलङ्कृत शास्त्र में कुछ अलङ्कृत ऐसे हैं जो शब्द तथा अर्थ दोनों की अपेक्षा रखते हैं यही कारण है कि वे शब्दालङ्कृत हैं अधिका अर्थालङ्कृत ऐसा निर्णय कर पाने में कठिनाई होती है। उदाहरणार्थ ऐसे शब्द अलङ्कृत शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा रखता है इसलिए उसके दो स्पष्ट मानकर एक को शब्दालङ्कृत तथा दूसरे को अर्थालङ्कृत स्वीकार किया गया। इसी प्रकार पुनरुक्तवदाभास को भी कुछ आचार्यों ने शब्दालङ्कृत तथा कुछ ने अर्थालङ्कृत माना परन्तु ममट आदि आचार्यों ने उसे उभ्यालङ्कृत स्वीकार किया। आश्रय भेद के आधार पर अलङ्कृतों को पाँच वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-

- 1- शब्दालङ्कृत वर्ग
- 2- अर्थालङ्कृत वर्ग
- 3- उभ्यालङ्कृत वर्ग
- 4- मिश्रालङ्कृत वर्ग
- 5- सहीर अलङ्कृत वर्ग

शब्दालङ्कृत

शब्दालङ्कृत में वात्तव्य में प्रमुख स्पष्ट से शब्द का चमत्कार रहता है, परन्तु इसमें अर्थ का विषार बिल्कुल छोता ही नहीं है यह बात भी नहीं कही जा सकती। शब्दालङ्कृतर्वा में भी अर्थ पर विषार छोता है परन्तु दोनों में भेद केवल इतना ही

है कि शब्दालङ्कृतर शब्द पर आश्रित होता है तथा अर्थालङ्कृतर अर्थ पर। यदि किसी शब्द के स्थान पर उस शब्द का पर्यायवाची कोई शब्द रख दिया जाय और उस शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर यदि उसका अलङ्कृतरत्व नष्ट हो जाय तो वह शब्दालङ्कृतर होगा परन्तु यदि उसके अलङ्कृतरत्व की हानि पर्याय परिवर्तन कर देने पर नहीं होती तो उस स्थान पर शब्दालङ्कृतर नहीं माना जा सकता। उसे शब्दालङ्कृतर की संज्ञा तभी प्रदान की जा सकती है जब उसमें पर्याय-परिवर्तनासहत्व हो। पर्याय परिवर्तनासहत्व ही शब्दालङ्कृतर की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी आधार पर विद्वानों ने छः शब्दालङ्कृतरों को मान्यता प्रदान की है—
1- अनुप्रास 2- यमक 3- श्लेष 4- वक्त्रोक्ति 5- पुनरुक्तवदाभास तथा 6- चित्रालङ्कृत

अर्थालङ्कृतर

अर्थालङ्कृतरों के विषय में यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि शब्द पर आश्रित रहने वाले अलङ्कृतर शब्दालङ्कृतर तथा अर्थ पर आश्रित रहने वाले अलङ्कृतर कहलाते हैं। अर्थालङ्कृतरों में एक शब्द के वाचक द्वितीय शब्द के रख देने पर भी अलङ्कृतरत्व की हानि नहीं होती। अतः अर्थ का परिवर्तन न होने के कारण अर्थ पर आश्रित रहने वाले अलङ्कृतर के घमत्कार की हानि भी नहीं होती इसीलए पर्याय-परिवर्तनासहत्व शब्दालङ्कृतर का तथा परिवृत्तिसहत्व अर्थालङ्कृतर का बोधक है।

अर्थालङ्कृतरों के बोधक दो मूल तत्त्वों का निर्देश आयार्य भामह ने अपने ग्रन्थ काव्यालङ्कृतर में किया है ते हैं— वक्त्रोक्ति तथा स्वभावोक्ति। वक्त्रोक्ति से उनका अभिधार्य अतिश्योक्ति ते था। वक्त्रोक्ति के अभाव में उन्होंने अलङ्कृतरत्व स्वीकार नहीं किया। स्वभावोक्ति अलङ्कृतर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा

किं लृष्ट लोगों ने स्वभावोक्ति को भी अलङ्कृत माना है जिससे स्पष्ट होता है कि स्वभावोक्ति का अलङ्कृतत्व भी उन्हें मान्य नहीं था। यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि भामह के मतानुसार समस्त अलङ्कृतर्त्त्वों की प्रसू या जननी वक्रोक्ति ही है।

लृष्ट आचार्यों ने अर्थालङ्कृतर्त्त्वों का विवाजन वाच्य और प्रतीयमान वर्गों में भी किया है। विधानाथ ने भी प्रतीयमान वास्तव, प्रतीयमान औषधम् आदि वर्गों में ऐसे अलङ्कृतर्त्त्वों को रखा है जिसमें अर्थ प्रतीयमान रहते हैं।

उभ्यालङ्कृत

लृष्ट आचार्यों ने शब्दालङ्कृत और अर्थालङ्कृत के साथ उभ्यालङ्कृत की कल्पना की। उभ्यालङ्कृत को ही शब्दार्थालङ्कृत भी कहा गया है क्योंकि यह शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहते हैं। उभ्यालङ्कृत की धारणा सर्वसम्मत नहीं है। अग्निपुराणकार ने उभ्यालङ्कृत का अभिप्राय समन्वित स्व से शब्द और अर्थ दोनों को अलङ्कृत करने वाले अलङ्कृतर्त्त्वों से माना उनके मतानुसार ऐसे अलङ्कृत जो शब्द और अर्थ को एक साथ विभूषित करते हों उभ्यालङ्कृत कहे जाते हैं तथा उसकी स्थिति उस हार के समान मानी गयी है जो एक साथ वक्ष और ग्रीवा दोनों को अलङ्कृत करते हैं।

मिश्रालङ्कृत

मिश्रालङ्कृत वे अलङ्कृत हैं जिनमें दो अलङ्कृतर्त्त्वों के मिश्रण से नया अलङ्कृतर्त्त्व रूप बन जाता है। यह मिश्रण केवल शब्दालङ्कृतर्त्त्वों के तत्त्व का हो सकता है और केवल अर्थालङ्कृतर्त्त्वों के तत्त्व का भी। विधानाथ ने शब्दालङ्कृत और अर्थालङ्कृत के उत्तरिक्त अलङ्कृत का तीसरा वर्ग मिश्रालङ्कृत वर्ग स्वीकृत

किया है तथा इसमें संसृष्टि और सङ्कर को रखा है। साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने भी सङ्कर और संसृष्टि को अलङ्कारों का मिश्रित रूप कहा है।¹

सङ्कीर्ण अलङ्कार

कुछ आचार्यों ने संसृष्टि और सङ्कर का विवेचन करते हुए अलङ्कारों की संसृष्टि तथा उनके सङ्कर को सङ्कीर्ण अलङ्कार वर्ग में रखा है।

कुछ आचार्यों ने सङ्कीर्ण अलङ्कार वर्ग को अलग से मान्यता न देकर मिश्रालङ्कार वर्ग को ही मान्यता दी क्योंकि उन्होंने संसृष्टि और सङ्कर को भी अलङ्कारों का ही मिश्रित रूप माना। परन्तु कुछ आचार्यों ने सङ्कर और संसृष्टि को मिश्रालङ्कार वर्ग में न रखकर उसका विवेचन "सङ्कीर्ण" अलङ्कार शीर्षक में किया है। मिश्रालङ्कार में दो अलङ्कारों के मिश्रण से नया अलङ्कार बनता है, परन्तु सङ्कीर्ण अलङ्कार में तो एक से अधिक किन्हीं भी अलङ्कारों के मिश्रण की सम्भावना होने से उनका स्वरूप निर्धारण सम्भव नहीं है। अतः मिश्रालङ्कार और सङ्कीर्ण अलङ्कार का विवेचन स्वतन्त्र वर्गों में करते हुए अलङ्कारों की संसृष्टि तथा उनके सङ्कर को सङ्कीर्ण अलङ्कार वर्ग में रखा जा सकता है। विभिन्न आचार्यों ने अलङ्कारों का वर्गीकरण अलग-अलग ढंग से किया है-

स्फ्रटकृत वर्गीकरण

काठ्यालङ्कारों को तर्पितम् यथात्मव् सुव्यवस्थित रूप में वर्गीकृत करने का ऐय आचार्य स्फ्रट को है। उन्होंने अलङ्कारों को आश्रय के आधार पर

1- यथेत स्वालङ्काराः परस्परीविमिश्रिताः।

तदा पृथग्लङ्कारों संसृष्टिः सङ्करताथ॥

शब्दालङ्कृत तथा अर्थालङ्कृत वर्गों में विभाजित किया। समस्त अर्थालङ्कृत वर्गों को उन्होंने उनके मूल तत्त्वों के आधार पर चार वर्गों में विभक्त किया-

1- वास्तव वर्ग 2- औपम्य वर्ग 3- अतिशय वर्ग 4- इलेष वर्ग।¹

1- वास्तव वर्ग

वस्तु स्वरूप कथन को "वास्तव" कहते हैं। उनके मतानुसार जहाँ वस्तु के स्वरूप का कथन हो, किन्तु वह पुष्टार्थ हो अविपरीत हो, तथा उपमा, अतिशय और इलेष से भिन्न हो² वह वास्तव है इस वर्ग में उन्होंने सहोकित, समुच्चय, जाति या स्वभावोक्ति, यथासंख्य, भाव, पर्याय, विषम, अनुमान, दीपक, परिकर, परिवृत्ति, परिसंख्या, हेतु, कारणमाला, व्यतिरेक, अन्योन्य, उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेश, अवसर, मीलित तथा एकावली अलङ्कृत की गणना की है।

2- औपम्य वर्ग

जिन अलङ्कृतों में वक्ता किसी वस्तु के स्वरूप का सम्यक प्रतिपादन करने के लिए उसके समान द्वितीय वस्तु का वर्णन करे उन्हें औपम्यमूलक अलङ्कृत कहा जाता है।² उनके मतानुसार उपमा, उत्प्रेक्षा, स्पृक, अपहृति, संशय या सन्देह, समासोक्ति, मत, उत्तर, अन्योक्ति या अप्यस्तुतप्रशंसा, प्रतीप, अर्थान्तरन्यास, उभयन्यास, भावितमान, आदेष, प्रत्यनीक, दृष्टान्त, पूर्ण, सहोकित,

1- वास्तवमिति तज्ज्ञेयं श्रियते वस्तुस्वरूपकथनं यत्।

पुष्टार्थविपरीतं निष्पममनतिशयमश्लेषम्॥

-काव्यालङ्कृत 7/10

2- सम्यक्प्रतिपादयितुं स्वरूपतो वस्तु तत्समानमिति।

वस्तवन्तरभिद्ध्याद्वक्ता यत्स्मस्तदौयम्यम्॥

-काव्यालङ्कृत 8/1

समुच्चय, साम्य और स्मरण औपम्य वर्गगत अलङ्कार है।

3- अतिशय वर्ग

जहाँ कोई अर्थ और धर्म का नियम अपनी प्रतिद्वंद्वीयात् स्थितिः के बाध के कारण लोकातिक्रान्त तिपरीतता को प्राप्त होता है, वहाँ "अतिशय" माना जाता है। पूर्व, विशेष, उत्प्रेक्षा, विभावना, तदसुण अधिक, विरोध, विषम, असङ्गति, पिहित, व्याधात् और हेतु को उन्हाँने अतिशयवर्गगत अलङ्कार माना।

4- अर्थ-श्लेष-वर्ग-

जिन अलङ्कारों में अनेकार्थक पदों से रघित सक वाक्य अनेक अर्थों का निश्चय युद्धोतनः करता है वे अर्थश्लेषमूलक अलङ्कार हैं।² इसमें श्लेष के मुख्य दो भेद आते हैं-- शुद्ध और सङ्कीर्ण। शुद्ध श्लेष के भेद- अविशेष, विरोध, अधिक, तक्र, व्याज, उकित, असम्भव, अत्यह, तत्त्व तथा विरोधाभास। सङ्कीर्ण के भेद- संसृष्टि और सङ्कर।

इस प्रकार स्ट्रट ने बारह अलङ्कारों की गणना श्लेष-वर्गस्ति अलङ्कारों कि जिनमें दस शुद्ध हैं और दो सङ्कीर्ण। स्ट्रट के पूर्व भामह अलङ्कार को तक्रोक्ति

1- यत्रार्थमनियमः प्रतिद्वंद्वाधाद्विपर्ययं याति ।

कर्षयत्क्षविदतिलोकं स स्यादित्यतिशयस्तस्य ॥-काव्यालङ्कार 9/।

2- यत्रैकमनेकार्थाक्यं रघितं पदैरनेकीत्यन् ।

अर्थं कुरुते विश्वयमर्थश्लेषः स विज्ञेयः ॥ काव्यालङ्कार 10/।

या अतिशयोक्ति मुलक मानते हे तथा तामन ने सभी अलङ्कारों को औपम्यमूलक माना। स्फ्रट ने भामह के अतिशयमूलक और तामन के औपम्यमूलक अलङ्कारों की सत्ता तो स्वीकार की ही परन्तु उन्होंने उन दोनों दे अतिरिक्त टास्तव और इलेष्ठ मूलक अलङ्कार वर्गों की कल्पना की।

स्थ्यककृत वर्गीकरण-

स्फ्रट के अतिरिक्त आचार्य स्थ्यक का अलङ्कार वर्गीकरण के क्षेत्र में महनीय योगदान है। उन्होंने सादृश्य, विरोध, शृङ्खला, न्याय और गृदार्थ्यतीति के आधार पर अपने अलङ्कारों को वर्गीकृत किया। उन्होंने सादृश्यमूलक अलङ्कारों में यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार कभी-कभी उपमान की प्रधानता बढ़ते बढ़ते उपमेय को अतिशयोक्ति में तिगीर्ण कर और दूसरी ओर उपमेय की प्रधानता बढ़ते-बढ़ते अनन्त्रय की स्थिति में उपमेय ही उपमान हो जाता है। उनका अलङ्कार वर्गीकरण इस प्रकार है-

।- सादृश्यगर्भ-

सादृश्यगर्भ अलङ्कारों का मुल तत्त्व आचार्य स्थ्यक ने साधर्म्य बताया उनके मतानुसार साधर्म्य के तीन भेद हैं—

॥१॥ भेदभेदवृत्त्यन्यधान

॥२॥ अभेद प्रधान

॥३॥ गम्यमानौपम्य

सादृश्यगर्भ अर्थालङ्कारों का विभाजन इस प्रकार किया गया है—

भेदाभेदतुल्यपृथान सादृश्यग्रन्थ अलङ्कृतर-

1- उपमा, 2- उपमेयोपमा, 3- अनन्वय और 4- स्मरण।

अभेदपृथान सादृश्य ग्रन्थ अलङ्कृतर-

श्रीआरोपमूलक- 1. रूपक, 2. परिणाम, 3. जन्देह, 4. भ्रान्ति

5. उल्लेख तथा 6. अपनुहृति ।

श्रीआरोपमूलक- 1. उत्तेक्षा स्वं, 2. अतिशयोक्ति

गम्यमान-अौपम्य सादृश्यग्रन्थ अलङ्कृतर-

1- तुल्ययोगिता, 2- दीपक, 3- प्रतिवस्तुपमा, 4- दृष्टान्त, 5- निर्दर्शना,
6- त्र्यतिरेक, 7- सहोक्ति, 8- विनोदित, 9- समासोक्ति, 10- परिकर,
11- श्लेष, 12- अप्रस्तुतप्रशंसा, 13- पर्यायोक्ति, 14- अर्थान्तरन्यास, 15- व्याख्य-
स्तुति तथा 16- आक्षेप ।

2- विरोधग्रन्थ-

जिन अलङ्कृतरों के मूल में विरोध की भावना निहित रहती है उनकी
गणना इस वर्ग में की गयी है। वे अलङ्कृतर हैं-

1- विरोध, 2- विभावना, 3- विशेषोक्ति, 4- सम, 5- विष्म, 6- ठिपित्र,
7- अधिक, 8- अन्योन्य, 9- विशेष, 10- व्याघात, 11- कार्यकारणैवपिर्य-
स्य अतिशयोक्ति और 12- असङ्गति ।

3- शृङ्खलामूलक-

इस वर्ग में उन अलङ्कृतरों को रखा गया है जिन अलङ्कृतरों में पद या
वाक्य अन्य पद या वाक्य के साथ शृङ्खला स्य से सम्बद्ध रहते हैं। इस वर्ग में

रखे गये अलङ्कृतर हैं-

1- कारणमाला, 2- स्कारली, 3- मालादीपक और 4- सार

4- न्यायमूलक-

न्यायमूलक अलङ्कृतरों को तीन वर्गों में रखा गया है-

१। तर्कन्यायमूलक अलङ्कृतर- 1- काव्यलिङ्ग, और 2- अनुमान।

२। वाक्यन्यायमूलक अलङ्कृतर- 1- यथासंख्य, 2- पर्याय, 3- परिवृत्ति,

4- अर्थापत्ति, 5- विकल्प, 6- परिसंख्या, 7- समुच्चय तथा 8- समाधि।

३। लोकन्यायमूलक अलङ्कृतर- 1- प्रत्यनीक, 2- प्रतीप, 3- मीलित, 4- सामान्य,

5- तदगुण, 6- अतदगुण और 7- उत्तर।

5- गुदार्थप्रतीतिमूलक

जिन अलङ्कृतरों में गुदा अर्थ की प्रतीति हुआ करती है उनको इस वर्ग में रखा गया है क्योंकि उन अलङ्कृतरों का जौन्दर्दा गुदार्थ बोध में ही निहित रहता है।
गुदार्थप्रतीतिमूलक अलङ्कृतर हैं- 1- सूक्ष्म, 2- व्याजोकित स्वं 3- वक्रोकित।

इस प्रकार आचार्य स्थायक ने अलङ्कृतर के कुछ मूलभूत तत्त्वों के आधार पर नवीन दृष्टि से अलङ्कृतरों के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। उन्होंने अपने चौसठ अलङ्कृतरों का अत्यन्त व्यवस्थित ढंग से विभाजन तो किया फिर भी उनके अनेक अलङ्कृतर ऐसे स्वभावोकित, भाविक, उदात्त, संसुष्ठि, सङ्कर, रसवटु, प्रेय, उर्जस्त्री तथा समाहित आदि अलङ्कृतर अवर्गीकृत रह गये। यद्यपि उन्होंने इन अलङ्कृतरों का सम्भाव तो स्वीकार किया है परन्तु उनके वर्ग की कल्पना

नहीं की । उन्होंने संसृष्टि और सङ्कृत के वर्ग की कल्पना को भी आवश्यक नहीं समझा । उनके मतानुसार अन्य अलङ्कृत ही अपने मूल तत्त्वों के साथ संसृष्टि सर्व सङ्कृत में सङ्कृतीर्ण रूप से रह सकते हैं उनमें कोई स्वतन्त्र मूल तत्त्व नहीं है तथा इन दोनों का समाधार आश्रय के आधार पर

वर्गीकरण में ही सम्भव

है तैसे लद्वट ने जो वास्तवतर्ग की कल्पना की स्थूल ने उसको स्तीकार नहीं किया यह उचित नहीं लगता क्योंकि उन्होंने स्वभावोक्ति को अलङ्कृत रूप में स्थीरूपीति और स्वभावोक्ति का मूल तत्त्व है वस्तुरूप तर्ण । अतः स्वभावोक्ति भी वास्तवतर्ग का ही अलङ्कृत है इसकी गणना सास्तवतर्गगत अलङ्कृतरों में की जानी चाहिए । स्थूल ने जो सादृश्य के भेदाभेद प्रधान, अभेदप्रधान तथा गम्यमानौपम्य भेदों के कल्पनना की सर्व विरोध्यमूलक, शृङ्खलामूलक तथा गूढार्घितीतमूलक अलड़तरों की उनके मूलभूत तत्त्वों के आधार पर कल्पना करके भारतीय अलङ्कृत शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

विद्याधरकृत वर्गीकरण-

विद्याधर ने "स्कावली" में अलङ्कृतरों का वर्गीकरण आचार्य स्थूल के वर्गीकरण-सिद्धान्त के आधार पर किया है । उन्होंने आश्रय के आधार पर शब्द और अर्थ वर्गों में अलड़तरों का विभाजन करके अर्थालङ्कृतरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है-

॥१॥ भेद प्रधान वर्ग-

1- उपमा, 2- उपमैयोपमा, 3- अनन्त्य तथा 4- स्मरण ।

॥२॥ अभेदप्रधान वर्ग-

॥३॥ आरोपमूलक- 1. स्पृक, 2- परिषाम, 3- सन्देह, 4- भ्रान्तिमान, 5- उल्लेख और 6- अपनुहीत ।

१३॥ गम्योपेम्याश्रयी वर्ग-

1- तुल्ययोगिता, 2- हीपक, 3- प्रतिवस्तुपमा, 4- दृष्टान्त, 5- निर्दर्शना,
6- व्यतिरेक, 7- सहोकित, 8- तिनोकित, 9- समासोकित, 10- परिकर,
11- परिकराद्‌हुर, 12- श्लेष, 13- अप्रस्तुत प्रशंसा, 14- अर्थान्तरन्यास,
15- पर्यायोकित और 16- आभेम ।

१४॥ तिरोधगम्भ-

1. तिरोध, 2. विभावना; 3- विशेषोकित, 4. जीतशयोकित, 5. असङ्ग॒•ति,
6. विष्म, 7. सम, 8. विचित्र, 9. अधिक, 10. अन्योन्य, 11. विशेष
तथा 12. व्याघात ।

१५॥ शृङ्ग॒•लाकार-

1. कारणमाला, 2. एकावली, 3. मालादीपक, 4. सार, 5. काव्यलिङ्ग॑•,
6. अनुमान, 7. यथासंख्य, 8. पर्याय, 9. परिवृत्ति, 10. परिसंख्या,
11. अर्थप्रित्ति, 12. समृच्छ्य और 13. समाधि ।

१६॥ लोकन्यायाश्रयी-

1. प्रत्यनीक, 2. प्रतीप, 3. मीलित, 4. सामान्य, 5- तदगुण, 6. अतदगुण,
7. उत्तर और 8. प्रश्नोत्तर ।

१७॥ बलाद्गुणार्थितीतमूलक-

1. सुहम, 2. स्याजोकित, 3. वक्रोकित, 4. स्वभावोकित, 5. भाविक
और 6-उदात्त ।

१८॥ अन्योन्यावलेष्येश्वर-

1. संकृष्ट और 2. सह॒•र

आदि को उभयगत अलङ्कार माना। उन्होंने अर्थालङ्कार के मुख्य चार विभाग किये। उनके चार प्रमुख अलङ्कार-वर्ग तथा उन वर्गों में विभाजित अलङ्कार इस प्रकार हैं-

प्रमुख प्रकार

॥१॥ प्रतीयमान वास्तव-वर्ग

॥१॥ समासोक्ति, ॥२॥ पर्यायोक्ति, ॥३॥ आक्षेप, ॥४॥ व्याख्यात्त्वाति, ॥५॥ उपमेयोपमा, ॥६॥ अनन्वय, ॥७॥ अतिश्योक्ति, ॥८॥ परिकर, ॥९॥ अप्रस्तुतप्रशंसा तथा ॥१०॥ अनुकृतनिमित्ता विशेषाक्ति।

॥२॥ प्रतीयमानौपम्य वर्ग

॥१॥ स्वप्न, ॥२॥ परिणाम, ॥३॥ सन्देह, ॥४॥ भ्रान्तिमान्, ॥५॥ उल्लेख, ॥६॥ व्यापहनव् उत्प्रेक्षा, ॥७॥ स्मरण, ॥८॥ वृत्त्ययोगिता, ॥९॥ दीपक, ॥१०॥ प्रतिवस्तुपमा, ॥१॥ दृष्टान्त, ॥१२॥ सहोक्ति, ॥१३॥ व्यतिरेक, ॥१४॥ निर्दर्शना और ॥१५॥ श्लेष।

॥३॥ प्रतीयमानरसभावादि वर्ग

॥१॥ रसवत्, ॥२॥ प्रेय, ॥३॥ उर्जस्वर्णी, ॥४॥ समादित, ॥५॥ भावोदय, ॥६॥ भावसीन्ध तथा ॥७॥ भावशब्दलता।

अस्फुटप्रतीयमान-वर्ग

॥१॥ उष्मा, ॥२॥ विनोक्ति, ॥३॥ अर्थान्तरन्यात्, ॥४॥ विरोध, ॥५॥ विभावना, ॥६॥ व्युषनिमित्ता विशेषोक्ति, ॥७॥ विषम, ॥८॥ सम, ॥९॥ पित्र, ॥१०॥ अधिक, ॥१॥ अन्योन्य, ॥१२॥ कारणाता, ॥१३॥ रकावली, ॥१४॥ व्याघात,

॥१५॥ मालादीपक, ॥१६॥ काव्यालङ्कृत, ॥१७॥ अनुमान, ॥१८॥ सार, ॥१९॥ यथासंख्य, ॥२०॥ अर्थप्रित्ति, ॥२१॥ पर्याय, ॥२२॥ परिवृत्ति, ॥२३॥ परिसंख्या, ॥२४॥ विकल्प, ॥२५॥ समुच्चय, ॥२६॥ समार्थ, ॥२७॥ प्रत्यनीक, ॥२८॥ प्रतीप, ॥२९॥ विशेष ॥३०॥ प्रीति, ॥३१॥ सामान्य, ॥३२॥ असङ्गति, ॥३३॥ तदगुण, ॥३४॥ अतदगुण, ॥३५॥ व्याजोक्ति, ॥३६॥ वक्त्रोक्ति, ॥३७॥ स्वभावोक्ति, ॥३८॥ भाविक, और ॥३९॥ उदात्त ।

विद्यानाथ ने समासोक्ति अलङ्कार को प्रतीयमान वस्तुवर्ग में रखा है परन्तु स्थियक ने इसकी गणना गम्यमानौपम्य वर्ग में की है। उपमेयोपमा को भी विद्यानाथ ने गम्यमानौपम्य वर्ग में रखा जबकि स्थियक ने इसे भेदाभेदतुल्य प्रधान सादृश्य गर्भ अलङ्कार वर्ग में रखा है। आचार्य स्थियक के गम्यमानौपम्य वर्ग के आधार पर ही विद्यानाथ ने प्रतीयमानौपम्य-वर्ग की कल्पना की। इसके अतिरिक्त विद्यानाथ ने रसावदादि अलङ्कारों के लिए प्रतीयमान-रसभावादि वर्ग की कल्पना की। विद्यानाथ के इस वर्गीकरण में धर्मनिवाद का प्रभाव परिलीक्षित होता है।

अवान्तर विभाग

१. सादृश्यमूलक

१॥ अभेद प्रधान साधर्म्य निबन्ध

॥१॥ स्थियक, ॥२॥ परिषाम, ॥३॥ सन्देह, ॥४॥ आनन्दमान, ॥५॥ उल्लेख तथा अपहनव ।

१५। भेदप्रधान सार्थक निबन्धन

॥१॥ दीपक, ॥२॥, तुल्यकोणिता, ॥३॥ दृष्टान्त, ॥४॥ निर्दर्शना,
॥५॥ प्रतिवस्तुपमा, ॥६॥ सहोकित, ॥७॥ प्रतीप, ॥८॥ व्यतिरेक ।

१६। भेदाभेद साधारण-साधारणमूलक

॥१॥ उपमा, ॥२॥ अनन्वय, ॥३॥ उपमेयोपमा, ॥४॥ स्मरण

१७। अध्यक्षायमूलक

॥१॥ उत्प्रेक्षा, ॥२॥ अतिशयोकित ।

२०। विरोधमूलक

॥१॥ विभावना, ॥२॥ विशेषोकित, ॥३॥ विषम, ॥४॥ चित्र, ॥५॥ असङ्गति,
॥६॥ अन्योन्य, ॥७॥ व्याधात, ॥८॥ अतदगुण, ॥९॥ भाविक, ॥१०॥ विशेष

३०। न्यायमूलक

१। क। वाक्यन्यायमूलक

॥१॥ यथासंख्य, ॥२॥ परिसंख्या, ॥३॥ अथापित्त, ॥४॥ विकल्प,
॥५॥ समुच्चय ।

२। ख। लोकव्यवहार मूलक

॥१॥ परिवृत्ति, ॥२॥ प्रत्यनीक, ॥३॥ तदगुण, ॥४॥ समाधि,
॥५॥ सम, स्वसावोकित, ॥६॥ उदान्त, ॥७॥ विनोकित ।

३। ग। तर्कन्यायमूलक

॥१॥ काव्यालङ्घ, ॥२॥ अनुमान, ॥३॥ अर्थान्तरन्यास ।

४. शङ्कु-लावैचित्रयमूलक

॥१॥ कारणमाला ॥२॥ स्कावली ॥३॥ मालादीपक ॥४॥ सार

५. अपहनवमूलक

॥१॥ व्याजोक्ति, ॥२॥ चक्रोक्ति, ॥३॥ मीलन अथवा मीलित ।

इस प्रकार स्ट्रूट, स्थियक, विद्याधर, विद्यानाथ आदि आचार्यों ने अलङ्कारों से वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त आचार्यों के अलङ्कार-वर्गीकरण में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। स्थियक ने यदि किसी अलङ्कार विशेष को एक वर्ग में रखा तो अन्य आचार्यों ने उसी अलङ्कार को किसी दूसरे वर्ग में परिवर्गित किया। कुछ नवीन वर्गों की कल्पना भी हृद्द। उक्त आचार्यों के हारा जितने भी अलङ्कार वर्गों की कल्पना की गयी है उन सभी वर्गों को मिलाकर वर्गीकरण के आधार को और व्यापक अवश्य बनाया जा सकता है, लेकिन किसी भी वर्गीकरणों को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। उपर्युक्त वर्गीकरणों में आचार्य स्थियक का जो अलङ्कार वर्गीकरण है वह अधिक समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि उनके वर्गीकरण में अधिकतर अलङ्कारों का समावेश हो जाता है जो कि वर्गीकरण की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सादृश्य और विरोध

सादृश्य और विरोध में क्या अन्तर है यह जानने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि वात्सल्य में सादृश्य क्या है, और विरोध क्या है। सादृश्य-भिन्न भिन्न वस्तुओं में धर्म अथवा धर्मों की असाधारणता के आधार पर सादृश्य होता है- “तद्विन्मत्ये सति तद्वग्नाभ्युयोध्यवित्वम्” इससे यह बात स्पष्ट होती है-

"चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगताहृदकत्वम् मुखे चन्द्रसादृश्यम्।"

यहाँ मुख तथा चन्द्र दो वस्तुएँ हैं परन्तु उन दोनों में आहलादकता साधारण धर्म के स्पष्ट में विघ्मान है। अतः यह कहा जा सकता है कि "चन्द्र" तथा "मुख" इन दोनों वस्तुओं में सादृश्य है। धर्मों की साधारणता को अभेद भी कहा जा सकता है। इस प्रकार सादृश्य में भेद भी होता है और अभेद भी। जैसे- "नेत्र कमल के समान सुन्दर है" तथा "नेत्र-कमल" ये दोनों उदाहरण क्रमशः उपमा और स्पष्ट के हैं। इसमें नेत्र और कमल दोनों में सादृश्य बताना कीव का उददेश्य होता है लेकिन इन दोनों उकित्यों का अर्थ अलग अलग है यह बात नहीं मानी जा सकती। दोनों उदाहरणों में नेत्र को कमल के समान सुन्दर बताना ही अभीष्ट है। "नेत्र कमल के समान सुन्दर है" उपमा के इस उदाहरण में नेत्र और कमल इन दोनों का भेद तथा अभेद समान स्पष्ट से व्यक्त है तथा "नेत्र कमल" स्पष्ट के इस उदाहरण में नेत्र और कमल इन दोनों के बीच अभेद की प्रधानता ही गयी है। दोनों उकित्यों का मूल तत्त्व यद्यपि सक ही है परन्तु उसकी उकित की विलक्षणता के आधार पर ही उनकी पृथक् पृथक् अस्तित्व की भी कल्पना की गयी है।

इस प्रकार यह बात सिद्ध हो गयी कि सादृश्य में भेद भी होता है और अभेद भी तथा सादृश्य के विषय में यह बात जान लेना और भी आवश्यक है कि सादृश्य के मूल में कुछ सामान्य और कुछ विशेष की कल्पना अनिवार्य स्पष्ट से रहती है। दो वस्तुओं में सादृश्य बताने के लिए दोनों के बीच कुछ सामान्य और कुछ विशेष की कल्पना आवश्यक होती है। यही बात स्पष्ट के उक्त कथन से भी सिद्ध होती है- "यत्र किं यत्त्वामान्यं विषयच्च विशेषः स विषयः सहस्रायाः"

अतः सादृश्य में सामान्य तथा विशेष ये दोनों तत्त्व समान स्प्य से विद्यमान रहते हैं। धर्मों की साधारणता से सामान्य तत्त्व बनता है तथा उनकी असाधारणता से विशेष तत्त्व कहने का अभिप्राय यह है कि यदि दो वस्तुओं में किसी सामान्य की कल्पना न की जाय तो दोनों के सादृश्य की भी कल्पना करना असम्भव है और यदि दो वस्तुओं में केवल सामान्य की ही कल्पना हो विशेष की कल्पना ही न हो तो उन दोनों में लोड भेद न होने के कारण वे आपस में भिन्न भी नहीं मानी जा सकतीं। इस प्रकार अभिन्न वस्तुओं में सादृश्य की न तो कल्पना ही की जा सकती है और न ही ऐसी वस्तुओं में सादृश्य की कल्पना का कोई अर्थ ही होगा। अब हमारे समझ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सामान्य तत्त्व क्या है तथा विशेष तत्त्व क्या है। सामान्य तत्त्व का ही दूसरा नाम साधर्म्य तथा विशेष तत्त्व का दूसरा नाम वैधर्म्य है। साधर्म्य का अभिप्राय समान धर्म से है तथा वैधर्म्य का विपरीत धर्म से। साधर्म्य तथा वैधर्म्य इन दोनों के मिलने से ही सादृश्य का जन्म होता है उदाहरणार्थ “गौरिव गवयः” यह सादृश्य का उदाहरण है तथा कुछ धर्म ऐसे हैं जिनके कारण वैधर्म्य तथा यहाँ साधर्म्य तथा वैधर्म्य इन दोनों के मिलने से सादृश्य है।

सादृश्य के लिए साधर्म्य तथा वैधर्म्य दोनों तत्त्वों की अपेक्षा होती है। इसके लिए साधर्म्य का लेख इतना विस्तृत भी नहीं होना पाहिस कि वह समस्त धर्मों को आत्मसात् कर ले क्योंकि इस स्थिति में तो कोई भी ऐसा धर्म लेख नहीं रह जास्या। जिसके आधार पर वैधर्म्य की कल्पना की जा सके वैधर्म्य तत्त्व के अभाव में सादृश्य भी नहीं हो सकेगा। अतः इस अवस्था को जिसमें वैधर्म्य तत्त्व का सर्वथा तादृश्य कहा जाता है जो कि साधर्म्य की अत्यन्तविस्तृत अवस्था

है उदाहरणार्थ "मुखं" कमलमीस्त "अर्थात् मुख कमल है यहाँ साधर्म्य तत्त्व का अभाव है। मुख कमल के तद्वप है। नैयायिकों के मतानुसार तादृश्य तथा साधर्म्य एक ही है। वे दोनों को अलग-अलग वस्तु नहीं मानते। परन्तु उनका यह मत सूक्ष्मतासंगत नहीं प्रतीत होता। वामानाखार्परामभद्रज्ञलकीमट ने भी सादृश्य तथा साधर्म्य दोनों में भेद है यह बात स्पष्ट रूप से कही है। उनके मतानुसार-

सादृश्य में हमारी दृष्टि एक वस्तु के दृसरी वस्तु से सम्बन्ध पर केन्द्रित रहती है। इस प्रकार सादृश्य में उपमेयअनुयोगी होता है तथा उपमान प्रतीतयोगी होता है। उन्होंने साधर्म्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा है-

"समानः एकः वृत्त्यो वा धर्मो गुणक्रियादिख्योययोः ॥ अर्थाद्विषयानोपमेययोः ॥ तो सधर्मणीतयोर्भविः साधर्म्यम् ॥"

"उपमानोपमेययोः समानेन धर्मेण सह सम्बन्ध" इत्यर्थः। यह बात कठकर उन्होंने साधर्म्य को और भी स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने "समानेन धर्मेण" का अर्थ "समान धर्म के साथ न लेकर" समान धर्म के कारण साधर्म्य होता है उसी प्रकार साधर्म्य भी सादृश्य का कारण तो है, परन्तु साधर्म्य-ज्ञान और सादृश्य-ज्ञान की स्थिति भिन्न है। सादृश्य ज्ञान, साधर्म्य ज्ञान के बाद होता है। किसी भी वस्तु का पहले साधर्म्य ज्ञात होता है उसके बाद वैधर्म्य।

इस प्रकार यह बात तिद्द हो गयी कि दो तदृश वस्तुओं में समान धर्म का सम्बन्ध साधर्म्य कहलाता है। साधर्म्य पद उपमेय के साथ धर्म के सम्बन्ध का बोध तो कराता ही है साथ ही साथ उपमानभूत वस्तु के साथ उपमेय के समान धर्म

सम्बन्ध अर्थात् उपमेय के साथ उसका जो समान धर्म सम्बन्ध है उसका भी विरोध कराता है। इसके विपरीत वैधमर्य वस्तुओं के बीच असमान धर्म का सम्बन्ध है। यही कारण है कि जिन अलङ्कृतर्मां में सादृश्य होता है उन्हें सादृश्य मूलक तथा जिनमें वैधमर्य होता है उन्हें विरोधमूलक अलङ्कृतर कहा जाता है।

यदि विरोध को सादृश्य का उल्टा कहा जाय तो यह बात युक्ति संगत नहीं प्रतीत होती। उदाहरणार्थ विरोधअलङ्कृतर में ही यद्यपि उसका मूल तत्त्व विरोध ही है, परन्तु उसमें भी विरोध की प्रतीत तो होती है। परन्तु वह विरोध वास्तविक नहीं होता उस विरोध का भी परिहार हो जाता है, और जब विरोध का परिहार हो जाता है तो हम उसे फिर विरोध या विरोधमूलक अलङ्कृतर भी नहीं रह पायेंगे। सादृश्य स्वं विरोध भिन्न तत्त्व है, जिन पर आधारित अनेकों अलङ्कृतर्मां में मूल तत्त्व के स्क होने पर भी उल्लिखित की विलक्षणता के आधार पर ही उनके पृथक्-पृथक् अस्तित्व की कल्पना की जाती है। उसी प्रकार सादृश्य और विरोध विपरीत नहीं है। सादृश्य में भी साधमर्य और वैधमर्य दोनों की अपेक्षा होती है। बिना वैधमर्य के सादृश्य की भी कल्पना नहीं हो सकती और वैधमर्य का तात्पर्य भी विरोध से ही है। काव्य में विरोध की जो स्थिति है वह अन्त तक बनी नहीं रहती है। विरोध छोर कालान्तर में समाप्त हो जाता है इसी कारण इसे विरोधाभास भी कहते हैं। यह विरोध दो प्रकार छाना होता है प्रस्तु विरोधतत्त्वाज्ञातरा
प्रस्तु विरोध तथा अप्रस्तु विरोध। जो विरोध अन्त तक बना रहता है/वह अप्रस्तु विरोध कहताता है। प्रस्तु विरोध जो है वह दोष का विषय होता है। जहाँ पर अप्रस्तु विरोध होता है वहीं अलङ्कृतर माना जाता है अर्थात् अप्रस्तु विरोध ही अलङ्कृतर का विषय होता है इसमें विरोध की प्रतीति पार्यन्तक न होकर प्राप्तिमात्रिक होती है। अतः काव्य में विरोध को सादृश्य का उल्टा

मानना समीचीन नहीं है, सादृश्य और विरोध एक दूसरे के पूरक ही है। विरोध के अभाव में सादृश्य का भी कोई अस्तित्व नहीं है। सादृश्य में दो सादृश्य वस्तुओं में समान धर्म का सम्बन्ध दिखाया जाता है तथा विरोध में दो वस्तुओं में असमान धर्म का सम्बन्ध दिखाया जाता है। यही अलङ्कारों की विरोध मूलकता का भेदक तत्व है और इसी आधार पर हम विरोध मूलक अलङ्कारों को पृथक स्पैसे वर्गीकृत कर उनका विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं।

तृतीय - अध्याय

तिरोधमूलक
अलङ्कृत-तिरोध
तिरोध

तृतीय - अध्याय

विरोधमूलक अलङ्कार-

“विरोधमूलक अलङ्कार” का तात्पर्य उन अलङ्कारों से है जिन अलङ्कारों के मूल में विरोध की भावना निहित रहती है। वास्तव में इस वर्ग के अलङ्कारों का मूल तत्त्व विरोध है। ऐसे सादृश्यमूलक अलङ्कारों का मूल बीज उपमा है उसी प्रकार विरोधमूलक अलङ्कारों का मूल बीज तिरोध है। सादृश्यमूलक अलङ्कारों में जो स्थान उपमा अलङ्कार का है वही स्थान विरोधमूलक अलङ्कारों में विरोध का है। विरोधमूलक अलङ्कारों में जो विरोधमुक्ति उपस्थापित अर्थ है उह उर्ध्वरस्तु में विशेष चमत्कार ला देता है। विरोधमूलक अलङ्कारों का विवेचन करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि विरोधमूलक अलङ्कार लौन लौन से हैं। जिन अलङ्कारों की गणना विरोधमूलक अलङ्कारों के अन्तर्गत की गयी है वे निम्नलिखित हैं--

1. विरोध
2. विभावना
3. विशेषोक्ति
4. अतिव्योक्ति
5. असङ्गति
6. विषम
7. सम
8. विचित्र

- १०. अधिक
- १०. अन्योन्य
- ११. तिशेष
- १२. व्याधात

विरोध अलङ्कार

"विरोध" अलङ्कार विरोधमूलक अलङ्कारों में प्रथम सर्व पुधान है।

"विरोध" जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है विरोध का अर्थ है परस्पर विरोधी पदार्थों के सक्रत्र संसर्ग वर्णन की धारणा । जो ऐसे पदार्थ इस रूप में प्रसिद्ध हों कि वह सक आश्रय के रूप में रहने वाले नहीं हैं परन्तु उनका वर्णन सक आश्रय के ही रूप में रहने वाले अर्थात् सकाश्रयवर्ती के रूप में किया जाय तो वह वर्णन "विरोध" कहलाता है।

कुछ आचार्यों ने "विरोध" अलङ्कार को ही "विरोधाभास" अलङ्कार की संज्ञा ते भी अभिहित किया है। विरोधाभास में वस्तुओं के विरोध का केवल आभास [मिथ्या-प्रतीत] रहता है। "आभास" शब्द का अर्थ है- ईष्ट अर्थात् घोड़ा भासित होने वाला । "विरोधाभासौ आभासः" इस कर्मधारण समास के द्वारा "विरोधाभास" पद का अर्थ हो जाता है- घोड़ा भासित होने वाला विरोध। वास्तव में उस विरोध को अलङ्कार कहा जाता है जहाँ आरम्भ में तो विरोध की प्रतीत हो परन्तु शीघ्र ही [अग्रिम क्षण] होने वाले अविरोध ज्ञान से वह [विरोध] निराकृत हो जाय। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि वास्तविक विरोध का वर्णन दोषावह और आभास रूप विरोध का वर्णन

अलङ्कृत र कहा जाता है।

विरोधाभास में परस्पर विरुद्ध जान पड़ने वाली बातों में वास्तव में तात्त्विक अविरोध की धारणा निर्दिष्ट रहती है जिस प्रकार सादृश्यमूलक अलङ्कृतरों में "सादृश्य" अलङ्कृतरों का मूलभूत तत्त्व है उसी प्रकार विरोध भी अनेक अलङ्कृतरों का मूलभूत तत्त्व है। अतः कुछ आचार्य विरोध नामक स्वतन्त्र अलङ्कृत की कल्पना उचित नहीं मानते। वे विरोध को अनेक अलङ्कृतरों को अनुप्राणित करने वाला तत्त्व ही मानते हैं। इस प्रकार कुछ आचार्यों ने विरोध का विरोधाभास के पर्याय के रूप में प्रयोग दर दिया है।

आचार्य भामह ने विशेष घमत्कार उत्पन्न करने के लिए गुण, क्रिया आदि का विरुद्ध क्रिया से वर्णित विरोध का लक्षण माना है, वे विरोध को आत्त्विक मानकर केवल उसका आभास ही अपेक्षित मानते थे। उद्भट ने भी इसी मत ले स्वीकार किया परन्तु आचार्य दण्डी ने विरोध लक्षण में विरुद्ध पदार्थों का संर्ग प्रदर्शन अपेक्षित माना था। इसी धारणा ने पीछे चलकर विरोधाभास से स्वतन्त्र विरोध अलङ्कृत को जन्म दिया। टीकाकारों ने विशेष दर्शनायैव" के आधार पर आचार्य दण्डी के विरोध लक्षण का अर्थ यह माना है कि वास्तविक विरोध के न होने पर भी केवल विशेष दिखाने के लिए विरुद्ध से लगने वाले पदार्थों की संघटना विरोध वृत्तुतः विरोधाभास वृत्तुतः है। वामन ने भी विरोधाभास को ही विरोध कहा है।

मम्मट ने भी वास्तव में विरोध न होने पर भी विरुद्ध रूप से जो वर्णन होता है यह विरोध अलङ्कार का लक्षण प्रस्तुत किया है। पण्डितराज जगन्नाथ

के मतानुसार एक आश्रय से असंबद्धता अथवा उस तरह का दो उस्तुओं के विषय में होने वाला उस एक आश्रय असंबद्धता का ज्ञान "विरोध" कहलाता है। कहने का भाव यह है कि जो दो पदार्थ एक आश्रय में नहीं रहने वाले के स्वरूप में प्रोत्सद्ध हो उन दो पदार्थों का सकाश्रयवर्ती के रूप में किया जाने वाला वर्णन विरोध कहलाता है।

उपर्युक्त लक्षण वा टिटेवन दरते हुए पण्डितराजजगन्नाथ ने यह बात भी स्वीकार की है कि वास्तव में यह विरोध दो प्रकार का होता है-- प्रमुख विरोध तथा अप्रमुख विरोध। जो विरोध बाध ज्ञान से अभिभूत न हो वह प्रमुख विरोध कहलाता है तथा जो विरोध बाध-बृद्धि से तिरस्कृत हो जाय वह अप्रमुख विरोध कहलाता है। इन दो प्रकार के विरोधों में प्रमुख विरोध जो है वह दोष का विषय है तथा अप्रमुख विरोध अलङ्घनार का लक्ष्य है। स्पष्ट स्वरूप से यह कहा जा सकता है कि जहाँ दो पदार्थों में वास्तव में विरोध की धारणा निर्दित हो तो वह वर्णन दोषावह समझा जाता है परन्तु वास्तव में विरोध न होकर यदि विरोध की आभासत्वेन प्रतीति अर्थात् विरोध का आभास मात्र होता है तूपहले विरोध की प्रतीति हो और बाद में उस विरोध का परिवार हो जाय तो आभास स्वरूप विरोध का वर्णन अलङ्घनार होता है।।

लद्वट, मम्मट, स्युयक, पण्डितराज जगन्नाथ आदि आचार्यों ने विरोध अलङ्घनार के दस भेद स्वीकार किये हैं। उनके मतानुसार जाति का जाति आदि अर्थात् जाति गुण क्रिया तथा द्रव्य चार के साथ विरोध हो सकता है, गुण का गुणादि अर्थात् गुण, क्रिया तथा द्रव्य तीन के साथ, क्रिया का क्रिया तथा द्रव्य दो के साथ और द्रव्य का केवल द्रव्य के साथ विरोध हो सकता है। इस प्रकार

तिरोध अलङ्कृत के दस भेद होते हैं।

॥१॥ जाति का जाति के साथ तिरोध

उदाहरण-

अभिनवनीलिनी किसलयमृणालवलयादि द्ववदहनसाँशः ।

सुभग । वृरङ्गं द्वृष्टोऽस्या विरोधवातस्त्वं तिरोगतिपाते ॥

हे सुभग । इतात् वृम्भारे तिरोगत्य त्रृप्ति के गिरने पर उस शैनायिकाँ के लिए नुतन कमलिनी के पत्ते और मृणाल के वलय आदि बूँदों उसकी मर्मों को शान्त करने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं।

प्रस्तुत उदाहरण में नीलिनी किसलय, मृणालवलय आदि जाति शब्द हैं और द्ववदहन भी जातिदायक शब्द है। यहाँ इन दोनों जातिदायक शब्दों का तिरोध है। नीलिनी किसलय या मृणालवलय कर्मी दहनस्त्र नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार यहाँ जाति का जाति के साथ तिरोध है। परन्तु नीलिनी किसलयादि में भी तिरहोददीपक तथा औपचारिक दहनत्व मानकर उस तिरोध का परिवार किया जा सकता है। इसीलिए यह तिरोध या तिरोधाभास अलङ्कृत के प्रथम भेद का उदाहरण है।

॥२॥ जाति का गुर्ज के साथ विरोध

उदाहरण--

गिरयोऽप्यनुन्नतियुज्ञो मरुदप्ययलोऽन्धयोऽप्यगम्भीराः ।

विश्वम्भराऽप्यतिलङ्घनरनाथ । तवान्तिके नियतम् ॥

है राजन्। आपके सामने वर्ते भी निश्चित रूप से छोटे हो जाते हैं, तायु भी अचल, समृद्ध भी गम्भीरता रहित और पृथ्वी भी निश्चय ही हल्की हो जाती है।

उपर्युक्त उदाहरण में गिरि आदि जातिदायक शब्द हैं तथा अनुन्नत्लादि गुणदायक शब्द हैं। यहाँ गिरि आदि जातिदायक शब्दों का जो अनुन्नत्वादि उपर्युक्त है उनमें जाति का गुण के साथ विरोध दिखाया उसका अभिभ्राय राजा की उन्नति के वर्णन से है। अतः विरोध का परिष्ठार हो जाने से वह विरोधाभास के द्वारे भेद का उदाहरण है।

३४ जाति का द्विया के साथ विरोध

उदाहरण—

येषां क्षणपरिगृह्णयितां तम्याप्य धाराधर-
स्तीक्ष्णः सौक्ष्यनुरज्यते च कमपि स्नेहं पराप्नोति च ।
तेषां लङ्घं रसङ्घं सक्तमनसां रातं त्वया धूषते ।
पांसूनां पटलैः प्रसाधनविधीर्निर्त्यते कौतुकम् ॥

है राजन्। आपकी जो तीक्ष्ण [निष्ठुर] तलवार [धाराधरः लङ्घं] है वह भी जिन [कौतुक राजाओं] के गले का आलङ्घन करके अनुरक्त [अनुरागशूक्त] और द्वितीय ओर [कौतुक से लाल] हो जाती है और किसी अपूर्व स्नेह [प्रेम] तथा रक्त से प्राप्त क्षय [चिक्कता] को प्राप्त हो जाती है। युद्धभूमि के लिए उत्सुक उन [राजाओं] को आप धूल में मिलाने का काम करते हैं यह आशर्य की बात है।

इस उदाहरण में धाराधर अर्थात् अङ्गूष्ठ जाति वाचक शब्द है और अनुरा० तथा स्नेह प्राप्ति रूप क्रिया दे ताथ विरोध दिग्बलाया गया है परन्तु उनका संविधानमर्कृत लोहित्य तथा यिन्तलणतापरक अर्थ तरने पर उस विरोध ला परिहार हो जाता है इसीलिए यह विरोध-अलङ्घन्ता० के तीसरे भेद ला उदाहरण है।

४३ जाति का द्रव्य के ताथ विरोध

उदाहरण -

शुज्जीति च जगदिदभवति च तंहरीति च छेलयैव यो नियतम् ।

अवसरतशतः शमरो जनार्दनः सोऽपि चित्रमिदम् ॥

जो इस जगत् को जनायास ही बनाते, रक्षा करते और विगाहते हैं वे जनार्दन भी कालदश मछली मृमतस्यावतारा० बन जाते हैं यह बड़े आश्चर्य की बात है।

इस उदाहरण में जो जनार्दन है वे मछली कैसे हो जाते हैं यह शमरत्व जाति का जनार्दन रूप द्रव्य से विरोध है परन्तु भगवान् की लीला से सब कुछ सम्भव है इसीलिए वे मत्स्यावतार भी धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से अर्थ करने पर उस विरोध का परिहार हो जाता है इस प्रकार यह विरोध-अलङ्घन्ता० के चौथे भेद जाति का द्रव्य के ताथ विरोध का उदाहरण है।

४५४ गुण ला गुण ने साथ विरोध

उदाहरण-

सततं मूसलातज्ज्ञा बहुतरगुहकर्मधिनया नृपते ।

तिष्पत्नीनां लठिनाः सति भृति कराः सरोजसुकुमाराः ॥

हे राजन् सदैव मूसल में लगे रहने ताले और नानाप्रकार के घर के कार्मों को करने से कठोर पड़े हुए ब्राह्मणों की स्त्रियों के हाथ आपके होने पर दमल के समान हो रहे हैं ॥ अर्थात् आपने ब्राह्मणों को इतना दान दिया है कि अब उनकी पत्नियों को कोई काम नहीं करना पड़ता है, इसलिए उनके हाथ दमल के समान कोमल हो गये हैं ।

उपर्युक्त उदाहरण में कठिनत्व और सुकुमारत्व गुणों का विरोध है। तथा आप के होने पर अर्थात् आपके दिश हुए दान के कारण अब उनकी पत्नियों को कोई काम नहीं करना पड़ता है इसलिए उनके हाथ सुकुमार हो गये हैं यह अर्थ करने पर उस विरोध का परिधर हो जाता है अतः यह विरोध अलङ्कार के पाँचर्ते भेद गुण का गुण के साथ विरोध का उदाहरण है ।

॥६॥ गुण का क्रिया के साथ विरोध

उदाहरण--

पेशलमपि खलृचनं दद्वितिरा मानसं सतत्त्वविदाम् ।

परुषमपि हृष्णनवाक्यं मलयज्जरसवद् प्रमोदयति ॥

हृष्ट पुरुषों का मधुर वचन भी ॥उस मधुर भाषण के ॥ रहस्य को समझने वालों के मन को अत्यन्त उन्तप्त करता है। और हृष्णन पुरुषों का कठोर वचन भी ॥उस कठोरता ॥ के रहस्य को जाननेवालों ॥ चन्दन के रत के समान आनन्दित करता है।

पृस्तुत उदाहरण में पेशलत्त और प्रस्तुत गुण हैं तथा दाढ़ और प्रमोदन क्रिया है। यहाँ पेशलत्व गुण का दाढ़ क्रिया के साथ आयाततः तिरोध होता है। और शिलाओं के बलत्त तथा स्तुतात्त ले तारा उज तिरोध का परिवार हो जाता है। अतः यह तिरोध अलङ्कार के ऊ भेद का उदाहरण है।

१७॥ गुण का द्रव्य के साथ तिरोध

उदाहरण--

क्रौंचाद्रिस्तदामदृष्टदृष्टोऽसौ यन्मार्गपानर्गलभातपाते ।

अभ्यन्वाम्भोजदलाभ्यातः स भार्गवः सत्यमपूर्वसर्गः ॥

बड़ी बड़ी कठोर शिलाओं से दृश्य यह क्रौंच नामक पर्वत भी जिन {परशुराम} के अप्रतीक्षित वध के समान तीक्ष्ण ताणों की वृष्टि से नवीन कमल के पत्ते के समान कोमल {सुभेष} हो गया ते भार्गव {परशुराम} समूच ही लोकोत्तर पूर्ण हैं।

उपर्युक्त उदाहरण में नोमलत्तगुण का क्रौंचाद्रिद्रव्य ले साथ आयाततः तिरोध प्रतीत होता है। परन्तु परशुराम के प्रताप से उह सुभेष हो गया रस स्पृष्ट से उस तिरोध का परिवार हो जाता है अतः यह तिरोध अलङ्कार के साततें भेद का उदाहरण है।

१८॥ क्रिया का क्रिया के साथ विरोध

उदाहरण--

परिच्छेददातीतः सकलवचनानामति ष्यः
पुनर्जन्मन्यैस्मन्ननुभवपथं योन गतान् ।

तिवेकमृधंसाद्युपचितमहामोहगहनो
विकारः कोऽप्यन्तेण । ति च तापं च कृस्ते ॥

कोई अद्भुत प्रकार का कामणी विकार, पितकी व्यापकता {अथवा समाप्त} का कोई ठिकाना नहीं है, जो विस्ती प्रकार शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता है, जो इस जन्म में और कभी अनुभव में नहीं आया, और विवेक का समूल नाश लरके महान् अलान दो बटाकर हुल्ध्य हो गया है इस प्रकार का कोई अनिर्दिनीय {कामस} ठिकार अन्तःकरण को तिवेकमृधन्यैषङ्कृ बना रहा है और सन्ताप दे रहा है।

इस उदाहरण में जड़ाति च तापं च कृस्ते इन दोनों क्रियायों ला तिरोध है। परन्तु तिरट के हैचूय से लालभेद से उसका तिरट कभी सन्तापाद्यक होता है और कभी उसकी सूक्ति आनन्दाद्यक हो जाती है यह अर्थ करने पर उस विरोध का परिहार हो जाता है अतः यह तिरोध अलङ्कार के आठवें भेद का उदाहरण है।

१७। क्रिया द्वारा द्रव्य के साथ विरोध

उदाहरण--

अर्यं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति
श्रिताऽस्माभिस्तृष्णातरलितमनोभिर्णलनिधिः ।

क सर्वं जानीरे निषकरपृष्ठीकोटरगतं
क्षणादेनं ताम्यतितमिमकरमापास्यति मूनिः ॥

यह {समुद्र} जल का सब {अपूर्व} या {सुख्य} आगार है और रत्नों का आकर है ऐसा समझकर हृष्णा से व्याकुल मन होकर हमने इतना आश्रय लिया था । पर वह कौनसों माहूम था कि उपने हाथ की उँगलि के लोने में समाये हुए और बड़े बड़े मगरमच्छ जिसमें तड़फूहा रहे हैं ऐसे इस {समुद्र} को {अगस्त्य} मूनि - निक देर में ही सोख जायेंगे ।

प्रस्तुत उदाहरण में अगस्त्यमूनि द्वारा समुद्र का पी जाना शापाततः अत्मव होने से पानक्रिया का अगस्त्य तथा समुद्रल्प दोनों द्रव्यों ने साथ विरोध प्रतीत होता है । अतः यह विरोध अलद्वकार के नौर्चे भेद का उदाहरण है ।

॥ 10 ॥ द्रव्य का द्रव्य के साथ विरोध

उदाहरण-

समदमतङ्गं जमदजलनिस्यन्दतरङ्गं णीपरिष्ठङ्गं त ।

क्षितितिलक । त्वयि तटङ्गीष शङ्कं रघुहापगापि कालिन्दी ॥

हे राजन् । आपके किनारे उपस्थित होने पर {अर्थात् गङ्गा-नदी} के किनारे आपकी सेना का पड़ाठ पड़ने से आपकी सेना के {मदयुक्त हाथियों} के मदजल के प्रवाह से उत्पन्न {मदधारा} की कृष्णवर्णी नदी के {धारा} में {मिल जाने} से {शिवजी} के मस्तक पर रहने वाली {गङ्गा-T} नदी भी {जल के कृष्णवर्ण हो जाने} से {यमुना बन गयी} है ।

इस उदाहरण में गङ्गा और यमुना नदी स्व द्रृत्यों का परस्पर तिरोध है। जो गङ्गा है वह यमुना नहीं हो सकती है परन्तु मदण्ड की इयामता से गङ्गा यमुना-सी अर्थात् गङ्गा भी यमुना की तरह इयाम हो जाती है, यह अर्थ करने पर उत्तर तिरोध का परिवार हो जाता है। अतः यह तिरोध अलङ्घार के दसरे भेद का उदाहरण है।

तिरोध अलङ्घार के उपर्युक्त दस भेदों का प्रतिपादन यद्यपि आचार्य पण्डितराज जगन्नाथ ने भी किया है, परन्तु उन्होंने विरोध अलङ्घार के विषय में अपने मत का उल्लेख करते हुए स्पष्ट स्वरूप से यह बात कही है कि तास्तव में जाति शूण आदि के आधार पर तिरोधमूलक अलङ्घार के जो भेद किए गये हैं उचित नहीं हैं क्योंकि इन भेदों में कोई विशेष चमत्कार नहीं है। अतः उसके तास्तविक भेद दो ही हैं-- १० शूद्र और २० श्लेष्ममूलक ।

तिरोध अलङ्घार के सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों का मत है कि छहों तिरोध का घोतक "अपि" आदि शब्द रहता है और छहों तिरोध शब्द कहलाता है और अन्य स्थानों पर अर्थात् "अपि" आदि तिरोधघोतक शब्द का प्रयोग जहाँ नहीं होता वह तिरोध "अर्थ" कहलाता है।

"शब्द" होने का तात्पर्य शब्द द्वारा होने वाली प्रतीति का विषय होना नहीं है। वास्तव में "शब्द" पद का यह अर्थ है कि जिसकी प्रतीति शब्द के द्वारा होती परन्तु यह बात विरोध के विषय में घटित नहीं होती अर्थात् अपि शब्द के रहने पर भी सर्वत्र विरोध की प्रतीति शब्द के द्वारा नहीं होती द्वादशरात्यर्थ "त्रयोऽप्यत्रयः" तीन तीन से भिन्न है अथवा तीनों ही अत्रिवंशीय हैं इत्यादि

स्थलों में अपर्ग न शब्दक न होने से विरोध का भान दी नहीं होता, अपितु ये शब्दभूत तीनों आदि भी यह निविचत शर्थ दी बात होता है। इन्हें यह भाव यह है कि इन स्थलों में विरोध की प्रतीति शब्द तारा नहीं होती शर्थात् वहाँ नियमतः शब्द तारा प्रतीति होने ताले विशेषण, विशेष्य और उन दोनों के सम्बन्ध इन तीनों में से लिसी है अन्दर विरोध समाविष्ट नहीं होता।

स्पष्ट रूप से यह कहा जा, सकता है कि द्वालकोऽपि पूराणमूर्खः "इत्यादि जो इन्द्र विरोध के उदाहरण हैं उनमें "पूराणमूर्ख" अपिशब्द के तिज, अर्थ तो लेकर ही अन्त्य छोड़क होता है यही कारण है कि वहाँ विरोध शब्द दहा जा सकता है। उपर्युक्त उदाहरण में बाल द्वालकत्त से इन्द्र पूराणमूर्खत्व ताले से अभिन्न है इस नान के अन्तर्गत जो विशेषण अंश है उसमें विरोध समाविष्ट होता है परन्तु "अयो-प्ययः इत्यादि जो उदाहरण हैं जिन्हें श्लेष्मुलक विरोध के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उनमें तो एवर्धक "अत्रि" पद के अनुकूलोत्पन्न रूप अविन्द्र अर्थ के साथ ही अन्वय छोड़ होता है, बल्कि "वित्तसंज्याविशिष्ट से भिन्न यह जो इन्द्र अर्थ है इस विन्द्र अर्थ के साथ अन्वय छोड़ नहीं होता है। अतः यहाँ तीनों अनुकूलोत्पन्न ते अभिन्न ऐसा ज्ञान होने पर विशेषण विशेष्य और संबंध में समाविष्ट न होने के कारण इस प्रकार के विरोध को शब्द विरोध नहीं कहा जा सकता।

अब जब यह बात स्पष्ट हो गयी कि अधि आदि शब्द के रहने पर भी कभी जगह विरोध शब्द नहीं होता तो यहाँ पर एक झङ्का उठना स्वाभाविक है कि "अपि" "आदि शब्द के रहने पर विरोध शब्द होता है यह बात जो कही गयी है यह कैसे संगत हो सकती है।

उपर्युक्त शंका का समाधान प्राचीन आचार्यों ने किया है उनके सतानुसार "मुप्तोऽपि प्रबृद्धः" "त्रयोऽप्यत्यः" इत्यादि जो उदाहरण हैं इन उदाहरणों में "मुप्त" तथा "प्रबृद्ध" इन दोनों पदों के तारा पढ़ते तो "शयित्त" और "जागरित्त" आदि इन दो धर्मों की उपस्थिति होती है जब इन दो धर्मों ने उपस्थिति होती है तो उन दोनों धर्मों में रहने वाला जो परस्पर तिरोध है उनके परस्पर के तिरोध की भी स्मृति हो जाती है ल्याँक यह नियम है कि यहाँ "त्रयोऽप्यत्यः" तथा "मुप्तोऽपि प्रबृद्धः" इत्यादि जो तिरोध के उदाहरण हैं इन उदाहरणों में उक्त, दोनों पदों के तारा "शयित्त" और "जागरित्त" आदि दोनों धर्मों की उपस्थिति होती है, जिसे तम्बन्धवान होता है द्विरोध सम्बन्ध है तथा उस सम्बन्ध के प्रति उक्त दोनों पर सम्बन्धी हैं और उनका जान ही सम्बन्धवान है। उन दोनों तम्बन्धयों के मध्य अपि शब्द के सामिक्ष्य से द्विरोध का भी स्मरण हो जाता है।

इस प्रकार "शयितत्त्व" और "जागरितत्त्व" एक अधिकरण में नहीं रह सकते इस प्रकार ने प्रतिबन्धक जान के तारा, जो प्रबलतर है "यह दोनों धर्म परस्पर तिरुद्ध हैं इस तरह का तिरोध-तिष्ठक बोध ही पहले होगा। यह बोध यद्यपि अभिधिक नहीं होता, बल्कि यह मानविक या हैयंजनिक होता है। इस प्रकार तिरोधबोध से प्रतिबद्ध हो जाने के कारण "शयितत्त्व" और "जागरितत्त्व" में अमेद भेद नहीं होने पाता। फिर प्रबृद्धपदगत द्वितीय अभिधा से प्राप्ति किया गया द्वितीय अर्थ-प्रकृष्टज्ञानवत्त्व को लेकर अन्वय बोध होता है और तिरोध समाप्त हो जाता है अथवा विरोधज्ञान का मूल शिथिल पड़ जाता है फिर भी कवि का प्रयास इस

विरोध के उत्थान के लिए ही हुआ रहता है। इसीलिए वह विरोधकान चमत्कार का कारण होता है।

नवीन आचार्यों के मतानुसार दो अर्थों के प्रादृभावि के बिना विरोधाभास हो ही नहीं सकता और उन दोनों अर्थों में से भी एक अर्थ विरोध को उत्पन्न करने लाला होता है और दूसरा अर्थ इसको उपनिषद् करने लाला होता है। अतः वह अन्त्यबोध का विषय होता है। यह बात निर्दिष्टाद है परन्तु दूसरा अर्थ दो अन्वय बोध का विषय होता है उसमें विरोध को उत्पन्न करने लाला पहला अर्थ भी अभिन्न रूप से आसित होता रहता है। यद्यपि जो पहला अर्थ है वह दूसरे अर्थ से भिन्न होता है परन्तु लेख के लारण वह अभेदाधि सित हो जाता है और इस प्रकार अतिरुद्ध दूसरे अर्थ को लेकर अन्त्य बोध होने पर भी पहले उपस्थित हुआ जो विरोधी अर्थ है वह पूर्णतया निवृत्त नहीं होता, बल्कि वह विरोध भी साँस लेते हुए अर्धमृत त्यक्त के उमान मानस बोध का विषय बन जाता है। यही कारण है कि वह चमत्कारी कहा जाता है।

पुराणीन आचार्यों की भी ऐसी मान्यता है कि जो विरोध तर्वया निवृत्त हो जाये वह चमत्कार नहीं उत्पन्न कर सकता और जो चमत्कार नहीं उत्पन्न कर सकता वह अलङ्घनार नहीं हो सकता अर्थात् चमत्कारजनक न होने के कारण उसकी गणना अलङ्घनार के रूप में नहीं हो सकती। अतः विरोध के स्थल में यही बात उपस्थित लगती है कि न तो विरोध पूर्णतया समाप्त ही होता है और न अन्त तक दृढ़ ही बना रहता है।

इस प्रकार प्राचीन आचार्यों और नवीन आचार्यों के मत में यह ही मुख्य मेद है कि प्राचीन आचार्यों के तानुसार अन्वयबोध के पश्चात् तिरोधकान पूर्णतया नमाप्त हो जाता है परन्तु नवीन आचार्य ऐसा नहीं मानते उनके मतानुसार तिरोध कान न तो पूर्णतया नमाप्त ही होता है और न ही वह अन्त तक बना जी रहता है अर्थात् उज तिरोध नी आत्मनितक निवृत्ति भी नहीं होती है।

अप्यगृहीक्षित ने हृष्टलयानन्द में तिरोध अलङ्घन्त ला ऐसा उदाहरण प्रस्तृत किया है जिसमें उत्क्षेपा की प्रधानता है।

उदाहरणार्थ-

प्रतीपभौरैव किं ततो भिया तिरुदधर्मरपि भेत्तृतोऽिङ्गता ।

अमित्रजित्विन्मत्रजिदोषता स यज्ञिष्यारहृक् चारहृगप्यतर्तत ॥

"क्या तिरोधी राषाञ्जों की तरह इस राजा नल से डरकर परस्पर तिरोधी शुणों ने भी अपना तिरोध छोड़ दिया? क्योंकि राजा नल अपने तैज से मित्रजित् भी था साथ ही अमित्रजित् भी और चारहृक् भी था साथ ही विचारहृक् भी।

उपर्युक्त उदाहरण में जो व्यक्ति मित्रजित् है वह अमित्रजित् कैसे हो सकता है, साथ ही जो व्यक्ति चारहृक् है, वह तिष्यारहृक् । तिगत्यारहृक्, चारहृक् से तिहीन् कैसे हो सकता है, अतः यह तिरोध है। लेकिन इस तिरोध की प्रतीति केवल आपाततः ही है। यहाँ मित्रजित्व और अमित्रजित्व परस्पर तिरोधी धर्म हैं तो दोनों धर्म एक में नहीं रह सकते, अर्थात् जो शुणों को जीतने लाला है वह

गिर्वाँ को जीतने लाला नहीं हो सकता। इस तरह से विरोध की प्रतीति होती है। इस विरोध का समाधान इस अर्थ से होता है— राजानल ऐसे से सुर्य तथा गवु राजा दोनों लो जीतने लाला है इसी प्रकार “आरदृढ़” से भी लालि का तात्पर्य यह है कि राजा नल “गुप्तचरों” की आँखें लाला था तथा तिचारदृढ़ का यह अर्थ है कि राह तिचार ली आँखें लाला था। इसका यह अर्थ नहीं है कि राह गुप्तचरों ली दृष्टि लाला था तथा उनली दृष्टि से रहित भी था। इस प्रकार विरोध का परिष्कार हो जाने पर इस अंश वा तास्तविक अर्थ है— राजा नल समस्त राज्य की स्थिति ला निरीक्षण गुप्तचरों ने द्वारा किया करता था तथा हर निर्णय में विचारहृदि से काम लेता था।

इस पद के प्रारम्भ भाग में जो उत्प्रेक्षा है वह विरोध समाधानीतिका है। लहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ दिनद्व धर्मों के द्वारा विरोध त्याग की सम्भावना ही मानो विरुद्ध धर्मों ने भेदकता त्याग दी। इस रूप में हीने लाली उत्प्रेक्षा है और इस उत्प्रेक्षा से विरोध का समाधान ही हो जाता है। अतः यहाँ पर विरोधत्याग की बात का ऐसे ही पता लगता है धर्मों में विरोध ही नहीं रह जाता। यदि इस प्रकार की उत्प्रेक्षा बाद में की जाय तो उससे पहले विरोध का आभास हो भी सकता था परन्तु यहाँ तो पद के प्रारम्भ में ही उत्प्रेक्षा आ गयी है जिसके कारण विरोध का उत्थान ही नहीं होने पाता। फलतः जिस विरोध का उत्थान नहीं होता वह घमत्कार भी नहीं उत्पन्न कर सकता और घमत्कार उत्पन्न किये बिना वह अलझ़्कार भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार पण्डितराण जगन्नाथ ने लुटल्यानन्दकार अप्यय दीक्षित के मत का अनुठन करते हुए स्पष्ट स्पष्ट से यह बात

होती है कि तिरोध अलङ्कार नहीं पर माना जा सकता है यहाँ परने तिरोध की प्रतीति हो तथा तिरोध की प्रतीति होने के बाद द्वितीय का बोध हो जाने पर उस तिरोध का परिचार हो जाय। उनके मतानुसार अप्यय दीक्षित ने तिरोध अलङ्कार का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उस उदाहरण में जिस उत्प्रेक्षा का आश्रय लेना पड़ता है उस उत्प्रेक्षा की ही प्रधानता है। अतः वह उत्प्रेक्षा प्रधान होने के कारण तिरोध उत्पन्न ही नहीं होने देती। इसीसे यहाँ किसी प्रकार का तिरोध ही नहीं उत्पन्न होता तो वहाँ तिरोध अलङ्कार हो ही नहीं सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि "प्रतीयम्": इत्यादि उपर्युक्त उदाहरण में तिरोध अलङ्कार नहीं है बल्कि उत्प्रेक्षा ही है या यह कहा जा सकता है कि यहाँ तिरोधालंकार उत्प्रेक्षा ना अङ्ग है। अलङ्कृतिपूर्ण गद्य-पद्य की रचना करने ताले कठियों में तिरोध अलङ्कार बहुत प्रिय हआ और उन्होंने उका घमत्कारपूर्ण प्रयोग कर काट्य में इस श्लेष्म सौन्दर्य की सुनिट की। बाणभट्ट ने काम्बरी में श्लेषानुप्राणित तिरोध के सैकड़ों घमत्कारी प्रयोग प्रदर्शित किये हैं। अन्य गद्य-पद्य-कठियों ने भी अन्य अलङ्कारों के अतिरिक्त तिरोध अलङ्कार के साथ श्लेष का प्रयोग कर काट्य में सौन्दर्यसूचित की है। हस्तुतः श्लेष तिरोधाभास की उद्भावना में अत्यधिक सहायक है। जैसे काम्बरी का प्रस्तुत उदाहरण द्रष्टव्य है—

"अपरिमित बदल पत्रसंचयापि तप्तपर्णमूर्खिता, क्लूरतत्पापि मुनिष्वन्ते वित्, पृष्ठ-वत्यपि विवित्रा विन्ध्याटवी नाम्।" यहाँ विन्ध्याटवी के प्रसङ्ग में तप्तपर्ण सत्त्व एवं पृष्ठवत्ती शब्दों की शि शिलष्टता यहाँ तिरोध को व्यक्त करने में सहयोग दरती है। आपाततः विन्ध्याटवी में स्त्रीत्व के स्वरूप में पृष्ठवत्ती होकर भी

परिव्रत्र होने में विरोध उपस्थित होता है, पद पर यह विरोध विन्द्याटवी का दन के रूप में "फूलों से भरी" माला टैकलिपक अर्थ लेकर विरोध का परिहार होता है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि विरोधमूलक अलङ्कारों में विरोध प्रमुख अलङ्कार है। यही कारण है कि सभी आचार्यों ने विरोधमूलक अलङ्कारों के निष्पत्ति में सर्वप्रथम विरोध अलङ्कार का निष्पत्ति किया है। विरोध अलङ्कार का मूल तत्त्व विरोध ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि कुछ आचार्यों ने विरोध की उकित को अलङ्कार माना है तथा कुछ ने विरोध की प्रतीति को। कुछ आचार्यों ने इसे विरोध अलङ्कार के नाम से स्वीकार किया है तथा कुछ ने विरोध की आभासत्वेन प्रतीति होने के कारण इसे विरोधाभास अलङ्कार की संका से भी अभिहित किया है। अस्तुतः विरोध की उकित हो अथवा प्रतीति, वह विरोध अलङ्कार ही है। इसी प्रकार नाम की द्वीष्ट से विरोध अपलाविरोधाभाव के अभिधान में दोई अन्तर नहीं है क्योंकि अन्ततः इस अलङ्कार में विरोध का आभास पा मिथ्या प्रतीति ही होती है। विरोध के इस तत्त्व को मूल रूप में ग्रहण कर उकित दैर्घ्य के अन्यान्य अनेक प्रकार तिकसित हुए, काव्य में उनके प्रयोग प्राप्त होते रहे और काव्यशास्त्री आचार्यों ने भी उनके विविध प्रकारों को ग्रहण कर अनेक अलङ्कारों के नये-नये नाम और रूप खोज डाले। अन्य अलङ्कारों के रूप में इन्हीं अलङ्कारों का आगे के अध्यार्यों में विवेचन है और उनमें प्राप्त होने वाले अलङ्कारों में विविध भूमिकाओं को धारण कर विरोध अलङ्कार रूप शैल्य ही विविध रूपों में व्याप्त हो रहा है।

गद्यर्थ ग्रन्थालय
अल्हृ. तर-विदेश
विभावना
विशेषोक्ति
कारणातिशयोक्ति

चतुर्थ - अध्याय

विभावना अलङ्कृत -

विभावना विरोधमूलक अलङ्कृत है। कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति विभावना है। विभावना अलङ्कृत का लक्षण सर्वप्रथम आचार्य भामह ने प्रस्तृत किया। उनके मतानुसार वहाँ क्रिया का प्रतिषेध होने पर भी उत्तर क्रिया के फल का प्रकट होना चार्षित हो वहाँ विभावना अलङ्कृत होता है। दण्डी ने भी जहाँ शुक्रिया कार्य के लोकप्रियता कारण का अभाव दिखाकर {उस कार्य के प्रतीत} मिस्री अन्य कारण की विभावना की जाय अथवा स्वभावप्रियता की कल्पना की जाय, वहाँ विभावना मानी है। उद्भट, वामन, कृन्तक आदि तभी आचार्यों ने भामह द्वारा स्वीकृत विभावना अलङ्कृत के लक्षण को ही स्वीकार करते हुए कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति को विभावना अलङ्कृत माना है। मम्मट ने भी कारण ना विषेध होने पर भी फल नी उत्पत्ति को विभावना अलङ्कृत का लक्षण माना है--

क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलत्यकितर्विभावना ॥

कारण का {अभाव या} निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति {ला वर्णन} होने पर विभावना {अलङ्कृत} कहलाता है।

उदाहरणार्थ--

कृष्टमितलताभिरहताऽप्यथत्त स्वमलिलैरदष्टापि ।

परिवर्तते स्य नीलनीलहरीभिरलोलिताप्यद्वृष्टि ता ॥

बिली हुयी लताओं से ताड़ित न होने पर भी वह इनायिका पीड़ा को प्राप्त हो रही थी, भूमर छुल से न काटे जाने पर भी तड़प रही थी और कमलिनियों से घुक्त लहरों के चक्कर में पड़े बिना भी चक्कर आ रही थी।

उपर्युक्त उदाहरण में लताओं की चौट पीड़ा का कारण हो सकती थी और भूमर का काटना तड़पने का कारण हो सकता था तथा कमलिनियों का लहरों के चक्कर में फँस जाना भी चक्कर आने का कारण हो सकता था। परन्तु जितने भी कारण बताये गये हैं उपर्युक्त कारणों के विषमान न होने पर अर्थात् उन कारणों का निषेध होने पर भी कार्य की उत्पत्ति दिखाई गयी है अर्थात् कार्य का प्रकाशन दिखाया गया है। इसीलिए यह विभावना अलङ्कार का उदाहरण है।

स्थियक ने भी कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति के वर्णन को विभावना माना। पण्डित राज जगन्नाथ ने भी मम्मट के ही मत का अनुसरण करते हुए कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति को विभावना मानकर उसका लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

कारणात्यतिरेक्समानाधिकरण्येन प्रतिपाद्यमाना कार्यात्पत्तिर्विभावना ॥

जिस अधिकरण में जो कारण रहता है उस अधिकरण में उस कारण का कार्य उत्पन्न होता है। परन्तु जिस अधिकरण में जो कारण नहीं है उस अधिकरण में यदि उस कारण के कार्य की उत्पत्ति वर्णित हो तब उस कार्यात्पत्ति को विभावना अलङ्कार कहा जाता है।

विभावना अलङ्कृत के उपर्युक्त लक्षण का विवेचन करने से यह बात स्पष्ट होती है कि इस विभावना में कारण का अभाव रहने पर भी जो कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है उसमें यद्यपि आपाततः विरोध की ही प्रतीति होती है अर्थात् कारण के बिना कार्य का होना यद्यपि यह बात विस्तृ प्रतीत होती है परन्तु जिस कारण का अभाव कहा गया है उससे भिन्न कारण की अर्थात् कारणान्तर की कल्पना कर लेने पर वह विरोध समाप्त हो जाता है। उदाहरणार्थ-

विनैव शस्त्रं हृदयानि यूनां विवेकभाजामपि दारयन्त्यः ।

अनन्तमायामयवल्गुलीला जयन्ति नीलाब्धलायताद्यः ॥

अपरीक्षित मायामय मनोदर लीलाओं से युक्त नीलकमल-दल के समान विशाल नयनों वाली वे रमण्याँ संसार में सबसे उत्कृष्ट हैं, जो शस्त्र के बिना ही विवेक्युक्त युवकों के हृदयों को विदीर्ण कर देती हैं।

उपर्युक्त उदाहरण में दारण रूप कार्य का शस्त्र कारण है परन्तु शस्त्र के अभाव में भी दारण का वर्णन हुआ है अतः यहाँ आपाततः विरोध की प्रतीति होती है परन्तु बाद में दारण के कारण रूप में कामिनी-विलासों की कल्पना कर लेने पर वह विरोध समाप्त हो जाता है।

प्रस्तुत उदाहरण में जिस कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है उसके कारण रूप में सर्वजनविदित वस्तु का अभाव ही नहीं प्रतीत होता और जिस कार्य के कारण का अभाव प्रतीत होता है उस कार्य की उत्पत्ति का वर्णन ही नहीं हुआ है। कहने का भाव यह है कि उपर्युक्त उदाहरण में "दारयन्त्यः" पद से

कामजनित पीड़ाविशेष स्पृह दारण का कथन अभीष्ट है "दो टुकड़े कर देना" यह अर्थ अभीष्ट नहीं है अतः यहाँ पर कामजनित पीड़ाविशेष स्पृह जिस कार्य की उत्पत्ति वर्णित है। यद्यपि यहाँ पर जो पीड़ाविशेष स्पृह कार्य है उस कार्य के कारण के अभाव की प्रतीत होती रहती तो यहाँ पर विभावना होती परन्तु यहाँ तो शस्त्र स्पृह कारण का अभाव ही प्रतीत होता है और शस्त्र जो है वह पीड़ाविशेषात्मक अर्थात् पीड़ा विशेष के स्पृह में वर्णित कार्य का कारण नहीं है यह शंका होती है। इस शंका के समाधान में यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर "दो टुकड़े कर देना" स्पृह अर्थ के वाचक "दारि" धातु की कामभावजन्य पीड़ा विशेष स्पृह अर्थ में साध्यवासाना लक्षण हुयी है। यही कारण है कि यहाँ दारण के दो अर्थ हैं- पहल दो टुकड़े कर देना और दूसरा "कामजनित पीड़ाविशेष"। इसमें पहला बाला अर्थ अर्थात् "दो टुकड़े कर देना" मुख्य अर्थ है और दूसरा "कामजनित पीड़ाविशेष" गौण अर्थ हुआ। इस प्रकार यहाँ पर गौण तथा मुख्य दारणों में सादृश्यमूलक अभेदाध्यवसाय स्पृह अतिशय के कारण जो भेद है वह नहीं हो पाता है क्योंकि "दो टुकड़े कर देना" और "कामभावजन्य पीड़ा विशेष" में दोनों अर्थ अभिन्न समझ लिए जाते हैं तो एक का जो कारण है उसी को दूसरे का भी कारण समझना पड़ता है कहने का तात्पर्य यह है कि शस्त्र जो कि वास्तव में "दो टुकड़े कर देने" का कारण था उसे ही कामपीड़ा का भी कारण समझा जाता है। अतः यहाँ शस्त्र स्पृह कारण के अभाव में शास्त्र स्पृह कारण के कार्य कामपीड़ाविशेष का वर्णन होने के कारण विभावना अलगूना है।

उपर्युक्त विवेचन से यह भी बात स्पष्ट हो जाती है कि विभावना अलङ्कृत में सर्वत्र कार्यांश में अभेदाध्यवसान स्पष्ट अतिशयोक्ति अनुप्राप्ति के स्पष्ट में विघ्नमान रहती है। स्पष्ट स्पष्ट से यह बात कही जा सकती है कि विभावना अलङ्कृत के कार्यांश में दो वस्तुएं रहती हैं और वे दोनों ही वस्तुएं अतिशयोक्ति के द्वारा एक बना दी जाती हैं। वस्तुतः कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होती है यह बात विस्तृप्रतीत होती है। अतः ऐसी अवस्था में तो कारणभाव और कार्य इन दोनों में बाध्य-बाधक भाव होगा। इस शंका का समाधान करते हुए परिणितराज जगन्नाथ ने स्पष्ट स्पष्ट से यह बात कही है कि कार्य अंश कारण-भाव स्पष्ट विरोधी का बाध्य स्पष्ट से स्थित रहता है, बाधक स्पष्ट से नहीं-अर्थात् कारणभाव के द्वारा बाधित स्पष्ट में कार्यांश की प्रतीति होती है, क्योंकि कार्य अंश यहाँ उक्त रीति से कील्पित रहता है और कारण का अभाव स्वभावसिद्ध अर्थात् वास्तविक रहता है। कार्यांश के ही बाधित होने के कारण विभावना अलङ्कृत विरोध अलङ्कृत से भिन्न माना जाता है।

I- कारणभाव-कार्ययोर्विलद्योर्वर्णने बाध्य-बाधक भावः स्वाभाविक इति तत्र "कारणभावो बाधकः कार्य बाध्यम्, उत कार्यमैव बाधकम् कारणभाव स्वं बाध्यः" इति षिक्षासायां ग्रन्थकारो वक्ति यत्कारणभाव स्व बाधकः कार्य च बाध्यम्, यतः कार्यांशः पूर्वोक्तरीत्या कील्पतस्तिष्ठति कारणभावश्च वास्तविक इति।

स्थियक की ही भौति परिणतराज जगन्नाथ ने भी विभावना का अनुप्राणक अतिशयोक्ति अलङ्घनार होता है यह बात स्त्रीकार की है परन्तु विभावना में सर्वत्र अतिशयोक्ति ही अनुप्राणक हो यह बात नहीं है परन्तु आदार्य अभेद छुट्ठि मात्र ही सर्वत्र अनुप्राणक है इतना अवश्य है कि वह आदार्य अभेद छुट्ठि कहीं अतिशयोक्ति के द्वारा होती है और कहीं रूपक के द्वारा। कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आधर्या अभेद छुट्ठि मात्र विभावना की पोषिका होती है। वह आदार्य अभेद ज्ञान कहीं अतिशयोक्ति से होता है तो कहीं रूपक से ।

इस प्रकार प्रायः सभी आचार्यों ने कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति को विभावना अलङ्घनार का लक्षण माना है। स्थियक ने इसके उक्तनिमित्ता तथा अनुक्तनिमित्ता इन दो भेदों की कल्पना की, परन्तु कृत्यानन्दकार अप्ययदीक्षित ने इसके छः भेदों की कल्पना की जो इस प्रकार है—¹

१० विभावना विनापि स्याद्वकारणं कार्यजन्म पैत् ।

अप्यलाक्षारसासिलं रक्तं तत्त्वरपेहयम् ॥

अर्थात् जहाँ प्रसिद्ध कारण के बिना भी कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाय वहाँ विभावना अलङ्घनार होता है। ऐसे— उस सुन्दरी के चरण लाक्षारस के बिना भी लाल हैं।

उपर्युक्त उदाहरण में लाक्षारस स्प कारण के अभाव में भी चरणों की लाली का वर्णन किया गया है। अतः यह विभावना अलङ्कृत के प्रथम भेद का उदाहरण है। प्रस्तुत उदाहरण में चरणों की लाली नैसर्गिक है। अतः कारणाभाव में कार्य की उत्पत्ति के विरोध का परिवार हो जाता है।

देत्तुनामसमग्रत्वे कार्योत्पत्तितश्च सामता ।

अस्त्रैरतीद्यनकीठैर्णगज्जयति मन्मथः ॥

द्वासरी विभावना वहाँ होती है जहाँ किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए आवश्यक समग्र कारणों में से किसी कारणविशेष के अभाव में ही कार्योत्पत्ति हो जाय, अर्थात् जहाँ किसी कार्य के प्रति ऐसे ही कारण न हो, अनेक कारण विधमान हो और उन अनेक कारणों में से किसी भी कारण के उपस्थित न होने पर भी कार्य हो जाय। उदाहरणार्थ- कामदेव तीक्ष्णता तथा कठिनता से रहित पूष्प के आयुर्ण से ही संसार को जीत रहा है।

उपर्युक्त उदाहरण में संसार के विजय स्प कार्य के लिए अस्त्रों का कारणत्व समग्र स्प में वर्णित नहीं है अर्थात् अस्त्र और तीक्ष्णता तथा कठिनता में से केवल अस्त्रों का विधमान होना, उन अस्त्रों में तीक्ष्णता तथा कठिनता का न होना कारणों का पूर्ण न होना है अर्थात् समस्त कारणों का अभाव है क्योंकि मन्मथ के अस्त्रों में तीक्ष्णता तथा कठिनता का अभाव बताया गया है परन्तु उसके अभाव में भी संसार पर विजय स्प जो कार्य है रहा है अतः यह विभावना अलङ्कृत के प्रथम भेद का उदाहरण है।

कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्यात् सत्यपि प्रतिबन्ध के।

नरेन्द्रानेव ते राजन् । दशत्यसिमुग्ङ्मः ॥

जहाँ कारण से कार्योत्पत्ति होने में किसी प्रतिबन्धक शूलकावटः की उपस्थिति होने पर भी अर्थात् किसी प्रतिबन्ध के रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाय तो तीसरे प्रकार की विभावना होती है, जैसे, हे राजन् तेरा छहग्रस्पी सर्प विष्टैर्धो नरेन्द्र, राजार्भाँशु को ही डसता है।

उपर्युक्त उदाहरण में नरेन्द्र शब्द से श्लेष के द्वारा उन विष्टैर्धों का जो सर्पदंश को रोकने वाला मणिमंत्रवैष्णवीय से युक्त होते हैं ग्रहण किया गया है। प्रस्तुत उदाहरण में "सर्प" नरेन्द्रों को ही डसता है। अतः यह प्रतिबन्धक के होते हुए कारण से कार्य की उत्पत्ति का उदाहरण है।

अकारणात् कार्यजन्म चतुर्थी स्याद्विभावना।

शङ्कुष्टीणानिनादोऽयमुदेति मध्ददृतम् ॥

जहाँ प्रसिद्ध कारण से भिन्न वस्तु अर्थात् अकारण से भी कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ चौथी विभावना होती है। जैसे, बड़े आशर्थ की बात है कि शंख से वीणा की झंकार उत्पन्न हो रही है।

उपर्युक्त उदाहरण में शंख से वीणा की झंकार उत्पन्न हो रही है। वीणा-निनाद का कारण तो वीणा ही हो सकती है, "शंख" से तो वीणा की झंकार नहीं सकती "शंख" तो उसका अकारण है। वीणा के अभाव में शंख से वीणा

की झंकार उत्पन्न होने का वर्णन है। अतः यहाँ अकारण से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होने के कारण यह विभावना अलङ्कृत के चतुर्थ भेद का उदाहरण है यहाँ नायिका के कण्ठ से वीषा की झंकार के समान गीत उत्पन्न हो रहा है यह अर्थ करने पर उत्पन्न हुए विरोध का परिवार हो जाता है।

विस्फ्रात् कार्यसंपत्तिर्दृष्टा काषीषद्विभावना।

शीतांशुकिरणास्तन्वीं दन्त संतापयन्त ताम्॥

जहाँ विरोधी कारण से कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ द्वसरे ढंग की शूपांचर्चे प्रकार की॥ विभावना होती है। जैसे, बड़ा द्रुःख है, उस कोमलांगी की घन्द्रमा की शीतल किरणें सन्तप्त करती हैं।

उपर्युक्त उदाहरण में घन्द्रमा की किरणें शीतल होती है अतः वे ताप को मिटाती हैं, ताप को मिटाने के कारण वे ताप विस्फ्रात् हैं किन्तु यहाँ उन किरणों से ताप का उत्पन्न होना ही वर्णित किया गया है। अतः यहाँ विरोधी कारण से कार्य की उत्पत्ति होने के कारण यह विभावना अलङ्कृत के पांचवें भेद का उदाहरण है।

कार्यात् कारणन्मापि दृष्टा काषीषद्विभावना।

यशः पयोराशिरभूत् करकल्पतरोत्तव॥

कार्य से कारण की उत्पत्ति होने पर भी एक प्रकार की ॥छठे प्रकार की॥ विभावना देखी जाती है, जैसे, हे राजन्, तुम्हारे हाथ स्पी कल्पतृष्ण से यश का क्षीर समृद्ध पैदा हो गया।

प्रस्तुत उदाहरण में "पयोधि" कल्पवृक्ष का वास्तविक कारण है। परन्तु यहाँ कल्पवृक्ष को पयोधि का कारण बना दिया गया है। अतः यहाँ कार्य से कारण की उत्पत्ति ला वर्णन होने के कारण यह विभावना अलङ्कृत के छों भेद ला उदाहरण है।

पीण्डितराज जगन्नाथ ने हृष्णवानन्दकार अप्यय दीक्षित के उक्त छों भेदों का वर्णन किया है। उनके मतानुसार अप्यय दीक्षित ने विभावना अलङ्कृत का कोई सामान्य लक्षण नहीं दिया है जिससे कि यह बात स्पष्ट हो सके कि उक्त भेदों को ऐसका भेद मानें। जिस प्रकार भेद होने पर सादृश्य को उपमा कहते हैं "उपमान और उपमेय के अभेद को रूपक कहते हैं" अर्थात् उपमा रूपक आदि के सक-सक मुञ्चय तक्षण बताये गये हैं तत्परताव उनके पूर्णा, ब्रुप्ता, सावयव, निरवयव आदि भेद बताये गये हैं उसी प्रकार यहाँ तामान्य विभावना का कोई लक्षण नहीं दिया गया है जिसके विभावना के उक्त प्रकार सिद्ध हो सकें। अतः इस प्रकार तो फिर कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति यह विभावना अलङ्कृत का सामान्य लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इसकी गणना विभावना के सक प्रकार के स्पर्श में की है। यदि उक्त भेद को भेद नहीं माना जायेगा तो तीसरी और चौथी विभावना की भी सार्थकता नहीं होगी। यदि अतिशयोक्ति आदि के समान यहाँ भी उक्त प्रकारों में से कोई सक का होना यह इसका सामान्य लक्षण मान लिया जाय तो भी त्यक्तस्था नहीं होन पाती क्योंकि प्रथम में कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति होती है यहाँ पर कारण का तैसा ही अभाव कहना अभीष्ट है जिसकी प्रतीयोगिता कारणावच्छेद की भूत संबन्ध और धर्म के अवच्छन्न हो। उसी तरह द्वितीय प्रकार में भी द्वेषार्थों का समग्र स्पर्श से उपस्थित न होना भी एक तरह से कारणाभाव

ही है। अतः प्रथम प्रकार से तीव्रीय प्रकार में कोई लिलक्षणता नहीं है। इसी प्रकार तृतीय प्रकार अर्थात् प्रतिबन्ध के रहने पर भी कार्यात्मकता इसी प्रतिबन्ध का रहना भी कारण का अभाव ही है क्योंकि प्रतिबन्धाभाव कार्य मात्र के प्रति कारण है। यहाँ प्रतिबन्धक रहेगा वहाँ कारण का अभाव होना निश्चित ही है। अतः विभावना अलङ्कार के तृतीय प्रकार की भी प्रथम प्रकार से अभिन्नता सिद्ध ही हो गयी। विभावना अलङ्कार के द्वार्थ भेद में भी कारण से कार्य की उत्पत्ति रहने में भी आर्थ कारणाभाव है अर्थात् यहाँ भी अर्थात्: कारणाभाव का तो जान हो जाता है क्योंकि "यह तीणा की धृतिं शङ्खं से हो रही है" ऐसा लहने पर "दीणा ते तिना चीणा धृतिं हो रही है इसी अर्थ की प्रतीति होती है। अतः यहाँ भी अर्थकारणाभाव है। यहाँ भी कारणाभाव में कार्यात्मकता होने से प्रथम प्रकार की विभावना से कोई लिलक्षणता नहीं है यहाँ भी प्रथम प्रकार की विभावना सङ्कृत हो जाती है। इसी प्रकार छठे भेद में भी कारणाभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

इस प्रकार पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्यय दीक्षित के उपर्युक्त उः भेदों का वर्णन किया है। उनके मतानुसार अप्यय दीक्षित हारा बताये गये तभी विभावना प्रकार प्रथम प्रकार में तो अन्तर्गृह दीक्षित हो जाते हैं अर्थात् विभावना के प्रथम प्रकार में ही जब प्रकारों का संग्रह हो जाता है। इस प्रकार जब एक दीक्षित से अन्य तभी प्रकारों का संग्रह हो जाता है तो उन्हें पृथक्-पृथक् रूप में कहना यूकितसंगत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात भी कही है कि क्षुब्धलयानन्द के समर्थक में यह बात कही जा सकती है कि "कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति यह विभावना अलङ्कार का सामान्य लक्षण है और इसके सर्वप्रथम दो भेद होते हैं—

१० शाब्दी तिभावना {जहाँ शब्दतः कारण के अभाव का प्रतिपादन हो }

२० आर्थी तिभावना {जहाँ कारण का अभाव अर्थात् नात हो}।

शाब्दी तिभावना के भी तीन भेद किये जा सकते हैं-

- १० प्रतिबन्ध कातिरिकत- कारणाभाव वर्णन-पूर्वक अर्थात् जिसमें कारण के अभाव का वर्णन प्रतिबन्धक के स्वयं में न होकर कारण स्वयं वस्तु के अभाव का वर्णन हो।
- २० कारण वस्तु के रहते हुए भी कारणाभाव तिभेष्टा के अभाव में कार्य ली उत्पत्ति नहीं हो सकती उस तिभेष्टा की कमी {अभाव} का कथन कारणता का अलच्छेदक धर्म होगा और कहीं कारणतावच्छेदक तम्बन्ध।
- ३० प्रतिबन्धक को उकित पूर्वक- अर्थात् प्रतिबन्धक के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होने पर।

इसी प्रकार आर्थी तिभावना के भी तीन भेद बताये हैं-

- १० प्रस्तुत कार्य के सामान्य कार्य के कारण से प्रस्तुत कार्य की उत्पत्ति।
- २० प्रस्तुत कार्य से विरुद्ध कार्य के कारण से प्रस्तुत कार्य की उत्पत्ति।
- ३० अपने कार्य से ही प्रस्तुत कार्य की उत्पत्ति।

पण्डितराज जगन्नाथ के ही मतानुसार मुख्य स्वयं से तिभावना अलङ्घन्ति के दो भेद होते हैं---

१. उक्तनिमित्ता विभावना
२. अनुकृत विमित्ता विभावना

उक्तनिमित्ता विभावना -

जहाँ कारणभाव से कार्यात्पीति का वर्णन लगतेहुए उस कार्य का पृथक् कारण भी कह दिया जाय वहाँ उक्तनिमित्ता विभावना होती है।

उदाहरणार्थ--

यद्यपि विलासभवन यौवनमूदियाय चन्द्रवदनायाः ।
दृष्ट ठिनैव तदर्थैष युनां हृदयानि दह्यन्ते ॥

जब से विलासीं का भवन चन्द्रमुखी नायिका का यौवन उदित हुआ तब से अग्नि के बिना ही युवकों के हृदय दग्ध हो रहे हैं।

उपर्युक्त उदाहरण में अग्नि के बिना ही दाह का वर्णन किया गया है। परन्तु उस दाह के प्रति अग्नि के अतिरिक्त दूसरा कारण अर्थात् यौवन रूप निमित्त उक्त है जिसके कारण आग के अभाव में भी युवकों के हृदय जलते हैं। अतः निमित्त के उक्त होने से यह उक्तनिमित्ता विभावना का उदाहरण है।

अनुकृतनिमित्ता विभावना-

जहाँ कारण उक्त न हो अर्थात् उस कारण को न कहा गया हो वहाँ अनुकृत निमित्ता विभावना होती है।

उदाहरणार्थ-

तिनै शस्त्रं हृदयानि युनां तिवेक्षभाजामपि दारयन्त्यः।

अनन्तमायाभ्यवल्युलीला जयन्त नीलाब्जदलायताक्ष्यः ॥

उपर्युक्त उदाहरण खिलाफा उल्लेख पढ़ते भी किया जा सकता है इसमें “दारण” से अधिकतम कामजन्यपीडा के कारण दामिनियों के जो विलास हैं वह इत उदाहरण में उक्त नहीं हैं उनकी कल्पना मात्र दी गयी है अतः यह अनुकूल निमित्ता विभावना का उदाहरण है।

उपर्युक्त लिखन से यह बात स्पष्ट हो गयी कि जिस अधिकरण में जो कारण रहता है उस अधिकरण में ही उस कार्य की उत्पत्ति का हर्षन हो तो उस कार्यात्पत्ति को विभावना अलङ्घत्वा कहा जाता है। विभावना अलङ्घत्वा और विरोध अलङ्घत्वा में भेद यह है कि विभावना में कार्यात्पत्ति बाधित रहता है। अतः कार्यात्पत्ति द्वारा रहता है और कारणांश प्रबल रहता है अर्थात् दोनों समान बल ताले नहीं होते, परन्तु विरोध अलङ्घत्वा में ऐसी बात नहीं है। विरोध अलङ्घत्वा में जिन दो वस्तुओं में विरोध दिखलाया जाता है वे दोनों ही समान बल ताले होते हैं। अतः उन दोनों में एक बाधक और दूसरा बाध्य नहीं होता, बल्कि दोनों ही बाधक और दोनों ही बाध्य होते हैं। इस बात को प्राचीन आचार्यों ने भी स्वीकार किया है कि विभावना में “कारण के निषेध से फलोदय [कार्यात्पत्ति] बाध्यमान होकर भासित होता है और विरोध परस्पर बाध्य को कहा जाता है।

इस प्रकार पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत विभावना लक्षण ही अधिक यूक्तिसंगत प्रतीत होता है। स्थिक ने प्रेसिद्ध कारण के अभाव में कार्यात्मिति को विभावना अलङ्कृत का लक्षण माना तथा उन्होंने अतिशयोक्ति को विभावना की अनुप्राणिका माना अर्थात् विभावना में सर्वत्र अतिशयोक्ति अनुप्राणक के स्पष्ट में वर्तमान रहती है परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ ने केवल आहार्य अभेद ब्रूद्धि मात्र का अनुप्राणन स्वीकार किया। वह अभेद ज्ञान नहीं स्पष्ट के द्वारा और कहीं अतिशयोक्ति के द्वारा भी हो सकता है। उनका यह मत ही अधिक यूक्तिसंगत है। विभावना अलङ्कृत में कारण से विस्तृद्व कार्यशी कारणाभावस्प विरोधी के रहते हुए भी वाद्यस्प से स्थित रहता है। इस अलङ्कृत में जिस कार्य की उत्पत्ति का वर्णन रहता है उस कार्य की उत्पत्ति का ही नियम के विस्तृद्व होने से बाध हो जाता है। विभावना में कारण के अभाव में कार्यात्मिति के वर्णन से प्रातिभासिक विरोध प्रतीत होता है और प्रेसिद्ध कारण से- भिन्न किसी अन्य कारण से उस कार्य की उत्पत्ति की कल्पना करने पर उस विरोध का परिवार हो जाता है। अन्ततः हम यह कह सकते हैं कारण के अभाव से बाधित होते हुए कार्य का वर्णन विभावना में होता है। यही इस अलङ्कृत की विरोधमूलकता और अलङ्कृतता है।

विशेषोक्ति अलङ्कार -

विशेषोक्ति अलङ्कार की भी गणना विरोधमूलक अलङ्कारों के अन्तर्गत की जयी है। विशेषोक्ति अलङ्कार विभावना अलङ्कार का ही प्रिपर्यय स्फूर्ति है। विभावना अलङ्कार में कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति दिखलायी जाती है। इसके विपरीत विशेषोक्ति अलङ्कार में उम्मुर्ण कारणों के तिथ्यमान रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति न होने का वर्णन होता है। आचार्य भास्म के मतानुसार जहाँ हीशिष्टद्यु दिखाने के लिए वस्तु के एक देश के टिगत होने पर उसमें द्वितीय गुण का सद्भाव दिखाया जाय तहाँ विशेषोक्ति अलङ्कार होता है। भास्म द्वारा स्वीकृत इस लक्षण को यद्यपि परतर्ती आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। दण्डी के मतानुसार जहाँ कार्योत्पत्ति रूप विशेष [अथवा कार्योत्पत्त्यक अतिशय] का प्रतिपादन करने के लिए गुण, जाति, क्रिया आदि [और द्रव्य] के अभाव या असमग्रभाव के वर्णन को [विशेष प्रतिपादनात्मक उकित होने के कारण] विशेषोक्ति कहते हैं।¹ आचार्य उद्धट ने विभावना अलङ्कार के विपर्यय के स्फूर्ति में विशेषोक्ति अलङ्कार की कल्पना की तथा उन्होंने संपूर्ण कारण के रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति उद्धारना विशेषोक्ति अलङ्कार का लक्षण स्वीकार किया।

।- गुणजातिक्रियादीनां यत्तु वैकल्यदर्शनम् ।

विशेषदर्शनाद्यैव सा विशेषोक्तिरिष्यते ॥

आचार्य मम्मट, स्थूक, विश्वनाथ, जयदेव, अप्ययदीक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ, अप्ययदीक्षित आदि सभी आचार्यों के उद्भट के ही मत को मान्यता प्रदान की। यह बात तो स्वाभाविक ही है कि कारण की न्यूनता, अपूर्णता आदि होने पर कार्य की उत्पत्ति न हो परन्तु उसमें कोई विशेष घमत्कार नहीं है। परन्तु समग्र हेतुओं के उपस्थित होते हुए भी यदि कार्य की उत्पत्ति न हो तो वह अलङ्कृत का विषय है।

पण्डितराज जगन्नाथ के मतानुसार जहाँ जिस कार्य का लोक्युसिद्ध कारण समूह वर्तमान हो वहाँ यदि उस कार्य की अनुत्पत्ति का वर्णन हो तो विशेषोक्ति अलङ्कृत होता है।

कारण के रहने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति के वर्णन में यद्यपि पहले तो विरोध की प्रतीति होती है परन्तु प्रसिद्ध कारण के रहने पर भी अप्रसिद्ध कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। इस बात का ज्ञान होने पर उस विरोध की निवृत्ति हो जाती है।

विशेषोक्ति अलङ्कृत के भेद के विषय में आचार्यों में परस्पर मतभेद है। आचार्य दण्डी ने विशेषोक्ति अलङ्कृत के पाँच, उद्भट ने दो तथा अभिनवगुप्त ने तीन भेद स्वीकार किये हैं। आचार्य मम्मट ने भी विशेषोक्ति के तीन भेद किये हैं:-
१. अनुकृतानिमित्ता २. उक्त निमित्ता ३. अधिन्त्यनिमित्ता।

अनुकृतानिमित्ता विशेषोक्ति

जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति हो और उसका

निमित्त न बतलाया जाय वहाँ अनुकूलनीमित्ता विशेषोक्ति होती है।

उदाहरणार्थ-

- I. निद्रानिवृत्तावृदिते घुरत्ने सखीजने द्वारपदं पराप्ते।
इतथीकृतावलेष्वरसे भृष्णे यथाल नालिङ्गं नतोऽङ्गं ना सा ॥

निद्रा खुल जाने पर, सूर्य का उदय हो आने पर, सखिर्यों के वृश्यन कक्ष केौ दरवाजे पर आ जाने पर और उपपति भृष्णंौ के आलिङ्गं न के रस को त्याग देने पर भी वह आलिङ्गं न वृवाह्वपाशाँौ से विचलित नहीं हुयी।

प्रस्तुत उदाहरण में निद्रा की निवृत्ति, सूर्य का उदय हो जाना तथा सखिर्यों का घर के दरवाजे पर आ जाना सभी कारण जो है आलिङ्गं न परित्याग के कारण हैं। अतः इन सभी कारणों के उपस्थित होने पर भी नायिका आलिङ्गं न का परित्याग नहीं कर रही है। अतः यहाँ कारण के होने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति का वर्णन होने से विशेषोक्ति अलङ्गं तर है और उसका नीमित्त भी उक्त नहीं है। इसीलिए यह अनुकूलनीमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण है।

उक्तनीमित्ता विशेषोक्ति

जहाँ कारण के विषयमान रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन न हो परन्तु उसका नीमित्त उक्त हो वहाँ उक्तनीमित्ता विशेषोक्ति होती है। उदाहरणार्थ-

- क्षूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान् यो जने जने।
नमोऽस्त्ववार्यवीर्यि तस्मै मकरकेतवे ॥

जो **कामदेव** क्षूर के समान भस्म हो जाने पर भी जन-जन में शक्तिमान् हो गया है, उस अप्रत्याहत पराक्रम वाले कामदेव को नमस्कार है।

उपर्युक्त उदाहरण में भस्म हो जाना शक्तिक्षय का कारण है। उस कारण के विघ्नमान होने पर भी कामदेव की शक्ति का क्षय नहीं हुआ है। अतः कारण के होने पर भी कार्य का वर्णन न होने से विशेषोक्ति अलङ्घनार है परन्तु यहाँ उसका निमित्त “अवार्यवीर्यत्व” उक्त है। अतः यह उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण है।

अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति

अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति में निमित्त अनुकृत तो रहता ही है साथ में अचिन्त्य भी रहता है अथात् सोचने पर भी किसी छास निमित्त का पता नहीं चलता, बस इतना ज्ञात हो पाता है कि कुछ निमित्त होगा।

उदाहरणार्थ

स शक्त्रीण जयति जगन्ति कुम्हमायुधः ।

हरताऽपि तरुं यस्य शम्भुना न बलं हृतम् ॥

फ़ूर्णों के ग्रस्त धारण करने वाला वह **कामदेव** अकेला ही तीर्णों लोकों को पराजित कर देता है, जिसके शरीर का अपहरण करके भी शिवजी उसकी शक्ति का विनाश नहीं कर पाये।

शारीर का संहार कर देना कारण के होने पर भी आवेदन का उत्तर इस कार्य के उत्पन्न न होने का निमित्त जो है वह अनुकूल भी है और अधिन्त्य भी है ऐसा इस कारण है क्योंकि कोई निमित्त समझ में ही नहीं आता है। अतः इस उदाहरण को उन्होंने अनुकूलाधिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति अलङ्कृत का उदाहरण माना है।

इस प्रकार कुछ विद्वान् विशेषोक्ति अलङ्कृत के उक्तनिमित्ता और अनुकूलनिमित्ता दो भेद मानते हैं। परन्तु कुछ विद्वान् उक्तनिमित्ता और अनुकूलनिमित्ता के अतिरिक्त अधिन्त्यनिमित्ता नामक विशेषोक्ति अलङ्कृत का एक भेद और मानते हैं। ऐसा कि अधिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति के उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है। अधिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति में कारण के विषमान रहने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति वर्णित होती है और उसका निमित्त नहीं बतलाया जाता अर्थात् निमित्त अनुकूल रहता है। इसी प्रकार अनुकूलनिमित्ता विशेषोक्ति में भी कारण के रहने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति वर्णित होती है और निमित्त उक्त नहीं रहता है। कहने का अभिन्नाय यह है कि दोनों में निमित्त अनुकूल ही रहता है। यद्यपि निमित्त के उक्त होने के कारण दोनों में समानता है फिर भी इन दोनों अर्थात् अनुकूलनिमित्ता और अधिन्त्यनिमित्ता में अन्तर यह है कि अनुकूलनिमित्ता में निमित्त अनुकूल होकर भी विन्त्य रहता है तथा अधिन्त्यनिमित्ता में निमित्त अनुकूल तो रहता ही है साथ ही साथ अधिन्त्य भी रहता है अर्थात् अधिन्त्यनिमित्ता में किसी खास निमित्त का ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन कोई कारण होगा इस इस प्रकार का भाव ही बना रहता है। वहाँ किसी कारण का ज्ञान नहीं हो

पाता जैसा कि "स एकः" इस उपर्युक्त उदाहरण में किसी प्रवास निमित्त का पता नहीं चल पाता है।

दूसरे विद्वानों के मतानुसार विशेषोक्त अलङ्घनार का यह अधिन्त्यनिमित्ता नामक भेद तब हो सकता है यदि अनुकृतनिमित्ता भेद में निमित्त का विशेषण चिन्त्य लगाया जाय। लेकिन अनुकृतनिमित्ता में कारण जो है वह चिन्त्य ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि अनुकृतनिमित्ता और अधिन्त्यनिमित्ता दोनों में निमित्त तो अनुकृत रहता है, लेकिन निमित्त के उक्त होने पर भी निमित्त के चिन्त्य और अधिन्त्य होने के कारण ही भेद होगा अर्थात् अनुकृतनिमित्ता भेद में यह कहना आवश्यक होगा कि जहाँ निमित्त चिन्त्य होकर अनुकृत हो लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा कहने पर तो अधिन्त्यनिमित्ता स्पष्ट पृथक् भेद मानने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जहाँ चिन्त्य और अधिन्त्य दोनों में से किसी भी प्रकार का निमित्त उक्त न हो वहाँ अनुकृत निमित्ता विशेषोक्त माननी चाहिए। अतः विशेषोक्त अलङ्घनार के दो ही भेद होते हैं तीन नहीं। अनुकृतनिमित्ता से पृथक् अधिन्त्यनिमित्ता की सत्ता नहीं स्वीकार की जा सकती।

विशेषोक्त अलङ्घनार में कारण का होना और कार्य का न होना जो वर्णित रहता है वह परस्पर विरुद्ध है। अतः उन दोनों में किसी एक को बाधित होना चाहिए। परन्तु दोनों में से कौन बाधित होता है यह शंका होना स्वभाविक है। इस शंका के समाधान में यह बात कही जा सकती है कार्य की अनुत्पत्ति से कारण की विषमानता बाधित होती है यही कारण है कि कार्य की अनुत्पत्ति को प्रबल और कारण की विषमानता को दुर्बल माना जाता है। अतः कार्यानुत्पत्ति

से कारण की विद्यमानता बाधित हो जाती है।

परन्तु पीण्डितराज जगन्नाथ ऐसा नहीं मानते। उनके मतानुसार विशेषोक्ति अलङ्कृत में कार्य की अनुत्पत्ति ही बाध्य रहती है कारण की विद्यमानता नहीं, क्योंकि ममट द्वारा प्रस्तुत किया गया जो विशेषोक्ति अलङ्कृत का "कूरा इव-आदि पहला उदाहरण है उसमें कामदेव के शरीर नाश स्व कारण तो प्रमाण सिद्ध है इस कारण वह बाध्य हो ही नहीं सकता। इसमें शक्ति और बल के रहने पर भी शरीर का नाश क्यों हुआ ऐसी प्रतीति किसी को नहीं होती अपितु कामदेव के शरीर का नाश हो जाने पर भी शक्ति और बल का नाश क्यों नहीं हुआ ऐसी प्रतीति सर्वसाधारण को होती है और इस प्रतीति में कार्य की अनुत्पत्ति शक्ति और बल का नाश होना ही बाध्य स्व में सलकती है। अतः यहाँ कारण पक्ष अबाध्य और कार्यपक्ष बाध्य रहता है। उनके मतानुसार यहाँ इस प्रकार की विशेषोक्ति नहीं होती वहाँ विशेषोक्ति अलङ्कृत नहीं माना जा सकता।

उदाहरणार्थ

"दृश्यते ऽनुदिते योत्मन्नुदिते नैव दृश्यते।

जगदेतन्नमस्तस्मै कस्मैषिद्वौध्यानये ॥ १ ॥"

"जिसके उदित न होने पर यह संसार दृष्टिगोचर होता है और जिसके उदित होने पर यह संसार दृष्टिगोचर नहीं होता- उस किसी ज्ञानस्वरूप को नमस्कार है।

उपर्युक्त उदाहरण में उदय के अभाव में संसार का दर्शन अर्थात् कारण के अभाव में कार्य का वर्णन है और उदय होने पर दर्शन का अभाव अर्थात् कारण के रहने पर भी कार्य का अभाव वर्णित है परन्तु यहाँ विभावना या विशेषोक्ति अलङ्कार नहीं है। क्योंकि यहाँ कारण के अभाव में कार्य और कारण के रहने पर भी कार्य का अभाव होने की प्रतीत होती है, परन्तु वस्तुतः उनमें से सक भी नहीं है क्योंकि जिस सूर्य का उदयानुदय वर्णित है वह वास्तविक सूर्योदय का वर्णन नहीं है। यदि यहाँ वास्तविक सूर्य के उदय का वर्णन होता तब तो यहाँ उक्त अलङ्कार हो सकते थे और यदि यहाँ वास्तविक सूर्योदय का वर्णन मान लिया जाय तब तो "सूर्योदय होने पर संसार दृष्टिगोचर नहीं होगा" यह अर्थ ही सङ्केत है। अतः यहाँ "ब्रह्मात्मा और जीवात्मा की सक्ता का बोधस्य सूर्य का उदय ही वर्णनीय है और इस सूर्य के उदय का कार्य संसार का अदर्शन ही है संसार का दर्शन नहीं। यहीं कारण है कि यहाँ विभावना या विशेषोक्ति अलङ्कार नहीं है। यहाँ वैधमर्य की उक्ति रहने के कारण बोध और सूर्य में अभेद मानकर बोध में सूर्य से अधिकता दिखलाने के कारण व्यतिरेक अलङ्कार है और यह व्यतिरेक रूपक पर आश्रित है क्योंकि दोनों सूर्यों में अभेद किया गया है।

परिष्ठतराज घग्ननाथ ने विशेषोक्ति अलङ्कार के उक्तानिमित्ता तथा अनुकृतानिमित्ता ये दो ही भेद स्वीकार किये हैं तथा उन्होंने विभावना की ही भाँति विशेषोक्ति के भी शास्त्र तथा आर्थ अर्थात् शास्त्री विशेषोक्ति और आर्थी विशेषोक्ति ये दो भेद स्वीकार किये हैं।

इस प्रकार विशेषोक्ति अलङ्कृत विभावना अलङ्कृत का ही विपरीत अलङ्कृत है। विभावना और विशेषोक्ति अलङ्कृत में लोई विशेष भेद नहीं है। कारण है तो उसका कार्य भी होना चाहिए लेकिन इस अलङ्कृत में कारण के विषमान रहते हुए भी कार्य की अनुत्पत्ति का वर्णन होता है यही इस अलङ्कृत की विरोधमूलकता है। जहाँ तक इन दोनों अलङ्कृतों की अलङ्कृतता का प्रश्न है संस्कृत कवियों ने इन अलङ्कृतों का प्रयोग विविध प्रकार के रसात्मक प्रसङ्गों में कर काव्य में एक विचित्र आनन्द की सृष्टि की है। वस्तुतः कारण-कार्य के नियमों के इन विविध विवरणों से कथन में एक विशेष प्रकार की भद्रिमा आ जाती है। ये नियम और नियम भङ्ग-दोनों ही प्रायः कवित लोक से ग्रहण करता है। शस्त्रों द्वारा सब वस्तुओं का विदारण किया जाना लोक में प्रसिद्ध है परन्तु शस्त्र के बिना भी विदारण किया होने लगे तो निषिद्धत स्य से यह एक विचित्र घटना ही होगी पर यूत्कर्णों के हृदय विदारण के प्रसङ्ग में शस्त्रों के बिना ही रमणी कटाक्षरों द्वारा विदारण किया कराने में कवि काव्य में एक अपूर्व सौन्दर्य की सृष्टि करता है शस्त्र न होते हुए भी कटाक्षरों का हृदय विदारक के स्य में प्रयोग अनेकाः कवियों ने किया है अतः इस विस्थिति में विभावना स्य यह कारण कार्य विपर्यय अलङ्कृत बन जाता है और इसके विपरीत दाली विस्थिति में यही विशेषोक्ति अलङ्कृत का स्य धारण कर लेता है। इसीलिए इन दोनों अलङ्कृतों को विरोधमूलक अलङ्कृतों की श्रेणी में रखा गया है।

कारणातिशयोक्ति अलङ्कृत

अतिशयोक्ति सक प्रमुख सर्वं व्यापक अलङ्कृत है। वैसे तो गात्र्य में अलङ्कृत मात्र के प्रयोग में मूल में अतिशयोक्ति ही रहती है, परन्तु अतिशयोक्ति को सादृश्यमूलय अलङ्कृतर्त्त्व के अन्तर्गत रखकर व्याख्यात किया गया है और उसके अनेक भेदों का प्रदर्शन कर आचार्यों ने उसके स्वरूप को वैविध्य प्रदान किया है। अतः मूलतः अतिशयोक्ति सादृश्यमूलक अलङ्कृत है तथा उसके एक भेद का स्वरूप उसे विरोध-मूलक श्रेणी में रख देता है। अलङ्कृत के इस भेद को सामान्यतः "कारणातिशयोक्ति" कहा जाता है। इसमें कार्य-कारण का विपर्यय ही विरोध का मूल है। अतः इसे "कार्यकारणमौर्वपर्यस्य तिशयोक्ति" नाम से कहा जाता है। सांसारिक नियम के अनुसार पहले कारण होता फिर कार्य होता है, लेकिन इसमें कवि कुछ ऐसा वर्णन करता है कि पहले कार्य होता है फिर कारण होता है। न तो कारण से पहले कार्य हो सकता है और न उसके साथ ही उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कारण से पूर्व कार्य का कथन या दोनों का साथ कथन विपर्यय समझा जाता है। गात्र्य में पहले कार्य फिर कारण का वर्णन करके कवि केवल उस कार्य की द्रुतता सर्वं बलवत्ता दिखाकर चमत्कार उत्पन्न करना चाहता है।

उद्भट के गात्रालङ्कृत सार संग्रह में अतिशयोक्ति अलङ्कृत के भेदों का निरूपण सैद्धान्तिक स्पष्ट से तो नहीं हुआ था, परन्तु दण्डी ने उसके संशय, निर्णय तथा आश्रायाधिक्य आदि स्पर्शों के उदाहरण दिए। उद्भट ने उसके पार स्पर्शों की परिकल्पना की— ॥१॥ भेद में अभेद, ॥२॥ अभेद में भेद, ॥३॥ वस्तुतः असत् का

तम्भाटना में निबन्धन तथा ३४ कार्यकारण-पौर्वपीर्योपर्यय । लृघुक ने अतिशयोक्ति अलङ्कार के पाँच भेद स्वीकार किस। ते पाँच भेद हैं- भेद में अभेद, ३भेद में भेद, सम्बन्ध में असम्बन्ध, असम्बन्ध में तम्भन्ध और कार्य-कारण-पौर्वपीर्योपर्यय । कार्यकारण पौर्वपीर्योपर्यय की जगह लृघुक ने "कार्यकारणपौर्वपीर्योपर्यय" कहा है। उनके मतानुसार हत कार्यकारणपौर्वपर्यंत के दो रूप हैं। कार्य और कारण के स्थाभाविक क्रम का धर्तंत कार्य का कारण से पूर्व भाव तथा तद्भाव दिखाने से हो सकता है। ज्यरथ के मतानुसार कार्यकारण का धर्तंत दो प्रकार से और कार्यकारण के पौर्वपीर्य का धर्तंत तीन प्रकार से दिखाया जा सकता है। प्रीतिष्ठ कारण को कार्य तथा कार्य को कारण कहना कार्य कारणधर्तंत के दो रूप हैं। कार्य का कारण से पूर्व भाव-सह-भाव तथा प्रीतिष्ठ कार्यों में क्रम विपर्यय दिखाना भी उसके कार्य कारण पौर्वपीर्य के धर्तंत के तीन रूप हैं। इस प्रकार उन्होंने इस धर्तंत के पाँच प्रकार माने हैं।

आचार्य लृघुक ने अतिशयोक्ति के जिस भेद का स्वरूप उसे विरोधमूलक अलङ्कार की श्रेणी में रखता है उसका लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया है--

"कार्यकारणायोः समकालत्वे पौर्वपीर्योपर्यये चातिशयोक्तिः ॥

।- अत्र च कार्यकारणपौर्वपीर्योपर्ययं इत्यनेन प्रीतिष्ठयोः कार्यकारणोर्पौर्वधर्तंते विपर्ययस्य स्तथा पौर्वपीर्यस्यादिपञ्चात्कालभागित्वेन प्रीतिष्ठस्य क्रमस्य विधर्तंते व्यत्ययः सहभावी वेत्यपि भेदजयं तन्नेणोक्तम् । एवं च कार्यकारणविधर्तंतस्यापि पञ्चप्रकाराः । अलङ्कारतर्वस्वम् ज्यरथ-विमर्शिनी ,पृ० ८७

जहाँ कार्य-कारण के पौर्वपर्य का विपर्यय होता है तो अतिशयोक्ति अलङ्कार होता है।

इस कार्य-कारण के पौर्वपर्य का विपर्यय दो रूपों में होता है
 १। जहाँ कारण बाद में और कार्य उसके पहले ही हो जाय तथा
 २। जहाँ कारण और कार्य सक ताथ हों।

उदाहरणार्थ-

हृदयमधिष्ठतमादौ मालत्याः हृसुमचापहाणेन ।

यरमं रमणीतल्लभ लोचनतिष्ठयं त्त्या भृता ॥

हे रमणीतल्लभ ! पूज्य ही जिसका धनुष तथा ढाण है उस कामदेत ने मालती के हृदय पर पहले ही अधिकार कर लिया और तुमने हृष्ट गोचर होकर बाद में उसके हृदय पर अधिकार किया।

प्रस्तुत उदाहरण में कार्य के पहले तथा कारण के बाद में होने का वर्णन किया गया है। इसलिए यह कार्य कारण में पौर्वपर्य की विपर्यय रूप अतिशयोक्ति के प्रथम रूप का उदाहरण है। वस्तुतः यहाँ पर उस नायक का हृष्टगोचर होना नायिका के हृदय में काम के अधिष्ठित होने का कारण है परन्तु कवि यहाँ पर नायिका के हृदय में काम के प्रभाव का अतिशयता सर्व शीघ्रता त्वरितता त्यक्त करना चाहता है। इस त्यक्तीकरण में कवि कारण का यह विपर्यय एक तिशेष प्रकार के घमत्कार को उत्पन्न करना चाहता है। यह विपर्यय ही किंवद्ध का मूल बीज है जो काव्य में अलङ्कारता को व्याख्या करता है।

अविरलविलोलग्लदः कृष्णार्जननीपतूरभिनवातः ।

अयमायातः कालो वन्त मृताः परिधिकगेहिन्यः ॥ ८ ॥

धने और चंचल बादलों से सुकृत हृष्ण, अर्जुन और कदम्ब के पूर्ष्पों सी रन की ताहु को सूगन्धित बरने दाला । यह वर्षा काल आग्रहा और परिधिकोंकी रमणियाँ मारी गयीं ।

यहाँ पर "आयात और मृताः दोनों में क्त प्रत्ययलग्ने से यह स्वष्ट हो रहा है कि वर्षा का आना और परिधिक गेहिनियाँ का मरना ये दोनों समकाल में हर जबीक पढ़ले प्रावृटस्यी कारण उपस्थित होता तब गेहिनी मरण (तिरहिणी मरण) स्यी कार्य होता । यह समकालता भी वस्तुतः कहीं न कहीं ठिरोध से तम्बद्ध है ।

परिणहतराज जगन्नाथ ने भी कार्य -कारण वैद्यार्थी तिपर्यातिशयोक्ति को स्वीकार किया है उनके मतानुसार भी इसे पुनः दो उपभेद हो जकते हैं-- ॥ १ ॥ यहाँ कारण और कार्य सक साथ हों और ॥ २ ॥ यहाँ कारण बाद में और कार्य उसके पढ़ले ही हो जाये ।

उदाहरणार्थ कार्य कारण के साथ साथ होने का पूर्वपरीय भाव का विपर्यय ऐसे -
पृतिहृरनिकरशिलातततहृ दृक्षसमुच्छलद्विषुद्वृलीकृतिस्फुलिङ् आपततानां ताजिनाम् ।

बुरपटो से होने वाले प्रत्येक शिला-संघर्ष में उछलते हुए अग्निकणों के प्रभापुंज को विघ्नलता का स्वप दे दिया है जिन्होंने ऐसे घोड़ों के -- ।

उपर्युक्त उदाहरण में अग्निकणों के उच्छलनस्य कारण और तिष्ठलहर की उत्पत्तिस्य कार्य का सक साथ वर्णन हआ है ।

इसी प्रकार कार्य की उत्पत्ति के बाद कारण की उत्पत्ति स्व पूर्णपरीय भाव का विपर्यय जैसे—

पूरः पूरस्तादौरभूमतीनां भवन्त भूलभास्योषाः ।

अनन्तरं ते धूली-विट्ठु-तस्मृदन्त रोचनलितस्मृतिकृ-तः

हे राजन् । शत्रुघ्नराजार्थों के नगर पहले भस्मशेष अर्थात् इग्ध हो जाते हैं और तेरी आँखों से क्रोधार्गन की रणिकार्य पीछे निकलती हैं।

इसमें शत्रुर्थों के नगरों का नाश कार्य है और कोप कारण है। यहाँ कारण से पूर्व कार्य का वर्णन हुआ है अर्थात् कारणस्य होने से पहले होने वाले कोप का पीछे और कार्यस्य होने से पीछे होने वाले शत्रु-पूर-दाह का पहले वर्णन करने के कारण अतिशयोक्ति अलङ्कृत है। २

अतिशयोक्ति अलङ्कृत के जो पाँच भेद स्वीकार किए गये हैं प्राचीन अलङ्कृतिरिक्तों के मतानुसार उन्हें पाँचों भेदों में से किसी भी एक भेद का होना ही अतिशयोक्ति का सामान्य लक्षण है। प्राचीन आलङ्कृतिरियों के इती मत का समर्थन आचार्य मम्मट ने भी किया है। उनके मतानुसार तम्बन्ध में असम्बन्ध और असम्बन्ध में सम्बन्ध ये दोनों भेद अतिशयोक्ति नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार के अतिशय का वर्णन स्वरूपोक्ति अलङ्कृत के अतिरिक्त उपमा, स्वप्न आदि सभी अलङ्कृतर्थों में होते हैं तथा यदि सम्बन्धात्मक वाले दो भेदों को अतिशयोक्ति मान लिया जाय तो कार्यकारण विपर्यय वाले जो भेद है वो भी इसी में अन्तर्भूत हो जायेगे, क्योंकि वहाँ भी वास्तव में कार्यकारण पौर्वपर्यय विपर्यय का तम्बन्ध न रहने पर भी सम्बन्ध

का वर्णन रहता है अतः तड़ भी "असम्बन्धे संबंधः" के अन्तर्गत हो जाता है। यही कारण है कि तिष्ठय का तिष्ठयी के द्वारा निगरण अर्थात् अध्यत्सान, तिष्ठय का अन्यत्व, आदि शब्दों के द्वारा किसी असम्बन्ध अर्थ की कल्पना और कार्य कारण भाव का तिपर्यय इनमें से किसी स्क भेद का होना भी अतिष्ठयोक्ति की जामान्य परिभाषा है।

अतः स्थ्यक ने जो "अतिष्ठयोक्ति अलङ्कार के कार्य कारण पौराणिर्व विपर्यय रूप भेद की कल्पना की है तथा उसका उल्लेख सादृश्यमूलक अतिष्ठयोक्ति के अन्तर्गत दरते हुए भी उसकी विरोधमूलकता को देखते हुए उसका विवेचन विरोधमूलक अलङ्कारों के अन्तर्गत किया है तथा "कार्यकारण्योः समकालत्वे पौराणिर्विपर्यये चातिष्ठयोक्तिः" उसका जो यह लक्षण प्रस्तुत किया है, उचित ही है।

पंचम अध्याय

अलङ्कृत-तिरुचन

असङ्ग-ति

तिष्ठम

सम

पंचम अध्याय

असङ्गृति अलङ्कृत

असङ्गृति अलङ्कृत कार्य-कारण-सम्बन्ध दी असङ्गृति पर अत्यन्तिमिक्षत है। नामान्य स्वप्न से जहाँ कारण रहता है वहाँ उसके कार्य की उत्पत्तित होती है परन्तु कार्य में ऐसा नहीं है। कार्य में जहाँ कारण से भिन्न देश में कार्य की उत्पत्तित लायमत्कारपूर्ण रर्णन हो जहाँ असङ्गृति अलङ्कृत माना गया है। सबसे पहले लद्वट ने ही असङ्गृति अलङ्कृत को एक स्वतन्त्र अलङ्कृत के स्वप्न में मान्यता प्रदान करते हुए उसे अतिशयोक्तिमूलक अलङ्कृत माना। उनके मतानुसार जहाँ स्पष्टतः एक ही काल में कार्य दर्शाएँ और कारण लहीं तरीक्त हो जहाँ असङ्गृति अलङ्कृत होता है। आगे चलकर असङ्गृति अलङ्कृत को तिरोधमूलक अलङ्कृत माना गया।

आचार्य ममट के मतानुसार असङ्गृति अलङ्कृत का लक्षण है--

भिन्नदेश्यात्यन्तं कार्यकारणभूतयोः ।

युगपद्मयोर्यत्र भ्यातिः सा स्यादसङ्गृतिः ॥

जहाँ कार्यकारणभूत दो धर्मों की भिन्नतया और युगपद्मयोर्यत्र एक साथ प्रतीति हो वह असङ्गृति अलङ्कृत होता है। उदाहरणार्थ --

यस्यैव व्रुणस्तस्यैव वेदना भणति तज्जनोऽलीकम् ।

दन्तक्षतं क्षपोले वध्वा वेदना सप्तनीनाम् ॥

जिसके घाव होता है उसी को देदना होती है ॥यह बात जो॥ लोग कहते हैं वह इूठ है ॥व्यौंगि पति के हारा किए गया॥ दन्तक्षत वधु के गाल में है और ॥उसको देखकर॥ सपीत्नयों के हृदय में देदना होती है।

उपर्युक्त उदाहरण में कारणभूत दन्तक्षत तथा कार्यभूत देदना दोनों का टिरोध भिन्नाधारतया ही प्रतीत हो रहा है इस कारण यहाँ असङ्गति अलङ्कार है।

स्थियक ने भी कार्य और कारण की भिन्नदेशता असङ्गति अलङ्कार का लक्षण माना। उनके मतानुसार जब कारण तो दूसरे देश से सम्बद्ध होता है और कार्य दूसरे से तब उचित संगीत न रहने के कारण असङ्गति नामक अलङ्कार होता है। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि जिस प्रकार तिभावना में कार्यांश में अतिशयोक्ति का अनुप्राणन आवश्यक होता है उसी प्रकार असङ्गति अलङ्कार में भी अतिशयोक्ति का अनुप्राणन आवश्यक होता है यदि अतिशयोक्ति ॥अभेदाध्यवसान॥ न रहे तो टिरोध का परिवार ही नहीं हो सकेगा।

पण्डितराज जगन्नाथ ने स्थियक के इस मत का खण्डन किया है। उनके मतानुसार असङ्गति अलङ्कार में यह आवश्यक नहीं है कि कार्यांश में अतिशयोक्ति का ही अनुप्राणन हो। हाँ, इतना अदर्श कहा जा सकता है कि असङ्गति अलङ्कार में कार्यांश में अभेदाध्यवसान मात्र होना आवश्यक है चाहे वह अतिशयोक्ति के द्वारा हो, चाहे स्पष्ट के द्वारा, अथवा इलेष मात्र के द्वारा।

अप्यय दीक्षित ने भी स्थियक आदि आचार्योंकि ही मत का अनुसरण करते हुये जहाँ कारण तथा कार्य का दो भिन्न स्थलों में तिरुद्ध अस्तित्व दर्शित किया जाय, वहाँ असङ्गति अलङ्कार माना। उनके मतानुसार यदि कार्य-कारण का

भिन्न देशगतत्व तिरुद्व न हो तो असङ्ग॑-ति नहीं होगी । उन्होंने असङ्ग॑-ति
अलङ्कृ-तर के दो अन्य भेद भी स्त्रीकार लिये—¹

अन्यत्र लरणीयस्य तताऽन्यत्र कृतिश्च सा ।

अन्यतर्कृ प्रवृत्तस्य ततिरुद्वृतिस्था ॥

असङ्ग॑-ति का एक अन्य भेद वह है जहाँ किसी विशेष स्थान पर करणीय कार्य को वहाँ न कर, दूसरे स्थान पर किया जाय। इसी का तीसरा भेद वह है, जहाँ किसी विशेष कार्य को करने में प्रवृत्त द्यक्ति उस कार्य विशेष को न कर उससे तिरुद्व कार्य को करे। उदाहरणार्थ-

अपारिजातां वसुधां चिकीर्षन धां तथाऽङ्गुथाः ।

गोत्रोदारप्रवृत्तोऽपि गोत्रोद्भेदं पुराऽकरोः ॥

॥१॥ पृथ्वी को पारिजात से रहित [अपारिजातां, अन्य पक्ष में शब्दाँ से रहित] करने की इच्छा हाले कृष्ण ने सर्व नो दैसा [अपारिजात-कल्पतृक्ष से रहित] बना दिया।

॥२॥ तराहस्य में उन्होंने गोत्र [गोत्र-पृथ्वी] के उदार में प्रवृत्त होकर भी गोत्र [गोत्र-पृथ्वी, गोत्र-पर्वत] का भेदन किया।

उपर्युक्त उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण में शृङ्खला ने पृथ्वी पर करने योग्य कार्य "अपारिजातत्व" लो पृथ्वी पर न करते स्वर्ग में किया तथा इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में भी त्राहस्यपीभग्नान् ने जो गोत्रा के उद्धार में प्रवृत्त थे, अबने बुराघात से गोत्रों का बेदन किया। अर्थात् प्रथम उदाहरण में जो कार्य जिस स्थान पर छोना चाहिए था उस विशेष स्थान पर न करके दूसरे स्थान पर किया गया है। तसुन्धरा को अपारिजात करने की इच्छा करते हुए स्वर्ग को अपारिजात कर दिया अतः यहाँ प्रथम प्रकार की असङ्गति है तथा इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में किसी विशेष कार्य को करने में प्रवृत्त व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को न करके अन्य कार्य लो करने के कारण अर्थात् गोत्रोद्धार में प्रवृत्त त्राहस्यधारी तिष्णु ने अबने बुराघात से गोत्रों हा बेदन कर दिया। अतः यहाँ दूसरे प्रकार की असङ्गति है। अर्थात् ऐसे --

तत्कुरुतरिऽडतत्पत्नतिलासिनीनं

भूषा भवन्त्यभिनवा श्वनैततीर ॥

नेत्रेषु कङ्गणमधोरुषु पत्रलल्ली

चोलेन्द्रसिंह । तिलकं करपल्लवेषु ॥

हे लंसार के अकेले वीर, हे चोलेन्द्र सिंह, तुम्हारे बहुग के हारा मारे गये शब्द राजाओं की स्त्रियों की नई ढंग से सजावट दिखाई देती है। उनके नेत्रों में कंकण, जाँधों में पत्रलल्ली तथा करपल्लवों में तिलक पाये जाते हैं।

उपर्युक्त उदाहरण में कंकण, पत्रलल्ली तथा तिलक नारियों के हाथ, कपोल तथा ललाट के शृंगार हैं परन्तु वे यहाँ न पाकर अर्थात् उक्त स्थानों में न होकर अन्यत्र अर्थात् झाँख, उस्तुगल तथा करपल्लव में पाये जाते हैं। अतः यह दूसरे प्रकार की असङ्गति का उदाहरण है।

तथा--

मोहं जगत्रयभृवामपनेतुमेत-

ददाय स्पमीबलेश्वर । देहभाजाम् ।

निःसीमकान्तरसनी रथिमामुनैव

मोहं प्रतर्ध्यैस मृगधटिलासिनीनाम् ॥

हे कृष्ण, तुम तीनों लोकों के देहधारियों के मोह का अपहरण करने के लिए, इस रूप को लेकर, अत्यधिक कान्ति के समृद्ध इसी रूप के हारा मुंहरियों के मोह को बढ़ाते हो ।

प्रस्तुत उदाहरण में कृष्ण ने समस्त लोकों के देहधारियों के मोह का अपहरण करने के लिए अर्थात् मोह को दूर करने के लिए इस रूप को धारण किया है किन्तु उसी रूप से वे मोह दूर करने के विपरीत मोह को बढ़ा ही रहे हैं। अतः यहाँ तृतीय प्रकार की असङ्गति है।

पण्डितराज जगन्नाथ ने थोड़े परिष्कार के साथ असङ्गति अलङ्कार का लक्षण प्रस्तुत करते हुए अप्य दीक्षित के असङ्गति अलङ्कार के उक्त दोनों भेदों का वर्णन किया है। उनके मतानुसार असङ्गति अलङ्कार का लक्षण है--

चिरस्फृत्वेनापाततो भासमानं हेतुकार्यात्मैयधिकरण्यमसङ्गतिः ।

कारण और कार्य की उसभिन्नदेशता को असङ्गति कहते हैं जो अपाततः ऊँझर ऊर से चिरस्फृत प्रतीत होती है।

अर्थात् चिरस्फृत प्रतीत होने वाला कार्य-कारण का वैयधिकरण्य ही

असङ्ग-ति अलङ्कार है । कहने का अभिप्राय यह है कि लार्य कारण आदि का अलग-अलग वर्णन होने पर भी यदि उसमें तिरोध की प्रतीति नहीं होती तो वहाँ पर असङ्ग-ति अलङ्कार नहीं होगा । यही कारण है कि इस लक्षण में तैयारिकरण लार्यकरण की भिन्न देशता॥ का विशेषण आपात्तः तिरुप्ति प्रतीत होने वाला कहा गया है ।

उदाहरणार्थ--

"अङ्गैः कुमारतरैः सा कुमानां श्रियं वरति ।

पुहरति विं कुमदाणो अगतीतलवर्तिनो युनः ॥"

वह वृवर्णनियनायिका॥ अपने अत्यन्त कोमल अङ्गैं से पूर्णे की श्री शोभा+ संपत्तिः॥ का हरण करती है और कुमायूध |कामदेवः॥ पृथ्वीतल पर रहने वाले-अर्थात् सभी युवकों पर प्रहार करता है ।

उपर्युक्त उदाहरण में कुम-श्री-हरण रूप अपराध और ताडन रूप दण्ड एक ही त्यक्ति में न रहकर अलग त्यक्तियों में है अतः यह असङ्ग-ति अलङ्कार का उदाहरण है । इस उदाहरण में "पुहरति" इस पद से अपराध के कारण होने वाले ताडन और कामपीडा दोनों का बोध होता है । यह दोनों अर्थ अभेदाध्यवसान रूप अतिशय के द्वारा एक रूप हो गये हैं या यह भी कहा जा सकता है कि उपर्युक्त उदाहरण में "पुहरति" इस अंश में अभेदाध्यवसान रूप अतिशय के द्वारा अपराधटेतुक-ताडन के रूप में "कामपीडा" अवस्थित है । यहाँ "कामपीडा" जो है वह विषय और "अपराधटेतुकताडन" जो है वह विषय है । यहाँ पर अपराधटेतुक ताडन जो

तिष्ठी अंश है इसी के आधार पर पहले तो तिरोध की प्रतीति होती है परन्तु ऐसे ही कामपीड़ा स्वरूप अर्थ का जान होता है तेसे ही वह तिरोध निवृत्त हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर "नायिका के शोभा दिशेष के जान से यूकर्कों दो कामपीड़ा होती है इस अर्थ का जान होने पर उत्पन्न हुआ उक्त तिरोध निवृत्त हो जाता है क्योंकि इस अर्थ का जान हो जाने पर शोभादिशेषज्ञान स्वरूप कारण और कामपीड़ास्वरूप कार्य दोनों की समानाधिकरणता हो जाती है। इस प्रकार असङ्गति अलङ्कृत का अभेदाध्यवसान अनुप्राणक और तिरोधाभास उत्कर्षक सिद्ध होता है।

पण्डितराज जगन्नाथ के मतानुसार अप्पय दीक्षित ने असङ्गति अलङ्कृत के जो उक्त दो भेद किये हैं उनमें प्रथम अर्थात् "अपारिणातम्" इस उदाहरण में पारिणात से रहित कर देने की इच्छा है कारण और पारिणात का अभाव कार्य है तथा इन कार्य और कारण का भिन्न भिन्न अधिकरण में वर्णन हुआ है अतः इसमें "विस्त्रद्विभिन्नदेशत्व कायद्वित्तोरसङ्गतिः" अर्थात् कार्य और कारण का भिन्न देशत्व होना यदि वह विस्त्रद्व प्रतीति होता है तो असङ्गति होती है इस प्रथम असङ्गति लक्षण की ही व्याप्ति हो जाती है। इस प्रकार प्रथम और द्वितीय असङ्गति में कोई भेद नहीं रह जाता। जिस आलम्बन या आधार में कार्य करने की इच्छा होगी वही कार्य होगा यह नियम है। परन्तु यहाँ पर चिकीर्षा और उसका कार्य भिन्न-भिन्न देशों में वर्णित है अर्थात् उनका वर्णन भिन्न भिन्न देशों में किया गया है। पृथ्वी पारिणात से रहित हो जाय इस इच्छा से स्वर्ग का पारिणात रहित होना वर्णित हुआ है। यहाँ कार्य और कारण का भिन्न देशस्थ होना विस्त्रद्व प्रतीति होता है।

यदि यहाँ पर यह कहा जाय कि पारिजात राहित्य का अर्थ हुआ पारिजात का अभाव अतः पारिजातराहित्य रूप लार्य अभावात्मक होने के कारण नित्य है और नित्य होने के कारण उसका कोई कारण नहीं हो सकता तो ऐसा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि नैयायिक भले ही अभाव को नित्य पदार्थ समझते हों लेकिन अलङ्घ-परिक ऐसा नहीं मानते। अलङ्घ-परिकर्म में तो अभाव को भी कारण से जन्य मान लिया जाता है।

यदि पारिजातराहित्यचिकीष्णा और पारिजातराहित्य में कार्य कारण भाव न माना जाय तो भी वहाँ असङ्ग-ति का प्रथम लक्षण ही अंघटित होता, क्योंकि लक्षणगत "देवुकार्ययोः" पद तमानाधिकरणमात्र का बोधक है और पारिजातराहित्य और चिकीष्णा में कार्यकारणभाव हो या न हो समानाधिकरण रूप तो है ही क्योंकि पारिजातराहित्यविषयक जो इच्छा है उसका आधार जो देश होगा वहाँ पारिजातराहित्य होगा। अतः यही बात सिद्ध होती है कि असङ्ग-ति के प्रथम प्रकार में प्राचीन प्रकार से कोई तिलक्षणता नहीं है।

इसी प्रकार पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पय दीक्षित के द्वारे उदाहरण अर्थात् "गोत्रोद्वार—" इस उदाहरण को भी विभावना से ही गतार्थ बताया है, क्योंकि इस उदाहरण में गोत्रोद्वारीविषयक प्रवृत्ति विस्तृद्व कारण है और इससे गोत्रदलन रूप विस्तृद्व कार्य की उत्पत्ति हुयी है। अतः यहाँ "विस्तृद्वात्कार्यसम्पत्तितदृष्टा कार्यद्विभावना" इस लक्षण के अनुसार विभावना अलङ्घ-पर ही होता है। इस कारण असङ्ग-ति के द्वितीय प्रकार की कल्पना भी अनुचित ही है। यहाँ पर उन्होंने विभावना का संदेह-संकर ही छोचित माना है। इसी प्रकार अप्पय दीक्षित-

के "तत्त्वद्वय- " और मोही- " इन दोनों उदाहरणों में भी उन्होंने विरोधाभास माना है। क्योंकि नेत्रेष्टुलङ्घः·णम् " इस उदाहरण में "कङ्गः·णत्व " और नेत्रालङ्घः·तरत्व पृथक् पृथक् स्थान पर रहने वाली दस्तुओं के रूप में अर्थात् त्याधिकरण रूप में प्रसिद्ध है परन्तु एक ही अधिकरण में वर्णन दोने से वहाँ विरोधाभास है।

इसी प्रकार चतुर्थ उदाहरण में भी "मोहनितर्तकत्व " तथा "मोहननकत्व " ये दो धर्म भी त्याधिकरण रूप में प्रसिद्ध हैं, परन्तु यहाँ मोहनितर्तक को मोहननक कहा गया है अर्थात् दोनों की एक ही स्थान पर स्थिति होने के कारण सामानाधिकरण ठीक है। कहने का अभियाय यह है कि यहाँ कङ्गः·ण नेत्रालङ्घः·तर नहीं हो सकता और मोहनितर्तक मोहननक नहीं हो सकता। यह प्रसिद्ध है, फिर भी कङ्गः·ण को नेत्रालङ्घः·तर और मोहनितर्तक को मोहननक कहा गया है। अतः यहाँ पर विरोधाभास ही है, क्योंकि विरोधाभास में भी त्याधिकरण रूप से प्रसिद्ध हो तस्तुओं का समानाधिकरण ठीक होता है।

यहाँ पर यदि यह शंका की जाय कि यहाँ भी तो विरोधाभास मानकर ही निर्दृष्टि हो सकता था फिर विभावना आदि की कल्पना क्यों की गई। इस शंका के समाधान में यह बात कही जा सकती है कि विरोधमूलक तब अलङ्घः·तरों में यद्यपि विरोधालङ्घःकार से भिन्न शृङ्खल विरोध का अंश अनुस्यूत रहता है, लेकिन वह तो कुछ अलङ्घः·तरों का संपादक होता है, वह स्वयं अलङ्घः·तर रूप नहीं होता। यदि यह कहा जाय कि विभावना विरोधाभास में ही अन्तर्भूत हो जाती है इसलिए उसे स्वतन्त्रअलङ्घः·तर नहीं माना जा सकता तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विरोध में समान बल ताले अर्थों का विरोध रहता है। और

विभावना में कारण के अभाव के द्वारण दार्य की उत्पत्ति बाध्य रहती है। विरोध में भिन्न देश में रहनेवाले पदार्थों का सक देश में रहना चर्णित होता है, जबकि असङ्गृति में साधारणतः एह देश में रहने वाले पदार्थों की भिन्न देशता दिखाई जाती है। विरोधाभास अलङ्कृत का विषय सामान्य रूप से विरोध है, परन्तु असङ्गृति अलङ्कृत वा विषय कार्य-वरण वी भिन्न देशता रूप विशेष प्रकार का विरोध है।

इस प्रकार सभी आचार्यों ने कार्यकारणपूत दो धर्मों की भिन्नदेशतया और सह साथ प्रतीति को ही असङ्गृति अलङ्कृत का लक्षण माना है तथा कुछ आचार्यों ने असङ्गृति अलङ्कृत कर्त्ता स्वतन्त्र अलङ्कृत न मानकर विरोध अलङ्कृत का ही सक भेद माना है, परन्तु असङ्गृति को विरोध का ही सक भेद मानना उचित नहीं है। उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि असङ्गृति अलङ्कृत और विरोध अलङ्कृत में अन्तर है। विरोधालङ्कृत में जो दो पदार्थ दो भिन्न आधारों में रहने वाले के स्पष्ट में प्रसिद्ध हो उन दो पदार्थों वी स्थिति विसी सक आधार में चर्णित होती है तथा असङ्गृति अलङ्कृत में जो दो पदार्थ सक आधार में अपेक्षित के रूप में व्यक्ति दो उन दोनों पदार्थों की स्थिति दो भिन्न आधारों में चर्णित होती है। इसी कारण असङ्गृति अलङ्कृत के उक्त लक्षण में "हेतुकार्ययोः" अर्थात् "हेतु" और "कार्य" पद से उन सभी पदार्थहृष्य की विवेचना है जो सक ही आधार में रहने वाले हैं। सक ही कार्य के कारण का तैयारिकार्य असङ्गृति का अलङ्कृत है। इस अलङ्कृत में कारण और कार्य का भिन्न भिन्न देश में एक साथ वर्णन होता है जो कि आपाततः विस्तृद्ध प्रतीत होता है। यही इस अलङ्कृत की विरोधमूलकता है।

तिष्ठम अलङ्कृतर

तिष्ठम अलङ्कृतर की गणना तिरोधमुलक अलङ्कृतरों के अन्तर्गत की जायी है। ऐस्य तिरोध का मठत्वपूर्ण तत्त्व है। अलङ्कृतरों की वास्तविक मूलकता की विपरीत स्थिति ही है वैष्णवमूलकता। जहाँ कार्य और कारण के गुणों में अथवा क्रियाओं में परस्पर तिरोध हो रहाँ तिष्ठम अलङ्कृतर होता है। लद्वट ने तास्तवमूलक तथा अतिव्याप्तमूलक तथा अलङ्कृतरों में तिष्ठम अलङ्कृतर की कल्पना की। तास्तव हर्गगत तिष्ठम के अनेक रूपों की कल्पना उन्होंने की। उनके मतानुसार तिष्ठम अलङ्कृतर में जहाँ वक्ता दो अर्थों {वस्तुओं} में अविद्यमान सम्बन्ध की कल्पना किसी दूसरे के मत से करके पुनः उसे तोड़ देता है¹ अर्थात् दूसरों के हारा उनके बीच सम्बन्ध कल्पना की सम्भालना कर उसका ब्रह्मन करता हो रहाँ तिष्ठम का स्वरूप तथा जहाँ दो अर्थों में अविद्यमान सम्बन्ध का अनौचित्य प्रकट किया जाता है, अथवा असम्भव वस्तु की जल्दता बतायी जाती है, रहाँ तिष्ठम का अन्य स्वरूप होता है। उन्होंने तिष्ठम अलङ्कृतर के चार भेद माने हैं जहाँ कर्त्ता निःसी कार्य तथा ॥१॥ धोड़ा सा भी कार्य नहीं करता, ॥२॥ बहुत-सा कार्य करता है, ॥३॥ हीन होता हुआ भी कार्य कर देता है, तथा ॥४॥ समर्थ होता हुआ भी कार्य नहीं करता। तिष्ठम अलङ्कृतर के सक और स्वरूप की कल्पना लद्वट ने की है। उनके अनुसार जहाँ कार्य के नाश से जाने के कारण तर्ता को न केवल क्रिया का कल ही न मिले अपितु अनर्थ

भी हो जाए उसे विषम कहते हैं।¹ अतिथ्यमूलक तिष्म अलङ्कृत का लक्षण प्रस्तुत दरते हुए उन्होंने यह बात इही है कि जटाँ कार्य और कारण से तम्बद्ध गुणाँ उथा क्रियाओं का परस्पर लिरोध हो जाए तो तिष्म अलङ्कृत होता है।² लगने वा अभिधाय यह है कि कारण के गुण से उसके कार्य ने गुण वा तथा कारण की क्रिया से उनके कार्य की क्रिया में लिरोध होने पर तिष्म अलङ्कृत होगा।

आचार्य मम्मट ने मातृसार तिष्म अलङ्कृत का लक्षण है--

कृचिद्गतिवैधर्म्यान्न इलेषो घटनानियात् ।

कर्त्तुः क्रियाफलात्ताप्तिर्नैवानर्थवच यद भद्रेत् ॥

गुण क्रियाभ्यां कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये ।

त्रुमेण च विरुद्धे यत् त सब तिष्मप्रे मतः ॥

॥१॥ कहीं {तम्बनिध्याँ} हैं अत्यन्त वैधर्म्य के कारण जो उनका तम्बन्ध न बनता प्रतीत हो {वह एक प्रकार का विषमालङ्कृत होता है और दूसरे प्रकार का तिष्म अलङ्कृत होता है जटाँ कि} {2} कर्त्ता को {अपनी} क्रिया के {अभीष्ट} फल की प्राप्ति न हो और उलटा अर्थ हो जाय {तो वह दूसरे प्रकार का विषमालङ्कृत कहलाता है} और {3} कार्य के गुण तथा {4} क्रिया से जो कारण के

1- कात्यालङ्कृत 7/54

2- कात्यालङ्कृत 9/45

गृण तथा क्रिया ना क्रमः तैयारीत्य हो रहे हैं तीसरे तथा चौथे प्रकार का निष्पम
अलङ्कार होता है।

उदाहरणार्थ --

१।६ शिरीषादपि मृद्गुनी लक्ष्यमायत लोचना ।

अयं क्वच च कृकूलाग्निकर्कशा मदनानलः ॥

तिरस [के] फूल से भी अधिक कोमल अङ्गुष्ठ टाली कहाँ यह दीर्घलोचना
नायिका है और कहाँ हुआग्नि के समान असद्य यह कामाग्नि ।

उपर्युक्त उदाहरण में मदनानल और नायिका दोनों सम्बन्धी हैं और दोनों
सम्बन्धियों के अत्यन्त विलक्षण होने से अर्थात् सम्बन्धियों ने हैरान्य के कारण उनका
सम्बन्ध अनुपपन्न-सा प्रतीत हो रहा है इसलिए यह विषमालङ्गार के प्रथम शेर का
उदाहरण है श्लोक में दो बार जो वह शब्द ला प्रयोग हुआ है इस कल्प के प्रयोग
से नायिका तथा मदनानल के सम्बन्ध की अनुपपद्यमानता त्यङ्गुण है।

१२) सिंहिकासुतसन्त्रस्तः राशः शीतामुमाश्रितः ।

जग्नसे ताश्रयं तन तमन्यः सिंहिकासतः ॥

जारनी के बच्चे से भयभीत होकर डरिण [अपनी] रक्षा के लिए [चन्द्रमा की]
शरण में गया किन्तु [वहाँ भी] उसकी रक्षा न हो सकी बोल्क वहाँ [उतको] दूसरे
सिंहिकासुत अर्थात् राहु ने आश्रय [अर्थात्] चन्द्रमा के सहित ग्रस लिया ।

प्रस्तुत उदाहरण में कर्त्ता जो है मृग है, यहाँ शेर से बचने के लिए मृग ने

बन्द्रमा की शरण ली थी परन्तु उत्तको अभीष्ट फल ली प्राप्ति न हो सकी उलटा अनर्थ ही हो गया अर्थात् उलटे राहु के हारा आश्रय सहित ग्रस लिये जाने से अनर्थ की प्राप्ति हो गयी । अतः यह उदाहरण विष्म अलङ्कार के दूसरे भेद का उदाहरण है।

(३१) सद्यः करस्यर्षमदाप्य चित्रं रण रण यस्य वृपाण्डेवा ।
तमालनीला शरदिन्दृपाण्डु यशोस्त्रतोऽयाभारण प्रसुते ॥

प्रत्येक युद्ध में जिसके हाथ का सर्व प्राप्त ररने तमाल के समान नीलवर्ण की तलवार दूरन्त ही तीनों लोहों के अलङ्कारस्य, शरदिन्दृ ते समान झूमा तर्ण के यश को उत्पन्न बरती है।

इस उदाहरण में कार्यभूत यश और कारणभूत वृपाण्ड दोनों के गुण स्वद्वारे के लिपरीत है। वृपाण्ड जो है वह तमाल के समान नीलवर्ण की है परन्तु उससे यश की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है वह शरदिन्दृ के समान झूमवर्ण है अर्थात् तमाल के समान नीलवर्ण वृपाण्ड ते शरदिन्दृ है समान झूम वर्ण की यश की उत्पत्ति वर्णित है अतः यह विष्म अलङ्कार के तीसरे भेद का उदाहरण है।

(३२) आनन्दमिमं कृत्यदललीचने ददासित्वम् ।
तिरहस्त्वमैव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥

हे कमल दल के समान नेत्रीताली (प्रिये) । तुम तो इस अमित आनन्द को प्रदान करती हो परन्तु तुमसे उत्पन्न हुआ तिरह मेरे शरीर को अत्यन्त सन्तप्त कर रहा है।

उपर्युक्त उदाहरण में ॥कारणभूत नायिका जा॥ आनन्ददान, ॥कण्मूत विरह के॥ शरीरसन्ताप का तिरोधी है। अर्थात् कारणभूत जो नायिका है वह अमित आनन्द को प्रदान करती है अतः कारण भूत नायिका ली क्रिया आनन्द प्रदान करता है परन्तु उस नायिका से उत्पन्न हुआ कार्यभूत जो तिरह है वह शरीर को अत्यन्त सन्तप्त करता है। कार्यभूत विरह की क्रिया है शरीर को सन्तप्त करना । अतः यहाँ कारण की क्रिया आनन्ददान और कार्य की क्रिया शरीर सन्ताप, इन क्रियाओं के विपरीत होने के कारण यह विषमालङ्घात के चौथे भेद का उदाहरण है।

इस प्रकार ममट ने भी स्फ्रट हारा स्वीकृत विष्म अलङ्घात के भेदों को स्वीकार किया। भेद केवल कठने के ढंग में है। स्फ्रट के बास्तवमूलक विष्म का स्वरूप ममट हारा स्वीकृत विष्म अलङ्घात का द्वितीय भेद है तथा स्फ्रट ने अन्तिशयमूलक विष्म की कल्पना की है। ममट ने उसे विष्म अलङ्घात के तीसरे और चौथे भेद के स्वरूप में कल्पित किया तथा स्फ्रट ने विष्म अलङ्घात के जो अन्य चार भेद माने हैं अर्थात् जहाँ कर्ता किसी कार्यवश थोड़ा सा भी कार्य नहीं करता, बहुत सा कार्य करता है, हीन होता हुआ भी कार्य कर देता है, ब्रमर्ध होता हुआ भी कार्य नहीं करता उसे ममट ने अलङ्घात के स्वतन्त्र भेद के स्वरूप में स्वीकृत नहीं किया।

स्पृष्टक ने भी ममट के ही मत का अनुसरण करते हुए विष्म अलङ्घात का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया है--

त्रिलङ्घकार्यान्विष्योस्त्वप्रित्तिर्विस्मसंघटना च विष्मम् ॥

प्रतिलङ्घक कार्य और अन्विष्य की उत्पत्ति तथा प्रतिलङ्घक की संघटना विष्म है।

स्युष्म ने तिष्ठम अलङ्कार के तीन भेद स्वर्गार किये हैं- [1] तिस्पकार्योत्पत्तित्तस्य तिष्ठम [2] अर्थोत्पत्तित्तस्य तिष्ठम [3] तिस्पतंघटनारूप तिष्ठम ।

कारण के दृष्टि अनुसार नार्य उत्पन्न होता है यह प्रसिद्ध होने पर भी जो प्रतिकूल नार्य उत्पन्न होता हुआ दिग्गार्ड देता है वह तिष्ठम का पुरुष भेद अर्थात् तिस्पत्तार्योत्पत्तित्तस्य तिष्ठम है। तथा इसी इष्ट [अर्था॒] की प्राप्ति में यदि कोई प्रवृत्त हो तो उस इष्ट की प्राप्ति में प्रवृत्त होने ताले तो न क्वल वह इष्ट प्राप्त न हो पर यदि अनिष्ट भी हो जाय तो यह तिष्ठम का द्वितीय भेद अर्थात् अर्थोत्पत्तित्तस्य तिष्ठम है। तिस्पतंघटना अर्था॒ उत्पन्न तेमेल तथा तिपरीत स्तर्ण्य लालों का तंघटन तिष्ठम का तीसरा भेद अर्थात् तिस्पतंघटनारूप तिष्ठम है।

उदाहरणार्थ--

सधः करस्पर्शमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा ।

तमालनीला शरीदन्दुपाण्ह यशोस्त्रलोकाभरण प्रसूते ॥

तमाल की तरह नीली कृपाण-लेखा जिसके हाथों का तिस्पत्तारी स्पर्श पाकर हर संग्राम में शरत् के चन्द्र की भाँति ध्वल तीनों लोलों का आभूषणभूत यश तूनन्त उत्पन्न कर देती है।

उपर्युक्त उदाहरण में तमाल की तरह नीली कृपाण-लेखा से शरत् के चन्द्र की भाँति ध्वल यश की उत्पत्ति उर्णित है अर्थात् कृष्ण वर्ण से शुक्ल वर्ण की उत्पत्तिकृत का वर्णन है। अतः यहाँ कारण के दृष्टि के अनुसार कार्य की उत्पत्ति न होने से यह तिष्ठम अलङ्कार के पुरुष भेद तिस्पकार्योत्पत्तित्तस्य तिष्ठम का उदाहरण है।

तीर्थान्तरैषृ मलपङ्क्षं ततीर्तिहाय

दिव्यास्तनुस्तनुभूतः तदत्ता लभन्ते ॥

ताराणसि त्वयि तु सक्तक्लेतराणां

लाभोऽस्तु ग्रुलमपि यात्ययुनर्भिहाय ॥

द्वासरे तीर्थ में शरीरधारी शृणीवद् पातक से पंकिल शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर तुरन्त प्राप्त कर लेते हैं। पर काशी। तेरे वहाँ शरीर छोड़ने वालों को, लाभ तो जाने देओ, मुल शरीर। भी फिर लौट कर नहीं मिलता है।

प्रस्तुत उदाहरण में इष्ट अर्थ है पंकिल शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर की प्राप्ति परन्तु इष्ट की प्राप्ति में प्रवृत्त होने वाले लो दिव्य शरीर की प्राप्ति रूप इष्ट तो नहीं प्राप्त होता परन्तु मुल शरीर के सर्वथा तिनाश-रूप द्वासरे अनिष्ट की उत्पत्ति होने से यह तिष्ठम अलङ्कार के द्वासरे भेद अर्थात् अनर्थात्प्रतितस्य तिष्ठम का उदाहरण है।

अरण्यानी क्वेयं धृतकनकसूत्रः क्वच स मृगः

क्वच मुक्ताहारोऽयं क्वच च स पतगः क्वेयमबला ।

क्वच तत्कन्यारत्नं लौलितमर्मीरभृतः क्वच च वयं

स्वमाकृतं धाता किमपि विभूतं पल्लवयति ॥

कहाँ तो यह श्वीषण जंगल और कहाँ सुवर्ण पढ़िने हुए वह दिरण। कहाँ यह मुक्ताधर और कहाँ वह पक्षी। कहाँ यह अबला। और कहाँ लौलित महीपति का वह कन्यारत्न और कहाँ हम। विधाता अपने हृदय को छिपा छिपा कर प्रकट करता है।

इस उदाहरण में स्कदम द्वेषित बन आयीं का अर्थात् विपरीत स्वरूप ताली तस्तुओं का संघटन छोने से यह विष्म अलङ्घा॑र के तीसरे भेद विस्त्रितसंघटनारूप विष्म का उदाहरण है।

इस प्रकार स्थूलक ने भी मम्मट द्वे ही मत का अन्तरण किया है तथा उन्होंने मम्मट द्वारा स्वीकृत विष्म अलङ्घा॑र के तीसरे भेद को प्रथम भेद माना है तथा उनके तीसरे भेद के उदाहरण को ही प्रथम भेद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है तथा मम्मट के द्वूसरे भेद को उन्होंने विष्म अलङ्घा॑र के द्वूसरे भेद के रूप में स्तीकार किया है।

तिव्वनाथ ने भी विष्म अलङ्घा॑र के स्वरूप-विवेचन में मम्मट और स्थूलक के ही मत को मानते हुए विष्म अलङ्घा॑र का लक्षण इस प्रकार प्रत्युत किया है--

गुणौ क्रिये ता येतस्यातां विस्त्रदे देवुकार्ययोः ।

यद्वारन्धस्य तैफल्यमनर्थस्य च संभवः ॥

विस्त्रयोः संघटना या च तदिष्मम् मतम् ।

यदि कार्य और कारण के गुण या क्रियार्थ परस्पर विस्त्र द्वे अथा आरम्भ किया हुआ कार्य तो पूरा न हो प्रत्युत कुछ अनर्थ आ पड़े यहां दो विस्त्र पदार्थों का मेल हो तो वहाँ विष्म अलङ्घा॑र होता है।

तिव्वनाथ ने स्थूलक के ही अनुसार विष्म अलङ्घा॑र के तीन भेद स्तीकार किये हैं। मम्मट द्वारा स्वीकृत विष्म अलङ्घा॑र के तीसरे और चौथे भेद को उन्होंने

प्रथम भेद के स्वरूप में स्त्रीकार करते हुए उनके उदाहरणों को प्रथम भेद के उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत किया है तथा मम्मट तथा स्थृयक हारा स्त्रीकृत विष्णु अलङ्कृत के द्वासरे भेद को उन्होंने भी विष्णु अलङ्कृत के द्वासरे भेद के स्वरूप में स्त्रीकार करते हुए उसका उदाहरण इस प्रकार दिया है-

अयं रत्नाकरोऽम्भोऽधिरित्यसेवि धनाश्चाया ।

धनं द्वूरेऽस्तु वदनमपूरि क्षारवारिभिः ॥

यह समुद्र रत्नों का आकार है, यह समझकर धन की आशा से घमने इसकी सेवा की थी, सो धन तो दूर रहा, यहाँ उलटा बारी पानी से मूँह भर गया।

उपर्युक्त उदाहरण में धन की आशा से जो समुद्र की सेवा स्वप्नी कार्य आरम्भ हुआ था वह तो पूरा नहीं हुआ, प्रत्यृत मुख में खारी पाने भरने से कुछ अनर्थ भी हुआ। अतः यह विष्णु अलङ्कृत के द्वासरे भेद का उदाहरण है।

दो विस्तृप्य पदार्थों के मेल को उन्होंने विष्णु अलङ्कृत के तीसरे भेद के स्वरूप में स्त्रीकार किया है। उदाहरणार्थ-

क्षवनं तस्यलक्ष्मूष्णणं नृपलक्ष्मीः क्ष महेन्द्रवीन्दता ।

नियतं प्रतिकूलवीर्तनो बत धातुश्चरितं सुहुःसहम् ॥

कहाँ वह वन जिसमें पेड़ों के बलकलही शरीर के आभूषण होते हैं और कहाँ यह राज्यलक्ष्मी जिसकी इन्द्रादिक भी वन्दना करते हैं।

इस उदाहरण में वन और राज्यलक्ष्मी इन दोनों विस्तृप्य पदार्थों की योजना हुयी है अतः यह विष्णु अलङ्कृत के तीसरे भेद का उदाहरण है।

कृपलयानन्दकार अप्यय दीक्षित ने भी ममट, ययुक, विश्वनाथ आदि आचार्यों की विष्णु-धारणा को ही स्वीकार किया है। उनके मतानुसार विष्णु अलङ्कृत का लक्षण है-

विष्णम् वर्ण्यते यत्र घटनाऽननुरूपयोः ।

क्लेयं शिरीषमृद्गङ्गी, क्ल तावन्मदनज्वरः ॥

जहाँ दो अननुरूप पदार्थों का वर्णन किया जाय, वहाँ विष्णु अलङ्कृत होता है, जैसे, कहाँ तो शिरीष के समान कोमल अंगठाली यह सून्दरी और कहा अत्यधिक तापदायक ३दुःसहृ कामज्वर ।

उपर्युक्त उदाहरण में अतिमृद्गत्व तथा अतिदुःसहत्व रूप धर्मों के छारा दो अननुरूप अर्थात् परस्पर असदृश पदार्थों सून्दरी तथा मदनज्वर का वर्णन किया गया है। अतः यह विष्णु अलङ्कृत के प्रथम भेद का उदाहरण है। अथवा जैसे--

अभिलब्सियदीन्दो । वक्तुलक्ष्मीं मृगाक्षयाः

पुनरपि सकृद्यौ मज्ज सहृत्याक्षम् ।

सुविमलयमधीबिम्बं पारिजातप्रसूनैः

सुरभ्य, वद नो चेत्वं क तस्या मुखं क ॥

हे चन्द्रमा, यदि तुम हिरन के समान आँख वाली उस नायिका के मुख की काँति को प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर एक बार समुद्र में ढूब कर अपने कलङ्क को धो डाली, इसके बाद अपने निर्मल बिंब को पारिजात के फलों से सुगन्धित करो।

नहीं तो, बताओ, कहाँ तुम और कहाँ उस सुन्दरी का मुख?

प्रस्तुत उदाहरण में चन्द्रमा तथा नायिका-वदनकांति की अनुसृता का वर्णन है। यह उदाहरण भी विष्णुअलङ्घन के प्रथम भेद का ही उदाहरण है यहाँ चन्द्रमा तथा नायिका-वदनकांति की अनुसृता जो है वह कवितार्कित है।

विष्णुकार्यस्योत्पत्तिरयरं विष्णुं मतम् ।

कीर्ति प्रसूते ध्वलां श्यामा तव कृपाणिका ॥

जहाँ किसी कारण से अपने से भिन्न गुण वाले कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ द्वितीय होता है, जैसे है राजन्, तेरी काली कटार इवेत कीर्ति को जन्म देती है।

इस उदाहरण में काली वस्तु से ध्वल की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ कारण के गुण के अनुसार कार्य की उत्पत्ति का वर्णन नहीं हुआ है अतः यह विष्णु अलङ्घन के द्वितीय भेद का उदाहरण है।

अनिष्टस्याप्यवीरीप्तिष्ठ दीदिष्टार्थसमृद्धमात् ।

भृश्याश्याऽद्विष्ट षुष्ठाखुस्तेन भक्षितः ॥

जहाँ किसी इष्टार्थप्राप्ति के लिए किये प्रयत्न से अनिष्ट प्राप्त हो, वह तीसरा विष्णु है, जैसे भोजन खाय की इच्छा से सपेटी को देखकर उसमें प्रविष्ट चूहा तर्फ के द्वारा खा लिया गया।

प्रस्तुत उदाहरण में इष्टार्थ की प्राप्ति के लिए किसी काम को करने वाले व्यक्ति को इष्टप्राप्ति तो नहीं होयी, साथ ही उससे अनिष्टप्राप्ति भी हो गयी। अर्थात् खाद्य प्राप्ति की इच्छा से पेटी को देखकर उसमें दूसे चूहे को न केवल भक्ष्यालाभ भक्ष्य की अप्राप्ति होवा, अपितु स्वयं अपने शरीर की भी हानि हो गयी अतः यह विषम अलङ्कार के तीसरे भेद का उदाहरण है।

इस प्रकार क्षुवलयानन्दकार ने भी स्वयक के ही मतानुसार तीन प्रलार का विषम माना है अन्तर केवल इतना है कि स्वयक का जो तृतीय भेद है वह अप्ययदीक्षित का प्रथम भेद है तथा स्वयक का प्रथम, द्वितीय भेद अप्यय दीक्षित का द्वितीय, तृतीय भेद है।

पण्डितराज जगन्नाथ ने स्वयक की ही तरह अननुरूप वस्तुओं के संसर्ग को विषम अलङ्कार का प्रधान लक्षण माना है। उनके मतानुसार विषम अलङ्कार का लक्षण इस प्रकार है-

अननुरूपसंसर्गं विषमम् ॥

उस संसर्ग (संबन्ध) विशेष को "विषम" कहते हैं जो अननुरूप (अयुक्त) हो।

दो वस्तुओं का ऐसा सम्बन्ध जो अनुकूल न हो विषम अलङ्कार का विषय होता है।

अननुरूप पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-

"स्पस्य योग्यमिति अनुरूपम्"- "अनुरूप" शब्द का अर्थ "योग्यता" (अनुकूलता) होता है। "अनुरूपम्" यह पद योग्यता अर्थ में अव्ययीभाव समाप्त करने पर बनता है।

"अनुरूपं यत्र न विद्यते इति अननुरूपम्" -- "अननुरूप" शब्द का अर्थ है "अनुरूप नहीं है जिसमें इस तिग्रह से सूक्ष्म बहुब्रीहि समाप्त के हारा योग्यता-रीढ़ित होता है योग्यता रीढ़ित जो सम्बन्ध है वह सम्बन्ध ही विषम अलङ्कृतर है। योग्यता का तात्पर्य जाधारण रूप से "ये उचित है" इस रूप में लिया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे सम्बन्ध के विषय में "यह अनुचित है अथवा उचित नहीं है" इस प्रकार का ज्ञान होता है वही सम्बन्ध अनुरूप है और उसे ही विषम अलङ्कृतर का स्थल माना जाता है।

सामान्यतः संसर्ग अर्थात् सम्बन्ध भी दो प्रकार का होता है-- ॥१॥ उत्पत्तिरूप संसर्ग और ॥२॥ संयोगादिरूप संसर्ग। इनमें से उत्पत्तिरूप संसर्ग की अयोग्यता दो प्रकार से होती है-- एक कारण के गुणों से विलक्षण गुण ताले कार्य की उत्पत्ति होने पर तथा दूसरी उत्पत्तिसंसर्ग की अयोग्यता इष्ट को सिद्ध करने का जो साधन है अर्थात् इष्ट साधन रूप में निश्चित कारण से अनिष्ट कार्य की उत्पत्ति होने पर।

संयोगादिरूप संसर्ग की अयोग्यता तब होती है जब दो सम्बद्धियों में से एक के गुण तथा स्वरूप से दूसरे सम्बन्धी के गुण तथा स्वरूप तिरस्करणीय हों। "अनुरूप संसर्गता" जो विषम अलङ्कृतर का लक्षण दिया है उसमें विषम अलङ्कृतर के सभी भेद समाविष्ट हो सकते हैं।

पण्डितराज जगन्नाथ ने विषम अलङ्कृतर के जिन भेदों का निरूपण किया है, स्थिरक और अप्पय दीक्षित ने वैसे तो इनमें से अधिकांश भेदों को स्वीकार तो किया था परन्तु उनका इस प्रकार से क्रीमिक विभाजन पं० जगन्नाथ ने ही किया जो

इस प्रकार है—

त्रिधम का उत्पत्तिल्प संसर्ग दो प्रकार का होता है जिसका उल्लेख पहले भी किया जा सुला है— एक लारण के गुणों से विलक्षण गुण लाले कार्य की उत्पत्ति होने पर और दूसरा इष्ट ताधन के रूप में निरीश्चित लारण से अनिष्ट कार्य की उत्पत्ति होने पर इनमें से अनिष्ट कार्योत्पत्ति के भी ये उपभेद बताये गये हैं—
इष्ट कार्य की अनुत्पत्ति और अनिष्ट कार्य की उत्पत्ति ये दोनों बारें जहाँ सा साथ हों वह रूप भेद है तथा केवल इष्ट कार्य की अनुत्पत्ति वह दूसरा भेद है और केवल अनिष्ट कार्य की उत्पत्ति यह तीसरा भेद है। ये तीनों भेद अनिष्टकार्योत्पत्ति शब्द से ही संगृहीत हो जाते हैं। इन भेदों में इष्ट तथा अनिष्ट के भी अनेक भेदों की कल्पना की है। उनके मतानुसार इष्ट चार प्रकार का होता है—॥१॥ अपने किसी सुखाधन वस्तु की प्राप्ति ॥२॥ अपने किसी दुःखाधन वस्तु की निवृत्ति और ॥३॥ विरोधीजन के किसी दुःखाधन वस्तु की प्राप्ति तथा ॥४॥ विरोधीजन के सुख ताधन वस्तु की निवृत्ति ।

इस प्रकार से इष्ट के चार प्रभेद होने के कारण इष्ट की अप्राप्ति वाले दो भेदों अर्थात् ऊर बताये गये तीन भेदों में से प्रथम तथा द्वितीय के भी चार-चार उपभेद हो जाते हैं। अनिष्ट की तीन प्रकार का होता है—॥५॥ अपने दुःखाधन रूप वस्तु तिथेष की प्राप्ति ॥२॥ दूसरे के सुखाधन रूप वस्तु की प्राप्ति और ॥३॥ दूसरे के दुःखाधन रूप वस्तु का नाश ।

यहाँ इष्ट की अप्राप्ति भी अनिष्ट की श्रेणी में आती है, अतः अनिष्ट भी चार प्रकार का होना चाहिए लेकिन इष्ट वस्तु की अप्राप्ति की स्वतन्त्र रूप से

गणना हो चुकी है इसी कारण अनिष्ट में इसकी गणना नहीं ली गयी है।

इस प्रकार अनिष्ट प्राप्ति ताले दोनों भेदों अर्थात् अमर अनिष्ट प्राप्ति के जो तीन भेद बताये गये हैं उन तीन भेदों में से प्रथम भेद तथा तृतीय भेद के भी तीन तीन भेद उपभेद हो जाते हैं।

इन्हीं इष्ट और अनिष्ट के आधार पर अर्थात् पूर्वोक्त चार भेदवाली इष्टप्राप्ति की पूर्वोक्त तीन भेद वाले अनिष्ट के साथ संसुष्टि होने पर इसी इष्टाप्राप्ति और अनिष्टाप्राप्ति दोनों के बारा होने वाली संसर्ग की अनुमत्ता के लारह प्रकार हो जाते हैं। इनमें कुछ भेदों के उदाहरण इस प्रकार है--
उत्पत्तिस्य संसर्ग की अयोग्यता के प्रथम भेद का उदाहरण--

अमृत-लहरी-चन्द्र-ज्योत्सन-रमा-बदनाम्भूषा-

न्यधीरिततो निर्मयदिव्यसाद-महामृधेः ।

उद्भवदयं देव त्वतः कथं परमोल्बण-

प्रलय -दृष्टन-ज्ञाला -ज्ञालाकूल्ये महार्ण गणः ॥

हे राजन् । आपने अमृत की लहरी चन्द्रमा की चाँदनी और लक्ष्मी के मुख-कमल को अपने सामने तृप्त कर दिया है और आप असीम प्रसन्नता के महासमूद्र हैं, ऐसे आपसे यह परम प्रुचण्ड प्रलयाग्नि के ज्ञाला-ज्ञाल से परिपूर्ण प्रताप-पुंज कैसे उत्पन्न हुआ?

अमृतलहरी आदि को नीचा दिखाने वाले अर्थात् सदा मधुर तथा शीतल रहने वाले आपसे प्रलयाग्नि के तृप्त प्रताप-राशि की उत्पत्ति प्रतिकूल होने के कारण आश्चर्यजनक प्रतीत होती है।

उपर्युक्त उदाहरण में तिरस्कार द्वारा द्वौचित माधुर्य, अनिन्द्रकाधःकरण द्वारा द्वौचित शैत्य और लक्ष्मी-मृबकमलवदर्थना द्वारा अवगत आहलादकत्व सर्वं प्रसन्नता आदि अनेक गुणों से यूक्त ऐसा कारण है उनसे उन गुणों से विस्तृत गुण वाले प्रतापरूप कार्य की उत्पत्ति दा वर्णन है। अतः यहाँ उपने गुणों से विलक्षण गुण वाले कार्य की उत्पत्ति दा वर्णन होने से अर्थात् कार्य कारण भाव के अनुरूप न होने के कारण यह प्रथम प्रकार के विष्म का उदाहरण है।

उत्पत्तिरूप संसर्ग की अयोग्यता के द्वितीय भेद ला उदाहरण --

द्वूरीकर्त प्रियं बाला पदमेनाताउयद्वृजा ।

स बाणेनाहतस्तेन तामाज्जु परिषस्त्वजे ॥

मुख्य नायिका ने क्रोध के कारण प्रिय को द्वार हटने के लिए क्षमलपुष्प से ताड़ित किया, उस पुष्प रूप कामवाण से आहत प्रिय ने तत्काल उसका आलिङ्गन कर लिया।

प्रस्तुत उदाहरण में इष्ट कार्य है प्रिय को द्वार करना और इस "प्रियद्वूरीकरण" रूप "इष्ट" के लिए नायिका द्वारा किये गये "पद्म-ताडन" रूप कारण से इष्ट की सिद्धि तो नहीं हुयी- प्रिय द्वार इष्ट नहीं प्रत्युत अनिष्ट की उत्पत्ति हो गयी अर्थात् प्रिय ने हटने के बदले और कर कर उसका आलिङ्गन कर लिया। अतः प्रिय के द्वारा आलिङ्गन रूप अनिष्ट ही सिद्ध हो गया। इस प्रकार यह उदाहरण इष्ट के लिए प्रयुक्त कारण से इष्ट की अनुत्पत्ति का उदाहरण है। वैसे तो यह उदाहरण इष्ट की अप्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति दोनों का उदाहरण है क्योंकि यहाँ प्रिय का द्वार न हटना अर्थात् प्रियद्वूरीकरणरूप इष्ट की अप्राप्ति तथा प्रिय के द्वारा

आलङ्कृत रूप अनिष्ट की प्राप्ति होनों का दी वर्णन है।

इस प्रकार अन्य भेदों का भी उदाहरण दिया जया है।

संयोगादिस्य तंसर्ग की अनुभवता का उदाहरण --

त्वान्तः खेलन्ती शशकीशमालोक्य चकिता

धृष्णप्रान्तं शृः श्रयति भयदर्त्तुः स्पर्दि या ।

अहो सेयं सीता विश्व विश्व परीता श्वीतचलत् -

करोटीकोटीभिर्वसीत खलु रक्षोद्युवतिभिः ॥

तन के मध्य में खेलती जो सीता खरगोश के एक बच्चे को देखकर चकित हो जाती थी और भवमंजक पति रामचन्द्र के धृष्णप्रान्त का आश्रय ले लेती थी, ऐद है कि वही सीता, मनुष्य के पिर की दीदियाँ जिनके कानों पर झूल रही है उन तरुणी राक्षसियों से घिरी हुई होकर शङ्कृत में निवास करती है, आश्चर्य है।

उपर्युक्त उदाहरण में सीता तथा राक्षसियों का समान अधिकरण रूप संयोग जा है विस्तृद्व होने के कारण अनुबन्ध है। सीता तथा राक्षसियों की सह स्थिति अर्थात्, सह स्थान में रहना विस्तृद्व है। सीता सौनदर्य-सौकुमार्य आदि गुणों से यूक्त एक स्त्री है और राक्षसी उनके विस्तृद्व नाश कर देने वाली क्षुर प्रवृत्ति आदि गुणों से यूक्त है। अतः दोनों के स्तर तथा गुण सह द्वितीय के तिपरीत हैं अर्थात् सीता के गुण तथा स्तर से राक्षसी गुण तथा स्तर तिरस्तरणीय है। अतः यह संयोगादिस्य संसर्ग की अनुभवता का उदाहरण है।

यहाँ पर इस उदाहरण में एक शङ्कृत होती है कि सीता तथा राक्षसियों का एक जगह होना लौकिक सत्य है। अतः इस उदाहरण में सीता तथा राक्षसियों

के संसर्ग की अनुरूपता जो प्रतिपादित ही गयी है तब लौकिकी होने के लारण कृतिप्रतिभा की अपेक्षा नहीं रक्ति उसमें लौकिकी प्रतिभा का कोई स्थान नहीं है। अतः यह अलङ्कृत नहीं है। क्योंकि इसे संयोगादिरूप संसर्ग की अनुरूपता का उदाहरण माना जाता है तो ऐनमनीलीखि उदाहरण जो भी संयोगादिरूप संसर्ग की अनुरूपता का उदाहरण मानना होगा-

क्वच शूक्रतयः क्वच वा मुकुताः क्वच पङ्क् व॒ क्वच च पङ्क्-णम् ।

क्वच मृगाः क्वच च कस्तुरी धिश् तिथात्रूर्विदग्धताम् ॥

वहाँ सीर्ये और कहाँ मोती, कहाँ कीचड़ और कहाँ कमल, वहाँ मृग और कहाँ कस्तुरी, तिथाता की विदग्धता [पितृणता] को धिल्कार है [जिसने ऐसे जोड़े मिलाये] ।

इस उदाहरण में केवल वस्तुस्थिति कथन है और तस्तुस्थिति -लक्ष्य लोकसिद्ध होने के कारण अलङ्कृत नहीं लहा जा सकता, क्योंकि केवल लौतिप्रतिभोत्तिथि पदार्थ ही अलङ्कृत की संलग्न से अभिहित होते हैं रसी में चमत्कार होता है। अलङ्कृत का तिथ्य वही अर्थ होता है जो लोक में असिद्ध हो तथा कठिकल्पना से अद्भूत होता है।

अतः संयोगादिरूप संसर्ग की अनुरूपता का उदाहरण है--

क्वच सा कुसुमसाराङ्कौ सीता चन्द्रकलोपमा ।

क्वच रक्षः बोदिराङ्कौ रमध्य-तंवास-वैशसम् ॥

कहाँ वह कृमुमतार [प्रेष्ठ कृम] के समान अङ्गों ताली चन्द्रकला-तृत्या सीता और कहाँ ब्रेर के अङ्गों ताली राक्षसी के मध्य निवास स्था कूरता।

उपर्युक्त उदाहरण में यद्यपि देवल सीता और देवल राक्षसियों के संसर्ग वी अननुरूपता है फिर भी वह कठिन का ठिकाक्षित नहीं है। कृमुमतार के समान कोमल अङ्गों ताली चन्द्रकला के समान सीता का सर्वं बीदिराङ्ग-रवत् कूर स्वभाव ताली राक्षसियों का एक साथ रहना ठिकाक्षित है जिसमें कोमलता और कूरता का एक स्थान पर होना कठिन कल्पना से असुद्धृत है। कहने का अभिमाय यह है कि पृथ्य के समान कोमल अङ्गों ताली सीता बीदिराङ्ग-रवत्य राक्षसी-समूह के सहरास ती जो अननुरूपता है वह लौकिक नहीं है, यह कठिन प्रतिभौतिक्षय है। अतः यह उदाहरण संयोगादिरूप संसर्ग ती अयोग्यता का उदाहरण है।

इसी आधार पर पण्डितराज जगन्नाथ ने, स्थिरक ने जो संयोगादिरूप संसर्ग ती अननुरूपता का उदाहरण दिया है उसका खण्डन किया है। उनके मतानुसार संयोगादिरूप संसर्ग वी अननुरूपता का "अरण्यानी—" यह जो उदाहरण दिया है जिसका उल्लेख किया जा चुका है यह ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिपाद्य अर्थ है वह कठिनप्रतिभौतिक्षयापित नहीं है। अतः उसे अलङ्ग-तर की भ्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्यय दीक्षित के "अनिष्टस्याप्यवाप्तिशय तदिष्य-र्थसमूद्घमात् अर्थात् इष्ट के लिए किये गये प्रयत्न से अनिष्ट की प्राप्ति होने पर विषम होता है इस भेद के लक्षण तथा उसके दोनों उदाहरणों का खण्डन किया है। उनके मतानुसार कृत्यानन्दकार अप्यय दीक्षित ने तिष्म अलङ्ग-तर के इस भेद का जो लक्षण

दिया है अर्थात् इष्ट की अप्राप्ति रूप भेद माना है वह ठीक नहीं है क्योंकि यह लक्षण "अपि" शब्द से संगृहीत है। अतः "अपि" शब्द से संगृहीत होने के कारण इससे "इष्टाप्राप्ति" ला भी ग्रहण हो जाता है। अतः केवल अनिष्टप्राप्ति रूप इन दोनों भेदों का भी विषम पद के साथ अन्वय होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनिष्टप्राप्ति तथा इष्टाप्राप्ति इन दोनों का साथ-साथ होने पर बनने वाले भेद, केवल अनिष्टप्राप्ति मूलक भेद और केवल इष्टाप्राप्ति मूलक भेद-इन तीनों भेदों का संग्रह होता है। इस प्रकार केवल अनिष्ट प्राप्ति तथा केवल इष्टानवाप्ति दो प्रकार का विषम होता है ऐसा कहना उचित नहीं है। इस लक्षण से "इष्ट की प्रपुराप्ति" रूप भेद का संग्रह जो कि अप्यय दीक्षित को मान्य है नहीं हो पाता। इसके स्पष्टीकरण में उन्होंने यह बात कही है कि "अस्मन्नामै देवदत्तस्य द्रव्यस्यापि लाभोऽस्ति" इत्यादि उदाहरण में द्रव्य शब्द के आगे आये हुए अपि शब्द हारा संगृहीत विधादि का द्रव्य के अन्वयी लाभम् में ही अन्वय होने के कारण "द्रव्य का लाभ और विधादि का लाभ" ऐसा ही बोध होता है यह निर्विवाद है। उपर्युक्त लक्षण में अपि शब्द "अनिष्ट" के पश्चात् आया है। अतः अपि शब्द से प्रतीत होने वाले इष्ट का सम्बन्ध भी उसी से होगा जिससे अनिष्ट का सम्बन्ध है। अनिष्ट का सम्बन्ध अवाप्ति से है इसलिए "इष्ट" का सम्बन्ध भी अवाप्ति से होना चाहिए यह कहना विषम के विपरीत है। प्रस्तुतवाक्य में "अनिष्ट" का अन्वय तो "अवाप्ति" के साथ है और अपि शब्द से लब्ध इष्टा प्राप्ति का विषम के साथ। अतः अपि शब्द हारा संगृहीत होने वाले पदार्थ का अन्वय भी वही होना उचित है जहाँ अपि शब्द प्रागवर्ती पद के अर्थ का होता है।

इसी प्रकार उन्होंने इस भेद के उदाहरण का भी खण्डन किया है। उनके मतानुसार पण्डितराज जगन्नाथ ने जो "भद्रयाज्ञात्मि षुषां इष्टाखुस्तेन मधिक्षितः" यह जो उदाहरण दिया है उनमें "न्वनपदता" दोष है। क्योंकि इस उदाहरण में "दृष्टा" में कत्वा प्रत्यय का योग है "कत्वा" प्रत्यय का प्रयोग "समानकृत्यक्योः पूर्वकाले" इस पाणिन-सूत्र के अनुसार तभी होता हैजब सक ही कर्ता के हारा की गयी दो क्रियाओं का क्रमिक वर्णन हो तथा दोनों क्रियाओं में से प्रथम क्रिया के साथ उसका प्रयोग होता है किन्तु यहाँ दूसरी क्रिया का अभाव है। अतः उत्तरकाल-वर्तीनी किसी अन्य क्रिया का यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है तथा उस तरह की किसी दूसरी क्रिया का भी आक्षेप न होने से "प्रतिष्ठ" पद की आकाई-क्षा बनी रहती है। यहाँ इस उदाहरण में दंशन क्रिया का कर्ता चूहा है और अक्षण क्रिया का कर्ता सर्प है। अतः कत्वा प्रत्यय अनुपपन्न है। चूहा स्वरूप कर्ता के हारा दंशन स्वरूप सक ही क्रिया का अन्वय होता है। कर्ता [चूहा] के हारा की गयी कोई दूसरी क्रिया उक्त नहीं है। यदि वहाँ पर "प्रतिष्ठः" इत्यादि कोई क्रियाबोधक पद होता तो कत्वा प्रत्यय की अन्वय हो जाता किन्तु यहाँ ऐसा नहीं है।

कृपलयानन्दकार ने केवल इष्टाप्राप्ति का जो यह खिन्नोऽसि- "उदाहरण दिया है पण्डितराज जगन्नाथने इसका भी खण्डन किया है। उनके मतानुसार यह उदाहरण भी केवल इष्टाप्राप्ति का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि इस उदाहरण में भरभूतविततबाहुसु इस अंश के हारा बाहु की अस्थि-संधियों के भङ्ग-रूप अनिष्ट की प्राप्ति साक्षात् अभिहित है और सब अङ्गों के चूर्ण होने तथा गोपों के गर्व के उपहार रूप अनिष्ट प्राप्ति की भी स्थष्ट प्रतीति हो रही है अतः इस उदाहरण

को केवल इष्टाप्राप्ति का उदाहरण कहना अनुचित है। यहाँ पर शैल पतन रूप अनिष्ट की प्राप्ति भी ही गतत्करकमल-स्पर्श-महिमा से न हुआ हो परन्तु इष्ट शैल पतन रूप अनिष्ट के अतिरिक्त अन्य अनिष्टों की प्राप्ति तो हुयी है। अतः यहाँ अनिष्ट प्राप्ति भी है इस उदाहरण से केवल इष्टाप्राप्ति का उदाहरण कहना अनुचित है।

मणितराज जगन्नाथ ने जो अप्यय दीक्षित के उपर्युक्त मत का खण्डन किया है उठ द्युकित संगत नहीं है, क्योंकि अलङ्कृत-विवेचन के प्रसङ्ग में व्याकरण की दृष्टि से केवल सक प्रत्यय को लेकर या थोड़ी सी बात को लेकर पूरे के पूरे सक भेद के लक्षण और उसके उदाहरणों का खण्डन करना बहुत तथ्यपूर्ण नहीं लगता।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वस्तुओं का अनुरूप संसर्ग ही विषम है। विषम अलङ्कृत-विवेचन में कार्य तथा कारण की विरोधी गुण क्रिया का योग दिखाने में ही चमत्कार रहता है। कार्य और कारण में विस्तृ गुण और क्रिया का योग ही इस अलङ्कृत-विवेचन का सौन्दर्य और आह्वादकत्व है तथा इसी में अलङ्कृत-विवेचन की विरोध-मूलकता है। सामान्य रूप से कार्य और कारण में समान गुण-क्रिया की ही उत्पत्ति होती है, परन्तु इस नियमभूमि में ही अर्धात् इस नियम के विस्तृ कार्य और कारण में विरोधी गुण क्रिया का वर्णन जैसा विषम अलङ्कृत-विवेचन में होता है काव्य में अपूर्व सौन्दर्य की सुषिष्ट करता है। विरोध अलङ्कृत-विवेचन में भिन्न देश में प्रसिद्ध वस्तुओं की सक्रिय घटना का वर्णन होता है उसी में चमत्कार रहता है। असङ्ग-ति अलङ्कृत-विवेचन में कार्य और कारण की भिन्नदेशता के वर्णन में चमत्कार रहता है। इसी प्रकार विषम अलङ्कृत-विवेचन में भी कार्य तथा कारण की विरोधी गुण क्रिया का योग दिखाया जाता है उसी में चमत्कार होता है यही कारण है कि इन अलङ्कृत-विवेचन को पृथक-पृथक विरोध-

सम अलङ्कृतर

सम अलङ्कृतर विष्णु अलङ्कृतर का विपरीत अलङ्कृतर है। विष्णु अलङ्कृतर में अननुरूप वस्तुओं का संसर्ग अपेक्षित होता है। इसके विपरीत सम अलङ्कृतर में अनुरूप वस्तुओं का संसर्ग वर्णन अपेक्षित माना गया है। सम अलङ्कृतर को एक स्वतन्त्र अलङ्कृतर के रूप में मान्यता सर्वप्रथम आचार्य मम्मट ने प्रदान की मम्मट के मतानुसार सम अलङ्कृतर का लक्षण है-

समं योग्यतया योगो यदि तम्भावितः क्वचित् ॥

यदि कहीं दो विशेष वस्तुओं का योग्यरूप से सम्बन्ध वर्णित हो तो सम नामक अलङ्कृतर होता है।

मम्मट ने सम अलङ्कृतर के दो शेष किये हैं- १० उत्तम वस्तुओं के योग में और १२ असद वस्तुओं के योग में। उदाहरणार्थ-

धातुः शिल्पातिशयनिकस्थानमेष मृगाक्षी
रूपे देवोऽप्ययमनुपमो दत्तपत्रः स्मरत्य ।
जातं दैवात्सदृशमनयोः सङ्कृतं यत् तदेतत्
शङ्कृतरस्योपनतमधुना राज्यमेकातपत्रम् ॥

यह मृगाक्षी नायिका ब्रह्मा के रचना कौशल की परीक्षा की क्षौटी है और कामदेव का भी सामृद्धय के लिए आवधान करने वाला यह राजा भी रूप में अनुपम है। भाव्य से इन दोनों का जो यह मैल हो गया है इससे अब शङ्कृतर का सकृद्धत्र राज्य आ गया है।

उपर्युक्त उदाहरण संघोग में समअलङ्घनार का उदाहरण है।

चित्रं चित्रं बत् भत् महाच्चित्रमेतद्विचित्रं
जातो दैवायूचितरचनासंविधाता विधाता।
यदीन्नम्बानां परिणतफलस्फीतिरास्वादनीया
यच्यैतस्याः कवलनकलाकोटिदः काकलोकः ॥

देखो, देखो आश्चर्य, महान् आश्चर्य की विचित्र बात है कि भाग्य से विधाता उचित सूचित रचना का करने वाला हो गया। क्याँकि इउसने नीम की पकी हुई निबौलियाँ के अपूर्व रस इस्फीति को पान करने योग्य बनाया है और उसके बाने की कला में निपुण काक समुदाय को बनाया है।

इस उदाहरण में काक और निबौली के सम्बन्ध का वर्णन किया गया है और काक और निबौली ये दोनों ही हीन भ्रेणी के अस्त पदार्थ हैं। अतः अस्त पदार्थों का योग होने के कारण यह असंघोग में "सम" अलङ्घनार का उदाहरण है।

स्म्युक ने भी विष्म के विपर्यय को समअलङ्घनार का लक्षण माना है-

तद्विपर्ययः समम् ॥

सम इससे इविष्म से उल्टा होता है।

स्म्युक ने यथोपविष्म अलङ्घनार के तीन भेद किये हैं। उनके मतानुसार यहाँ "तत्" पद से अन्तम भेद ही समझा जाता है क्याँकि प्रथम दो भेदों का विपर्यय अलङ्घनार नहीं हो सकता है। किन्तु अन्तम भेद का विपर्यय, विचित्रित होने के नाते सम नामक अलङ्घनार है। उन्होंने विष्म अलङ्घनार के अभिल्प तथा अनभिल्प

दो भेद किये हैं।

उदाहरणार्थ-

त्वमेवसौन्दर्या स च रूपिरतायाः परिचितः
कलानां सीमान्तं परमिह शुवामेव भजथः ।
अयि हन्दं दिष्ट्या तदिह सुभो संदिति वा-
मतः शेष यत्स्याण्जितीमह तदानीं गुणितया ॥

तुम इतनी सुन्दर हो, वह भी सुन्दरता को परिचानता है। कला की परम चरम सीमा आय दोनों में ही है। इस [संसार] में अयि सुन्दरि । आप दोनों का यह जोड़ा सौभाग्य से आपस में मिलता है। अब जो शेष बचा है [विवाह] वह भी हो जाए तो इस संसार में सहदयता की जीत हो जाएगी।

उपर्युक्त उदाहरण में नायक-नायिका की जोड़ी जो है अभिस्पृष्ट है। यहाँ अभिस्पृष्ट नायक-नायिका की जोड़ी के उचित संघटन की प्रशंसा की गयी है अतः यह अभिस्पृष्ट विषयक सम का उदाहरण है।

चित्रं चित्रं बत बत महीच्यतमेतीहिविचित्रं
जातो दैवाद्विषतरचनासंविधाता विधाता ।
यदीन्नम्बानां परिणतफलस्फीतिरास्वादनीया
यच्यैतस्याः कवलनकलाकोविदः काक लोकः ॥

ओह । ओह । आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है, यह विचित्र है कि विधाता, भाग्य से, उचित रचना का विधाता बन गया क्योंकि यहाँ नीम की पकी हुई

निबौलियाँ और इसके लिए विधाता नेहू कोअर्जों का यह संसार रच दिया जो निगलने की कला में निपुण है।

प्रस्तुत उदाहरण में एक दूसरे से छेमेल नीम और कोअर्जों के समागम ली प्रशंसा की गयी है अतः यह अनभिल्प-ठिक्कायक सम अलङ्कार का उदाहरण है। इस उदाहरण को मम्मट के सम अलङ्कार के दूसरे शेष असंयोग में सम अलङ्कार के उदाहरण के रूप में रखा है।

विश्वनाथ ने योग्य वस्तुओं की अनुरूपता को सम अलङ्कार का लक्षण मानते हुए उसके एक ही रूप को स्वीकार किया। उनके मतानुसार विष्म अलङ्कार का लक्षण यह है-

समं स्यादानुरूप्येण इलाघा योग्यस्य वस्तुनः ॥

योग्य वस्तुओं की अनुरूपता के कारण प्रशंसा को समालंकार कहते हैं। उदाहरणार्थ-

शीशनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं

जलनिधिमनुरूपं जहनुकन्यावतीराय ।

इति समगृणायोगपृष्ठीतयस्तत्र पौरा:

श्रितणाकट्टन्तपाणमेकवाक्यं विवर्णः ॥

यह चीन्द्रका मेघमुक्त विवरदत्तु^{११} के चन्द्रमा को प्राप्त हो गयी। अपने अनुरूप समूद्र में यह गंगा अवतीर्ण हो गई। इस प्रकार अब और इन्द्रमती के जोड़े की प्रशंसा करते हुए, समान गुर्णों के संयोग से प्रसन्न नगरनिवासी लोग अन्य राजाओं के कानों में छरकने वाले उक्त वाक्यों को एक स्वर से छब्बने लगे।

उपर्युक्त उदाहरण में दोनों योग्यों के मैल की इलाधा है। अतः यह सम अलङ्कृत का उदाहरण है।

कुवितयानन्दकार अप्यय दीक्षित ने अनुरूप पदार्थों का एक साथ वर्णन सम अलङ्कृत का लक्षण मानते हुए इसके तीन भेद स्वीकार किये। उनके मतानुसार सम अलङ्कृत का लक्षण है-

समं स्याह्वरानि यत्र द्वयोरप्यनुरूपयोः ।

स्वानुरूपं कृतं सदम् द्वारेण कृप्यमण्डलम् ॥

जहाँ दो अनुरूप पदार्थों का वर्णन एक साथ किया जाय, वहाँ सम अलङ्कृत होता है। ऐसे, हार ने इस नायिका के कृप्यमण्डल को अपने योग्य निवास स्थान बना लिया है।

यहाँ दो अनुरूप पदार्थों का वर्णन द्वोने से यह सम अलङ्कृत के प्रथम भेद का उदाहरण है सम अलङ्कृत का यह भेद विसम अलङ्कृत का प्रतीतद्वंदी है।

सारूप्यमपि कार्यस्य कारणेन समं विद्धः ।

नीचपृष्ठवर्णता लक्ष्मि । जलजायास्तवोचिता ॥

जहाँ कारण तथा कार्य में अनुरूपता हो, वह सम अलङ्कृत का दूसरा भेद है, ऐसे, है लक्ष्मि, जल से उत्पन्न होने वाली [मुर्ख से उत्पन्न होने वाली] तेरे लिए नीच के प्रति आसक्त होना ठीक नहीं है।

उपर्युक्त उदाहरण में कारण के स्वभाव के अनुरूप कार्य का निबंधन होने से अर्थात् कारण तथा कार्य में अनुरूपता होने से यह सम अलङ्कृत के दूसरे भेद का

तिनाऽनिष्टं च तत्सद्विर्यमर्थं कर्तृमृद्यतः ।

यूक्तो वारणलाभोऽयं स्यान्न ते वारणीर्थः ॥

जहाँ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कार्य को करने के लिए उद्यत व्यक्ति को उस वस्तु की प्राप्ति बिना किसी अनिष्ट के हो जाय, वहाँ भी सम अलङ्घनार होता है। ऐसे कोई व्यक्ति राजद्वार पर फटकार खास हुस व्यक्ति से मणाक में कह रहा है:- ठीक है, वारण हाथी की इच्छा वाले तुम्हें यह वारण लाभ ठीक ही तो है न ।

यहाँ हाथी को प्राप्त करने की इच्छा से राजा के पास जाते हुस व्यक्ति को राजद्वार पर हारपालों के हारा रोका गया है तथा राजद्वार पर हारपालों हारा रोके गये व्यक्ति के प्रति किसी अन्य व्यक्ति का नर्मवयन हृपरिहासोकित है।

प्रस्तुत उदाहरण में एक शैका यह होती है कि सम अलङ्घनार के इस भेद में किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कार्य को लरने के लिए उद्यत व्यक्ति को उस वस्तु की प्राप्ति बिना अनिष्ट के हो जाती है यह बात जो कही गयी है इस उदाहरण में यह कैसे संगत हो सकती है। यहाँ इस उदाहरण में हारपालों हारा रोका जाना अनिष्ट है, अतः यह उदाहरण सम अलङ्घनार के इस भेद का उदाहरण नहीं हो सकता लेकिन ऐसी शङ्क्षण करना ठीक नहीं है। राजद्वार पर क्षणभर निवारण की संभावना करके ही वह व्यक्ति उस कार्य में प्रवृत्त हुआ था, अतः राजद्वार पर हुआ जो निवारण है वह अनिष्ट की आपत्ति नहीं है। इस प्रकार यह उदाहरण सम अलङ्घनार के तीसरे भेद का उदाहरण है।

अथवा जैसे-

उच्चैर्गेष्टनभर्धयमान सव

त्वामाश्रयन्नह चिराद्बीष्टोऽस्मि राजन्

उच्चाटनं त्वमपि लभ्यसे तदेव

मामधृते नैव विफला महतां हि सेवा

है राजन्, मैं तुम्हारे नगर में बड़े दिनों से तुम्हारे आश्रय में इसलिए पड़ा हूँ कि मैं उन्नत ढार्थियों पर बैठ कर धूमना चाहता हूँ। तुम भी अपने छारा प्रार्थित उच्चाटन ठिकाल [ज्यर धूमना, देश निकाला] को मुझे दे रहे हो। सच है, बड़े लोगों की सेवा व्यर्थ नहीं जाती।

यहाँ इस उदाहरण में अप्यय दीक्षित ने तिष्ठम अलङ्घत्वर भी माना है। उनके मतानुसार "यहाँ यदीपि व्याजस्तुति ग्रे स्तुति के छारा निंदा की व्यंजना तिविद्धित होने पर तिष्ठम अलङ्घत्वर पाया जाता है, तथापि सर्वपुण्यम वाच्यार्थ के रूप में स्तुति की ही विवक्षा पायी जाती है और उसमें समालंकार का निवारण नहीं किया जा सकता।"

।- अत्र यदीपि व्याजस्तुतौ स्तुत्या निन्दाभित्यकितविवक्षाया तिष्ठमालंकारस्तथापि प्राथमिकस्तुतिस्पृष्टाच्यविवक्षायां समालंकारो न निर्णयते। इवं यत्रेष्टार्थतिप्रिप्त-
सत्तेऽपि श्लेष्टशादसतोऽनिष्टार्थस्य प्रतीतिस्तनापि समालङ्घत्वरस्य न क्षीतः ।

कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ यद्यपि आपाततः प्रतीत होने वाली जो स्तुति है उससे निन्दा की अभिव्यक्ति होती है अतः त्याजस्तुति है तथा उस निन्दात्मक अर्थ में अर्थात् इष्ट के लिए किये गये प्रयत्न से इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट गी प्राप्ति हो रही है इस लारण तिष्ठम अलङ्कार भी है। तथापि ताच्यार्थ के द्वारा प्रतीत होने वाली स्तुति में जो इष्टस्तु ले लिए प्रयत्न से इष्ट तस्तु की प्राप्ति का छोध होता है सम अलङ्कार भी है।¹

पण्डित राज जगन्नाथ ने अप्यय दीक्षित के उपर्युक्त उदाहरण का छण्डन किया है। उनके मतानुसार उनके इन उदाहरण के "मामुच्याटनं लभ्यसे" इस अंश में व्यन्तलभूधातु द्विकर्मक इदो कर्मो एक उच्याटनम् और दूसरे भामवाताऽ॑ कैसे हुआ। त्याकरण के अनुसार गतिहृदी- "दुव गत्यर्थक, हृष्टवर्धक सुत्रोक्त धातुओँ के अव्यन्तावस्था के कर्ताओं को व्यन्तावस्था में कर्मसंता का विधान करेगा, अन्य धातुओं के अव्यन्त कर्ता से व्यन्तावस्था में कर्मसंता प्रयुक्त तृतीया होगी, फलतः लभ धातु के अव्यन्तकर्ता को व्यन्तावस्था में इस मत के अनुसार लर्मसंता प्राप्त डी नहीं होती, अतः "उच्याटनं मया लभ्यसे" ऐसा ही राक्षय होना चाहिए" "माम्" यह सर्वधा अधृद्द ही है।

इस प्रकार पण्डितराज जगन्नाथ ने उक्त उदाहरण को दोषयुक्त तो बताया ही, साथ ही उन्होंने अप्यय दीक्षित ने जो इस अलङ्कार में तिष्ठम अलङ्कार भी माना है इनका भी छण्डन किया है। उनके मतानुसार उच्यगजों के द्वारा अटन की जगह उच्याटन इनिष्टकाष्ठन॑ स्पृष्टम्य निन्दा स्पृष्ट बन कर त्याजस्तुति का अङ्ग बन जाता है अतः वैसी स्थिति में अपवाद होने के कारण त्याजस्तुति के द्वारा तिष्ठम का बाध होना उचित ही है। सामान्य नियम का अपवाद स्वस्पृष्ट जब कोई विशेष नियम होता है तो वह सामान्य नियम को बाधित कर देता है। इस प्रकार यह

उदाहरण समालङ्घन्तार का उदाहरण है इसमें जैसा कि हुलयानन्दकार ने निष्मालङ्घन्तार को भी स्वीकृत किया वह ठीक नहीं है।

पीण्डितराज बग्नाथ ने भी अनुरूप सम्बन्ध को ही सम अलङ्घन्तार मानते हुए उसके लक्षण का विवेचन इस प्रकार किया है—

अनुरूपसंसर्गः समप्र् ।

इस प्रकार के सम्बन्ध को समालङ्घन्तार कहते हैं जो लोकदृष्टि से अनुरूप-योग्य [उचित] हो।

अनुरूप और संसर्ग पदों की व्याख्या तिष्म अलङ्घन्तार के विवेचन में की जा दृकी है। "अनुरूप" पद का अर्थ योग्यताहोता है। जहाँ योग्यता हो वहाँ अनुरूपता होती है और उस अनुरूपता का योग्यता से जो विशिष्ट सम्बन्ध है वह सम्बन्ध ही सम अलङ्घन्तार का विषय है।

संसर्ग तिष्म अलङ्घन्तार के समान दो प्रकार का होता है— उत्पत्तिस्म संसर्ग और संयोगादि स्म संसर्ग। इनमें से जो उत्पत्तिस्म संसर्ग की योग्यता अर्थात् अनुरूपता है वह तीन तरह से होती है— ॥१॥ कारण से अपने समान गुणाले कार्य की उत्पत्ति हारा ॥२॥ जैसे गुण वाली वस्तु से संसर्ग हो वैसे गुणों की उत्पत्ति हारा और ॥३॥ जिस किसी इष्ट की प्राप्ति के लिए कारण का प्रयोग किया गया हो उससे उस इष्ट की प्राप्ति हारा।

संयोगादिस्म संसर्ग की भी अनुरूपता दो सम्बन्धियों में से एक के गुण तथा स्वस्म द्वारा दूसरे के गुण तथा स्वस्म के अनुगृहीत होने पर होती है। इस तरह सम

इस तरह सम अलङ्कृत का अनुरूप संसर्गता रूप जो सामान्य लक्षण है उससे सम अलङ्कृत के जितने भी प्रभेद हैं सभी का ग्रहण हो जाता है।

उत्पीतरूप संसर्ग की अनुरूपता के प्रथम भेद का उदाहरण--

कृचलयलक्ष्मीं हरते तव कीर्तिस्तत्र विं चित्रम् ।

यस्मादीनदानमस्यात्तोकनमस्याद् ध्रिमङ्कृजस्तु भगवान् ॥

आप की कीर्ति कृचलय ऐरात्रि तिकासीकमलं भूमण्डलौ की शोभा ला हरण करती है इसमें क्या आश्चर्य , ल्याँकिं इसके उत्पादक हैं आप हैं जिनके चरण-कमल लोकों से दमस्करणीय हैं।

अर्थात् कीर्ति के कारण आप में जब लोकणयित्व तथा कमलणयित्व गुण है तब आप से उत्पन्न हुयी कीर्ति में भी इन गुणों का होना उचित ही है। यहाँ इस उदाहरण में कारण राणा है तथा राणा में लोकणयित्व तथा कमलणयित्व गुण है तथा राणा से उत्पन्न हुयी जो कीर्ति है उसमें भी इन्हीं गुणों के होने का वर्णन है।

अतः इस उदाहरण में कारण से अपने समान गुण वाले कार्य की उत्पीत का वर्णन होने से उत्पीतरूप संसर्ग की अनुरूपता के प्रथम भेद का उदाहरण है।

अर्थवा जैसे-

मन्त्रार्पितहीचर्दीप्तहुताशनतन्त्रभूतः ।

शिखास्यर्थेन पांचात्याः स्थाने दग्धः सुयोधनः ॥

मन्त्र पढ़कर प्रदत्त हौति से प्रज्ञलित अग्नि के शरीर से उत्पन्न होने वाली द्रोपदी की शिखा ॥८०टी॥ के स्वर्ण से हृयोधन उचित ही दग्ध हुआ।

अर्थात् अग्नि की शिखा ॥ज्ञाला॥ के स्वर्ण से जब दाह होता है तब अग्नि से उत्पन्न द्रोपदी की शिखा ॥८०टी॥ के स्वर्ण से भी दाह का होना समुचित ही है। कहने का अभियाय यह है कि जब अग्नि की शिखा के स्वर्ण से दाह होता है तब अग्नि से उत्पन्न होने वाली द्रोपदी की शिखा के स्वर्ण से दाह के होने का जो वर्णन किया गया है ठीक ही है, क्योंकि, कारण का गृण कार्य में भी होना ही चाहीहै। अतः यह भेद भी उत्पीत्तरूप संसर्ग की अनुस्पता के प्रथम भेद का ही उदाहरण है।

उत्पीत्तरूप संसर्ग की अनुस्पता के जो दोनों उदाहरण हैं पूर्वोक्त दोनों उदाहरण एक प्रभेद के हैं और इन दोनों उदाहरणों के परस्पर अन्तर को बताते हुए पण्डितराज जगन्नाथ ने स्पष्टरूप से यह बात कही है--

"कृतलयलक्ष्मीम्--" इस उदाहरण में कारण तथा कार्य के धर्मों ॥गुणोऽृ॥ का शक्यसम्बादन इलेष हारा हुआ है, तात्पर्य यह है कि समालङ्घन के प्रथम भेद का उदाहरण होने के लिए कारण और कार्य के गुणों का स्वरूप होना अपेक्षित है, जो उक्त उदाहरण में यदीप स्तुतः नहीं है, क्योंकि कारण राजा का धर्म है लोकनमस्यता-लोकणियत्व और कार्य-कीर्ति का धर्म है कृतलय ॥क्रमल॥ जीयत्व, तथापि "कृतलय" में जो इलेष ॥कृ=पृथ्वी का वलय॥ है उससे कार्य का भी धर्म लोकणियत्व हो जाता है।

इसी प्रकार मन्नार्पित-- इस द्वितीय उदाहरण में तो कारण और कार्य के धर्मों का अर्थात् मरण और दाह का शक्यसंबादन अभेदाध्यवसानरूप अतिशय हारा हुआ है। अभियाय यह कि यहाँ भी कारण-अग्नि का धर्म है, दाह और कार्य

द्रौपदी का धर्म है मरण अतः सक नहीं है। और यहाँ उन दोनों को सक करने वाला रेष भी नहीं है, पर तादृश्यमुलक अभदारोप करके उन दोनों को ऐमरण और दाह को सक मान लिया गया है। इस प्रकार दोनों उदाहरणों में रेष तथा अभेदाध्यक्षान रूप अतिशय का अन्तर है।¹ उत्पत्तिरूप संसर्ग की अनुस्पता के द्वितीय भेद का उदाहरण-

टडवानल कालकूट लक्ष्मी-मकर-त्यालगणः सहैधितः ।

रजनी रमणो भैरवनृणां न कथं प्राणतियोगकारणम् ॥

तडवानल, तिष्ठ, लक्ष्मी, मगर और सर्प के समूह के साथ बढ़ा हुआ चन्द्रमा। इन सबों के समूहासी होने के कारण ऐसा कहा गया है। मनुष्यों के प्राणतियोग ऐमरण का कारण क्यां न हो? जन्म से भारलों के साथ बढ़ने वाले को मारक होना ही चाहिए।

उपर्युक्त उदाहरण में टडवानल आदि वस्तुएँ मारकरूप अर्थात् मारकत्व गुण से यूक्त हैं। उनके संसर्गी चन्द्रमा में भी उन्हीं गुणों की उत्पत्ति वर्णित है। अतः मारकत्व गुण वाले टडवानल के संसर्गी चन्द्रमा से मरण रूप गुण की उत्पत्ति वर्णन होने के कारण यह उदाहरण उत्पत्तिरूप संसर्ग की अनुस्पता के द्वितीय भेद का उदाहरण है। इस उदाहरण में लक्ष्मी का भी कथन मारक रूप में ही किंवद्दि को अभीष्ट है।

उत्पत्तिरूप संसर्ग की अनुस्पता के द्वितीय भेद का उदाहरण--

नितरां धनमाप्तुमर्थीभिः क्षितिप त्वां समुपास्य यत्नतः ।

निधनं समलीभ्य तावकी खलु तेवा जनतंच्छतप्रदा ॥

हे राजन् । अत्यधिक धन प्राप्त करने के लिए याचकों ने यत्नपूर्वक आप की सेवा करके "निधन" (नितरांधन) मरण को प्राप्त किया, आप की सेवा निश्चित रूप से मनुष्यों की अभिलाषित वस्तु को देने हाली है।

इस उदाहरण में धन प्राप्ति की इच्छा से धनार्थियों हारा प्रयत्न किया गया और निधन (नितरांधन) भी प्राप्त कर लिया गया। यहाँ निधन पद गत इलेख के हारा भरण और बहुत धन का ऐक्य हो जाने से "बहुधन स्प इष्ट" के रूप में अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति में सम अलङ्कार कामतकार है। यहाँ त्याज स्तुति अलङ्कार भी है लेकिन त्याजस्तुति अलङ्कार में प्रारम्भ में स्तुति और पर्वतसान में निन्दा की प्रतीति होती है परन्तु यहाँ इस उदाहरण के प्रारम्भ भाग में जब तक केवल धन प्राप्ति रूप स्तुति की प्रतीति होती रहेगी तब उपर्युक्त कथनानुसार सम अलङ्कार होगा किन्तु जब निन्दात्मक मरण की प्राप्ति हो जाती है तब सम अलङ्कार का विषय नहीं रहता क्योंकि इस अर्थ की प्राप्ति हो जाने पर इष्ट-प्राप्ति अब नहीं रहती। यहाँ इष्ट के लिए प्रयुक्त कारण से अनिष्ट की प्राप्ति होने से तिष्ठम अलङ्कार की प्राप्ति होती है लेकिन त्याजस्तुति से तिष्ठम बाधित हो जाता है। अतः यह उदाहरण उत्पौत्तर्य संसर्ग की अनुस्पत्ता के तृतीय भेद का उदाहरण है।

संयोगादिस्प संर्व की अनुस्पत्ता भी दो प्रकार की होती है-- एक स्तुति में पर्वतसित होने हाली और द्वितीय निन्दा में पर्वतसित होने हाली ।

संयोगादिस्प संर्व की अनुस्पत्ता के प्रथम भेद का उदाहरण

अनाथः स्नेहाद्रो दिग्गीतगतिः पुण्यगतिशम्

पतक्षेन्वदतात्रीं गदादिलितः सिद्धभिज्ञम् ।

तृष्णार्तः पीयूष्मुकरनिधिमत्यन्तश्चूकः

सति र्मि प्राप्तस्तामदीमिह तिदध्याः तम्भितम् ॥

हे गङ्गा! अत्यन्त छोटा बालक मैं आप माता ही शरण में आया हूँ और आप स्नेहाद्रि है, मैं गतिहीन हूँ और आप परित गति देने वाली है, मेरा पतन हो रहा है और आप संसार का उद्धार करने वाली है। मैं रोग से ग्रस्त हूँ और आप सिद्ध औषधि है, मैं तृष्णार्त हूँ और आप अमृतसमूह का ज्ञाना है। अब आप जो उचित समझे करें।

उपर्युक्त उदाहरण में स्नेहाद्रिता आदि गुणों से युद्ध गङ्गा-T के साथ अनाधता आदि धर्मों से युक्त व्यक्तिविशेष का जो संयोगरूप संसर्ग वर्णित है उसकी अनुस्पता गङ्गा-T की स्तुति में पर्याप्ति दोने वाली है। अतः यह उदाहरण संयोगादिरूप संसर्ग की अनुस्पता के प्रथम भेद का उदाहरण है।

संयोगादिरूप संसर्ग की अनुस्पता के तीतीय भेद का उदाहरण--

युक्तं समाधां ब्रह्म मर्क्यनां शाश्वास्तर्मणां मृदुलासनाति ।

सुभाषितं चीत्कृतिरातिधेयी दन्तैर्नखाग्रैश्च तिपारितानि ॥

बन्दरों की समा में वृक्षों की शाश्वाएँ लोमल आसन हों, चीत्कार शब्द सुभाषित हो और दाँतों तथा नखाओं से काढ़ना अतीधि सत्कार हो यह सर्वथा उचित है।

प्रस्तृत उदाहरण में दानर्दों तथा तमाखादिर्दों का संयोग वर्णित हुआ है जो अनुरूप अर्थात् उचित ही है। अतः यहौं समालङ्घनार है, साथ ही संयोग नीं जो अनुरूपता है अप्रस्तृत दानर्दों से आवश्यक बलुडारी दृष्टि तमासदों की निन्दा में पर्याप्ति होती है। अतः यह उदाहरण संयोगादिल्प संसर्ग की अनुरूपता के तीतीय भेद का उदाहरण है।

इस प्रकार पण्डितराज जगन्नाथ ने तम अलङ्घनार के तीन भेद स्वीकार किये हैं। लूट्यक ने विष्म अलङ्घनार का सब ही भेद स्वीकार किया है। लूट्यक के मतानुसार अनुरूपर्दों का संयोग ही सम अलङ्घनार है, विष्म अलङ्घनार के समान इस [सम] के तीन भेद नहीं हो सकते। पण्डितराज जगन्नाथ ने लूट्यक के इस मत का अध्यन किया है।

अलङ्घनारसर्वस्वीकार स्वीकार की स्पष्ट मान्यता है कि विश्व लार्य की उत्पत्ति, अनर्थ की उत्पत्ति तथा विश्वर्दों का संयोग विष्म है और "तदौपर्ययः समम् अर्थात् इसका उपर्यय नाम बहलाता है। "तदौपर्ययः समम्" यह सम अलङ्घनार का लक्षण मानते हुए उन्होंने स्पष्ट स्वय से यह बात कही है कि तत् अर्थात् इसका उपर्यय सम कहलाता है। "तत्" यह से विष्म अलङ्घनार लक्षणगत संघटना स्व अन्तम भेद की ही ग्रहण किया जाता है ल्योंकि केवल उसके उपरीत्य में ही चालता तथा तृन्दरता रहती है अतः केवल उसका विवरीत स्व है। चमत्कारी होता है प्रथम दोनों भेदों अर्थात् विश्वकार्यात्पत्ति और अनर्थात्पत्ति का उपर्यय चमत्कारी नहीं होता। उस दोनों भेदों का क्रमशः उपर्यय है--

कारण से अनुरूप कार्य की उत्पत्ति और कारण से अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति । वह दोनों शेष स्वभावतः इस्त्र ही है कठिप्रतिभाँ प्रसृत नहीं है । अतः उनमें चास्ता का अभाव होने के कारण चमत्कार नहीं होता । अतसे तमङ्गलङ्गः आ दिष्म अलङ्गः आ की भाँति तीन प्रकार का नहीं होता इसे केवल अनुरूप संघटना रूप ही होता है ।¹

तिमर्जिनीकुआर जयरथ ने भी स्वयंक के इसी मत का समर्थन करते हुए कहा कि "कारण से उसके अनुरूप कार्य की उत्पत्ति लोकीसद्व तस्त्र है अतः उसका उर्णन चमत्कार जनक नहीं होता ।"

पण्डितराज जगन्नाथ ने उपर्युक्त स्वयंक और जयरथ दोनों के लधन को अतङ्गः त बतसश्स है, क्योंकि स्वभावतः अनुरूपकार्य के दर्जन में तथा स्वभावतः इष्ट-प्राप्त्यर्थ प्रयुक्त कारण द्वारा इष्ट प्राप्ति का दर्जन चमत्कारी नहीं हो सकता यह बात ठीक है, फिर भी जो कार्य कारण वस्त्रतः अनुरूप नहीं है उनली अनुरूपता का उर्णन जब इलेष आदि के द्वारा सर्वधर्मता का संपादन करके अर्थात् उनके धर्मों को

1. तिष्मतैर्घमर्यादिः प्रस्तावः । यद्यपि तिष्मस्य भेदत्रयमृक्तं, तथापि तच्छद्देन सम्भादनत्यो भेदः परामृश्यते । पूर्वभेदत्रयत्पर्यग्रस्यानलङ्गः आ रचात् । अत्यभेदे विष्मर्यस्तु चारुत्चात्समारव्योऽलङ्गः आः ।

स्व सिद्ध दरके किया जाता है तो चमत्कार होता है। इसी प्रवार ए स्तुतः अनिष्ट अर्थ ला भी इलेष आदि के तारा ही इष्ट है साथ एकता सिद्ध दरके जब इष्टप्राप्ति का उर्णन किया जाता है तब उसमें चास्ता होती है अर्थात् तब तब चमत्कारी होता है। अतः सम अलङ्कार भी तीन प्रकार का होता है।

पण्डितराज जगन्नाथ ने सम अलङ्कार के जो तीन भेद किये हैं। सम अलङ्कार के प्रथम दो भेदों के तिरोधमूलकता भासित नहीं होती, परन्तु तृतीय भेद इष्ट कारण से इष्ट कार्य की प्राप्ति के उदाहरण में तिरोध का आभास होता है जैसे "नितरां" इस उदाहरण में "नितरां" और "धन" शब्दों का पृथक् प्रयोग कर यह बताया गया कि राष्ट्र से याचकों ने अत्यधिक धन पाना चाहा, परन्तु उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त हो गया यह भाव त्यक्त करने के लिए कवि ने समस्त पद का प्रयोग किया जो कि मरण के अर्थ में प्रसिद्ध है और यही यहाँ विरोध का वारण है। बाद में "निधन" का नितरां धनं" यह प्रसिद्ध अर्थ करके ही यहाँ तिरोध का बीज नष्ट हो जाता है। अतः यहाँ सम अलङ्कार की अलङ्कारता सर्व तिरोधमूलकता दोनों सक साथ उपन्यस्त होती है। "निधन" शब्द के इलेष में ही यहाँ अलङ्कार का चमत्कार है।

यद्यपि सम अलङ्कार में कारण के अनुस्य कार्य की उत्पत्ति होती है अतः उसमें कोई तिरोध दिखाई नहीं पड़ता परन्तु इलेष विषयक सम उदाहरण में इलेष अलङ्कार के कारण तिरोध का आभास होता है और उसका निवारण भी हो जाता है। अतः यहाँ कारण कार्य में कोई अनुस्यता न होने पर भी विरोध्यमिता है, यही इस अलङ्कार का विचित्र प्रयोग अर्थात् वैचित्र्य है और इसी में अलङ्कारता है।

ષષ્ઠ અધ્યાય

અલ્લાહ • ૨૩ - વિવેચન
વિચિત્ર
અધિક
અન્યૌન્ય

विचित्र अलङ्कार

जब कोई व्यक्ति अपने अभीष्ट कार्य के विपरीत कोई प्रयत्न करे तो वहाँ विचित्र अलङ्कार होता है। विपरीत करने का अभिष्टाय यहाँ प्रतिकूल से है। करने का भाव यह है कि जिस प्रयत्न के द्वारा अपना इष्ट प्राप्त किया जा सकता है अर्थात् अपना अभीष्ट सिद्ध होता है, यदि उसी के विपरीत प्रयत्न किया जाय तो विचित्र अलङ्कार होता है। ममट के समय तक विचित्र अलङ्कार को स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। विचित्र अलङ्कार के स्वरूप की कल्पना कर उसे एक स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में मान्यता प्रदान करने का श्रेय सर्वप्रथम आचार्य रुद्यक को है। उनके मतानुसार विषम अलङ्कार का लक्षण है-

स्वविपरीतफलनिष्पत्तये प्रयत्नो विचित्रम् ॥

अपने हेतु से विपरीत फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न "विचित्र" है ॥

उदाहरणार्थ-

उन्नतये नमति प्रध्वं प्रधृष्टान् इष्टं बौद्धिस्तष्ठति
स्वद्वयव्ययमातनोति जडधीरागामिवित्ताख्या ।
प्राणान्प्रीणितमेव मु चरीत रणे किलशनाति भोगेच्छ्या
सर्वं तरीष्परीतमेव कुरुते तृष्णान्धदृक्सेवकः ॥

तृष्णा से अन्धा सेवक उन्नति के लिए स्वामी के सामने बृक्ता है, स्वामी के घर की देह-भाल के लिए बाहर छड़ा रहता है। जड़ूदृष्टि हेतक भविष्य में धन

पाने की आशा से अपना धन खर्च कर देता है। प्राणों के लिए ही रण में प्राण गवाँ देता है, लिप्सा से ही कष्ट सहन करता है। इस प्रकार सब कुछ विपरीत ही करता रहता है।

उपर्युक्त उदाहरण में नमन क्रिया आदि उन्नति के लिपरीत हैं अतः यहाँ विचित्र अलङ्घन्ति है। सामान्य सांसारिक व्यवहार में उन्नति के लिए व्यक्ति को ज्ञान उठने की आवश्यकता होती है, परन्तु यहाँ सेवक उन्नयन कार्य का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नमन क्रिया कर रहा है, जो आपाततः विरोध का बीज है और इसी में चमत्कार है। अन्ततः तो उन्नति के लिए अद्विकार छोड़ना एवं तिनमें होना उचित ही प्रतीत होता है। यद्यपि यहाँ कर्ता वस्तुतः अपने अभीष्ट सिद्ध या अभीष्ट फल को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करता है परन्तु उसके द्वारा किया गया जो प्रयत्न है ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रयत्न उसके उद्दीद्ध फल के विपरीत है। कर्ता अपने अभीष्ट फल के विपरीत कार्य का आरम्भ करके अभीष्ट फल की ही प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके द्वारा जो फल के विपरीत प्रयत्न वहाँ वह उसकी अभीष्ट सिद्ध में सहायक ही है। अतः उसके द्वारा किये गये प्रयत्न में यिस विरोध की प्रतीत होती है वह विरोध तात्त्विक न होकर अतात्त्विक ही होता है।

स्थियक के उत्तरवर्ती जितने भी आयार्य हैं सभी ने स्थियक के ही मत का अनुसरण करते हुए इष्ट फल के विस्तृ कार्य करना ही विचित्र अलङ्घन्ति का लक्षण माना है। इष्ट-सिद्ध के लिए इष्ट-विपरीत अर्थात् प्रतिकूल आयरण को विचित्र अलङ्घन्ति का लक्षण मानते हुए पण्डितराज जगन्नाथ ने भी स्पष्ट स्पष्ट से कहा है-

इष्टसिद्धयर्थीमष्टैजिषा क्रियमाणमिष्टविपरीताचरैर्ण विचित्रम् ॥

इष्ट-सिद्धि के लिए इष्टाभिलाषी के हारा किया जाने ताला इष्ट-प्रति-
कूल आवरण विचित्र कहलाता है।

उदाहरणार्थ-

बन्धोन्मुक्त्यै ब्रह्म ममुखान्कृतै कर्मपाशा

नन्तः शान्त्यै मुनिधत्मतानल्पचिन्तां वहन्ति ।

तीर्थं मण्णन्त्यभूमिर्थः पारमारोद्गामाः

सर्वं प्रामादिकमिह भवधान्तिभाजां नराणाम् ॥

संसार-भ्रम द्वाक्त मनुष्यों के तभी कार्य प्रामादिक औंगलतः होते हैं, क्योंकि ये लोग बन्धन से छुटने के लिए रूक्षादिक कर्मपाशों की रचना करते हैं। अन्तःकरण की शान्ति के लिए सैकड़ों मुनियों के मर्तों की (शास्त्रों की) अत्यधिक चिन्ता करते हैं और अशुभ समुद्र को पार जाने की इच्छा से तीर्थ में हुबकी लगाते हैं।

प्रस्तुत उदाहरण में प्रथम चरण में स्वप्नानुप्राप्ति विचित्र है, क्योंकि यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान जो कि बन्धनमुक्ति के लिए होता है उसे तब तक विपरीत नहीं कहा जा सकता जब तक यज्ञादि को पाश न मान लिया जाय। कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञादि को पाश मान लेने पर अर्थात् यज्ञादि में पाश का आरोप करने पर ही यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान बन्धनमुक्ति के लिए विपरीत हो सकता है। इस उदाहरण के द्वितीय चरण में शान्ति और चिन्ता के स्वभावतः विपरीत होने के कारण शुद्ध विचित्र है। इसी प्रकार तृतीय चरणात् "विचित्र" अर्थात् अशुभ समुद्र के पार जाने की इच्छा से तीर्थ में हुबकी लगाना यह भी स्वप्न से अनुप्राप्ति है, क्योंकि अशुभ को समुद्रस्पृष्ट माने बिना तीर्थ में हुबकी लगाना अर्थात् जब तक कि अशुभ को समुद्रस्पृष्ट नहीं माना जाता तीर्थ में हुबकी लगाना भी विपरीत नहीं होता।

इष्ट की अभिलाषा करने वाले की भ्रान्तता की जो अभिव्यक्ति है वही विचित्रालङ्घनार का मूल तत्त्व है। आचार्य जगन्नाथ ने हिचित्र अलङ्घनार के निष्पण में एक बात और स्पष्ट की है कि यदि किसी व्यक्ति को भ्रान्त व्यक्ति सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का वर्णन किया जाय जिसमें वह व्यक्ति अपना इष्ट प्राप्त करना चाहता है अर्थात् अपनी अभिष्ट-सिद्ध चाहता हो और अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए वह इस प्रकार का आचरण कर रहा हो जो कि उसके प्रतिकूल हो, परन्तु उसका यह आचरण भ्रमवशात् हो। कहने का भाव यह है कि वह अनुकूल आचरण के भ्रम से कोई प्रतिकूल आचरण कर रहा हो तो उसके उस आचरण को भी विपरीत आचरण होने के कारण, विचित्र अलङ्घनार का ही विष्म मानना चाहिए और इसके लक्षण में “विपरीत” पद के स्थान पर “अनुकूल” पद रख दिया जाय तो निम्नलिखित उदाहरण भी विचित्र अलङ्घनार का उदाहरण हो सकता है-

विष्वद्रीचा भृवनमधिलं भासते यस्य धाम्ना
सर्वसामप्यहमयमिति प्रत्ययालम्बनं यः ।

तं पुष्टिन्त स्वहृदयगतावेदिना विष्णुमन्या-
नन्यायोऽयं शिवं शिवं नृषां केन वा वर्णनीयः ॥

जिनके सर्वत्यापी तेज से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो रहा है और जो सभी की यह मैं ~~अहम्~~ इस प्रतीति का आधार है ऐसे विष्णु की, सहृदयवस्थित वस्तु को न जानने वाले मूढ जन द्वुसरों से पूछते फिरते हैं। शिवं शिवं मनुष्यों के इस अन्याय का वर्णन लौन कर सकता है।

इस उदाहरण में जीवस्य के सभी लोगों के लिए प्रत्यक्षसिद्ध अतश्व स्वतः सिद्ध इष्ट स्य परमेश्वर को जानने के लिए अर्थात् परमेश्वर के ज्ञान के लिए जो

द्वारों से प्रश्न किया गया प्रश्न है वह अनुकूलाभास है, अनुकूल सा प्रतीत होता है, क्योंकि इष्ट का साधन मुख्य रूप से अपना हृदय ही है, जैसा कि- "यत्साक्षादपरो-क्षात्" इस श्रुति वाक्य से सिद्ध है। अर्थात् श्रुति वाक्य भी इस व्यापार की अनुकूलता में प्रमाण है।

अब हमारे समझ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि विचित्र अलङ्कार में भी कारण के अननुरूप कार्य होता है तथा विषम अलङ्कार कार्य में भी "अननुरूप का सङ्कटम्" अर्थात् दो वस्तुओं का ऐसा सम्बन्ध जो अनुकूल न हो इस प्रकार का वर्णन होता है तो फिर विचित्र अलङ्कार और विषम अलङ्कार में भी कोई भेद नहीं मानना चाहिए विचित्र अलङ्कार को भी विषम अलङ्कार का ही अङ्ग मान लेना चाहिए। उपर्युक्त शंका के समाधान में यह बात कही जा सकती है कि विचित्र अलङ्कार का जो सौन्दर्य है वह व्यक्ति के इष्ट-विपरीत कार्य में प्रवृत्त होने में है जबकि विषम अलङ्कार अननुरूप कार्य कारण आदि की घटना में घमत्कार रहता है। विचित्र अलङ्कार तथा विषम अलङ्कार में अन्तर स्पष्ट करते हुए यह बात स्पष्ट रूप से पं० जगन्नाथ ने कही है कि- इष्टाभिलाशी के द्वारा किया जाता हुआ इष्ट-प्रतिकूल आचरण कारण प्रतिकूल कार्यरूप ही सिद्ध होता है। अतः विचित्र अलङ्कार का समावेश विषम अलङ्कार में ही हो जाता है, इस प्रकाश की आशंका करना उचित नहीं है, क्योंकि विषम अलङ्कार में जो कारण से विपरीत कार्य की उत्पत्ति होती है उसमें पुरुष के प्रयास और अपेक्षा नहीं की गयी है और विचित्र में पुरुष प्रयास सिद्ध विपरीत आचरण अपेक्षित होता है, इसी तरह विषम के भेदों का निरूपण कारण तथा कार्य के गुणों की विलक्षणता के आधार पर ही लिया गया है और विचित्र के निरूपण में विशेष रूप से कार्य-कारण के गुणों की विलक्षणता के आधार पर नहीं बनाया गया है। अतः यह विचित्र अलङ्कार-विषम से पूर्य

अलङ्कृत है व्यक्ति के आचरण से सापेक्ष और निरपेक्ष होने के आधार पर उन्होंने विचित्र और विषम के गेद को स्पष्ट किया है।

इस प्रकार निष्ठव्यर्थ रूप में यह बात कही जा सकती है कि यदीप विषम-लङ्कृत में भी कार्य और कारण परस्पर अनुरूप होते हैं, परन्तु कार्य और कारण के परस्पर अनुरूप होने पर भी दोनों में भेद है। विषम अलङ्कृत में किसी कर्ता की अपेक्षा नहीं होती केवल अनुरूप वस्तुओं का सङ्कृतन होता है। विषम अलङ्कृत में कार्य कारण भाव किसी व्यक्ति के हारा किया जाना आवश्यक नहीं होता। कहने का भाव यह है कि विषम अलङ्कृत में

॥१॥ नय कारणानुरूपं कार्यीकृते । तिष्मभेदोऽयं वाच्यः,

विषमे पुरुषकृतेरनपेक्षणात् । कार्यकारणगुणैलक्षण्यैनैव
तदभेदनिरूपणाच्य ।

रसगङ्गा-पठर, पृ० ५१८

कार्य-कारण-भाव प्राकृत होता है तथा विचित्र में वह कार्य-कारण-भाव छील्यत होता है। विषम अलङ्कृत में कार्य-कारण के गुणों की विलक्षणता ही उसका मुख्य विषय होता है। इसके विपरीत विचित्र अलङ्कृत में अपना जो अभीष्ट है उस अभीष्ट साधन के विपरीत कार्य करना ही मुख्य विषय होता है। अतः अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए इष्ट-विपरीत जो आचरण है अर्थात् जहाँ कर्ता अपने अभीष्ट फल के विपरीत फल के लिए प्रयत्न करता हौ वहाँ विचित्र अलङ्कृत होता है। इष्ट फल के प्रतिकूल कार्य करने के तर्जन में विरोध मूलक अलङ्कृत के रूप में विचित्र अलङ्कृत की सत्ता स्वीकार करना उचित ही है।

अधिक अलङ्घनार

अधि अलङ्घनार भी विरोध मूलक अलङ्घनार है। सामान्यतः, आधेय की अपेक्षा आधार अधिक विस्तृत होता है परन्तु इसके विपरीत जहाँ आधार से आधेय की दीर्घता का चमत्कारपूर्ण वर्णन होता है, वहाँ अधिक अलङ्घनार होता है। अधिक अलङ्घनार में आधेय के महत्व की स्थापना के लिए आधार की भी दीर्घता का निरूपण किया जाता है। आचार्य दण्डी ने अधिक अलङ्घनार की कल्पना एक स्वतन्त्र अलङ्घनार के रूप में तो नहीं की फिर भी अतिशयोक्ति के एक भेद के रूप में आश्रयातिशय के स्वरूप का निरूपण किया है उत्तर्में भी आधेय के महत्व की विवक्षा से आधार की विपुलता का वर्णन अपेक्षित माना गया है। दण्डी ने इसका जो उदाहरण प्रस्तुत किया मम्मट सर्वं अप्यय दीक्षित ने उस उदाहरण को अधिक अलङ्घनार के उदाहरण के रूप में ही उद्धृत किया है।

रुद्रट ने अधिक अलङ्घनार की कल्पना एक स्वतन्त्र अलङ्घनार के रूप में तो की परन्तु उन्होंने इसकी गणना अतिशयोक्ति मूलक अलङ्घनारों में की। आचार्य मम्मट के मतानुसार अधिक अलङ्घनार का लक्षण है-

महतोर्यन्महीयांसातश्रिताश्रययोः क्रमात्।

आश्रयाश्रयिणौ स्यातां तनुत्तेऽप्यथिकं तु तत्॥

【स्वभावतः】 महान् आधेय और आधार के क्रम से आधार और आधेय छोटे होने पर भी शूर्वनीय वस्तु के उत्कर्षबोधन के लिए【महान् दिखलायें जायें तो वह दो प्रकार का】 अधिक【अलङ्घनार】 होता है।

आश्रित अर्थात् आधेय और आश्रय अर्थात् उसका आधार । यहाँ उन दोनों के महान् होने पर भी उनली अपेक्षा छोटे भी आधार तथा आधेय अर्थात् बड़े आधेय की अपेक्षा छोटे आधार और बड़े आधार की अपेक्षा छोटे आधेय प्रस्तुत वस्तु के उत्कर्ष को कहने की इच्छा से जो अधिक [बड़े] करके वर्णित किये जाते हैं । वह दो प्रकार का अधिक [अलङ्घत्व] होता है । उदाहरणार्थ-

अहो विशालं भूमालं । भूवनत्रितयोदरम् ।

माति मातुमशक्योऽपि यशोराशिर्यदत्र ते ॥

है राजन् । यह तीनों लोकों का पेट बड़ा जिसमें आपका यश अपौरमेय होने पर भी समा गया है । उपर्युक्त उदाहरण में यशोराशि आधेय है, तथा "भूवनत्रितयोदर" उस आधेय का आधार है । यहाँ यशोराशि आधेय की अपेक्षा उसका आधार "भूवनत्रितयोदर" छोटा है परन्तु उस यशोराशि के महत्त्व को प्रदर्शन करने के लिए लघुतर आधार की भी विशालता का वर्णन "अहो विशालं भूमालं भूवनत्रितयोदरम्" यह कर किया गया है अतः यह अधिक अलङ्घत्व के आश्रय-लाभव स्पष्टम् भेद का उदाहरण है ।

युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत ।

तनौ ममुस्तत्र न कैट भद्रिष्टपोथमाभ्यागमसम्भवा मुदः ॥

प्रत्यक्षाल में समस्त प्राणियों को अपने भीतर लयकर लेने वाले विष्णु भगवान् के जिस शरीर में सारा जगत् अपने विस्तार सहित समा जाता है उस शरीर में तपोथम [नारद मुनि] के आगमन से उत्पन्न ही प्रसन्नता न समा सकी ।

प्रस्तुत उदाहरण में आधेय प्रसन्नता आधारभूत कृष्णदेह की अपेक्षा अल्प होने पर भी उसके उत्कर्ष प्रदर्शन के लिए उसके आधिक्य का वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अधिक अलङ्कार के आधेय-लाघव रूप द्वासरे भेद का उदाहरण है।

स्थिक ने भी आश्रय और आश्रयी में अनुस्पता न होने पर अधिक अलङ्कार मानते हुए उसके दो भेद स्वीकार किये हैं। उनके मतानुसार अधिक अलङ्कार का लक्षण है-

आश्रयाश्रयिणोरनानुस्प्यमधिकम् ॥

आश्रय और आश्रयी में अनुस्पता न होना "अधिक" है।

जिस स्थान पर दो वस्तुओं में आपस में अनुस्पता न हो वहाँ अधिक अलङ्कार होता है क्योंकि अनुस्पता का न होना अर्थात् अनानुस्प्य ही विरोध का कारण है। अनानुस्प्य के कारण ही विरोध की उत्पत्ति होती है। यह अनुस्पता दो रूपों में होती है। आश्रय के विशाल होने पर भी आश्रित के परिमित होने से अथवा आश्रित के होने पर भी आश्रय के परिमित होने से। उदाहरणार्थ-

यौरत्र क्वचिदाश्रिता प्रविततं पातालमत्र क्वचित्
क्वाप्यत्रैव धराधराधरजलाधारादीर्घर्तते ।

स्फीतस्फीतमहो नमः कियदिदं यस्येत्थमेवविद्य-
दीर्घे पूरणमत्तु शून्यमिति यन्नाभापि नाहतं गतम् ॥

यहाँ किसी जगह तर्ह आश्रित है, यहाँ किसी जगह पाताल फैला हुआ है, यहाँ कहीं पृथकी, पर्ति और समुद्रो का समूह है, अहा । यह आकाश कितना फैला है पर जिसका इस प्रकार से भी पूरण तो जाने दो, शून्य नाम भी समाप्त नहीं हुआ है।

उपर्युक्त उदाहरण में आश्रयभूत आकाश के विशाल होने पर भी आश्रित स्वर्ग आदि की परीमितता चर्ता उत्पन्न करती है अतः यह अधिक अलङ्घन्तर के प्रथम भेद आश्रयाधिक्यस्य अधिक अलङ्घन्तर का उदाहरण है।

दीर्दण्डार्थं चतुर्दशेष्वरधर्मुर्दण्डावभूषेष्ट-
ष्टंकारधवनिरार्थबालघरितप्रस्तावनाडीण्डमः ।
द्रावर्प्यन्तक्पालसंपुटीमलद्वृहमाण्डभाण्डोदर-
भ्राम्यतिपौण्डतचौण्डमा कथमहो नाथापि विश्राम्यति ॥

भृणदण्ड से घटाये हुए शिव-धनुष के दण्ड के टूटने से उत्पन्न टंकार-धवनि आर्य बृहामृ के बालघरित की प्रस्तावना की हुर्गी है। तेजी से चक्कर लगाने से क्पालसंपुट से संघटित होने वाला ब्रह्माण्ड-भाण्ड के मध्य में घूमने वाला पुजीभूत पराक्रम, अहो आज तक भी क्यों विज्ञाम नहीं लेता?

प्रस्तुत उदाहरण में आश्रितस्य टंकार-धवनि के महान होने पर भी ब्रह्माण्ड जो कि आश्रयस्य है उस ब्रह्माण्ड की लघुता बताई गयी है। अतः यह अधिक अलङ्घन्तर के द्वितीय भेद आश्रिताधिक्यस्य अधिक अलङ्घन्तर का उदाहरण है।

इस प्रकार विश्वनाथ, अप्यय दीक्षित आदि सभी आचार्यों ने अधिक अलङ्घन्तर के सम्बन्ध में उपर्युक्त मत का ही समर्थन किया है। पौष्टिराज जगन्नाथ के मतानुसार अधिक अलङ्घन्तर का लक्षण है-

आथारायेयोरन्यतरस्यातिविसृतत्वसिद्धिफलक-
मितरस्यातिन्यूनत्वं कल्पनमधिकम् ॥

आधार और आधेय में से किसी एक को अतिविस्तृत सिद्ध करने के लिए दूसरे की अतिन्यूनता की कल्पना अधिकालङ्घन है। उदाहरणार्थ-

लोकानां विपदं धूनोसि, तनुधे संपत्तिमत्युत्कटा-
मित्यल्पेतरजलिपत्तेजडिध्यां भूपाल मा गा मदम्।
यत्कीर्तिस्तव वल्लभा लघूतरब्रह्माण्डसदमोदरे
पिण्डीकृत्य महोन्नतमपि तनुं कष्टेन हावती॥

हे राजन् "आप लोगों की विपत्ति को दूर करते हैं और अत्यन्त उत्कट संपत्ति का विस्तार करते हैं" इस तरह की मूढ़मातिर्यों की बड़ी-बड़ी बातों से गर्व न करें क्योंकि आपकी वल्लभा कीर्ति इस छोटे से ब्रह्माण्डरूप गृह के मध्य में अपने अतिविशाल शरीर को सिकोइकर बड़े कष्ट से रहती है- जो आप अपनी वल्लभा के कष्ट का भी शमन नहीं कर पाते उनके लिए आप लोगों की विपत्ति का निवारण करते हैं" इस तरह अज्ञानोक्ति से गर्व करना क्षेत्र आत्म-प्रब्रह्म चना ही है।

उपर्युक्त उदाहरण में ब्रह्माण्डरूप आधार की अतिलघूता की कठिन हारा जो कल्पना की गयी है उससे कीर्तिरूप आधेय की महत्ता फौलत होती है अर्थात् यहाँ ब्रह्माण्ड की अतिलघूता की कल्पना से आधेयरूपा कीर्ति का परमहत्त सिद्ध होता है अतः यह अधिक अलङ्घन है।

गिरामविष्वर्यो राजनिवस्तारस्तव येतसः।
सावकाशतया यत्र शेते विश्राश्रयो हौरः॥

हे राजन् । जिस में बगदाधार भगवान् सावकाशता से ऐपूरे फैलाव के साथ सोते हैं आपके उस विस्तार का विस्तार व्यनगोचर है- अवर्णनीय नहे।

प्रस्तुत उदाहरण में "सावकाशता से" इस कथन के द्वारा- आधेय हीर की न्यूनता कील्पत हीर है जिस से आधार राजा-चित्त की महत्ता सिद्ध होती है अतः यह उदाहरण अधिक अलङ्घन्तर के द्वासरे भेद आधाराधिक्यरूप अधिकालङ्घन्तर का उदाहरण है। पण्डितराज जगन्नाथ ने अधिक अलङ्घन्तर के लक्षण में "कल्पना" शब्द पर विशेष बल देते हुए यह सूचित किया है कि अधिकालङ्घन्तर में आधारादि की न्यूनता अथवा अधिकता कील्पत होनी चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने अलङ्घन्तरसीवस्तकार स्थियक द्वारा प्रस्तुत अधिक अलङ्घन्तर के द्वासरे भेद का वर्णन किया है। उनके मतानुसार स्थियक ने अश्रुताधिक्यरूप अधिक अलङ्घन्तर का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह भी उपर्युक्त नहीं है क्योंकि अलङ्घन्तर सर्वस्तकार के "धौरत्र"-इस उदाहरण में स्वर्गादि आधेय से परब्रह्मरूप आधार की अधिकता वास्तविक होने से अलङ्घन्तर होने की योग्यता नहीं रखती है अतः इसे अधिक अलङ्घन्तर का उदाहरण नहीं माना जा सकता।

पण्डितराज का यह कथन युक्तिसंगत ही प्रतीत होता है क्योंकि वास्तविक वर्णन में कोई चमत्कार नहीं होता। कथन का चमत्कारपूर्ण दृग उकित की चिपिछित-ही अलङ्घन्तर है। अतः किसी भी उकित के लिए अलङ्घन्तर होने के लिए यह आवश्यक है कि वह कवि कील्पत हो अर्थात् कवि प्रतिभा से समुद्भूत हो।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह ज्ञात स्पष्ट हो गयी कि अधिक अलङ्घन्तर में आधार और आधेय में किसी एक को अत्यन्त विस्तृत सिद्ध करने के लिए द्वासरे की न्यूनता की कल्पना की जाती है। अतः यह अलङ्घन्तर आधाराधेय-भाव सम्बन्ध पर आधारित है। सामान्यतः, आधेय की अपेक्षा आधार अधिक विस्तृत होता है परन्तु अधिक अलङ्घन्तर में इसके विपरीत आधेय की दीर्घता का चमत्कारपूर्ण वर्णन होता है

इसी में इस अलङ्कृत की अलङ्कृतता है तथा आश्रम और आश्रयी में अनुस्पता न होना ही अधिक अलङ्कृत की विरोधमूलकता है।

अन्योन्य अलङ्कृत

अन्योन्य का अर्थ है परस्पर । जिस स्थान पर परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुँचाने का भाव हो, परस्पर एक दूसरे का उपकार करने का भाव हो वहाँ "अन्योन्य अलङ्कृत" हो जायेगा और दोनों में परस्पर उपकारी-उपकृत भाव हो जायेगा । तथा इसी प्रकार द्वितीय यदि पहले का उपकार करता है तो वह "उपकारी" और पहला "उपकृत" हो जायेगा अर्थात् दोनों में उपकृत-उपकारी भाव हो जायेगा । ठीक यही बात "अन्योन्य" अलङ्कृत में भी होती है । स्त्रट के मतानुसार अन्योन्य अलङ्कृत का लक्षण है-

यत्र परस्परमेकः कारणभावोऽभिधेयोः क्रिया ।

संजायेत स्फारिततत्त्वविशेषस्तदन्योन्यम् ॥

जहाँ दो पदार्थों में परस्पर क्रिया के द्वारा विशिष्टता विशेष अर्थ को परिपूष्ट करने वाला एक कारण भाव [कारकत्व] हो, उसे अन्योन्य कहते हैं । उदाहरणार्थ-

० स्यं यौवनलङ्घया यौवनमपि स्यसंपदस्तस्याः ।

अन्योन्यमतंकरणं विभागेत शरदिन्दुमुन्दयाः ॥

शरत्कालीन चन्द्रमा के समान उस दुन्दरी का स्य यौवन को अलंकृत कर रहा है और यौवन स्य को उपर्युक्त उदाहरण में यौवन और स्य परस्पर एक दूसरे की

शोभा-वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ एक क्रिया "विभाति" द्वारा उक्त दोनों पदार्थ एक दूसरे के कारकमाव को प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात् यौवन कर्ता है तो रूप कर्म है, और रूप कर्ता है तो यौवन कर्म। अतः यह उदाहरण अन्योन्य अलङ्घन का उदाहरण है।

ममट ने भी एक क्रिया के द्वारा दो पदार्थों के परस्पर कारण या जनक होने में कठी पर अन्योन्य अलङ्घन का माना है उनके मतानुसार अन्योन्य अलङ्घन का लक्षण है-

क्रिया तु परस्परम् ॥

वस्तुनोर्णनेऽन्योन्यम् ।

क्रिया के द्वारा दो पदार्थों के एक-दूसरे के उत्पादन में शुभ्यत् वैचित्रयं यह अध्याहार करके अर्थ होगा॥ अन्योन्य अलङ्घन कहलाता है।

एक क्रिया के द्वारा दो पदार्थों के परस्पर कारण होने पर अन्योन्य अलङ्घन होता है। उदाहरणार्थ-

हंसानां सरोभिः श्रीः सायतीऽथ सरसां हंसैः ।

अन्योन्यमेवैत आत्मान केवलं गुरुर्लुर्वीन्त ॥

तालाबों के द्वारा हंसों की शोभा बढ़ती है और हंसों के द्वारा तालाबों की श्री वृद्धि होती है। ये दोनों एक दूसरे के द्वारा अपने ही गौरव को बढ़ाते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में "तालाब" तथा "हंस" दोनों एक दूसरे की श्रीवृद्धि के द्वारा दोनों एक दूसरे के कारण शून्यक है यहाँ तालाबों की श्रीवृद्धि का कारण हंस है और हंसों की श्रीवृद्धि का कारण तालाब है अतः दोनों के एक दूसरे के कारण शून्यक

होने के कारण यह अन्योन्य अलङ्कार का उदाहरण है।

स्थिक ने भी अन्योन्य के लक्षण में एक क्रिया के द्वारा दो पदार्थ के परस्पर कारण या जनक होने की बात कही है--

परस्परं क्रियाणनेऽन्योन्यम्

क्रियो के परस्पर निष्पादन में अन्योन्य है। उदाहरणार्थ-

कण्ठस्थ तस्याः स्तनबन्धुरस्य भ्रक्ताक्लापस्य चनिस्तलस्य।

अन्योन्यशोभाजननादु बभूव साधारणो भूषणभूष्यभावः ॥

उस **प्रार्थी** के कण्ठ का तथा स्तनों में ऊंचे नीचे गोलाकार मुक्ताहार का एक दूसरे की शोभा पैदा करने के कारण, अलंकार्य और अलंकार का सम्बन्ध समान था। प्रस्तुत उदाहरण में शोभा क्रिया है तथा इस क्रिया के द्वारा कण्ठ तथा मुक्ताहार की अर्थात् एक दूसरे की **शोभा** की **निष्पादकता** है। अतः यह उदाहरण अन्योन्य अलङ्कार का उदाहरण है।

छवलयान्दकार अप्यदीक्षित ने भी दो वस्त्रों में परस्पर उपकार की भावना को अन्योन्य अलङ्कार की संज्ञा से अभिहित किया है-

"अन्योन्यम् नाम यत्र स्याद्युपकारः परस्परम् ।

क्रियामा शशिना भाति शशी भाति क्रियामया ।"

वहाँ दो वर्ण्य परस्पर एक दूसरे का उपकार करें, वहाँ अन्योन्य अलङ्कार होता है। ऐसे रात्रि चन्द्रमा के द्वारा शशीभित होती है और चन्द्रमा रात्रि के द्वारा ।

प्रस्तुत उदाहरण में चन्द्रमा रात्रि का उपकारकर रहा है, रात्रि चन्द्रमा का उपकार कर रही है, दोनों एक दूसरे का परस्पर उपकार कर रहे हैं अतः यहाँ अन्योन्य अलङ्कार है। अथवा जैसे-

यथोद्धर्वाक्षिः पिबत्यम्बु परित्याङ्गुलिः ।

तथा प्रपापालिकाणि धारां वित्तनुते तनुम् ।

परिथक जैसे ही विरल अंगुलियाँ किस, ज्मर आँख उठाये, पानी पी रहा है, जैसे ही प्रपालिका भी पानी की धारा को मन्दाकर देती है। प्रस्तुत उदाहरण में परिथक ने अंगुलियाँ को विरल असंलग्न करके बड़ी देर पानी देने की प्रार्थना के द्वारा उस प्रयालिका, का जो पानी पिलाने के बहाने अपने प्रति लोगों का बड़ी देर तक आकर्षण पसन्द करती है, बड़ी देर तक अपने मुख का अवलोकन कराना चाहती है- उपकार किया है। इसी प्रकार प्रपालिका ने पानी पीने के बहाने बड़ी देर तक अपने मुख को देखने वाले परिथक की इच्छा का- जल की धारा को मन्दा बनाकर पानी पिलाने की चेष्टा के द्वारा उपकार किया है इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः यहाँ अन्योन्य अलङ्कार है। यहाँ यथोपरिथक और प्रपालिका दोनों के व्यापार के द्वारा अपना अपना किया जा रहा है, तथापि के दूसरे का भी उपकार अवश्य कर रहे हैं, अतः उनके द्वारा विशेष परस्परोपकार का निषेध नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त उदाहरण में यथोपरिथकार की भावना निरीक्षित है और परस्परोपकार की भावना का समावेश होने के कारण ही इसे आन्योन्य अलङ्कार के उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है परन्तु परिणित राज बगम्बनाथ ने कृष्णलयामन्द का इस उदाहरण की आलोचना की है तथा इस वृत्तिभाग की पदबना को

को ही व्युत्पत्तिशीर्थीयल बताया है- "तावर्दिपंपदरचनै-वायुष्मतो ग्रन्थलुर्त्व्युत्पत्ति-
शीर्थल्यमुद्भिरति।" तथा "स्वमुखावलोकनमभेलपन्त्याः अपने मुख का दर्शन चाहती
हुयी इस वाक्यांश में उपान्त "स्व" शब्द से प्रपालिका का बोध उचित है न कि
परिधिक का जान पड़ता है, द्वितीय "स्व" शब्द प्रपालिका के साथ। जबकि कीर्ति को
ऐसा कहना अभीष्ट नहीं है "स्व" शब्द यहाँ प्रपालिका के विशेषण में अन्तर्धिकता है।
इसी तरह स्वमुखावलोकनमभेलष्टः:- अपने मुख का दर्शन चाहते हुए इस वाक्यांश
में प्रयुक्त- "स्व" शब्द का अर्थ परिधिक होना उचित है न कि कुछलयानन्दकार का
अभिमत प्रपालिका, क्योंकि यहाँ "स्व" शब्द परिधिक के विशेषणमें उपात्त हुआ है।
और यदि सिद्धान्त के अनुसार उन दोनों का ही बोध होगा तब अर्थ की असंगति
स्पष्ट ही है।

यदि यह कहा जाय कि सर्वनामो की शीक्षित "हुद्विस्थ प्रकार से अवैचिन्न" में
होती है- अर्थात् जिस वस्तु को वक्ता हुद्विस्थ कर रखा जो वही सर्वनाम का अर्थ
होता है, अतः अभीष्ट बोध सिद्ध हो जायेगा क्योंकि यहाँ क्रमशः "परिधकत्व" और
"प्रपालिकात्व" को ही दीक्षित जी ने हुद्विस्थ कर रखा है, तदवैचिन्न परिधिक तथा
प्रपालिका में क्रमशः "स्व" शब्द की शीक्षित होगी, परन्तु यह कथन भी उचित नहीं
है क्योंकि "सर्वनामों की हुद्विस्थप्रकारावैचिन्न में शीक्षित" यह एक सामान्य नियम
है और इस नियम का प्रयोग कभी जगह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस नियम
के अनुसार तत् शब्द का प्रत्यक्षतर्ती, इदम् शब्द का परोक्षतर्ती, अस्मदशब्द का वक्ता
से अन्य और युक्तमद शब्द का संबोध्य से भिन्न अर्थ हुद्विस्थ मान कर कर सकते हैं,
परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। अतः ऐसे "पूर्" परोक्षतर्ती का, इदम् प्रत्यक्षतर्ती,

का, "अस्मद्" वक्ता का और "युष्मद्" संबोध्य का बोधक है" ये सब विशेष नियम मानने पड़ते हैं; उसी प्रकार "स्व" "निज" आदि शब्द जिसके विशेषण के अन्तर्गत होकर गृहीत हो उसके अर्थात् उस विशेषण के विशेष्यभूत वस्तु के बोधक होते हैं इस विशेष व्युत्पत्ति की भी कल्पना करनी ही पड़ेगी।

अतः यहाँ "स्व" शब्द का प्रयोग ठीक उसी तरह अनुपयुक्त है जैसे—
 "निजतनुस्वच्छलावण्यवापीसंभूताम्भोजशोभां विदधदभिन वो दण्डपादो भवान्याः"
 में निज शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें "निज" पद से दण्डपाद की "तनु" प्रतीत होती है और अपेक्षित है "भवानी" की "तनु" की प्रतीति। * यहाँ शूयदविशेषण घटकत्वेन अर्थात्। "निज" आदि शब्द जिसके विशेषण के अन्तर्गत होकर गृहीत होते हैं उस विशेषण के विशेष्यभूत वस्तु के बोधक होते हैं इस व्युत्पत्ति को मानकर ही उक्त स्थल पर मम्मट ने "उनभवन्मतयोग" दोष दिखलाया है, और यदि उक्त व्युत्पत्ति न मानी जाय तो यहाँ उक्त दोष नहीं लगता।

कहने का अभियाय है कि यदि उक्त स्थल पर उक्त व्युत्पत्ति मानकर उसमें अवायकत्व दोष दिखलया गया है ॥ क्योंकि यहाँ "निज" शब्द से भवानी की "तनु" की प्रतीति अभीष्ट है परन्तु उससे "निज" शब्द से दण्डपाद की "तनु" प्रतीत होती है यहाँ भी "यथोद्धरक्षिः" उदाहरण की तरह उक्त व्युत्पत्ति को मानकर इसे भी अलङ्कार माना जा सकता है इसे भी दोष का विषय नहीं मानना चाहिए और यदि "निजतनु" आदि उदाहरण में उक्त व्युत्पत्ति को मानकर दोष माना जाय तो "यथोद्धरक्षिः" में भी दोष का ही विषय है इसे भी अन्योन्य अलङ्कार का उदाहरण नहीं माना जा सकता। यहाँ परिष्क ने शैयुक्तियाँ इसीलिए असंलग्न कर रही है क्योंकि

वह स्वयं प्रपालिका को देखना चाहता है, तथा प्रपालिका ने भी जल की धारा इसलिए मन्द लर दी है क्योंकि वह स्वयं परिधिक के मुख को देखना चाहती है, इस प्रकार यहाँ "स्व-स्वकृक्षिप्तरकालदर्शन ही अभिष्ठ है और वही घमत्कारी है "परकृत्क चिरकाल-दर्शन नहीं, अतः परस्पर उपकार ही भावना यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रपालिका ने जो जल की धारा लो पतली किया है उसमें उसका स्वार्थ ही मूल है, क्योंकि जल की धारा को मन्दी करके चिरकाल तक परिधिक के मुख का दर्शन करती रहूँ। उसके स्वार्थ में ही उसके द्वारा किस गयेय जलधारा तनुकरण स्वयं व्यापार का उपयोग घमत्कारी समझा जा सकता है न कि परिधिक द्वारा चिरकाल तक नायिका मुख-दर्शन में, इसी प्रकार परिधिक ने भी अपनी अङ्गुलियों को जो छिरल असंलग्न रखा है वह "चिरकाल तक मैं नायिका के मुख को देखता रहूँ इस स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही उसने ऐसा किया है, अतः उसके उस अङ्गुलिविरकीरण स्वयं व्यापार का उपयोग स्वार्थ सिद्धि में ही घमत्कारी स्वयं में समझा जा सकता है, न कि नायिका द्वारा परिधिकमुखदर्शन में। तात्पर्य यह है कि यहाँ प्रपालिका और परिधिक ने अपने अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करने का प्रयास किया है, परन्तु वे प्रयास ऐसे हैं जो दूसरे के स्वार्थ में बाधक नहीं अपेक्षु साधक ही हो गये हैं परन्तु इसको परोपकार की संझा दी जा सकती है। अन्योन्यालङ्घ-र में "परस्पर का उपकार" ऐसा होना चाहिए जो सब दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया हो। उसी में घमत्कार होता है। इस उदाहरण को अन्योन्य अलङ्घ-र का उदाहरण नहीं कहा जा सकता।

अतः कृष्णानन्दकार द्वारा प्रस्तुत दोनों उदाहरणों में प्रथम उदाहरण "क्रियामाशाश्विना भाति शशी भाति क्रियामया।" ही ज्यादा संगत प्रतीत होता है। अन्द्रातोक के रघुयिता "वयदेव" ने भी प्रस्तुत उदाहरण को "अन्योन्य" अलङ्घ-र के उदाहरण के स्वयं में प्रस्तुत किया है-

"अन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम्। त्रियामा शशिना
त्रियामा शशिना भाति शशी भाति त्रियामय॥"

जिस एक दूसरे के प्रति उपकार हो, वह "अन्योन्य" नामक अर्थालिंकार होता है। रात चन्द्रमा से शोभित होती है और चन्द्रमा रात से शोभित होता है। प्रस्तुत उदाहरण में रात्रि चन्द्रमा का और चन्द्रमा रात्रि का उपकारक है अतः अन्योन्य अलङ्घत्वर है।

यहाँ रात्रि से चन्द्रमा की शोभा बढ़ती है, इसलिए रात्रि चन्द्रमा के प्रति उपकारी है और चन्द्रमा उपकृत तथा चन्द्रमा से रात्रि की शोभा बढ़ती है अतः चन्द्रमा रात्रि के प्रति उपलारी है तथा रात्रि उपकृत है अतः दोनों में परस्पर उपकार की भावना होने के कारण ही प्रस्तुत उदाहरण अन्योन्य अलङ्घत्वर के उदाहरण के त्वय में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तुत अलङ्घत्वरों में क्रिया या कार्य एक होना आवश्यक है, यह किसी घीणा से उपकार करे और वह दूसरी से तब यह अलङ्घत्वर नहीं हो सकता। क्रिया या कार्य एक होना आवश्यक यह कहने का आवश्य छह है कि अन्योन्य अलङ्घत्वर में कार्य एक ही होना चाहिए जैसे रात्रि चन्द्रमा से शोभित होती है यहाँ चन्द्रमा का कार्य है रात्रि की शोभा बढ़ाना, इसी प्रकार चन्द्रमा रात्रि से शोभित होता है यहाँ रात्रि का कार्य है चन्द्रमा की शोभा बढ़ाना। दोनों का कार्य एक ही है इसकी बगड़ यीद लह दिया जाय कि रात्रि से चन्द्रमा रुशोभित होता है, चन्द्रमा रात्रि को शीतलता प्रदान करता है तो यहाँ परस्पर उपकार तो होगा परन्तु अन्योन्य अलङ्घत्वर नहीं होगा। इसलिए अन्योन्य अलङ्घत्वर में आवश्यक है कि क्रिया या कार्य एक ही हो। और उसी बा परस्पर विनिमय होकर पठपकार्यालयकारकता तिक्ष्ण होती हो।

आचार्य विश्वनाथदेवकृत "साहित्य सुधासिन्धु" में क्रिया तो एक ही परन्तु इसके साथ-साथ कर्ता आदि कारक भी एक ही हो तब उसे अन्योन्य अलङ्कार माना गया है-

यत्र परस्परमेकः कारकभावोऽभिषेययोः क्रियया ।

त जायते स्फारितत्वविशेषस्तदन्यो न्यम् ॥

जहाँ शब्दप्रतिपाद दो पदार्थों में परस्पर क्रिया के साथ एक ही कर्ता आदि कारक होने से विशेष चमत्कार होता है वहाँ अन्योन्य अलङ्कार होता है-

कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य

मुक्ताक्लपस्य च निस्तलस्य ।

अन्योऽन्यशोभा जननाद बभूव

साधारणो भूषणाद्यभावः ॥

यहाँ मुक्ताक्लाप के द्वारा कण्ठ की और कण्ठ के द्वारा मुक्ताक्लाप की शोभा उत्पन्न किस जाने का वर्णन है।

यहाँ मुक्ताक्लाप और कण्ठ कर्ता है तथा दोनों का कार्य भी एक ही है शोभा उत्पन्न करना। मुक्ताक्लाप के द्वारा कण्ठ की शोभा उत्पन्न किये जाने पर "मुक्ताक्लाप" कर्ता है तथा उसका कार्य है शोभा उत्पन्न करना तथा "कण्ठ" के द्वारा मुक्ताक्लाप की शोभा उत्पन्न किये जाने पर "कण्ठ" कर्ता है तथा उसका कार्य है शोभा उत्पन्न करना। अतः प्रस्तुत अलङ्कार में क्रिया के साथ कर्ता आदि कारक भी एक ही होने के कारण अन्योन्य अलङ्कार है। इसकी जगह यदि यह बात कह दी जाय कि भ्रारों से पुष्प सुशोभित होता है तथा पुष्पों से उधान सुशोभित

होता है तो यहाँ क्रिया तो सक ही है, परन्तु कर्ता अलग-अलग है भ्रमरों से पुष्प सुशोभित होता है यहाँ कर्ता भ्रमर है तथा पुष्पों से उद्यान सुझाइभित होता है- यहाँ कर्ता पुष्प है अतः कर्ता भिन्न-भिन्न होने से यहाँ अन्योन्य अलङ्घत्वर नहीं हो सकत। अतः अन्योन्यालङ्घत्वर में यह आवश्यक है कि क्रिया के साथ-साथ कर्ता आदि कारक भी सक ही हों।

दो वस्तुओं में परस्पर विशेष संपादन को पौण्डतराज जगन्नाथ ने अन्योन्य अलङ्घत्वर माना है। उनके मतानुसार अन्योन्य अलङ्घत्वर का लक्षण है-

द्वयोरन्योन्येनान्योन्यस्य विशेषाधानमन्योन्यम्।

दो वस्तुओं में से सक दूसरे के हारा परस्पर विशेष संपादन अन्योन्यालंकार कहलाता है।

विशेष का अर्थ है क्रिया आदि अर्थात् सक व्यक्ति जब दूसरे का और दूसरा पहले का कोई विशेष कार्य संपादित करे तो वहाँ अन्योन्य अलङ्घत्वर होता है।
उदाहरणार्थ-

सुदृशो जितरत्नजालया सुरतान्तश्चिबन्दुमालया।

अलिकेन च हैमकान्तिना विदधे कामिप रूचिः परस्परम्॥

सुरत के अन्त में सुन्दर नयन वाली नायिका के स्वेदीबन्दुओं की, रत्नसमूह को जीतने वाली, माला ने और सुवर्ण की सी कान्तिवाले ललाट ने परस्पर अनिर्वचनीय शोभा का संपादन किया।

उपर्युक्त उदाहरण में विशेष वस्तु है "शोभा"। वह गुण रूप है। उस शोभा को स्वेदीबन्दुओं की रत्नसमूह को जीतने वाली माला ने और सुवर्ण की सी कानिंत वाले ललाट ने परस्पर विशेष रूप से बढ़ाया, अर्थात् माला ने ललाट की शोभा को और ललाट ने माला की शोभा^१ को परस्पर विशेष रूप से संपादित किया। अतः यह अन्योन्य अलङ्घन का उदाहरण है।

वहाँ कोई क्रिया विशेषाधानस्या होती है वहाँ भी अन्योन्यालङ्घन का होता है। उदाहरणार्थ-

परपूरुषद्वृष्टपातत्वप्राहीतभीता हृदयं प्रियस्य सीता।

अविश्वस्त्वरकामिनी भृष्णुर्मीभ्यतः सत्वसमेव सोऽपि तस्याः ॥

परपूरुष के द्वृष्टपातत्वप वृष्णु के आधात से डरी हुयी सीता अपने प्रिय श्रीराम^२ के हृदय में प्रविष्ट हुई और परस्त्रीरूप सर्पिणी के भ्य से वे श्रीराम^२ भी तत्काल उस सीता के हृदय में प्रविष्ट हो गये।

प्रत्युत उदाहरण में "सीता ने राम के हृदय में और राम ने सीता के हृदय में प्रवेश किया इस प्रकार का जो वर्णन किया गया है इसवर्णन में "प्रवेश क्रिया के परस्पर आधान की बात आती है। अतः यह उदाहरण अन्योन्य अलङ्घन के द्वितीय प्रकार का उदाहरण है।

इस प्रकार पीण्डतराज बगन्नाथ आदि कमी आचार्यों ने अन्योन्य अलङ्घन के लक्षण के मैं दो वस्तुओं में परस्पर उपकार की धारण व्यक्त की है। अप्यय दीक्षित ने जो अन्योन्य अलङ्घन का लक्षण माना है और पीण्डतराज बगन्नाथ ने जो अन्योन्य अलङ्घन का लक्षण प्रत्युत किया है उनमें कुछ अन्तर हैं। अप्यय दीक्षित ने वहाँ दो वर्ष्य परस्पर एक दूसरे का उपकार करे वहाँ अन्योन्य अलङ्घन स्वीकार किया।

माना परन्तु पण्डितराज ने दो वस्तुओं में से एक दूसरे हारा परस्पर विशेष संपादन को अन्योन्य अलङ्घन्तर का लक्षण स्वीकार किया। अर्थात् अप्पय दीक्षित ने परस्पर उपकार को ही अन्योन्य माना परन्तु उसमें यह आवश्यक नहीं था कि किसी व्यक्ति हारा किसी दूसरे व्यक्ति का जो उपकार किया जा रहा है उस उपकार से उसका कोई स्वार्थ न सिद्ध होता हो परन्तु पण्डितराज ने उसी स्थान पर अन्योन्य अलङ्घन्तर स्वीकार किया। जहाँ एक व्यक्ति हारा की गयी क्रिया का फल पूर्ण रूप से दूसरे ही व्यक्ति को मिले वह जिस व्यक्ति के हारा क्रिया की गयी है उसका उसको न मिले अर्थात् उसकी स्वार्थ सिद्ध में सहायक न हो। उनके मतानुसार यदि किसी व्यक्ति के हारा किसी के उपकार के लिए जा क्रिया की गयी है उस क्रिया के हारा किसी व्यक्ति का उपकार हो रहा हो, तथा अपना भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो तो इसको परस्पर उपकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि पण्डितराज जगन्नाथ ने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि "अन्योन्यालङ्घन्तर के लक्षण में जो "परस्पर का उपकार" कहा गया है वह अपने से औरपकार से॥ भिन्न अधिकरण में रहने वाले व्यापार के हारा साध्य होने वाला ही विवक्षित हो सकता है, क्योंकि उस तरह के परस्परोपकार में ही चमत्कार होता है, न कि उपकार के अधिकरण में रहने वाले व्यापार के हारा साध्य होने वाला परस्परोपकार, क्योंकि ऐसे बरफ को ठंडा करने के लिए दूसरे का व्यापार अनावश्यक है उसी तरह अपने व्यापार से होने वाले अपने उपकार से अन्य व्यापार की अपेक्षा नहीं रहने से चमत्कार का अभाव होता है।" कहने का अभिभ्याय यह है कि अन्योन्यालङ्घन्तर में "परस्पर का उपकार सेसां ही होना चाहिए जो एक का दूसरे के हारा निःस्वार्थ भाव से किया गया हो क्योंकि यदि अपने स्वार्थ के लिए कोई प्रयत्न किया जाता है तो उस प्रयत्न से यदि किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ उपकार हो भी ज्ञाता है तो वह चमत्कारी नहीं होता, अतः चमत्कार के अभाव में उसे अन्योन्य अलङ्घन्तर नहीं कहा

जा सकता। इसी आधार पर पं० जगन्नाथ ने कृत्यलयानन्दकार के उपर्युक्त उदाहरण का खण्डन भी किया है।

इस प्रकार परिणितराज जगन्नाथ ने जो अन्योन्य अलङ्कृत का लक्षण दिया है वह ही अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है लेकिन उन्होंने अप्पय दीक्षित के "अत्र प्रपापालिकायाः-----" में वाक्य रचना की शिरीक्षिता का दोष बताया है तथा "यथोधवक्षिः" इस उदाहरण को भी अन्योन्य अलङ्कृत का उदाहरण नहीं माना है वह उचित नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने जो अप्पय दीक्षित के "स्व" पद का अर्थ किया है वह क्रमशः परिधक और प्रपापालिका है लेकिन उनके स्वयं के मतानुसार "स्वमुखावलोकनाभिलङ्घन्त्याः- अपने मुख का दर्शन चाहती हुई" इस वाक्यांश में "स्व" शब्द प्रपापालिका का बोधक है और "स्वमुखावलोकनमभिलङ्घतः"- अपने मुख का दर्शन चाहते हुए" में "स्व" शब्द जो है वह पक्षिक का बोधक है। लेकिन अप्पय दीक्षित ने "अत्र प्रपापालिकायाः-----" इस वाक्य में उन्होंने "स्व" शब्द की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की है तथा इसी प्रकार परिणितराज ने जो अप्पय दीक्षित के उपर्युक्त उदाहरण को अन्योन्य अलङ्कृत का उदाहरण नहीं माना है वह भी ठीक नहीं नगता क्योंकि अप्पय दीक्षित ने स्वयं इस बात को स्पष्ट स्पष्ट स्वयं स्वीकार किया है कि प्रस्तुत उदाहरण में यद्यपि दोनों-परिधक और प्रपापालिका- के व्यापार के द्वारा अपना अपना उपकार किया जा रहा है, तथापि वे एक दूसरे का भी उपकार अवश्य कर रहे हैं, अतः उनके द्वारा विद्वित परस्परोपकार का निषेध नहीं किया जा सकता।¹

1- अत्रोभ्योद्यमिराम्यां स्वस्योपकारतद्वावेऽपि परस्परोपकारोऽपि न निवाचते ॥

इस प्रकार यह बात सिद्ध हो गयी कि दो वस्तुओं में सक द्वितीय व्यापार परस्पर विशेष संपादन होने पर अन्योन्य अलङ्कृत होता है। दो वस्तुओं में सामान्यतः कार्यकारण या जन्यजनकभाव रहता है अर्थात् दो वस्तुओं में सक कार्य होता है तथा द्वितीय कारण परन्तु अन्योन्य अलङ्कृत होता है यह बात नहीं होती है इसमें जो दो पदार्थ हैं वे सक द्वितीय के कारण बताये जाते हैं उनमें पहले के सौन्दर्य का जनक द्वितीय और द्वितीय के सौन्दर्य का जनक पहला होता है यही अन्योन्य का सौन्दर्य है तथा इसी में इस अलङ्कृत की अलङ्कृतता स्वरूपमूलकता है।

सप्तम अध्याय

अलङ्कृत-विवेचन

विशेष

व्याधात

विशेष अलङ्कार

विशेष अलङ्कार की गणना विरोधमूलक अलङ्कारों के अन्तर्गत की गयी है। ऐसा एक अधिक अलङ्कार के प्रसङ्ग में भी यह बात कही जा सकती है कि अनानुरूप्य ही विरोध का कारण है। अनानुरूप्य के कारण ही विरोध की उत्पत्ति होती है। यही बात विशेष अलङ्कार के प्रसङ्ग में भी कही जा सकती है क्योंकि विशेष अलङ्कार में भी अनुरूपता को छोड़ देने के कारण विरोध ही परिलक्षित होता है। अतः विशेष अलङ्कार के मूल में भी विरोध के विद्यमान रहने के कारण इसे विशेष अलङ्कार को विरोधमूलक अलङ्कार माना गया है। रुद्रट ने इसे अतिशयमूलक अलङ्कार माना है परन्तु अन्य आचार्यों ने इसे विरोधमूलक अलङ्कार स्वीकार किया। रुद्रट ने विशेष अलङ्कार के तीन स्तरों की कल्पना की। उसके प्रथम स्तर में उन्होंने यह बात कही है कि जहाँ निश्चित आधार वाली भी कोई वस्तु आधार के बिना वर्णित की जाती है, [और इसकी] यह [निराधारता] उपलब्धमान होती है, वहाँ विशेष अलङ्कार होता है। तथा जहाँ एक वस्तु अनेक आधारों में द्वगपद कही जाती है वहाँ अन्य विशेष अलङ्कार होता है। इसी प्रकार जहाँ कर्ता किसी एक कार्य को करता हुआ किसी ऐसे अन्य कार्य को भी साथ ही कर देता है जिस कार्य को करने में वह असमर्थ होता है तो ऐसे वर्णन में भी विशेष अलङ्कार माना जाता है।

काट्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट ने भी विशेष अलङ्कार का लक्षण इसी प्रकार प्रस्तुत करते हुए इसके तीन भेद स्वीकार किये। उनके मतानुसार विशेष अलङ्कार का लक्षण है—

विना प्रतिद्वामाधाररमाधेयस्य व्यवीस्थितिः ।

सकात्मा युगपदवृत्तिरेकस्यानेकांघरा ॥

अन्यत् प्रद्वृत्तिः कार्यमशक्यस्यान्यवस्थुनः ।

तथैव करणं ऐति विशेषस्त्रिविधिः स्मृतः ॥

1. प्रतिद्वामाधार के बिना आधेय की स्थिति इका वर्णन होने पर एक प्रकार का विशेष अलङ्घनार होता है, 2. एक पदार्थ की एक डी स्प में अनेक जगह एक साथ उपर्युक्ति इका वर्णन होने पर दूसरे प्रकार का विशेष अलङ्घनार होता है, अन्य कार्य को करते हुए उसी प्रकार से [अथवा ज्ञायात्] किसी अशक्य वस्तु का उत्पादन इवर्णन होने पर तीसरे प्रकार का विशेष होता है। इस प्रकार तीन तरह का विशेष अलङ्घनार माना गया है। उदाहरणार्थ-

दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणाणा येषाम् ।

रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह क्वयीन ते वन्धाः ॥

त्वर्गवास होने पर भी प्रचुर गुर्जों से युक्त जिनकी [काव्यस्प] वाणी संसार [सहृदय जनों] को को प्रलयपर्यन्त आदलादित करती रहती है वै कवि वन्दनीय क्यों न बाने जाये।

उपर्युक्त उदाहरण में कवि आधार है, वाणी आधेय कविस्प प्रतिद्वामाधार के त्वर्गवास होने पर उसके अभाव में भी अर्थात् आधार का परित्याग करके आधेय [कविगिरा] की आप्रलय स्थिति का वर्णन किया गया है, अतः यह विशेष अलङ्घनार के प्रतिद्वामाधार के बिना आधेय की स्थिति स्प प्रथम भेद का उदाहरण है।

सा वसीत तव हृदये सैवाक्षिषु सा च वचनेषु।

अत्मादृशीनां सुन्दरं अवकाशः कुत्र पापानाम् ॥

वह इनायिका ॥ हम्हारे हृदय में रहती है, वह इहम्हारी ॥ और्खों में बसी है और वही इहम्हारे ॥ वचनों में रहती है। तब है सुन्दर ॥ हमारी जैसी अभागिनियों के लिए इहम्हारे पास ॥ स्थान ही कहाँ हो सकता है।

प्रस्तुत उदाहरण में नायिका आधार है तथा उत्त नायिका का एक साथ अनेक जगह में वर्णन हुआ है अतः यह विशेष अलङ्कार के द्वारा भेद का उदाहरण है।

स्फुरदद्धुतस्यस्त्रियतापञ्चलनन्त्वां सृजताऽनवयविधम् ।

विधिना तस्मै नवो मनोभूर्भुवि सत्यं सोविता वृहस्पतिश्च ॥

हे राजन् ॥ अद्धुत इलोकोत्तर ॥ सौन्दर्य से युक्त, अत्यन्त तेजस्वी और उत्तम विद्या से विभूषित आपको उत्पन्न करते हुए ब्रह्मा ने इसी प्रयत्न से अनायास ॥ सचमुच पृथकी पर द्वारे नवीन कामदेव, द्वारे सूर्य और द्वारे वृहस्पति की रचना कर दी है।

यहाँ इस उदाहरण में राजा के निर्माण स्य कार्य को करते हुए विधाता ने उसी प्रयत्न से द्वारे कामदेव, सूर्य तथा वृहस्पतिस्य अशक्य कार्य को उत्पन्न किया। इस प्रकार का वर्णन होने से यह विशेष अलङ्कार के तीसरे भेद का उदाहरण है।

इस प्रकार आवार्य ममट ने स्ट्रट के ही विशेष अलङ्कार के तीनों भेदों को स्वीकार किया अन्तर केवल इतना है कि विशेष अलङ्कार के प्रथम भेद के लक्षण में स्ट्रट ने निर्विधत आधार वाली भी कोई वस्तु आधार के बिना वर्णित की जाती

है और इसकी यह निराधारता उपलब्धमान होती है यह बात कही है, परन्तु मम्मट ने प्रसिद्ध आधार के बिना आधेय का वर्णन विशेष अलङ्कार का प्रथम भेद माना है।

स्थूयक ने भी आचार्य मम्मट के मत का ही अनुकरण करते हुए विशेष अलङ्कार के तीन भेद स्वीकार किये। उनके मतानुसार विशेष अलङ्कार का लक्षण है-

अनाधारमाधेयमेकमनेकगोचरमशक्यवस्त्वन्तरकरणं विशेषः ।

आधेय का आधारहीन होना, सक का अनेकगोचर होना तथा असम्भाव्य वस्त्वन्तर का निष्पादन विशेष है।

आधार के बिना आधेय नहीं रहता, यह होने पर भी उस्‌आधार को छोड़कर आधेय का वर्णन होने पर विशेष का प्रथम भेद तथा सक परिमित वस्तु को सक साथ अनेकत्र वर्तमान बताना दूसरा विशेष तथा प्रारम्भ तो किसी का हो और निष्पादन किसी अन्य असम्भाव्य वस्तु का हो सेका होने पर विशेष अलङ्कार का तीसरा भेद डौता है।

प्रसिद्ध आधार का परित्याग करके आधेय की विशेष प्रकार की स्थिति का वर्णन होने पर प्रथम प्रकार का विशेष होता है। उदाहरणार्थ-

“दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणपा येषाम् ।

रमयन्ति जगन्ति गिरः कथीमह क्वयो न ते वन्धाः ॥”

जो स्वर्ग जा सके हैं पर जिनकी अनन्य गुणान वाली वाणी जगत् को आनन्द देती रहती है वे कौवि भला कर्ण न वन्दनीय हों।

प्रस्तुत उदाहरण में जो स्वर्ग जा चुके हैं वे कविगण तो प्रसिद्ध आधार हैं तथा प्रधुर गुणों से युक्त उनकी काव्यरूप वाणी जो है आधेय है। अतः कविगण जो स्वर्ग जा चुके हैं उनके स्वर्ग चले जाने पर भी अर्थात् वृक्षीय स्प आधारों के न रहने पर भी प्रसिद्ध आधार का परित्याग होने पर उनकी वाणी जो कि आधेय है उसकी विशेष प्रकार की स्थिति का वर्णन हुआ है इसलिए यहाँ विशेषालङ्कार है।

इसी प्रकार एक परिमित वस्तु का एक साथ अनेकत्र वर्तमान बताना अर्थात् जब एक परिमित वस्तु का एक साथ अनेक जगह वर्णित होती है तो वहाँ विशेष अलङ्कार का दूसरा भेद होता है। उदाहरणार्थ-

• प्रासादे सा पथि पथि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा
पर्ष्णैः सा दिशा दिशा च सा तद्वियोगात्मरस्य।
हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मैं कापि सा सा
सा सा सा सा जगति सक्ले कोऽयमद्वैत वादः ॥

प्रासाद पर वह और पथ-पथ पर वह, पीछे वह, आगे वह, पर्यक पर वह, दिशा दिशा में वह, उसके वियोग में आत्मर मेरे लिए तो मन की कोई दूसरी प्रकृति नहीं रह गयी है, वह, वह, वह, वह, वह सारे संसार में है, कैसा अपूर्व है अद्वैत का यह सिद्धान्त।

उपर्युक्त उदाहरण में एक ही रमणी की प्रासाद आदि में एक साथ अवौत्थित है अतः यह विशेषअलङ्कार के दूसरे भेद का उदाहरण हुआ। एक रमणी एक समय में एक स्थान पर ही रह सकती है यह व्यावहारिक यथार्थ है। परन्तु यहाँ नायिका के प्रेम में मग्न नायक के मुख से यह घमत्कारमयी युक्ति क्षमताई गई है जो यहाँ

प्रारम्भ किसी वस्तु का हो और निष्पादन किसी अन्य असम्भाव्य वस्तु का हो ऐसी स्थिति में अर्थात् जो दूसरे अशक्य कार्य को भी कर्त्त्वा इसका ठिकार किये बिना॥ यदि तो जल्दी से किसी कार्य को प्रारम्भ करने वाला व्यक्ति जिस प्रयत्न से किसी कार्य को प्रारम्भ करता है उसी प्रयत्न से यदि वह किसी आशक्य दूसरे कार्य को उत्पन्न कर देता है तो वहाँ तीसरे प्रकार का विशेष होता है उदाहरणार्थ-

निमेषमपि यदेकं क्षणिदोषे कौरव्यसि।

पदं चित्ते तदा वंगो किं न संपादयिष्यसि॥

यदि एक क्षण भी दोषमुक्त मन पर शिव । तुमने अपना स्थान बना लिया तो भला क्या नहीं पूरा कर दोगे॥ इस उदाहरण में "अन पर स्थान बना लेना" यह प्रसंग रहने पर भी लोकोत्तर वस्तु का निष्पादन हुआ है। अर्थात् यदि शिव ने दोषमुक्त मन पर स्थान बना लिया तो इस एक कार्य को करते हुस उसी प्रयत्न से दूसरे अर्थात् समस्त अशक्य कार्यों को भी सम्मादित कर सकते हैं इस प्रकार का वर्णन हुआ है अतः यह तीसरे प्रकार के विशेष अलङ्कार का उदाहरण है।

इस प्रकार विश्वनाथ तथा अप्य दीक्षित आदि आचार्यों ने भी विशेष अलङ्कार का लक्षण प्रस्तुत करते हुस इसके उपर्युक्त तीनों भेदों को स्वीकार किया है। पण्डितराज जगन्नाथ ने विशेष अलङ्कार के तीसरे भेद को स्वीकार नहीं किया है। उनके मतानुसार विशेष अलङ्कार का लक्षण है-

प्रतिद्वारां बिना आदेयं वर्ण्यमानमेको विशेष प्रकारः। यद्यैकमाधेयं
परिमितयत्तिक्षिदाधारगतमपि युग्मदनेका धारगततया वर्णयति सोऽपरो विशेष प्रकारः॥

अर्थात् विशेषालङ्कृत प्रथमतः दो प्रकार का होता है- १। प्रसिद्ध आश्रय आधारौ के बिना वर्णित होने वाला आधेयै यह एक प्रकार का है- अर्थात् जिस आधेय का जो प्रसिद्ध आधार है उसके बिना यदि उस आधेय का वर्णन किया जाता है तब वहाँ एक प्रकार का विशेषालङ्कृत माना जाता है और २। एक आधेय का जिस किसी परिमित आधार में रहने पर भी एक साथ अनेक आधारों में रहने के रूप से वर्णन किया जाय- यह दूसरा प्रकार है- अर्थात् जिस आधेयभूत वस्तु की स्थिति किसी एक आधारभूत वस्तु में प्रसिद्ध है एक साथ उसकी स्थिति का वर्णन यदि अनेक आधारों में किया जाय तब वहाँ दूसरे प्रकार का विशेषालङ्कृत स्वीकृत होता है।

पण्डितराज बग्नाथ के विशेषालङ्कृत के लक्षण में और स्मृत्यकृत विशेषा-लङ्कृत के लक्षण में एक अन्तर यह भी है कि पण्डितराज बग्नाथ ने अपने विशेषा-लङ्कृत के लक्षण में "युग्मपत्" एक साथौ इस विशेषण का प्रयोग किया है जिसके कारण विशेषालङ्कृत की पर्याय अलङ्कृत के अतिव्याप्ति नहीं होती। क्योंकि पर्याय अलङ्कृत में भी एक आधेय का अनेक आधारों में वर्णन रहता है, परन्तु एक आधेय का जो अनेक आधारों में वर्णन रहता है वह एक साथ नहीं, अपितु स्मृशः होता है अतः ऐसी स्थिति में यदि विशेषालङ्कृत के द्वितीय लक्षण में "युग्मपत्" नहीं कहा जाता तो यह लक्षण पर्याय अलङ्कृत के उदाहरण में भी संघीटत होने लगता, इसीलिए यहाँ "युग्मपत्" इस विशेषण का प्रयोग किया गया है।

पण्डितराज बग्नाथ ने विशेषालङ्कृत के जो तीन भेद किए हैं उनमें जो प्रथम भेद है उसके भी दो उपभेद किए हैं। उनके मतानुसार उक्त तीन प्रकारों में से प्रथम प्रकार प्रसिद्ध आधार के बिना वर्ण्यमान आधेयै दो तरह का होता है-

सर्वथा आधार के अभाव में ही आधेय का वर्णित होना। उदाहरणार्थ-

“अथे राजन्नाकर्षय कृतुकमाकर्षनयन-
त्वदाधारा कीर्तिवर्तीतकिल मौलो दशदिशाम्।
त्वदेकालम्बोऽयं गुणगणकदम्बो गुणनिधे
मुखेष्व प्रौढानां विलसति कवीनामविरतम्॥”

हे आकर्षनयन ! विशाल नेत्रै॥ सक कृतुक ! आश्चर्यजनक बातै को सुनें- आप जिसके आधार हैं वह कीर्ति दशों दिशाओं के मस्तक पर निश्चित रूप से निवास करती है, और है गुणनिधे । जिसके सक मात्र आप आलम्बन हैं ऐसा यह गुणवाली का समूह प्रौढ़ कवियों के मुखों में निरन्तर क्रीड़ा कर रहा है।

प्रस्तुत उदाहरण में कीर्ति आधेय है जिसका प्रतिष्ठ आधार राजा है। उस कीर्ति का दिशाओं के मस्तक रूप अन्य आधार में वर्णन हुआ है, इसी तरह गुणसमूह आधेय है और जिस गुणसमूह का प्रतिष्ठ आधार राजा है। उसका वर्णन कविमुखरूप अन्य आधार में किया गया है, अतः यह विशेषालङ्घातर के प्रथम प्रकार के प्रथम उपभेद का उदाहरण है।

इसी प्रकार विशेषालङ्घातर के प्रथम प्रकार के द्वितीय उपभेद अर्थात् आधार के अभाव में ही आधेय का वर्णन होने का उदाहरण-

“युक्तं तु याते दिवमातफेन्दौ तदाप्रितानां यदभूद्विनाशात्।
इदं तु विक्रम्भूतनाथकामे निराश्रया खेलीत तस्य कीर्तिः॥”

आसफ खाँ {एक यवन राजा} स्वयं चन्द्रमा के सर्वं घले जाने पर उनके आश्रितों का जो विनाश हुआ यह तो उचित ही था, परं आशर्य यह है कि- संसार के अन्य भागों में उनकी कीर्ति निराश्रय होकर भी क्रीड़ा कर रही है।

उपर्युक्त उदाहरण में राजा आधार है और कीर्ति आधेय है। यहाँ आधार का सर्वथा अभाव है। अतः आधार के सर्वथा अभाव में आधेय कीर्ति की स्थिति का वर्णन होने से यह विशेषालङ्कार के प्रथम प्रकार के द्वितीय उपभावे का उदाहरण है।

विशेष अलङ्कार के द्वितीय प्रकार का उदाहरण-

नयने तृष्णां पुरो रिपूर्णा वचने वश्यगिरां महाक्षीनाम्।

मिथिलापतिनन्दनीभूषान्तः स्थित स्व स्थितिमाप रामयन्दः ॥

भगवान् राम ने मिथिलापतिनन्दनी {सीता} की भूषाओं के मध्य में स्थित रहते हुए ही मुन्दर नयनवाली नायिकाओं के नयनों में, शत्रुओं के पूरः प्रदेश में और महाकवि वश्यवाल् महाकवियों के वचन में एक ताथ तिथित प्राप्त की।

प्रस्तुत उदाहरण में सीताभूष-मध्यस्थ परिमित आधारस्थायी राम स्व आधेय की स्थिति का वर्णन एक साथ सुनयना-नयन आदि अनेक आधारों में की गयी है अतः यह विशेष अलङ्कार द्वितीय प्रकार का उदाहरण है।

इस प्रकार पण्डितराज बग्न्नाथ ने विशेष अलङ्कार के दो ही भेद स्वीकार किये हैं। पण्डितराज बग्न्नाथ ने ममट आदि आचार्यों ने जो विशेष अलङ्कार का तीसरा भेद ग्रहण करते हुए उसी प्रकार से किसी अशक्य वस्तु का उत्थादन माना है उसका खण्डन किया है। उनके मतानुसार प्राचीन आचार्यों ने जो "अशक्य अस्य वस्तु का संपादन" विशेषालङ्कार का ही प्रभेद माना है उपर्युक्त नहीं

है क्योंकि स्पष्ट आदि के समान इस विशेषालङ्कृत का कोई सामान्य लक्षण नहीं है जिससे आक्रान्त होने पर अशक्य अन्य वस्तु के संकादन को विशेष अलङ्कृत का भेद माना जाय। और यदि "इन तीनों में से कोई एक" यह सामान्य लक्षण माना जाय तो यह भी उचित नहीं है क्योंकि इस प्रकार से तो इसे अन्य किसी अलङ्कृत का भेद भी कहा जा सकता है। अतः किसी प्रमाणित सामान्य लक्षण के अभाव में इसे विशेषालङ्कृत का एक भेद कहना केवल राष्ट्रादेश है, इसकी अपेक्षा तो इसको एक स्वतन्त्र अलङ्कृत मान लेना ही अधिक सुविकृतसंगत है।

पण्डितराज ने विशेष अलङ्कृत के निष्पत्ति में प्राचीन आचार्यों के मत को जो असुविकृतसंगत बताया है वह उचित नहीं लगता क्योंकि किसी भी आचार्य ने विशेष अलङ्कृत का कोई सामान्य लक्षण नहीं दिया है तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने स्वयं भी इसका कोई सामान्य लक्षण न देते हुए विशेष अलङ्कृत के दो भेदों का ही उल्लेख किया है। प्राचीन आचार्यों के मतानुसार उन्होंने "कोदण्ड"- इत्यादि उदाहरण प्रस्तुत कर अन्त में उस उदाहरण में निर्दर्शना मानते हुए अनी और से उसका एक और उदाहरण प्रस्तुत किया तथा उस उदाहरण के छारा यह भी सिद्ध किया है कि जिसको प्राचीन आचार्य विशेष का त्रुतीय प्रकार कहते हैं वह एक स्वतन्त्र अलङ्कृत है विशेष नहीं अतः उसे स्वतन्त्र अलङ्कृत मानते हुए उसका कुछ भी नाम रखा जा सकता है, और उसका उदाहरण भी तात्पुर्य प्रतीति वाला स्थल नहीं हो सकता, अपितु कार्यकारण भावप्रतीति वाला स्थल हो सकता है।

इस प्रकार विभिन्न आचार्यों ने विशेष अलङ्कृत का विवेचन किया है। उपर्युक्त विवेचन से यह बात भी स्पष्ट हो गयी कि विशेष अलङ्कृत की विरोधमूलकता इसके अनात्मक सम्बन्ध के कारण है। सामान्यतः एक वस्तु का एक ही आधार में

वर्णन होता है परन्तु विशेष अलङ्कार में एक ही वस्तु का एक साथ अनेक आधारों में वर्णन होता है तथा इसके एक भेद में कर्ता किसी एक कार्य को करता हुआ किसी ऐसे अन्य कार्य को भी साथ ही कर देता है जैसे कार्य को करने में वह असमर्थ होता है। अतः इस प्रकार के वर्णन में ही घमत्कार होता है। किंवि अपनी प्रतिभा के आधार पर ही इस प्रकार का वर्णन करता है। आधार के बिना आधेय नहीं रहता, यह होने पर भी उस आधार लो छोड़कर आधेय का वर्णन, एक परिमित वस्तु को एक साथ अनेकत्र वर्तमान बताना, तथा प्रारम्भ किसी कार्य का होना और उत्पादन किसी अन्य अंतभाव्य वस्तु का होना इसी में इस अलङ्कार का सौन्दर्य है तथा यही इस अलङ्कार की विरोधमूलकता है क्योंकि अनुस्पता को छोड़ देने से विरोध की उत्पत्ति होती है और विशेष अलङ्कार में भी इसी प्रकार का वर्णन होता है। अतः विशेष अलङ्कार भी विरोधमूलक अलङ्कार है।

च्याघात अलङ्कार

जहाँ अन्य कारण से किसी तरह की बाधान होने पर कोई कारण कार्य का उत्पादन न कर सके वहाँ च्याघात अलङ्कार होता है। यदि कारण का कोई बाधक तत्व ही न रहे तो उससे तो कार्य की उत्पत्ति न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कोई बाधक तत्व न रहे तो कार्य की उत्पत्ति अवश्य होनी चाहिए। लेकिन बाधक तत्व के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति न होने के वर्णन में ही घमत्कार है और इसी में अलङ्कारत्व है। परन्तु विशेषोक्ति में प्रतिद्वं कारण के होने पर भी अद्विद्वं कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। इसमें कारण के किसी बाधक तत्व के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती।

जिस उपाय से एक व्यक्ति किसी कार्य या वस्तु को बनाता है अर्थात् जो वस्तु किसी एक ने एक प्रकार से सिद्ध की है औह दूसरा व्यक्ति उसको जीतने की इच्छा से उसी उपाय से उस सिद्ध की हुयी वस्तु को बदल दे अर्थात् उसी वस्तु को पहले से विपरीत कर दे तो व्याधात का कारण होने से व्याधात अलङ्कृत रहता है। प्रत्युत अलङ्कृत में कर्ता की अभीष्ट सिद्ध का जो साधन है उस साधन से ही दूसरे के द्वारा उसके इष्ट का व्याधात होता है इसी कारण इसे व्याधात कहा जाता है।

आचार्य मम्मट के मतानुसार व्याधात अलङ्कृत का लक्षण है-

यद्यथा साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा ॥
• तथैव यद्विधीयेत स व्याधात इति सृतः ।

किसी बात को कोई जिस प्रकार से सिद्ध करे तूबनावेहू उसको उसी प्रकार से यदि दूसरा बदल दे तूबिगाह देहू उसको व्याधात अलङ्कृत रहते हैं। अर्थात् जहाँ कर्ता के द्वारा जिस उपाय से कार्य साधन किये जाने का निर्देश हो उसी उपाय से अन्य व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को अन्यथा करने का वर्णन व्याधात है।

आचार्य स्युख के भी जहाँ किसी उपाय से साधित कार्य का अन्य के द्वारा उसी उपाय से अन्यथाकरण हो उसे व्याधात अलङ्कृत का लक्षण माना तथा साथ ही उन्होंने व्याधात अलङ्कृत के दूसरे स्य की कल्पना करते हुए यह भी कहा कि जहाँ किसी कार्य के सम्पादन के लिए सम्भावित कारण को दूसरा व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध कार्य का निष्पादक बता दे, वहाँ भी व्याधात अलङ्कृत होता है। उन्होंने व्याधात अलङ्कृत का लक्षण इस प्रकार प्रत्युत किया है-

यथासाधितस्य तथैवान्येनान्यथाकरणं व्याधातः ॥

जिस किसी उपाय-विशेष को लेकर किसी के हारा जो वस्तु सम्पादित है, उसका उससे भिन्न किसी दूसरे के हारा- जो उक्ता प्रतिष्ठन्दी है- उसी उपाय-विशेष के सहारे जो अन्यथा निष्पादन है वह सम्पादित वस्तु की व्याहति के कारण व्याधात कहलाता है।

सौकर्यप कार्यविरुद्ध क्रिया च ॥

सुकरता के साथ कार्य के विपरीत क्रिया भी व्याधात है ॥

व्याधात अलङ्कार के दूसरे भेद अर्थात् सुकरता के साथ कार्य के विपरीत क्रिया को भी व्याधात मानते हुए स्थियक ने स्पष्ट स्पष्ट से यह बात कही है कि किसी कार्य को साधने के लिए सम्भावित हेतु-विशेष का उस कार्य से विरुद्ध साधक के स्पष्ट में जो समर्थन किया जाए, वह भी संभावित कार्य की व्याहति को लेकर होने के कारण व्याधात है। **संभावित** कार्य के विरुद्ध **दूसरे** कार्य का साधन सुनकर इसलिए होता है क्योंकि इस कारण की उस **दूसरे कार्य** से अत्यधिक अनुरूपता रहती है। इस **अलङ्कार** में अभिष्ट की कार्यता समाप्त नहीं होती अपितु उससे विपरीत **कार्य** का सुकरता से सम्पादन हो जाता है।

यद्यपि व्याधात के इन दोनों स्पष्ट में कोई महत्वपूर्ण व्यावर्तक धर्म नहीं है। घट्ट कर्ता ने जिस उपाय से कोई कार्य बनाया हो उसी उपाय से कर्ता के अभिमत के विरुद्ध कार्य का बना देना है व्याधात का दूसरा स्पष्ट है। व्याधात के इस दूसरे स्पष्ट की करना भी आदृश्यक नहीं मालूम पड़ती। आचार्य विश्वनाथ, अथम दीक्षित आदि कठितप्रय आचार्यों ने व्याधात के इन दोनों भेदों को स्वीकार किया है। पण्डितराज जगन्नाथ ने व्याधात के इन दोनों स्पष्टों का समावार करते हुए व्याधात अलङ्कार का यह लक्षण प्रस्तुत किया है-

यत्र द्येकेन कर्ता येन कारणे कार्यं किंचन्निष्पादितं निष्पपादीयिष्टं वा
तदन्येन कर्ता तेनैव कारणे तद्विस्तुकार्यस्य निष्पादनेन निष्पपादीष्या वा
व्याहन्येत स व्याधातः ॥

जहाँ सक कर्ता ने जिस कारण से कोई कार्य बनाया हो अथवा बनाना चाहा
हो वह कार्य दूसरे कर्ता द्वारा उसी कारण से उसके विस्तु कार्य के बना देने से अथवा
बना देने की इच्छा से बिगाड़ दिया जाय उसे व्याधात कहते हैं।

इस तरह से व्याधात अलङ्घत्व के दो प्रकार सिद्ध होते हैं- सक बने कार्य
का बिगड़ना और दूसरा बनाने के लिए अभिलीक्षित कार्य का बिगड़ना।

यहाँ कर्ता से तात्पर्य है किसी कार्य को उद्देश्य बनाकर उसमें प्रवृत्त हो
जाने वाला व्यक्ति न कि किसी तरह कार्य की सीद्ध में हेतु बन जाने वाला
व्यक्ति। कहने का भाव यह है कि जहाँ किसी व्यक्ति का किसी कार्य के प्रति
कर्तृत्व हो और कर्तृत्व के होते हुए भी उसकी उस कार्य में प्रवृत्ति न हो तो उस
स्थान पर यह अलङ्घत्व नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ-

“पाण्डित्येन प्रघण्डेन येन माणिन्त द्वर्जनाः ।

तेनैव सञ्जना रुद्धा यान्ति शान्तिमनुत्तमाम् ॥”

अर्थात् जिस प्रखर पाण्डित्य से द्वर्जन मदमत्त हो जाते हैं, उसी पाण्डित्य
से प्रछयात सञ्जनगण सर्वात्म शान्ति को प्राप्त करते हैं।

प्रत्युत उदाहरण व्याधात अलङ्घत्व का उदाहरण नहीं हो सकता क्योंकि
यहाँ पर द्वर्जन मद का और सञ्जन शम का कर्ता अवश्य बन गया है परन्तु इसमें

द्वर्जन और सज्जन का मद और शान्ति के प्रति कृत्त्व होते हुए भी उसमें प्रवृत्ततत्त्व नहीं है अर्थात् यहाँ पर द्वर्जन की प्रवृत्तित मद के उददेश्य से और सज्जन की प्रवृत्तित शम के उददेश्य से नहीं हुयी है। यहाँ मद तथा शम आनुष्ठानिक रूप से है उसके लिए कोई बास प्रयास नहीं किया गया है।

प्रस्तुत उदाहरण में एक शंका यह हो सकती है कि यहाँ पर जिस प्रबर पाणिष्ठत्य से द्वर्जन मदमत्त हो जाते हैं उसी पाणिष्ठत्य से सज्जन शान्ति को प्राप्त करते हैं यद्यपि "पाणिष्ठत्य" मदमत्त होने का भी कारण है और शान्ति प्राप्ति का भी कारण है कहने का भाव यह है कि वही पाणिष्ठत्य द्वर्जन के मदमत्त होने का तथा सज्जन की शान्ति प्राप्ति का कारण है द्वर्जन तो उससे मदमत्त हो जाता है परन्तु सज्जन उसी से शान्ति प्राप्त करते हैं। अतः यहाँ व्याधात अलङ्घन का होना चाहिए।

इस शंका के समाधान में यह कहा जा सकता है कि इस उदाहरण को व्याधात अलङ्घन का उदाहरण मानना ठीक नहीं है इसमें एक ही कारण से दो विरुद्ध कर्यों की उत्पत्ति दो आश्रयों में हो वह इसमें बाधक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ द्वर्जन और सज्जन रूप आश्रय के भेद से एक ही पाणिष्ठत्य मद और शम दोनों का कारण हो सकता है और इसमें किसी तरह की कोई बाधा भी नहीं है तो यह बात तो लोकसिद्ध ही हुयी और लोकसिद्ध वस्तु काव्यालङ्घन का स्थान नहीं हो सकती कर्यानुकाव्यालङ्घन का होने के लिए किसी भी वस्तु का कठिप्रति मोतिथत होना आवश्यक है। यहाँ विरोध ही इस अलङ्घन का मूल है और इस स्थिति में जब कि एक ही पाणिष्ठत्य मद और शम दोनों का कारण है विरोध का आभास ही नहीं होता है कर्यानुकाव्य का भाव तभी हो सकता है जब दो बाधित कार्यों

की उत्पत्ति हो और यह मद तथा शम स्प जो कार्य है वो बाधित ही नहीं है।
इसलिए उपर्युक्त उदाहरण को व्याधात अलङ्कृत का उदाहरण नहीं माना जा सकता।

“व्याधात अलङ्कृत के प्रथम भेद का उदाहरण—
दीनद्वयान्पचोभिः खलनिकरैरनुदिनं दतितान्।
पल्लवयन्त्युल्लसिता नित्यं तैरेव सज्जनधूरीणाः ॥”

द्वष्ट समूहों द्वारा वचनों से प्रतीतिदिन दीलित दीनजनस्प तृक्षों को सज्जन-
मूर्धन्यजन उल्लसित श्रृङ्गसन्न होकर नित्य उन्हों श्रृङ्गवचनों से के द्वारा पल्लवित
करते हैं।

यहाँ द्वष्टसमूह स्प कर्ता से वचनों द्वारा किस ग्रंथ दीन जन दलन स्प कार्य
का सज्जनों से वचनों के द्वारा व्याहत होने का वर्णन है इसलिए व्याधात अलङ्कृत
का उदाहरण हुआ। यद्यपि यहाँ “चचोभिः” और “तैरवै” ये ही दो पद हैं इन दोनों
पदों के श्रवण से “चचनत्वं” स्प से जिस धर्म का बोध होता है उस पर आगे विचार
करने पर कठोर स्वं मधुर दोनों तरह के वचन अभिन्न हो जाते हैं। कहने का भाव
यह है कि कठोर स्वं मधुर इन दोनों तरह के वचनों में एकत्र का आरोप हो जाता
है। इस प्रकार पहले तो यहाँ पहले वचनों से ही दीनद्वयमदलन और फिर जिन वचनों
से दीनद्वयमदलन होता है उन्हों वचनों से उनका पल्लवन कैसे हो सकता है इस तरह
विरोध की प्रतीति होती है, परन्तु बाद में जब तत्कार्य हेतुता का विचार किया
जाता है कि सामान्यतः वचन तो शक ही है। लेकिन शक होने पर भी कठोरता
और मधुरता के भेद से वस्तुतः वचन दो हैं उनमें से प्रथम प्रकार का जो कठोर है
वचन है वह दलन का कारण है और द्वितीय प्रकार का जो [मधुर] वचन है वह

पल्लवन का कारण है, अतः कठोर और मधुर में दो तरह के वर्णन से दलन तथा पल्लवन स्वप्न दो कार्य हो सकते हैं ऐसी प्रतीति होने पर उक्त विरोध निवृत्त हो जाता है। अतः यहाँ पर विरोधमूलक व्याघात अलङ्कार है।

इसी प्रकार यहाँ एक कर्ता के हारा जिस कारण से किसी कार्य को सम्पादित करने की अभिलाषा हो उसमें अन्य कर्ता के हारा उत्ती कारण से किसी विरुद्ध कार्य को सम्पादित करने की अभिलाषा से बाधा डाली जाय तो भी व्याघात अलङ्कार होता है जैसे-

विमुच्चित यदि प्रिय प्रियतमेति मां मन्दिरे
तदा सह नयस्त मां प्रणयन्त्रणायन्त्रितः।

अथ प्रकृतिभीरुरित्यखिलभीतिभङ्गःक्षमा-

न जातु भूषणहलादतहितो बीहिर्भविय ॥

हे प्रिय ! मैं आपकी प्रियतमा हूँ इस कारण आप मुझे घर पर छोड़ना चाहते हैं तो प्रेम की व्यधा से व्योधित आप मुझे साथ ही ले चलिए, और यदि स्त्री स्वभावतः भीरु होती है ऐसा समझ कर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो सावधान होकर, सभी भर्याँ को भङ्ग करने मैं समर्थ अपने भूषणहल से कभी मुझे बाहर मत रोखिए।

प्रस्तुत उदाहरण में नायक का अभिलाखित कार्य जो कि नायिका को न ले जाना है, व्याहत है। यहाँ प्रियतमात्वं अथवा "भीरुत्व" जो कि घर कर छोड़ना चाहने का कारण है उन्हीं कारणों से "घर पर नहीं छोड़ना" सिंह किया जा रहा है। अतः यह व्याघात अलङ्कार के दूसरे भेद का उदाहरण है।

छुछ आचार्यों के मतानुसार व्याधात के दो भेद करना ठीक नहीं है। उनके मतानुसार व्याधात का एक ही प्रकार होता है। आचार्य मम्मट ने भी व्याधात का एक ही प्रकार माना है क्योंकि पूर्वोक्त दोनों प्रकार के व्याधातों में कर्ता के अभिष्ट का ही हनन समान रूप से होता है उदाहरणार्थ-

“दृशा दग्धं मनसिंजं जीवयन्ति दृशैव याः ।

विल्पाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥

अर्थात् दृष्टि के हारा दग्ध किये गये कामदेव को जो दृष्टि से ही जिलाती है, उन विल्पाक्ष को जीतने वाली सुलोचनार्जी की मैं स्तुति करता हूँ। प्रस्तुत उदाहरण में शिवस्य कर्ता के हारा दृष्टि से निष्पत्ति किये गये काम दाह स्य जो कार्य है उस कार्य का व्याहनन नायिका स्य कर्ता के हारा दृष्टि से ही कामोऽणीवन-स्य विरुद्ध कार्य की निष्पत्ति दिखलाकर उसका वर्णन हुआ है।

यहाँ प्रस्तुत पद में यह शंका होती है कि “जयिनी विल्पाक्षस्य” और “वामलोचना” इन पदों से व्यतिरेक अलङ्कृत का ही प्रकाशन होता है जबकि पीण्डतराज जगन्नाथ मम्मट के ही मत को मानते हुए इसे व्याधात अलङ्कृत का ही उदाहरण मानते हैं। इस शंका का समाधान करते हुए यह कहा जा सकता है कि यहाँ व्यतिरेक अलङ्कृत का व्याधात अलङ्कृत का उत्थापक है किन्तु ऐसा कहने पर भी व्याधात अलङ्कृत की अलङ्कृतता तिद्व नहीं होती, क्योंकि अलङ्कृत का उत्थापक अलङ्कृत ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। उत्थापक अलङ्कृत का व्यथदेश नहीं किया जाता, बल्कि उत्थाप्य का ही व्यथदेश होता है। यदि उत्थापक को ही अलङ्कृत कहा जाय तो “आननेनाकलङ्के न जयतीन्दुं कलङ्के नम्” अर्थात् अङ्कलङ्क के मुख से कलङ्की

चन्द्र को जीत रही है, मैं भी अलङ्कृत की आपत्ति होगी, क्योंकि यहाँ तो केवल वस्तुस्य अर्थ से ही व्यतिरेक अलङ्कृत की उद्भावना हो रही है और इसी प्रकार "दृश्यादग्धं" इस उदाहरण में भी व्यतिरेक का उत्थापन हो सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि व्याघात का कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो व्यतिरेक से रहीत हो। लेकिन यहाँ पर स्कंचा यह उठती है कि जब सर्वत्र इन दोनों अलङ्कृतों का मिश्रण रहता है तो यदि व्यतिरेक से रहीत कोई व्याघात का लक्ष्य उपलब्ध होता तो उसकी गणना स्वतन्त्र अलङ्कृत के स्पृष्ट में की जाती। अतः व्याघात को स्वतन्त्र अलङ्कृत नहीं माना जा सकता।

उपर्युक्त शंका के समाधान में ममट के समर्थन में परिणतराज जगन्नाथ ने यह मत प्रस्तुत किया कि "जिस प्रकार अन्य अलङ्कृतों को अलङ्कृतान्तर के साथ नित्य सम्बन्धित रखते हुए भी पृथक् अलङ्कृत माना जाता है उसी प्रकार यहाँ भी व्याघात को स्वतन्त्र अलङ्कृत मानना चाहिए, क्योंकि उस प्रकार के सम्बन्ध में स्कंच विशेष चमत्कार होता है। चमत्कृत ही अलङ्कृतों की भेदक है। उदाहरण के लिए अनन्यादि अलङ्कृत सदा उपमा से अनुप्राप्ति रहते हैं परन्तु फिर भी विशेष चमत्कारी होने से उन्हें स्वतन्त्र अलङ्कृत माना गया है उसी प्रकार व्याघात को भी सदा व्यतिरेक से सम्बन्धित रखते हुए भी अलङ्कृतान्तर मानने में कोई हानि नहीं है।"

निष्कर्षः कर्ता जिस उपाय से कोई कार्य सिद्ध करे उसी उपाय से यदि दूसरे कर्ता के हारा उस कार्य का अन्यथाकरण है तो वह व्याघात का प्रथम भेद तथा जिस उपाय से वह अपने अभीष्ट कार्य तक सम्पादित करना चाहे, उसी उपाय को उसका जो अभीष्ट कार्य है उस अभीष्ट कार्य के विरुद्ध कार्य का साथक बनाकर

उसके उद्दिद्धट कार्य का अन्यथाकरण है वह व्याघात का द्विसरा भेद है। संक्षिप्त रूप में यह कहा जा सकता है व्याघात दो प्रकार का होता है- एक बने कार्य का बिगाहना और द्विसरा बनाने के लिए अभिलिखित कार्य का बिगाहना। इसमें कर्ता की अभीष्ट सिद्धि का जो साधन है उसी साधन से द्विसरे के हारा उसके इष्ट का व्याघात या हनन होने के कारण इसे व्याघात कहा जाता है तथा यह एक स्वतन्त्र अलङ्कार है तिरोध ही इसका मूल है। अतः इसकी गणना तिरोधमूलक अलङ्कारों के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में करना उचित ही है।

उपसंहार

अलङ्कृतर्याँ के स्वरूप, वर्गीकरण स्वं विकास का अध्ययन करने के पश्चात् हम अन्ततः इस निष्कर्ष पर तो निश्चित रूप से पहुँचते हैं कि अलङ्कृतर्याँ सौन्दर्य अथवा रमणीयता का पर्याय है। यह रमणीयता जब अर्थ की विद्यमानता स्वं वचोभाङ्गमा का प्रकाशन करती है तो अर्थालङ्कृतर्याँ कहलाती है। इस अर्थ की रमणीयता को अभिव्यक्ति देने के लिए कवियाँ ने न जाने कितने प्रकार के वागृविलासाँ को प्रस्तुत किया है और आचार्याँ ने भी ऐसे विविध प्रसङ्गाँ को खोज कर अनन्त वागृविकल्पाँ की कल्पना की है। वाणी के ये अर्थप्रकार जितने ही हृदयावर्जक होते हैं उतने ही प्रकार के अलङ्कृतर्याँ होते हैं। काव्यालङ्कृतरकार रूप्रट का भी यही मत है-

“यावन्तो हृदयावर्जका अर्थप्रकारास्तावन्तोऽलङ्कृतराः।”

अलङ्कृतर्याँ की सादृश्यमूलकता में उपमा अलङ्कृतर्याँ की विविध विचित्रितयाँ को दर्शाया जाता है और इसी कारण काव्यशास्त्रीय ग्रन्थाँ ने सादृश्यमूलक अलङ्कृतर्याँ के विविध रूपाँ को अपने अन्दर समाविष्ट किया है। सादृश्यमूलक अलङ्कृतर्याँ के ही समानान्तर शक प्रकार के उन अलङ्कृतर्याँ की प्रबलता रही जिन्हें हम “विरोधमूलक” इस सामान्य संज्ञा से अभिहित करते हैं। सादृश्य की भाँति वैसादृश्य, वैषम्य वैषम्यर्थ स्वं विरोध इन तत्त्वाँ से अनुप्राप्ति होने वाले वाणी की विचित्रितयाँ के विविध प्रकार हैं जिनको विरोधमूलक संज्ञा देकर हमने विवेचित किया है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में विरोध से लेकर व्याघात वर्यन्ता अर्थात् विरोध, विभावना, विशेषोक्ति कारणातिक्षणीकृत, असङ्गति, विषम, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य,

विशेष तथा व्याधात इन सभी विरोधमूलक अलङ्कृतर्माँ का निष्पत्र किया गया है।

विरोधमूलक अलङ्कृतर्माँ का उपसंहार करते हुए पण्डितराज जगन्नाथ ने भी यह बात स्पष्ट स्पष्ट से कही है कि "इन अलङ्कृतर्माँ के पुारम्भ में जिस विरोध की प्रतीति होती है वह केवल विचित्रित [चमत्कार] स्पष्ट-अर्थात् ज्ञान स्पष्ट वास्तविक नहीं।" रहता है, अतस्य उसकी प्रतीति विषयकी की घमक के समान क्षणिक होती है। विरकालिक [समाप्तपर्यन्त स्थायिनी] नहीं। इस तरह के विरोध का प्रादृभाव इन अलङ्कृतर्माँ में आंशिक अभेदाध्यवसान के कारण होता है और अभेदाध्यवसाय का उन्मीलन किया जाता है श्लेष, अतिशयोर्कित आदि उपाय से।"

विरोधमूलक अलङ्कृतर्माँ की परस्पर भिन्नता के विषय में आचार्यों में परस्पर मतभेद है। कुछ विद्वानों के मतानुसार उपर्युक्त सभी विरोधमूलक अलङ्कृतर्माँ भिन्न-भिन्न प्रकार की विविक्ता को धारण करते हुए भी विरोधाभास अलङ्कृतर्माँ के ही अवान्तर प्रभेद है।, ये अलङ्कृतर्माँ विरोधाभास से भिन्न अलङ्कृतर्माँ नहीं हैं इसी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने यह बात कही है कि ऐसे- विविध वैषिक्य को धारण करते हुए भी कहुण आदि आभूषण सूर्यों से भिन्न नहीं होते हैं उसी प्रकार अलङ्कृतर्माँ भी विविध वैषिक्य धारण करते हुए विभिन्न नामों से अभिहित होते हुए विरोधाभास के ही अवान्तर प्रभेद हैं।

अन्य विद्वानों के मतानुसार यदि विरोधमूलक अलङ्कृतर्माँ के विषय में ऐसी बात मान ली जाय तो सादृश्यमूलक अलङ्कृतर्माँ में जिनकी गणना हुयी है वे सादृश्य-मूलक स्पष्ट, दीपक आदि सभी अलङ्कृतर्माँ उपर्या अलङ्कृतर्माँ के प्रभेद मात्र सिद्ध हो जायेंगे,

क्याँकि विरोधमूलक अलङ्कृतरों में विरोध अर्थात् विरोधाभास प्रमुख है और सभी विरोधमूलक अलङ्कृतरों जैसे- विभावना, विशेषोक्ति, कारणातिशयोक्ति, असङ्गति आदि को विरोधाभास का ही अवान्तर प्रभेद मान लिया जाय तो उसी प्रकार सादृश्यमूलक अलङ्कृतरों में स्पृक, दीपक आदि ये सभी अलङ्कृत उपमा अलङ्कृत के प्रभेद मात्र सिद्ध होंगे। ऐसा मानने पर तो आलङ्कृतिरक्त ने जो उपर्युक्त सभी अलङ्कृतरों को पृथक्-पृथक् अलङ्कृत के स्पृ में स्वीकार किया है, उनका सिद्धान्त भी अत्यन्त अस्त-व्यस्त हो जायेगा। अतः विरोधमूलक अलङ्कृतरों के विषय में यह कहना युक्तिसंगत है कि ये विरोधमूलक अलङ्कृत सक दूसरे की अनुसरण करते हुए भी परस्पर भिन्न ही है, क्याँकि सब में किसी न किसी प्रकार का घमत्कार अवश्य रहता है।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस विरोधमूलकता की झटकता यही तक है अधिक इसके और भी स्पृ-भेद हो सकते हैं। अलङ्कृतरों की इस विरोधमूलकता के विषय में किसी भी आचार्य ने स्पष्ट स्पृ से कोई बात नहीं कही है। स्पृयक ने जिन अलङ्कृतरों का ग्रहण किया है प्रायः उन सभी विरोधमूलक अलङ्कृतरों के प्रारम्भ में उनकी विरोध-मूलकता का स्पष्ट स्पृ से निर्देश करते हुए उनके लक्षण का विवेचन किया है। पण्डित-राज बग्नाथ ने भी विरोधाभास से लेकर व्याधात-पर्यन्त सभी अलङ्कृतरों को विरोधमूलक मानते हुए उनका निरूपण किया है तथा उन सभी अलङ्कृतरों का विवेचन स्पृयक के ही ग्रामानुसार प्रत्युत किया है। केवल कारणातिशयोक्ति ही ऐसा अतिरिक्त अलङ्कृत है जिसे स्पृयक ने विरोधमूलक अलङ्कृत मानते हुए उसका विवेचन विरोधमूलक अलङ्कृतरों के प्रत्यक्ष में किया है, पण्डितराज बग्नाथ ने नहीं, डा० चिन्मयी माहेश्वरी

ने भी विरोधमूलक अलङ्कृतरों का विवेचन करते हुए विरोध पर आधारित जितने भी अलङ्कृतर है उनको इस श्रेणी के अन्तर्गत रखा ही है तथा इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अलङ्कृतरों को भी ह्यर्धपूर्णान अलङ्कृतर कहते हुए उनका भी विवेचन किया है। वे अलङ्कृतर हैं— अनुज्ञा, तिरस्कार, समासोक्ति, अप्रस्तुतपूर्णांशा, पर्यायोक्ति, व्याजस्तुति, आदेष, अर्थपीति तथा लीलत।

समासोक्ति अलङ्कृतर में प्रस्तुत वस्तु के व्यवहार में अन्य वस्तु के व्यवहार की प्रतीति होती है और इस प्रतीति से उस अन्य वस्तु की अभिव्यक्ति होती है। स्थ्ययक ने समासोक्ति को तथा अप्रस्तुत प्रशंसा को भी विशेषणविच्छिति पर आश्रित मानते हुए इन दोनों अलङ्कृतरों को सादृश्यमूलक अलङ्कृतर माना। समासोक्ति अलङ्कृतर अर्थ की व्यंजना पर आधृत अलङ्कृतर है इसमें एक की उकिति से उसके समान विशेषण वाले अन्य अर्थ की व्यंजना होती है। अतः एक के कथन-मात्र से दो अर्थों का बोध करने के कारण इसे द्वि-अर्थ प्रधान अलङ्कृतर माना गया। सादृश्य आदि प्रकारों में से किसी एक प्रकार से अप्रस्तुत व्यवहार के द्वारा प्रस्तुत व्यवहार प्रशंसित हो वहाँ उस तरह की वह प्रशंसा ही अप्रस्तुतपूर्णांशा कहलाती है। इसी प्रकार अप्रस्तुतपूर्णांशा में भी अप्रस्तुत की उकिति से प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाता है। अतः यह भी ह्यर्धपूर्णान अलङ्कृतर है तथा इस अलङ्कृतर की सादृश्यमूलकता के लिए आवश्यक है कि अप्रस्तुत तथा उससे व्यक्त होने वाले प्रस्तुत में सादृश्य सम्बन्ध हो। जहाँ यह सम्बन्ध सादृश्य के स्पष्ट में न होकर अन्य किसी स्पष्ट में होता है वहाँ इसे सादृश्यमूलक अलङ्कृतर नहीं माना जाता।

इस प्रकार विरोधमूलक अलङ्कृतर्माँ में विरोध का बीज किसी न किसी त्य
में अवश्य विद्यमान रहता है। विरोधमूलक अलङ्कृतर्माँ में भी विरोधमुखे उपस्थापित
अर्थ वर्ण्य वस्तु में विशेष घमत्कार ला देता है। विवेचित विरोधमूलक अलङ्कृतर्माँ के
विविध उदाहरणों का पर्यालोचन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि
इन अलङ्कृतर्माँ के उदाहरण प्रायः श्लङ्क-तर-वर्णन प्रसङ्ग- के हैं। अनेक स्थलर्माँ पर वीरादि
रसाँ, राजप्रशीस्तर्याँ में भी इनका प्रयोग हुआ है, परन्तु ऐसे प्रसङ्ग-र्माँ में प्रायः
रसाभिव्यंजना के स्थान पर कलात्मकता का प्रयोग अधिक दिखता है। उनसे जो
घमत्कार उत्पन्न होता है वह रसानुभूति के स्थान पर हृदय में एक गुदगृदाढ़ उत्पन्न
करता है, मन पर प्रभाव छोड़ता है और मीस्तष्क को उसका विषय प्रदान करता है।
अतः यह काव्य का अलङ्कृतण तो करता ही है और इसीलिए यह "अलङ्कृत" संज्ञा
से अभिहित होता है। इस प्रकार वामन के "काव्यं ग्राह्यमलङ्कृतात्" एवं "सौन्दर्य-
मलङ्कृतः" इन सूत्रों के अनुसार वह अलङ्कृत सौन्दर्य का ही पर्याय है और उस
अलङ्कृतता के कारण ही काव्य ग्राह्य होता है। विरोधमूलक अलङ्कृत भी इसी
सौन्दर्याधान के कारण अलङ्कृत हैं, अर्थों की विविध विचित्रताओं देने के कारण
उनमें हृदयावर्णकता है। इसीलिए अलङ्कृतशास्त्र में निरूपित किये गये हैं और
इसी त्रैम में इस प्रबन्ध में इनका आलोचनात्मक अध्ययन प्रत्युत किया गया है।

प्रमुख-सहायक-ग्रन्थ सूची

<u>ग्रन्थ का नाम</u>	<u>लेखक/प्रकाशक</u>
1. अलङ्कृतरसवस्त्रम्	- स्थियक
2. औपित्यविचारयर्था	- क्लेन्ट्रु/काव्यमाला सीरीज़, बम्बई
3. काव्यप्रकाश	- ममट
4. काव्यालङ्कृतर	- लट्टर/वासुदेव प्रकाशन, दिल्ली 1965
5. काव्यालङ्कृतर	- भामह, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद् पटना
6. काव्यालङ्कृतसूत्रवृत्तिः	- वामन/घोखम्बा अमरभारती प्रकाशन, वाराणसी 1977
7. कादम्बरी कथामुखम्	- बाणभद्र
8. काव्यादर्श	- दण्डी/मेहरचन्द लक्ष्मनदास, दिल्ली 1973
9. काव्यालङ्कृतकारिका	
10. काव्यांग प्रक्रिया	
11. कृष्णानन्द	

12. चन्द्रालोक - जयदेव
13. ध्वन्यालोक - आनन्दवर्धन
14. नाट्यशास्त्रम् - भरतमूर्ति
15. रसगङ्गा-धर - पण्डितराज श्री जगन्नाथ/
चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी
1987
16. वक्त्रोक्तिष्ठी वितम् - कुन्तक/विश्वविद्यालय प्रकाशन,
वाराणसी 1987
17. शिष्यमालवधम् - माध/चौखम्बा विद्याभवन,
वाराणसी 1972
18. संस्कृत अलङ्कार शास्त्र का समीन्वय-
इतिहास - अनिलद जोशी/अजन्ता
19. संस्कृत-साहित्य में शब्दालङ्कार - डॉ० सद्रदेव त्रिपाठी
20. साहित्यदर्पण - विश्वनाथ
21. साहित्य सुधासिन्धु - विश्वनाथ देव/भारतीय
विद्याप्रकाशन 1978